

विषय-सूची

प्रध्याय	विषय	पृष्ठ		
गूमिका—(प्रो० चन्द्रमौलि सुहुल एम० प०; एल० टी० लिखित) प्रारंभिक शब्द—(लेखिका द्वारा)				
१.	'शिक्षा मनोविज्ञान' का विकास	१
२.	'मनोविज्ञान' का विकास	१४
३.	घीसवाँ सदी के शिक्षा से संबद्ध मनोवैज्ञानिक संप्रदाय	३६		
४.	'वंशानुमंक्रमण' तथा 'परिस्थिति'	६०
५.	प्राकृतिक शक्तियाँ (Instincts)	१०७
६.	'प्राकृतिक शक्तियाँ' तथा 'स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ'	१२६
७.	'संवेदन', 'उद्देश' तथा 'स्थायी भाव'	१५७
८.	'व्यवसाय', 'चरित्र' तथा 'विषमजाल'	१७६
९.	तंतु-संस्थान, निर्विकल्पक, सविकल्पक तथा पूर्वानु- वर्ती प्रत्यक्ष	१८१
१०.	चेतना, रुचि, अवधान तथा थकान	२१३
११.	'सृति' तथा 'प्रत्यय-संवंध'	२३५
१२.	कल्पना	२६१
१३.	सामान्य प्रत्यय, निर्णय, तर्क तथा भाषा	२७५
१४.	'सीखना' तथा 'आदत'	२८६
१५.	बुद्धि-परीक्षा	३१४
१६.	शब्दानुक्रमणिका तथा शब्दकोप (Index and Glossary)	३२६
१७.	नामानुक्रमणिका (Name Index).	...		३३६

‘लियों की स्थिति’

[लेखिका—धूमता चन्द्रावती लखनपाल, एम्.ए., वा.टी.]

लियों को पढ़ने के लिये कौन-सी पुस्तक दी जाय, यह सवको चिता रहती है। इस पुस्तक के विकलने में यह सवाल हल हो गया है। लियों के पढ़ने के लिये यह पुस्तक इतनी अच्छी है कि इसी साल इस पुस्तक पर ‘हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ ने २००१ रु० इनाम दिया है। यह पुस्तक पेसी है जिप पिता को अपनी पुत्री के हाथ में, पति को अपनी पत्नी के हाथ में, और भाइ को अपनी बहन के हाथ में जलदी-से-जलदी देना चाहिए। दाम सवा रुपया। डाक-ग्रांच अलग।

‘ब्रह्मचर्य-संदेश’

यह पुस्तक हम विषय पर लिखी सब पुस्तकों से अच्छी है। इसका प्रमाण यह है कि बिहार-उडीसा, मध्य प्रान्त, बरार तथा उडीदा के सरकारी शिक्षा विभागों ने इस पुस्तक को इनाम आईने तथा लायनेरियों में रखने को मज्जूर किया हुआ है। यह पुस्तक पेसी है जिप पिता को पुत्र के हाथ में, गुरु को अपने शिष्य के हाथ में, नवयुवकों के शुभ-चिनक का किसी भी अपने नवयुवक मिश्र के हाथ में जलदी-से-जलदी देना चाहिए। पुस्तक में ८-१० विश्व आर्ट पेपर पर दिए गए हैं। दाम दो रुपया। डाक-ग्रांच अलग। अगरेजी में इस पुस्तक का नाम ‘Confidential Talks to Young Men’ है, जो तीन रुपये में मिल सकती है।

मिलने का पता-

चन्द्रावती लखनपाल एम्.ए०, गो०टी०

गुरुद्वाल काँगड़ी, (य०.पी०),

भूमिका

मनोविज्ञान वहुत बड़ा शास्त्र है ; उसके मंजिल वर्णन में भी एक वृहत्कलेवर पुस्तक तैयार हो जाय। साथ ही वहुत टेड़ा शास्त्र है, इसलिये कि दो-ढाई हजार वर्ष क्या, दो-ढाई माँ वर्ष पहले एतच्छान्न-संवंधी जो बात सही मानी जाती थी, आज वह गलत मानी जाती है। अभी तीस ही चालीस वर्ष में, हम लोगों के देखते-देखते, इस शास्त्र ने अनेकों पल्ये राए, अनेकों रूप धारण किए। भारतीय दर्शन-शास्त्रों ने अपनी निर्माणावस्था में जो-जो भी रँग बदले हों, उनका अनुमान-मात्र हम कर सकते हैं, परंतु उनके अंतिम रूप जो निर्णीत हो गए, वही प्रमाणान्वित माने जाने लगे, किमी को उन पर पुनः विचार करने की न आवश्यकता ही हुई, और न माहम ही हुआ। परिस्थितियों बदलती गई परंतु वे शास्त्र वैसे-के-वैसे ही बने रहे। उनके विरोध में एक शब्द भी कहकर 'नास्तिकता' की कालिमा अपने मुख पर कौन लगाए ?

परंतु पाश्चात्य देशों के लोग, कम-से-कम आधुनिक काल में, अधिक विचार-स्वातंत्र्य रखते हैं। यदि उनके अनुभव और विचार में कोई नवीन बात आ जाती है, तो वे उसे निर्मिकता से कहते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी प्रयोगशालाओं में अनेकों नवीन प्रयोग करते रहते हैं, और उन्हीं के आधार पर अपने नवीन सिद्धान्तों को स्थिर करते हैं। उनको यह कहने में निचिन्मात्र भी संकोच नहीं होता कि अमुक-प्रतिपादित सिद्धांत अशुद्ध हैं ; वे अपनी युक्तियों से, प्रयोगों से, अपनी बातें को सिद्ध करते हैं।

यही बात मनोविज्ञान के संबंध में भी हुई। लोगों ने उसकी परिभाषा तक एक थार नहीं अनेक थार, बदल ढाली। पहले माना जाता था कि मनोविज्ञान में 'आत्माओं' की क्रियाओं का वर्णन होता है। किसी आचार्य ने कहा कि आत्मा के अस्तित्व तथा उसकी क्रियाशीलता का वर्णन दर्शन-शास्त्रों ही में सीमित रखने, उसका वंधत मनोविज्ञान में न लगाओ। मनोविज्ञान को इस विचार की आवश्यकता नहीं कि आत्मा का अस्तित्व है, या नहीं, उसके लिये 'मन' का अस्तित्व मान लेना पर्याप्त है। आगे चलकर 'मन' की परिभाषा देना भी कठिन प्रतीत हुआ, तब किसी आचार्य ने कहा कि हटाओ जो यह भी मगाड़ा, मन भी यदि युद्ध है, तो आत्मा ही की तरह एक अनिर्वचनीय पदार्थ है; बुझारे लिये इतना मान लेना काफी है कि मनोविज्ञान में 'चेतना' की क्रियाओं का वर्णन होता है। युद्ध दिन पीछे चेतना का रंग भी फीका पड़ गया; आचार्यों ने कहा कि हमें तो हृष्ट-प्रमाण चाहिए, अहृष्ट नहीं; तब 'व्यवहार' (Behaviour) का बोल-बाला हुआ, अर्थात् यह माना गया कि जैसा व्यवहार बाहर दृष्टिगोचर हो, इसी से मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का अनुमान करना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य वैज्ञानिक सम्मतियों भी विविध आचार्यों ने प्रकट की। अब मनोविज्ञान की स्थिति प्रायः प्राणि-शास्त्र (Biology) के सिद्धान्तों पर अबलंघित मानी जाती है, और उसकी पुष्टि प्रयोगात्मक क्रियाओं (Experiments) के फलों से होती है।

'शिक्षा-मनोविज्ञान' साधारण मनोविज्ञान का एक अंग है; उसमें वच्चों की मनोवृत्तियों पर विशेष ध्यान रखना होता है, और उनकी शिक्षा-प्रणाली की स्त्रीकृति बाल-मनोविज्ञान के सिद्धान्तों से लेनी होती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा में कौन-कौन से विषय सम्मिलित होने चाहिए—वह विषय तो

सामाजिक है, और देश-कालानुसार समाज की आवश्यकताओं को देखकर निश्चित किया जाता है, उसमें मनोविज्ञान से कोई सहायता नहीं मिलती। परंतु समाज जो विषय शिक्षा के लिये निर्धारित कर देता है, उसके पढ़ाने की प्रणाली एकमात्र मनोविज्ञान पर अवलंबित है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण बदलने से शिक्षा-प्रणाली के दृष्टिकोण भी बदलते हैं। उदाहरणार्थ, इस विषय को इस प्रकार पढ़ाना चाहिए कि आत्मा की शक्तियों में पुष्टि हो, अथवा मनुसिक शक्तियों का विकास हो, अथवा चेतना-शक्ति का प्रावल्य बढ़े, अथवा जीवन-संबंधी कार्यों में व्यवहार-कुशलता की वृद्धि हो—ये शिक्षा-प्रणाली के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं जो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के बदलने के साथ-साथ बदलते रहे हैं, और जिनमें से आजकल अंतिम दृष्टिकोण पर ही अधिक बल दिया जाता है।

प्रायः बच्चों के अभिभावकों फो शिकायत रहती है कि शिक्षा-विभाग में स्थिरता नहीं, आज एक प्रणाली चलती है, तो कल दूसरी आ जाती है। बात सच है, परंतु यह काम शिक्षा की उन्नति के लिए होता है, दुलमुल-यकीनी से नहीं।

मनोविज्ञान के उद्देश्यों और सिद्धांतों की परिवर्तन-शीलता के कारण इस विज्ञान की पुरानी पुस्तकें इस समय के लिये पूर्ण उपयोगिता नहीं रखतीं, नवीन सिद्धांतों और नवीन उद्देश्यों को लेकर नवीन पुस्तकें आनी चाहिए। पारचात्य देशों में तो इस प्रकार की नवीन पुस्तकें निकलती ही रहती हैं, परंतु वे अँगरेजी तथा अंत्य भाषाओं में होती हैं, और हमारे हिंदी जाननेवाले अध्यापक, उनसे लाभ नहीं उठा सकते। यह हिंदी की एक वृद्धि है।

इस भारी त्रुटि का दूरीकरण इस समय श्रीमती चंद्रावती लखनपाल ने यह पुस्तक लिखकर किया है। यह वही देवी हैं

जिन्होंने “स्थियों की स्थिति” लिखकर अच्छी रुयाति प्राप्त की है, और हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सेक्सरिया-पारितोपिक की मुख्य पात्र समझी गई हैं।

पुस्तक के विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह अध्यापकों के तथा इस विषय को जानने की इच्छा रखनेवाले अन्य व्यक्तियों के लिये बहुत ही उपयोगी वस्तु है। उनके जानने के योग्य कोई ऐसा विषय नहीं जिसका समावेश इस पुस्तक में न हुआ हो, सो भी आजकल के नवीन सिद्धांतों के अनुसार। पारिभाषिक शब्दों के बनाने में तो इन देवीजी की योग्यता वर्बन साननी ही पड़ेगी। इनकी विषय-स्पष्टी-करण की शक्ति भी अद्भुत है। पुस्तक में शुरू से अन्त तक सुदूर, शुद्ध, मुहाविरेदार तथा रुचिकर भाषा का प्रयोग हुआ है। विशेष बात यह है कि पुस्तक भारतीय परिस्थिति को दृष्टि में रखकर रची गई है, उदाहरण आदि योरप से उधार नहीं लिए गए, न चुराए गए हैं, उनमें मौलिकता पांडि जाती है। इससे अधिक निर्णय पाठक-बृंद स्वयं ही कर सकते हैं। लेखिका बनारस ट्रेनिंग कॉलेज में मेरी शिष्या रह चुकी हैं, अतः मैं यदि पुस्तक के विषय में कुछ अधिक प्रशंसात्मक लिखूँ, तो शायद लोगों को उसमें पक्षपात की भलक आने लगे। तथापि यह सफल परिश्रम करने के लिये मैं श्रीमती 'चंद्राप्रती' को साधुवाद अपित किये विना नहीं रह सकता। शुभम्।

वनारस }
२१-७-१९३४ ई० }
चंद्रमौलि सुकुल
वाइस-प्रिसिपल, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

प्रारंभिक शुद्धि

‘प्रत्येक बालक माता-पिता का ही बाल नहीं, देश तथा जाति का भी बाल-गोपाल है। अगर उसका ठीक-ठोक शिष्य हो, तो इस गोद में कृष्ण-कन्हैया खेल रहा है। आज का बालक कला जाति का भाग्य-विधाता यन सकता है। दूसरे देशों ने इस रहस्य को समझा है, और उनकी संपूर्ण शक्ति बालकों के विकास के साधनों पर पूरी तरह से छुट्टी छुड़ है।

बालकों के विकास का सबसे बड़ा साधन शिष्य है। शाज़-कल संसार के बड़े-बड़े मस्तिष्क शिष्यों के प्रश्न को दृढ़ करने में जगे हुए हैं, और एक स्वर से ‘मनोविज्ञान’ को शिष्यों का आधार कह रहे हैं। बालक के मन का स्थाभाविक विकास जिस प्रकार होता है उसी के आधार पर शिष्यों के निर्माण हो रहा है। इसी ईटि-कोण से एक नवीन विज्ञान ने जन्म लिया है, जिसे ‘शिष्य-मनोविज्ञान’ कहा जाता है। यह पुस्तक इसी विज्ञान के नवीनतम मिदांतों का प्रतिपादन करने के लिये लिखी गई है। अगर इस पुस्तक में प्रतिपादित तथों को समझा जाय, तो जिसके द्वाय में बालकों का निर्माण करने का महान् उत्तरदायिक्ष है, ऐसे प्रत्येक माता-पिता तथा शिशुर के लिये यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मुझे आशा है कि ट्रेनिंग स्कूलों तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों एवं ‘मनोविज्ञान’ तथा ‘शिष्य-मनोविज्ञान’ का अध्ययन करने के इच्छुक अन्य व्यक्तियों के लिये भी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो सकेगी।

पुस्तक के लिखने में मुझे प्रो० वैक्टोरवर्ग, प्रो० चन्द्रमौखि सुकुल तथा प्रियिपल लगाशंकर जा मे यहुत सहाय्या मिली है। मैं विशेष तौर

पर प्रो० घेंकटेश्वरन की आभारी हैं। यनारस में पदे हुए को आवार
बनाकर ही मैं हस गदन विषय पर लेखनी उठाने का माइस फर सकी
हैं, और वहाँ पढ़ते हुए ही मेरे हृदय में इस विषय पर कुछ लिखने की
अभिलापा उत्पन्न हुई। गुरुकुल में मुझे प्रो० नदलाल खड़ा तथा
दाक्षर राधाहृष्ण से भी पर्यास सहायता मिली है इसलिये इन सबकी
मैं असीम वृत्तज्ञ हूँ। मुझे अपने पति प्रो० सत्यनन्दराजी से तो बहुत
अधिक सहायता मिला है, परन्तु पति पली में कृतज्ञता प्रकाशन की
प्रया अभी हमारे यहाँ नहीं चली। पुस्तक की प्रतिलिपि करने में
श्रीयुन गणपति नया श्रीयुत जगद्गुरु ने बहुत सहायता दी है, अत इनको
भी धन्यवाद है।

‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ तथा ‘मनोविज्ञान’ पर अगरेजी में जितनी भी पुस्तकें मिल सकीं सध्य प भरपूर सहायता ली गई हैं। उन पुस्तकों का अलग नाम लिया जाय, तो कई सफ़े भर जायें। इसलिये उनका अलग अलग नाम न लेकर सध्यके लिये इकट्ठा आभार स्वीकार करती हैं।

पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिये अत में शब्दानुक्रमणिका दी गई है, जो 'अनुक्रमणिका' (Index) तथा 'शब्द-कोप' (Glossary)

दोनों का काम दे सकती है। यांत में उन विद्वानों की भासावलि भी दी गई है, जिनके सिद्धांतों का पुस्तक में जगह-जगह उल्लेख है। ये अनुक्रमणिकाएँ हिंदी में न देख अंगरेजी में दी गई हैं। हिंदी में शब्दों के अर्थ अभी निश्चित नहीं हुए, इसलिये अंगरेजी का शब्द देकर उसके साथ उसका हिंदी-पारिभाषिक शब्द दे दिया गया है। पुस्तक में विद्वानों के जो नाम दिये गये हैं, उनके अंगरेजी में क्या हिस्से होते हैं, इसे विशद करने के लिये उनके नाम अंगरेजी में दे दिये हैं। आशा है, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिये ये अनुक्रमणिकाएँ बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। इनके तैयार करने में श्रीयुत श्रोमृकाश ने बहुत सहायता दी है, अतः उनको धन्यवाद है।

हिंदी में लेखिकाएँ 'मैं गई' तथा लेखक 'मैं गया' लिखते हैं। ऐसे प्रयोगों से बचने के लिये पुस्तक में 'इम गये'—इस प्रकार का यहु-बचन प्रयोग किया गया है, और 'हम गई' नहीं लिखा गया। यों-यों स्त्री-लेखिकाएँ बहती जायेंगी, मैं नमस्कनी हूँ, हमी प्रकार के प्रयोग को पर्संद करेंगी।

हिंदी-माता के आराधना का मंदिर कभी का यडा हो चुका है। त्रैसकी पूजा की होड में मेरा यह 'पत्र-पुल' भेट है। मुझे आशा है, इसे और बुझ नहीं तो 'तुलसी-दल' समझकर ही स्वीकार किया जायगा।

— चंद्रावती लग्ननपाल.

शिक्षा-मनोविज्ञान

प्रथम अध्याय

‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ का विकास

योरप में ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ का विकास किस प्रकार हुआ, इसे समझने के लिये वहाँ के ‘शिक्षा’ के इतिहास पर एक सरसरी दृष्टि डालना आवश्यक है। इससे हमारे सम्मुख यह स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार भिन्न-भिन्न लहरों के परिणाम-स्वरूप ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ की स्थापना हुई।

योरप में, सोलहवीं शताब्दी में, ग्रीक तथा रोमन भाषा और साहित्य का पढ़ाना ही ‘शिक्षा’ का उद्देश्य समझा जाता था। उस समय के लोगों का कथन था कि मानव-जाति की उन्नति के लिये इन भाषाओं का, और इन भाषाओं में पाए जानेवाले साहित्य का अध्ययन आवश्यक है, इनका पढ़ाना ही वास्तविक शिक्षा है। वे लोग सिसरो (१०६-४३ ई० पू०) के भूत्यों को पाठशालाओं में पढ़ाते थे, ओविड (४३ ई० पू०-१८ ई० पू०)

तथा टेरेन्स (१८४-१५८ ३० प०) की कविताओं में विद्य-
र्थियों को लगाए रखते थे । क्योंकि वे इन भाषाओं तथा
इनके साहित्य के शिक्षण को मानव-जाति की उन्नति के लिये
आवश्यक समझते थे, इसलिये वे ग्रीक तथा लैटिन के अध्ययन
को 'मनुष्योपयोगी शिक्षा'—'ह्यूमेनिस्टिक स्टडीज' (Humanistic Studies)—का नाम देते थे । 'ह्यूमेनिस्टिक स्टडीज' शब्द
ने शिक्षा-विज्ञान में एक पारिभाषिक रूप धारण कर लिया है, इसका
अर्थ हो गया है, ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं और उनके साहित्य का
अध्ययन । जो लोग ग्रीक तथा लैटिन के अध्ययन पर इस प्रकार
बल देते थे, उन्हे शिक्षा-विज्ञान को पुस्तकों में 'ह्यूमेनिस्ट' कहा
जाता है । ऐसे लोगों में इरेन्स (१४६५-१५३६) का नाम
विशेष उल्लेख-शोध है । [उसका कहना या, यद्यपि मेरे पास रूपया
होगा, तो पहले मैं ग्रीक-पुस्तके खरीदूँगा, फिर कुछ बद जायगा,
तो कपड़ों की फिल्ड कहूँगा ।]

'ह्यूमेनिस्ट' लोगों के इस प्रकार ग्रीक तथा लैटिन से विपटने
का परिणाम यह हुआ कि इस विचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न
होने लगी । इस प्रतिक्रिया को शिक्षा-विज्ञान के इतिहास में
'यथार्थवाद'—'रीयलिज्म' (Realism)—कहा जाता है ।
'यथार्थवाद' के मुख्य तौर पर तीन विभाग किये जाते हैं :—

१. 'ह्यूमेनिस्टिक यथार्थवाद' (Humanistic Realism)
२. 'सामाजिक यथार्थवाद' (Social Realism)
३. 'इन्द्रिय यथार्थवाद' (Sense Realism)

(१). 'ह्यूमेनिस्टिक यथार्थवाद', ह्यूमेनिज्म' के विरुद्ध प्रतिक्रिया तो था, परन्तु फिर भी यह बाद 'ह्यूमेनिज्म' के इर्द-गिर्द ही चक्कर काटता था। इन दोनों में यह समानता थी कि दोनों के विचारों में ग्रीक तथा लैटिन का अध्ययन मनुष्य-समाज की उन्नति में परम सहायक था। दोनों मानते थे कि इन भाषाओं में मानव-जाति के उच्च-से-उच्च विचार भरे पड़े हैं। हाँ, इन भाषाओं के अध्ययन के उद्देश्य के संबंध में दोनों का विचार मिश्र-भिश्र था। 'ह्यूमेनिस्ट' लोग ग्रीक तथा रोमन-साहित्य पढ़ते हुए विद्यार्थी को ग्रीक तथा रोमन ही वना देना चाहते थे, परंतु 'ह्यूमेनिस्टिक यथार्थवादी' के बल इतना चाहते थे कि ग्रीक तथा रोमन पढ़कर विद्यार्थी उन भावों तथा आदर्शों का मनन करे जो उक्त साहित्य का निर्माण करनेवालों के हृदय में काम कर रहे थे। इस श्रेणी के विद्वानों में रेबेलियस (१४८३-१५५३) तथा जॉन मिल्टन (१६०८-१६७४) का नाम विशेष उल्लेख-चोग्य है।

(२). 'सामाजिक यथार्थवादियों' का कथन था कि अगर पढ़निलाखकर आदमी निरा किताबों का कीड़ा रहा, तो उस पढ़ाई का क्या कायदा। हमारी पढ़ाई से हमारा इतना मानसिक विकास हो जाना चाहिए कि हम दुनिया में कार्य-कुशल व्यक्ति समझे जायें, निरो प्रोक्ट और लैटिन बोलने लायक ही न रहें। ये लोग जीवन को क्रियात्मक-रूप में सफल बनानेवाली शिक्षा पर अधिक चोर देते थे। इस विचार के लोगों का कथन था कि घुमनेनिरते

से, दुनिया देखने से, भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों के सम्पर्क में आने से किताओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है। इस विचार के फैलानेवालों में मौन्टेन (१८३३-१८६२) सुख्य समझा जाता है।

(३). अभी कहा गया कि 'यथार्थवाद', 'ह्यूमेनिज्म' के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम था। यह प्रतिक्रिया उक्त दो प्रकार—'ह्यूमेनिस्टिक यथार्थवाद' तथा 'सामाजिक यथार्थवाद'—के रूप में तो हुई ही थी, परंतु इतना ही काफी नहीं था। इस प्रतिक्रिया का उपर रूप 'इन्ड्रिय यथार्थवाद' (Sense Realism) में हुआ। 'इन्ड्रिय यथार्थवाद' में उक्त दोनों प्रकार का 'यथार्थवाद' (Realism) शामिल था, परंतु उसके साथ-साथ इसमें कुछ अधिकता भी थी।

वर्तमान 'नवीन शिक्षा-विज्ञान' में जो-जो भी लहरें दिखलाई दे रही हैं उन सबका सूत्रपात सत्रहवीं शताब्दी में 'इन्ड्रिय यथार्थवाद' (Sense Realism) द्वारा ही हुआ। 'इन्ड्रिय यथार्थवाद'-शब्द अपने अभिप्राय को स्वयं स्पष्ट कर देता है। इसका अभिप्राय यह है कि हमें शिक्षा में 'सृति' द्वारा अधिक काम न केरल 'इन्ड्रियों' (Senses) द्वारा—आँख, कान, हाथ, पैर द्वारा—अधिक लेना चाहिए। अब तक शिक्षा बहुत कुछ सृति का, रटने का, विषय बनी हुई थी, इन्ड्रियों से न के बराबर काम लिया जाता था। विद्यार्थियों को बहुत-से शब्द याद होते थे, परंतु उन्होंने उन शब्दों से अभिप्रेत वस्तुओं को कभी न देखा

होता था। वे अक्सर प्रीक और लैटिन रटा करते थे, उन्हें विज्ञान आदि से परिचय न होता था। सत्रहवीं शताब्दी में जब विज्ञान की बातें फैलने लगीं, कॉपर्निकस (१४७३-१५४३) ने सूर्य को विश्व का केंद्र सिद्ध किया, गैलिलियो (१५६४-१६४२) ने दूर-नीजण यंत्र का आविष्कार किया, हार्वे (१५७८-१६५७) ने शरीर में रुधिर की गति का पता लगाया, न्यूटन (१६४२-१७२७) ने पृथिवी की गुरुत्व-शक्ति का प्रतिपादन किया, तब एकदम शिक्षा-विज्ञानियों में भी हलचल मच गई। अब तक तो यह समझा जाता था कि शिक्षा का अभिप्राय लैटिन और ग्रीक पढ़ा देना है, विद्यार्थियों को जितना हो सके उतना रटवा देना है, परंतु विज्ञान की दिनोदिन बढ़ती ने उनके विचारों में परिवर्तन कर दिया। विज्ञान की इस बाढ़ का शिक्षा-विज्ञान पर दो तरह का असर हुआ। पहला असर तो यह था कि शिक्षा-विज्ञान का रुख लैटिन और ग्रीक (Classics) से हटकर विज्ञान (Sciences) पढ़ाने की तरफ हो गया; दूसरा असर यह था कि शिक्षा-विज्ञानियों का ध्यान शिक्षा-मनोविज्ञान (Educational Psychology) की तरफ भी जाने लगा। उन्होंने देखा कि प्रकृति की गोद में स्वयं पाई हुई शिक्षा सूखों की कृत्रिम शिक्षा से कहीं बढ़कर थी। कॉपर्निकस, गैलिलियो तथा हार्वे के आविष्कार सूखों तथा कॉलेजों के कृत्रिम वायु-मण्डल में नहीं हुए थे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि विद्यार्थी के मन पर किसी चीज़ को लाइने के बजाय उसके मन का क्रमिक विकास

ही तो कहीं शिक्षा का मूल-मंत्र नहीं है। ये दो बातें 'इन्द्रिय-यथार्थवाद' (Sense Realism) की निचोड़ थीं, और इन्हीं दोनों का विकास होते-होते आज शिक्षा-विज्ञान इतनी उन्नति तक पहुँचा है। इसमें संदेह नहीं कि 'शिक्षा-मनोविज्ञान' का प्रारंभ 'इन्द्रिय यथार्थवाद' के साथ ही समझना चाहिए, परंतु अभी सब्रह्मा शताव्दी में जब 'मनोविज्ञान' की ही बहुत सापारण अवस्था थी, 'शिक्षा-मनोविज्ञान' की उन्नत अवस्था तो कहाँ हो सकती थी। इन 'इन्द्रिय यथार्थवादियों' में मुख्य वेक्तु (१५६१-१६२६) तथा कोमेनियस (१५६२-१६७०) माने जाते हैं।

जैसा अभी कहा गया है, 'इन्द्रिय यथार्थवाद' ने शिक्षा के क्षेत्र में उथल-पुथल भचा दी। अब तक अध्यापक के लिये भिज्ज-भिज्ज विषयों का अगाध पंडित होना काफ़ी समझा जाता था। वह लैटिन का पंडित हो, प्रीक का विद्वान् हो, गणित में पारंगत हो, भूगोल का आचार्य हो, वस, काफ़ी थी। अब तक शिक्षा का मैदान 'शिक्षक' के ही हाथ में था, उसमें 'बालक' को कोई न पूछता था। यह नहीं समझा जाता था कि अगर 'शिक्षक' विद्वान् तो है, परंतु 'बालक' की प्रकृति से, उसकी मानसिक रचना से परिचित नहीं है, तब भी वह उत्तम शिक्षक का काम कर सकेगा या नहीं? 'इन्द्रिय यथार्थवाद' ने जहाँ और बहुत-कुछ किया, वहाँ बालकों के मनोविज्ञान की तरफ भी शिक्षा-विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया। 'इन्द्रिय-यथार्थवाद' ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करके पासा ही पलट दिया, शिक्षा के संपूर्ण प्रअ को 'दूसरा ही रूप दे

दिया। शिक्षा के चेत्र में 'उद्देश्य' (Aim), 'विधि' (Method), 'शिक्षक' (Teacher), 'विषय' (Subjects), 'बालक' (Child)—इन सबमें पहले 'शिक्षक' सब से अधिक मुख्य था, अब 'बालक' सब से अधिक मुख्य हो गया। बालक की वरक सबसे पहले 'इन्द्रिय यथार्थवादी' रूसो (१७१२-१७५८) ने ध्यान रखा। यद्यपि जॉन लॉक (१६३२-१७०४) ने भी बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा-विषयक एक पुस्तक लिखी थी, तो भी बालक के मनोविज्ञान की सामग्री रखते हुए, 'शिक्षक' तथा 'पाठ्य-विषय' आदि की तरफ से खोचकर 'बालक' पर शिक्षा-विज्ञानियों का ध्यान केंद्रित करने का ऐसे रूसो को ही है। रूसो मनोविज्ञानी नहीं था, न उसे बालकों को शिक्षा देने का कोई विशेष अनुभव था, तो भी उसने 'बालक' को शिक्षा का केंद्र बनाकर शिक्षा-विज्ञान को सदा के लिये अपना आभारी बना लिया। रूसो के इन्हीं विचारों को लेकर, उन्हें संरोधित तथा परिवर्धित करने का काम पैटेलॉची (१७४६-१८२७), हर्बर्ट (१७३६-१८११) तथा फिल्ल (१७८३-१८५२) ने किया। इन तीनों शिक्षा-विज्ञानियों ने शिक्षा के चेत्र में मनो-विज्ञान का खूब इस्तेमाल किया। इन तीनों के शिक्षा-संबंधी परीक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधिन थे। रूसो ने तो 'एमोल' (Emile) नामक ग्रंथ ही लिखा था, परन्तु पैटै-लॉची ने कई शिक्षा-संस्थाएँ खोलकर 'बालक' के संबंध में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देने का यज्ञ किया।

अब से शिक्षक के लिये यह जानना ज़रूरी हो गया कि वालक का मानसिक विकास किस प्रकार होता है, उसमें क्या-क्या शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों को किस प्रकार शिक्षा देने में काम में लाया जा सकता है। पहले तो यह समझा जाता था कि 'वालक' एक 'छोटा मनुष्य' है, जो नियम मनुष्य पर लागू होते हैं वही वालक पर भी लागू होते हैं, परन्तु 'शिक्षा-भनोविज्ञान' की लहर ने इन विचारों को एकदम बदल दिया। बातक एक छोटा मनुष्य नहीं, परंतु मनुष्य बनने के रास्ते पर है, उसे मनुष्य बनना है, इसलिये उसका मानसिक विकास एक प्रौढ़ व्यक्ति के मानसिक विकास से सर्वथा भिन्न होगा। 'शिक्षा-भनोविज्ञान' की यह लहर १८वीं शताब्दी में उठी, और १९वीं तथा २०वीं शताब्दियों में लगातार बेग ही पकड़ती गई। पैस्टेलॉजी ने कहा कि शिक्षक का सबसे मुख्य कर्तव्य वालक के मानसिक विकास के नियमों का अध्ययन करके, उन नियमों के अनुकूल चलाकर, उनका सहारा लेकर, शिक्षा देना है। इस प्रकार शिक्षा देने का नाम ही 'नवीन शिक्षा-विज्ञान' है। हर्वाई तथा फिल ने उक्त सिद्धात का 'शिक्षा-विज्ञान' में पूरा-पूरा प्रयोग किया। अगर आज पैस्टेलॉजी जीवित होकर शिक्षा-विज्ञान का निरीक्षण करे, तो उसकी आत्मा यह देरमकर गदगद हो जाय कि जिस बीज को उसने बोया था, वह अनुकूल परिस्थिति पाकर, लहलहाता वृक्ष बन गया है। आज 'शिक्षा-विज्ञान' 'भनोविज्ञान' के साथ घुल-मिल गया है, और दोनों के मेल से 'शिक्षा-भनोविज्ञान' की उत्पत्ति हो गई है। आज

अथम अध्याय

जो शिक्षक 'शिक्षा-मनोविज्ञान' को नहीं जानता वह शिक्षा की दृष्टि से सर्वथा असफल समझा जाता है। 'नवीन शिक्षानविज्ञान' (New Education) में 'शिक्षा-मनोविज्ञान' (Educational Psychology) के सिद्धांत प्रबल रूप से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉन्टसरी शिक्षा-पद्धति, डाल्टन शिक्षा-पद्धति, प्रोजेक्ट शिक्षा-पद्धति आदि सब प्रकार की शिक्षा-पद्धतियों में 'शिक्षा-मनोविज्ञान' के नियम ही आधार में बैठे हुए हैं। इस समय शिक्षा का प्रश्न बहुत-कुछ 'शिक्षा-मनोविज्ञान' का प्रश्न बन गया है।

'शिक्षा-मनोविज्ञान' का आधार 'मनोविज्ञान' हो है। इस समय 'मनोविज्ञान' के नए-नए विभाग उत्पन्न हो रहे हैं। 'शिक्षा-मनोविज्ञान' उन सबका उपयोग करने लगा है। 'शिक्षा-मनोविज्ञान' 'मनोविज्ञान' की किन-किन शाखाओं से सहायता ले रहा है, इसे समझने के लिये मनोविज्ञान के आजकल जो नए-नए विभाग उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें समझ लेना आवश्यक है।

मनोविज्ञान के मुख्य तौर पर दो विभाग किये जाते हैं:— 'स्वस्थ' (Normal) तथा 'अस्वस्थ' (Abnormal)। 'स्वस्थ मनोविज्ञान' में स्वस्थ मनुष्यों तथा पशुओं की मानसिक प्रक्रिया तथा शारीरिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है; 'अस्वस्थ मनोविज्ञान' का विषय रुग्णावस्था में मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया तथा व्यवहार कैसा हो जाता है, इसका अध्ययन करना है। 'स्वस्थ मनोविज्ञान' के निम्न विभाग किए जाते हैं:—

- ✓१. शुद्ध मनोविज्ञान (Pure Psychology)
- ✓२. वैयक्तिक मनोविज्ञान (Individual Psychology)
- ✓३. समूह मनोविज्ञान (Group Psychology)
- ✓४. सामाजिक मनोविज्ञान (Social Psychology)
- ✓५. क्रियात्मक मनोविज्ञान (Applied Psychology)

‘अस्वस्थ’ मनुष्यों के अध्ययन से जिस मनोविज्ञान ने जन्म लिया है, उसके दो भाग किए जाते हैं :—

१. अस्वस्थ व्यक्तियों के संबंध का मनोविज्ञान

२. अस्वस्थ व्यक्ति-समूहों के सम्बन्ध का मनोविज्ञान

‘स्वस्थ मनोविज्ञान’ में पॉचवाँ स्थान हमने ‘क्रियात्मक मनोविज्ञान’ को दिया है। इसके निम्न विभाग समझे जाते हैं :—

✓१. शिक्षा-मनोविज्ञान (Educational Psychology)

✓२. व्यावसायिक मनोविज्ञान (Industrial Psy.)

✓३. धर्म-मनोविज्ञान (Psychology of Religion)

उक्त दो प्रकार के—‘स्वस्थ’ तथा ‘अस्वस्थ’—मनोविज्ञान के अतिरिक्त एक तीसरे मनोविज्ञान ने जन्म लिया है जिसे ‘पशु-मनोविज्ञान’ (Animal Psychology) अथवा ‘तुलनात्मक मनोविज्ञान’ (Comparative Psychology) कहते हैं। इस विज्ञान को अमेरिका में थॉर्नडाइक तथा वाटसन ने यहुत उत्तरि दी है। पाठक इस पुस्तक को ज्यो-ज्यों पढ़ेंगे उन्हें पता चलता जायगा कि पशुओं के संबंध में किए गए परीक्षणों से ‘शिक्षा’ विषय पर किंतुना प्रकाश पड़ा है।

‘पशु-मनोविज्ञान’ के अतिरिक्त, शिक्षा-मनोविज्ञान खास तौर पर ‘शुद्ध मनोविज्ञान’, ‘वैयक्तिक मनोविज्ञान’, ‘समूह मनो-विज्ञान’ तथा ‘अस्वस्थ मनोविज्ञान’ से बहुत सहायता लेता है। ‘शुद्ध मनोविज्ञान’ मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया पर, उसके स्वभाव पर प्रकाश डालता है। बालक में क्या-क्या प्राकृतिक शक्तियाँ (Instincts) काम कर रही हैं, इन प्राकृतिक शक्तियों को किस प्रकार शिक्षा के काम में लाया जा सकता है, यह सब सहायता ‘शुद्ध मनोविज्ञान’ से मिलती है। ये प्राकृतिक शक्तियाँ शिक्षा की दृष्टि से इतनी आवश्यक हैं कि इनका हम एक पृथक् अध्याय में वर्णन करेंगे। इसी प्रकार, हम देखते हैं, बालक की शिक्षा एक समूह में होती है। वह प्रतिदिन स्कूल में जाता है और अन्य बालकों से मिलता-जुलता है। समूह में रहकर बालक के मन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं, वह समूह से किस प्रकार प्रभावित होता है और समूह को किस प्रकार प्रभावित करता है, इन बातों पर ‘सामूहिक मनोविज्ञान’ से प्रकाश पड़ता है। शिक्षा में बालकों की भिन्न-भिन्न वैयक्तिक विशेषताएँ भी अपना स्थान रखती हैं। लड़के-लड़कियों के स्वभाव में भेद है या नहीं, किस लड़के की मानसिक योग्यता कितनी है, दूसरे लड़कों के मुकाबिले में उसका क्या स्थान है, इत्यादि विषय ऐसे हैं जिन पर ‘वैयक्तिक मनोविज्ञान’ के परीक्षणों से ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ ने बहुत लाभ उठाया है। रोगियों की मानसिक रचना के अध्ययन से तो ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ ने अपने कई प्रश्न

हल करने का प्रयत्न किया है। भिन्न भिन्न इच्छाओं को मन में दबा रखने से मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया तथा उसके व्यवहार में कई परिवर्तन आ जाते हैं। कई बालक प्रारम्भ से ही मानसिक दृष्टि से रोगी यापिछड़े हुए कहे जा सकते हैं। 'अस्वस्थ मनो-विज्ञान' ने इन विषयों पर अनेक परीक्षण किए हैं। 'शिक्षा-मनोविज्ञान' के लिये ये बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं।

('शिक्षा-मनोविज्ञान' बहुत-कुछ बालक की प्रकृति, उसकी (प्रपृत्तियों, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार आदि का अध्ययन है, और आज हम ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जब कि उक्त सब प्रकार के मनोविज्ञान उसकी दिल सोलकर सहायता कर रहे हैं।

शिक्षा में शिक्षक, बालक, शिक्षा का उद्देश्य, अध्यापन-विधि, विषय, अध्यापन का स्थान आदि उसके अग गिने जाते हैं। इनमें पहले 'शिक्षक' तथा 'विषय' मुख्य समझे जाते थे, अब 'शिक्षा विज्ञान' के पिछले इतिहास ने इन सबमें 'बालक' को मुख्य बना दिया है। बालक के मुख्य होने के साथ-साथ 'अध्यापन-विधि' भी मुख्य हो गई है। 'शिक्षा-मनोविज्ञान' का बाम 'अध्यापन विधि' (Method of Teaching) पर प्रकाश ढालना है। जब शिक्षा में 'बालक' का स्थान मुख्य है, 'शिक्षक' का नहीं, तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम बालक के मनोविज्ञान को खूब अच्छी तरह समझें। इस दृष्टि से 'अध्यापन-विधि' का मुख्य आधार मनोविज्ञान ही है। कई लोग शिक्षा के द्वेष में मनोविज्ञान को इतना महत्त्व देते हैं कि उनके अनुसार

शिक्षा के 'उद्देश्य' का निर्धारण करना भी मनोविज्ञान का काम है। परंतु हम इस बात को नहीं मान सकते। शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण तो दर्शन-शास्त्र करेगा। मनुष्य-जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न के साथ शिक्षा का उद्देश्य वँधा हुआ है। मनोविज्ञान से तो अध्यापन-विधि को मनोवैज्ञानिक नियमों पर ढाला जा सकता है। इस प्रकार वालक की मानसिक 'प्रक्रिया' तथा उसके 'व्यवहार' के मनोवैज्ञानिक नियमों का अध्ययन करना ही 'शिक्षा-मनोविज्ञान' है।

द्वितीय अध्याय

‘मनोविज्ञान’ का विकास

पिछले अध्याय में कहा गया है कि ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ का विकास ‘मनोविज्ञान’ के विकास के आधार पर हुआ। मूल विज्ञान ‘मनोविज्ञान’ है। उसी की खोजी हुई बातों का शिक्षा के लेख में प्रयोग करके ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ की नींव डाली गई है। शुरू-शुरू में ‘मनोविज्ञान’ बहुत प्रारंभिक अवस्था में था, उसके साथ-साथ ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ का प्रारंभिक अवस्था में होना लाभमयी था। ज्यों-ज्यों ‘मनोविज्ञान’ तरफकी चरता गया, त्यों-त्यों ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ भी उन्नति की ओर पग बढ़ाता गया। इस अध्याय में ‘मनोविज्ञान’ के इसी क्रमिक विकास का घण्ठन किया जायगा।

कृषि में इसा से छठी शताब्दी पूर्व तक शरीर से भिन्न आत्मा की पृथक् सत्ता मानने का विचार उत्पन्न नहीं हुआ था। छठी शताब्दी तक यही माना जाता था कि शरीर की प्रत्येक इन्द्रिय स्वतंत्र-रूप से विषय का ज्ञान करती है। भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के ज्ञान को मिलानेवाली आत्मा-जैसी किसी शक्ति को अभी ये मानने नहीं लगे थे। शरीर में जब तक साँस है, प्राणी चिदा है; जब फूक निकल गई, तो प्राणी भी मर गया। उस

समय के लोग उतना ही मानते थे, जितना भौंटी तौर से दिखाई देता था। वे समझते थे कि मृत्यु के समय सॉस मुख से निकल जाता है या वह शरीर के धाढ़ों में से उनके खुलने से निकल जाता है। छठी शताब्दी के बाद से वह माना जाने लगा कि देसने-सुनने का काम चाल्ह-इन्ड्रियों (Senses) का नहीं, आत्मा का है। भिन्न-भिन्न 'इन्द्रियाँ' विषयों का ज्ञान लेकर 'आत्मा' के सुपुर्द कर देती हैं। इस समय 'आत्मा' के विषय में जो चर्चा शुरू हुई, उसे मनोविज्ञान का प्रारंभ समझना चाहिए। पहले-पहल यह चर्चा ग्रीस-देश में चली।

१. पाँच सदी ई० पू० से सोलहीं शताब्दी तक

ईसा से ५वीं शताब्दी पूर्व सुकरात् (४६६-३६६ ई० पू०) हुआ। वह भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार किया करता था। उस का कहना था कि लोग पर्याप्त 'अंतःप्रेक्षण' (Introspection) नहीं करते। अगर आत्मा है, और आत्मा में विचार रहते हैं, तो उन्हें जानने का सबसे सहज तरीका 'अंतःप्रेक्षण' का ही हो सकता है। वह लोगों से बहस करता था, और बहस में उन्हें विश्वास करा देता था कि जिन वातों को वे समझते हैं कि वे मान रहे हैं, वास्तव में वे उन्हें अपने भीतर ही नहीं मान रहे होते। उसकी शिकायत थी कि लोग अपने ही विचारों को जानने के लिये पर्याप्त अंतःप्रेक्षण करें, तो उन्हें घुत्त-सी नई वातें पता चलें। सुकरात् ने पहले-पहल 'अंतःप्रेक्षण' की प्रक्रिया को प्रचलित करके उसे दार्शनिक विचार का आधार बना 'दिया। उभी से भनो-

विज्ञान में भी अंतःप्रेक्षण की प्रक्रिया का ही सदियों तक राज्य रहा।

प्लेटो (४२८-३४७ ई० पू०) ने भी मनोविज्ञान-विपरक अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं। वह आत्मा की तीन क्रियाएँ मानता था। वे थीं, भरण-पोपण की क्रिया (Nutritive function), अनुभूति की क्रिया (Sensitive function); बुद्धि की क्रिया (Rational function). भरण-पोपण वनस्पतियों में पाया जाता है, अनुभूति पशुओं में पाई जाती है, बुद्धि मनुष्य में मिलती है। इन सबमें जो जीवन जितना कैंचा है, उसमें उतने अधिक गुण पाए जाते हैं; जो जीवन नीचा है, उसमें उतने ही कम गुण हैं। वनस्पति में केवल भरण-पोपण है, पशुओं में भरण-पोपण तथा अनुभूति दोनों हैं, मनुष्य में भरण-पोपण, अनुभूति तथा बुद्धि तीनों हैं। मनुष्य में आत्मा की तीनों क्रियाएँ दीख पड़ती हैं, अतः वह प्राणी-जन्मत् में सब से ऊँचा है। शिक्षा का काम आत्मा में छिपी हुई शक्तियों का विकास करना है।

प्लेटो ने मनोविज्ञान पर कोई म्र्यालय नहीं लिखा। मनोविज्ञान के संबंध में उसके कथन उसके प्रयोगों में यन्त्र-विसरे पढ़े हैं। उसके मनोविज्ञान-संबंधी विचारों का पता लगाने के लिये उसके कथनों का संप्रद करना पड़ता है। पश्चिम में मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप देने का त्रेय अरस्तू (३८४-३२२ ई० पू०) को दिया जाता है। अरस्तू का म्र्यालय 'डी एनिमा' (De Anima)

द्वितीय अध्याय

मनोविज्ञान का ही मंथ है, और १८ चंच शताब्दी के अत तक योरप में मनोविज्ञान-संवर्धी जो विचार पाठशालाओं में पढ़ाए जाते रहे, उनका उद्भवस्थान इसी मंथ को समझना चाहिए।

(अरस्तू) के समय मस्तिष्क को ज्ञान का केंद्र नहीं माना जाता था। अरस्तू को 'वाहक तंतुओं' (Nerves) का ज्ञान भी नहीं था। लेटो तो मस्तिष्क को ही ज्ञान का केंद्र मानता था, परंतु अरस्तू हृदय को ज्ञान का केंद्र कहता था। उस समय के प्रचलित विचार के अनुसार, रुधिर की नाड़ियों में वायु विद्यमान होती है और उसी से जीवन बना रहता है, यह माना जाता था। अरस्तू भी इसी विचार का माननेवाला था। शरीर के रुधिर में विद्यमान इस वायु को 'न्यूमा' (Pneuma) कहा जाता था। इस शब्द का अर्थ है, 'वायु' अथवा 'श्वास'। 'स्परिट' (Spirit)-शब्द का धात्वर्थ भी 'वायु' या 'श्वास' ही है। वे मानते थे कि रुधिर का 'न्यूमा' निकल जाय, तो जीवन ही खत्म हो जाय। एक तरह से 'न्यूमा' ही जीवन का आधारभूत भौतिक तत्त्व था, और क्योंकि यह रुधिर में माना जाता था, इसलिये रुधिर के उद्भवस्थान 'हृदय' को ही ज्ञान-शक्ति का केंद्र समझा जाता था।

मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके विषय में अरस्तू का अपना ही विचार था। आजकल हम कहते हैं कि पदार्थ से उत्पन्न हुई प्रकाश की लहरें ईंधर के भाव्यमें से गुजरकर, अँख के ज्ञान-वाहक तंतुओं (Optical nerves) को अत्तर-

छूती हैं। ये तंतु मस्तिष्क में देखने के केंद्र को जागृत कर देते हैं, और हमें वस्तु के देखने का अनुभव होने लगता है। अरस्तू के समय, जैसा पहले कहा गया, वाहक तंतुओं (Nerves) का ज्ञान नहीं था। वह ज्ञान के कारण की भीमांसा करता हुआ, अपने शब्दों में यों कहता था कि पदार्थ से एक गति उत्पन्न होती है, वह एक खास प्रकार के माध्यम में से गुजरकर, जिसे वह डायफेनस (Diaphanous) का नाम देता था, ऑर्ट के 'न्यूमा' को आकर छूती है। 'न्यूमा' क्योंकि संपूर्ण ऊधिर में गति कर रहा है, इसलिये वह पदार्थ की गति हृदय तक पहुँच जाती है। तब हमें विषय का ज्ञान होता है। यही नियम गंध के विषय में है। पुण्य की गंध, हम तक, बीच के माध्यम में से गुजरती हुई, नासिका के 'न्यूमा' पर अपना प्रभाव द्याती है। जैसे हम आजकल भिन्न-भिन्न वाहक तंतुओं (Nerves) का मस्तिष्क में केंद्रित होना मानते हैं, वैसे अरस्तू, भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के 'न्यूमा' का हृदय में केंद्रित होना मानता था। उसका यह मानना स्थाभाविक ही था। जब 'न्यूमा' ऊधिर में रहता है, तब 'न्यूमा' का केंद्र हृदय को ही माना जा सकता था, मस्तिष्क को नहीं। इसीलिये अरस्तू के कथना-गुसार ज्ञान हृदय से पैदा होता था। हृदय ज्ञान का केंद्र था, परंतु ज्ञान हृदय को होता हो, ऐसी बात न थी। ज्ञान होता था 'आत्मा' को, अर्थात् ज्ञान आत्मा का गुण था। अरस्तू के कथनागुसार, आत्मा में ज्ञान के अलावा अन्य भी कई गुण, कहीं

द्वितीय अध्याय

शक्तियाँ भी । अरस्तू का मनोविज्ञान आत्मा की इन भिन्न-भिन्न शक्तियों (Faculties) का अध्ययन था । आत्मा की ये भिन्न-भिन्न शक्तियाँ क्या हैं ? किसी व्यक्ति में सृजनशक्ति अधिक है, किसी में कम ; इसी प्रकार किसी व्यक्ति में विचारशक्ति अधिक है, किसी में कम । इसीलिये अरस्तू के प्रतिपादित किए हुए मनो-विज्ञान को 'आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों का मनोविज्ञान' (Faculty Psychology) कहते हैं । अरस्तू का प्रतिपादित किया हुआ यही विचार बहुत देर तक शिक्षा का आधारभूत विचार रहा । शिक्षक लोग कहते रहे कि विद्यार्थी में भिन्न-भिन्न शक्तियाँ (Faculties) हैं, उन्होंने को विकसित करना उनका काम है । इसी दृष्टि से पाठ्यविधियाँ बनाई गई, विषयों का चुनाव किया गया । सदियों तक यहाँ समझा गया कि जिस प्रकार शरीर के विकास के लिये द्रूल की जरूरत है, इसी प्रकार मन के विकास के लिये मानसिक द्रूल की आवश्यकता है । आत्मा में जो-जो शक्तियाँ (Faculties) हैं, उनको गणना करके, उन शक्तियों को विकसित करनेवाले विषयों का चुनाव कर लिया गया । इसी का परिणाम है कि सदियों तक व्याकरण, गणित आदि क्लिप्ट तथा दुखद विषय पढ़ाए जाते रहे । यह समझा जाता रहा कि इनका जीवन में लाभ हो या न हो, ये मन का इस प्रकार नियंत्रण कर देते हैं कि जीवन के अन्य चेत्रों में इन द्वारा प्राप्त की हुई नियंत्रण (Discipline) का अस्ती है । हम आपे बदलकर दृश्ये कि १८वीं लघा

१६वीं सदी के मनोविज्ञान ने अरस्टू के आत्मा की शक्तियों (Faculties) वाले विचार को पुराने मनोविज्ञान (Old Psychology) का विचार कहकर छोड़ दिया।

अरस्टू के समय में मनोविज्ञान क्योंकि आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों का निरूपण करता था, आत्मा अथवा मन के अतिरिक्त अन्य किसी विषय की चर्चा नहीं करता था, इसलिये उस समय का मनोविज्ञान दर्शन-शास्त्र (Philosophy) के ही अंतर्गत था, इसकी अलग विज्ञान के रूप में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी, और न इसका भौतिक विज्ञानों (Physical Sciences) के साथ ही कोई संबंध उत्पन्न हुआ था। अरस्टू के समय मनोविज्ञान पर विचार करने का तरीका, सुखरात का प्रारंभ किया हुआ, अंतःप्रेक्षण (Introspection) का तरीका ही था। यह तरीका ऐसा था जो अन्य किसी विज्ञान में व्यवहृत नहीं किया जा रहा था, और न ही किया जा सकता था। संक्षेप में, जिस समय अरस्टू ने मनोविज्ञान की नींव डाली, उस समय इसका स्फूर्त निश्च-लिपित था :—

(१). मस्तिष्क का मनोविज्ञान से संबंध नहीं जुड़ा था। अरस्टू हृदय को ज्ञान का केंद्र मानता था और वाहक तंतुओं (Nerves) के विषय से अपरिचित था।

(२). अरस्टू के समय 'आत्मा' तथा 'शरीर' का भेद माना जा चुका था। अरस्टू फा मनोविज्ञान 'आत्मा' का अध्ययन था।

इसके मनोविज्ञान को 'आध्यात्मिक संप्रदाय' (Rational School) कहा जाता है।

(३). वह आत्मा में भिन्न-भिन्न शक्तियों (Faculties) को मानता था, और शिक्षा का उद्देश्य उन्हीं शक्तियों का विकास समर्फता था ।

(४). उसके समय मनोविज्ञान दर्शन-शास्त्र के अंतर्गत था । इसका भौतिक विज्ञानों (Physics, Physiology, Biology, Zoology) से संबंध नहीं जुड़ा था ।

(५). इसके अध्ययन का तरीका अंत्रप्रेक्षण (Introspection) का तरीका था ।

ग्रन्थाच

ईसा से तीसरी सदी पूर्व लेखन में दो डाक्टर हुए, जिनका नाम हेरोफिलस तथा इरेसिस्ट्रैटस था । यद्यपि इन्हे बाहक तंतुओं (Nerves) का प्रथम आविष्कर्ता नहीं कहा जा सकता, तो भी इन्होंने शरीर-रचना के विषय में इतने परोक्षण किए कि इन्हे तंतु-संस्थान (Nervous System) का आविष्कारक कहा दिया जाय, तो अत्युक्ति न होगी । तंतु-संस्थान का आविष्कार मनोविज्ञान पर प्रभाव ढाले गिना कैसे रह सकता था ? दो सौ ई० पू० में गेलन-ज्ञामक एक शरीर-रचना-शास्त्र हुआ, जिसने, उक्त महानुभावों के बाद, पहले-पहल ज्ञानवाही (Sensory) तथा चेष्टावाही (Motor) तंतुओं (Nerves) के भेद का पता लगाया । यद्यपि ईसा के बाद दूसरी शताब्दी में बाहक तंतुओं का पता चल गया था, 'तो भी इन शब्दों की

परिभाषा में मनोविज्ञान ने अपने को प्रकट करना नहीं शुरू किया और १६वीं शताब्दी (१६० प०) तक योरप का मनोविज्ञान अस्तू का मनोविज्ञान ही रहा, उसमें कोई कार्य नहीं आया ।

२. सत्रहवीं शताब्दी

सत्रहवीं शताब्दी में योरप में गैलिलियो तथा न्यूटन के आविष्कारों से वैज्ञानिक क्रांति हुई । इस समय अनेक यंत्रों का निर्माण हुआ । दूरबीनण यंत्र इसी समय गैलिलियो ने बनाया । इन आविष्कारों का परिणाम यह हुआ कि सब विज्ञानों के क्षेत्र में यांत्रिक नियमों (Mechanical Laws) की दृष्टि से विचार करना एक कैशन-सा हो गया । मनोविज्ञान में भी इस प्रवृत्ति ने प्रवेश किया । अब तक मनोविज्ञान में अंतःप्रेक्षण से ही काम लिया जाता था । अब टामस हौव्स (१५८८-१६७८) ने मनोविज्ञान में नवीन लहर को उत्पन्न किया । भौतिक विज्ञानों में चाहूँ निरीक्षण (Experiment and Observation) के जिन साधनों का प्रयोग होता था, उसी प्रकार के साधनों का मनो-विज्ञान में भी प्रयोग करने की हौव्स ने जबर्दस्त बकालत की । हौव्स के उद्योगों से मनोविज्ञान में 'अंतःप्रेक्षण' के साथ-साथ 'वाण्य-प्रेक्षण' के साधनों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा । हौव्स ने अंतःप्रेक्षण को हटाया नहीं, सिर्फ चाहूँ निरीक्षण, परीक्षण, गणना, संख्या, परिमाण, तोल आदि भौतिक विज्ञान की विधियों को मनोविज्ञान के अध्ययन में जोड़ दिया ।

जहाँ सत्रहवीं शताब्दी के वैज्ञानिक आविष्कारों की प्रवृत्ति

द्वितीय अध्याय

से मनोविज्ञान में वाणी-परीक्षण को प्रोत्साहन मिला, वहाँ उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक डेकार्टे (१५६६-१६५०) के विचारों से भी हौस्स के विचारों को बहुत पुष्टि मिली । वैसे तो आत्मा तथा शरीर की पृथक्-ता देर से मानी जाती थी, परंतु उन्हे पृथक् मानते हुए भी यह समझा जाता था कि आत्मा का शरीर पर और शरीर का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है । डेकार्टे ने पहले-पहल यह स्थापना की कि देह तथा आत्मा सर्वथा पृथक्-पृथक् एवं स्वतंत्र सत्ताएँ हैं । जिस स्थूल काय को देह कहा जाता है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आत्मा कहा जा सके, इसी प्रकार जिस शक्ति को आत्मा कहा जाता है, उसमें ऐसा कोई तत्त्व नहीं है जिसे देह कहा जा सके । देह का नाम लेते ही आत्मा का ख्याल छोड़ देना चाहिए; आत्मा का नाम लेते ही देह का ख्याल छोड़ देना चाहिए । दोनों तत्त्व एक-दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं । शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं, आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं । यद्यपि जब हम कोई इन्द्रियानुभव करते हैं, तो ऐमा जान पड़ता है कि शरीर का आत्मा पर प्रभाव पड़ा, इसी प्रकार जब हम कोई इच्छा-पूर्वक कार्य करते हैं, तो ऐसा जान पड़ता है कि आत्मा का शरीर पर प्रभाव पड़ा, तो भी यथार्थ में, कम-से-कम शरीर का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । शरीर तथा आत्मा अपना स्वतंत्र जीवन विताते हैं । शरीर एक 'यंत्र' (Machine) की तरह चलता है । क्योंकि डेकार्टे पशुओं में आत्मा नहीं मानता था, इसलिये

अपनी वात को और अधिक स्पष्ट करने के लिये वह पशुओं का हृष्टांत देता है। पशु जो कुछ करता है, यंत्र की तरह करता है। उसके शरीर में 'ज्ञान' (Sensation) जाता है; उसका परिणाम 'चेष्टा' (Motion) स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी यंत्रवत् चल रहा है। हाँ, पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में इतना भेद है कि जहाँ पशु में आत्मा नहीं, वहाँ मनुष्य में आत्मा है। मनुष्य में जिन कामों में तो आत्मा दखल नहीं देता, वे तो ठीक पशुओं के शरीर की तरह यंत्रवत् चलते रहते हैं; परन्तु जिन कामों में आत्मा दखल देता है, अर्थात् जिन कार्यों में ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा अपनी इच्छा-पूर्वक किसी कार्य को शरीर से करवा रहा है, वहाँ वह मस्तिष्क के खरिये काम करता है। डेकार्ट कहता था कि मस्तिष्क में भी एक खास प्रथि है, जिसके द्वारा आत्मा शरीर का नियन्त्रण करता है। इस प्रथि को 'पीनियल ग्लैंड' कहते हैं। संक्षेप में, डेकार्ट का कथन था कि जब इन्द्रिय से मस्तिष्क तक कोई ज्ञान पहुँचता है, तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार होती है: इन्द्रिय से मस्तिष्क तक कुछ शिराएँ हैं जिनमें एक खास प्रकार का द्रव रहता है। विषय के संपर्क में आकर इस द्रव में गति उत्पन्न हो जाती है। यह गति मस्तिष्क तक पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर इस क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और यह गति पीछे को लौटती है, और वस, प्राणी की मांसपेशियाँ (Muscles) काम करने लगती हैं। डेकार्ट ने इस प्रकार मानसिक व्यापार

को भौतिक गति (Physical Motion) की परिभाषा में प्रकट करने का प्रयत्न किया ।

डेकार्ट की इस मीमांसा के अनुसार वहाँ पशु एक प्रकार के यंत्र थे, वहाँ मनुष्य भी यंत्र ही थे । उसकी इन मीमांसा के आधार पर मनुष्य की क्रियाओं को भौतिक विज्ञान के नियमों की दृष्टि से हल किया जाने लगा । हम किसी भी प्रकार की क्रिया क्यों करते हैं ? वास्तविक विषय (Stimulus) का इन्द्रिय पर प्रभाव पड़ता है; यह प्रभाव जब दिमाग में पहुँचता है, तो वहाँ स्वयं एक प्रतिक्रिया (Response) उत्पन्न हो जाती है, और हम काम कर डालते हैं । इस दृष्टि से शरीर उन्हीं नियमों पर काम कर रहा है, जिन पर एक यंत्र काम करता है । हम बटन दबाते हैं, विजली जग जाती है ; इसी प्रकार हमें कॉटा लगता है, हमारा हाथ अनायास उधर दौड़ जाता है । इस प्रकार की अनायास-क्रिया को मनोविज्ञान की परिभाषा में ‘सहज क्रिया’ (Reflex Action) कहते हैं । सहज-क्रियाओं के दृष्टांत द्वारा डेकार्ट ने मानसिक प्रक्रिया को यांत्रिक नियमों में ढालने का प्रयत्न किया ।

डेकार्ट तथा हौव्स लगभग समकालीन थे । डेकार्ट पशुओं को यंत्र की तरह समझता था, मनुष्यों को नहीं ; हौव्स पशुओं तथा मनुष्यों दोनों को यंत्र की तरह चलनेवाला कहता था । इन दोनों विचारकों ने मनोविज्ञान को ‘आत्मा’ से अलग कर लिया । उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म-

विद्या (Metaphysics) का काम है। मनोविज्ञान का काम तो उन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना है जो शरीर के यंत्रवत् चलने से शरीर में हो रही हैं। इन विचारकों की विचार-प्रणाली को सब्रह्मांशु शताव्दी की गैलिलियो तथा न्यूटन की विचार-प्रणाली ने अपने रंग में रंग लिया था। अगर परमात्मा को विना माने भी संसार का संचालन करनेवाले अनेक नियमों का पता चलाया जा सकता था, तो शरीर में आत्मा हो या न हो, इस विचार को सर्वथा अलग रखकर भी, मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का, जो चेष्टा तथा व्यवहार में अपने को प्रकट करती हैं, अध्ययन किया जा सकता था। यस, हौस्त तथा डेकार्ट का यही कहना था।

इस समय डेकार्ट के विचारों का मनोविज्ञान पर एक और भी प्रभाव पड़ा। उसने शरीर तथा आत्मा के पारस्परिक भेद की मीमांसा की थी। उसने कहा था कि 'आत्मा' अथवा मन का हमें अनुभव 'चेतना' हारा होता है। 'आत्मा', 'मन' आदि शब्द ऐसे हैं जिनका स्पष्ट अर्थ किसी भी समझ में नहीं आता; चेतना (Consciousness)-शब्द ऐसा है जिसका अनुभव प्रत्येक को होता है, इसलिये अब से मनोविज्ञान का विषय 'आत्मा' या 'मन' न रहकर 'चेतना' (Consciousness) ही गया।

हौस्त तथा डेकार्ट ने पुराने मनोविज्ञान में नए विचारों का संचार किया था। इन्होंने जिन विचारों को जन्मा दिया, वे ही वर्तमान मनोविज्ञान के आधार में काम कर रहे हैं। इनके प्रभाव से

१७वीं शताब्दी में मनोविज्ञान में जो नई लहर प्रविष्ट हुई, वे निम्न थीं —

(१) मनोविज्ञान अब तक 'आत्मा' या 'मन' का विज्ञान था, अब यह 'चेतना' का विज्ञान समझा जाने लगा।

(२) इस समय मनोविज्ञान भौतिक विज्ञानों के अधिक सपर्क में आया और इसमें वाहननिरीक्षणों तथा परीक्षणों (Observation and Experiment) का प्रयोग होना चाहिए, ऐसी चर्चा चल पड़ी।

(३) परंतु इसका यह नितलन नहीं कि अत प्रेक्षण के साधन को मनोरिनान ने छोड़ दिया। इस समय भी मनोविज्ञान का मुख्य साधन अत प्रेक्षण ही था। अब तक 'आत्मा' या 'मन' का अत प्रेक्षण होता था, अब समझा जाने लगा कि 'आत्मा' या 'मन'-जैसे अनिवित शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा 'चेतना' (Consciousness)-जैसे अधिक निश्चित शब्द का प्रयोग उपयुक्त रहेगा। यद्यकहा गया कि अत प्रेक्षण तो ठीक है, परंतु यह कहने के अनाय कि हम 'आत्मा' का अत प्रेक्षण करते हैं, ऐसा कहना अधिक उपयुक्त है कि हम 'चेतना' का अत - प्रेक्षण करते हैं।

३ जठारहर्वीं शताब्दी

१८वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के अध्ययन में और अधिक परिवर्तन हुआ। अभी कहा गया कि अब तक 'आत्मा' या 'मन' की परिभासा में जातचीत होती थी, अब 'चेतना' की परिभासा

मेरे वात होने लगी। 'आत्मा' है या नहीं, इसे कौन जानता है? मन को किसने देता है? हाँ, हम अनुभव करते हैं कि हम में चेतना है; हम में विचार आते हैं, जाते हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। हमारी चेतना प्रत्यय-सून्ध है। उसमें, बाहर से, विचार, प्रत्यय, आते-जाते रहते हैं। मन एक खाली पट्टी (Tabula rasa) के समान है; ज्यों-ज्यों वह संसार के संपर्क में आता है, त्यों-त्यों वह प्रत्ययों (Ideas) का संग्रह करता जाता है। इन प्रत्ययों का आपस में संबंध जुड़ता जाता है। ये विचार मनो-विज्ञान को 'चेतना के अध्ययन करनेवाला विज्ञान' कहने के अवश्यंभावी परिणाम थे। जॉन लॉक (१६३२-१७०४) ने ये विचार प्रकट किए। इन विचारों से 'प्रत्यय-संबंध' (Association of Ideas) के सिद्धांत का सूत्रपात्र हुआ।

जॉन लॉक ने जिन विचारों को प्रकट किया उन्हे डेविड हूम (१७११-१७७६) ने और अधिक फैलाया। उसने कहा कि हमारी चेतना में एक 'प्रत्यय' (Idea) होता है, उसके बाद दूसरा आता है। इस प्रकार चेतना का प्रवाह चला पड़ता है। जो प्रत्यय इस समय हमारी चेतना में है, उससे मिलता-जुलता या उसका विरोधी प्रत्यय दूसरे दृष्टि आ जाता है, इससे ज्ञान दोता है कि प्रत्ययों का परस्पर संबंध रहता है। हमारी सृष्टि, स्वप्न, अनुभव सब कुछ 'प्रत्यय-संबंध' के सिद्धांत (Association of Ideas) से सम्बद्ध पड़ जाता है। १८वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने इसी रूप को धारण कर लिया और मनोविज्ञान —

में इस 'प्रत्यय-संबंध मनोविज्ञान' (Associationist Psychology) का प्रबर्तक ह्यूम समझा जाने लगा। ह्यूम ने कार्य-कारण के नियम पर भी इसी दृष्टि से विचार किया है। कारण में कोई ऐसी अद्भुत शक्ति नहीं जिससे कार्य उत्पन्न हो जाता है। कारण के पीछे कार्य आ जाता है, इन दोनों का संबंध (Association) है, इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते। इसी प्रकार एक 'प्रत्यय' के बाद दूसरा 'प्रत्यय' आता है, इन दोनों का संबंध (Association) है, इससे अधिक कुछ कहने का हमें अधिकार नहीं। यह कहना कि आत्मा के अंदर से ये प्रत्यय उत्पन्न होते हैं, अनधिकार-चेष्टा है।

मनोविज्ञान ने 'चेतना' का अध्ययन शुरू किया, और चेतना का अध्ययन करते-करते यह परिणाम निकाला कि चेतना का अध्ययन 'प्रत्ययों के परस्पर संबंध' (Association of Ideas) का ही अध्ययन है। अगर यह बात ठीक है, तो अरस्तू का यह विचार कि आत्मा में अनेक गुण, अनेक शक्तियाँ (Faculties) होती हैं, ठीक नहीं ठहरता। हम जिस गुण को भी आत्मा की शक्ति कहेंगे, उसका विश्लेषण किया जाय, तो वह 'प्रत्यय-संबंध' (Association of Ideas) के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। अगर यह कहा जाय कि अमुक व्यक्ति की सृति-शक्ति वहुत तीव्र है, तो 'प्रत्यय-संबंध' के भिन्नांत को माननेवाला मनोवैज्ञानिक (Associationist) कह देना कि उस व्यक्ति की सृति-शक्ति तीव्र नहीं है, परंतु वह एक 'प्रत्यय' का दूसरे 'प्रत्यय' से संबंध।

ठीक तौर से स्थापित कर सकता है, तुम नहीं कर सकते, इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्मृति-शक्ति तीव्र है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम भी एक प्रत्यय का दूसरे प्रत्यय से संबंध अपने दिमाग में जोड़ लो, तो तुम्हारी भी स्मृति-शक्ति तीव्र मालूम देगी। और, क्या ऐसा होता नहीं है? तुम भले ही अपनी स्मृति-शक्ति कितनी कमज़ोर समझते रहो, कई घटनाएँ तुम्हारे जीवन में भी ऐसी हुई होंगी जिन्हे तुम आमरण नहीं भुला सकते। इसका यही कारण है कि उन घटनाओं का किन्हाँ बातों से ऐसा संबंध (Association) जुड़ गया है कि तुम उन्हें भुला ही नहीं → सकते। हॉ, एक प्रत्यय का दूसरे प्रत्यय के साथ संबंध कैसे जुड़ता है, इसके भिन्न-भिन्न नियम हैं। अभ्यास (Frequency), नवीनता (Recency), प्रगलता (Vividness) ऐसे कारण हैं जिनसे एक प्रत्यय का दूसरे प्रत्यय से संबंध जुड़ जाता है। इन नियमों के आधार पर अगर एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय से जुड़ जाय, तो उनका बंधन अदृढ़ हो जायगा। इसमें आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ (Faculties) मानने की जरूरत नहीं। इस प्रकार १८वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने 'प्रत्यय-संबंध' (Association of Ideas) के सिद्धांत का प्रतिपादन करके अरस्टू के आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियोंवाले मनोविज्ञान (Faculty Psychology) का बहुत कुछ निराकरण कर दिया।

१८वीं शताब्दी 'में मनोविज्ञान के ज्ञैत्र में अन्य भी कई

महस्त्व-पूर्ण बाते हुईं। जर्मनी में अंतःप्रेक्षण के आधार पर अनेक विद्वानों ने चेतना के प्रवाह के अध्ययन का प्रयत्न किया। उन दिनों अंतःप्रेक्षण सूच चला। विद्वानों ने अपनी 'डायरियों रखनी' शुरू की। इस सब अंतःप्रेक्षण का परिणाम यह हुआ कि 'अंतःकरण' को उन लोगों ने तीन हिस्सों में बॉटा। अब तक मनोवैज्ञानिक अन्तःकरण के दो हिस्से करते थे: ज्ञान (Cognition) तथा कृति (Volition)। अब उन्होंने मन की भिन्न-भिन्न अवत्याओं का गहरा निरीक्षण करके उसके तीन हिस्से किए। वे थे, ज्ञान (Knowing); संवेदन (Feeling); कृति (Willing)। इस विभाग का श्रेय जोहन निकोलस टेटन्स (१७३६-१८०७) -नामक जर्मन-विद्वान् को दिया जाता है।

१८वीं शताब्दी में ही महाशय बोनेट ने इस विचार का प्रचार किया कि प्रत्येक मानसिक क्रिया तभी होती है जब कि उससे संबद्ध कोई शारीरिक क्रिया होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मन अपना विचार किया करे और उसी समय वाहक तन्तुओं (Nerves) में कोई क्रिया न हो रही हो। दूसरे शब्दों में, मानसिक क्रिया तभी होती है जब शरीर के ज्ञान-तंतुओं (Neural fibres) में पहले क्रिया उत्पन्न हो चुकी होती है। इसे 'ज्ञान-तंतु-सूनोविज्ञान' (Fibre Psychology) का नाम दिया गया था। धीरे-धीरे मन को, अथवा चेतना (Consciousness) को ज्ञान-तंतुओं तथा मस्तिष्क की क्रियाओं का परिणाम कहा जाते रहे। केलेन्स (१८५८-१९०२) ने

इस वाद का पद्ध-पोषण किया। उसने कहा कि मस्तिष्क तथा वाहक तंतुओं (Nerves) पर ही मानसिक क्रिया आधित है। उसने यहाँ तक कह डाला कि जिस प्रकार आमाशय से पित्त स्फीबित होता है, इसी प्रकार मस्तिष्क में विचार का ऐसा निकलता है। उसके कथन का अभिप्राय इतना ही था कि मानसिक क्रियां वास्तव में मस्तिष्क की ही क्रिया है। इस समय से मनोविज्ञान के साथ शरीर-रचना-शास्त्र (Physiology) का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया। शरीर-रचना-शास्त्रियों के परीक्षणों से भिन्न होने लगा कि मानसिक क्रियाओं का आधार तो मस्तिष्क है। इस भत को आस्ट्रिया के महाशय गाल (१७५८-१८२८) ने अपने लेखों से बहुत पुष्ट किया। गाल का कथन था कि मनुष्य की मानसिक शक्तियों के मस्तिष्क में भिज-भिज केंद्र होते हैं। उन केंद्रों पर धोट लगने से मनुष्य की वे शक्तियाँ जो उन केंद्रों से होती हैं, मारी जाती हैं। गाल का एक शिष्य या जिसका नाम था सुरज्जीम। वह बड़ा चमलाक था। उसने तथा एडिनबर्ग के जार्ज कोम्ब ने मिलकर 'कपाल-रचना-विज्ञान' (Phrenology) पर धट्टत-भ्रा सहित लिराया। इस विद्या का यह भलव था कि सिर का असुक भाग उभरा हो, तो भनुष्य में असुक योग्यता होगी, और असुक उभरा हो, तो असुक योग्यता। गाल इन वातों की नहीं मानता था। गाल ज्ञान-व्याहक तंतुओं (Sensory nerves), चेष्टा-व्याहक तंतुओं (Motor nerves) तथा मेरुदंड (Spinal cord)

से परिचित था। वह यह भी जानता था कि मेहदंड में भिन्न-भिन्न केंद्र हैं जो प्राणी की 'सहज-क्रिया' (Reflex action) का कारण होते हैं। 'सहज-क्रिया' की घटना तथा उसके कारण का पता, सब से प्रथम, गाल ने तथा इंगलैंड में सर चाल्स बेल ने एक ही समय में, १८११ में, लगाया था।

'प्रारुद्धवों शताब्दी में मनोविज्ञान में जो नवीन विचार उत्पन्न हुए थे, वे संकेप में निम्न थे :—

(१). मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय 'आत्मा' या 'मन' न रहकर 'चेतना' (Consciousness) हो गया था।

(२). 'चेतना' का विषय 'प्रत्यय' (Idea) है, यह माना जाने लगा था। उन्हीं प्रत्ययों के भिन्न-भिन्न प्रकार के मेल-जोल से भिन्न-भिन्न मानसिक अवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस बाद को 'प्रत्यय-संबंध-वाद' (Association of Ideas) कहा जाता था।

(३). 'प्रत्यय-संबंध-वाद' का परिणाम यह हुआ कि 'आत्मा' में भिन्न-भिन्न शक्तियों मानने का सिद्धांत (Faculty Psychology) संदित हो गया।

(४). अंतःप्रेक्षण से मन की तीन आभ्यंतर अवस्थाओं (Mental states) का पता लगाया गया जिन्हे ज्ञान (Knowing), स्वेदन (Feeling) तथा कृति (Willing) कहा गया।

(५). मानसिक क्रिया का आधार मस्तिष्क को समझा जाने

लगा। इसका स्थाभाविक परिणाम यह हुआ कि मनोविज्ञान में पहले 'आत्मा' या 'मन' पर विचार होता था, बाद को 'चेतना' पर होने लगा, परंतु उसके भी बाद अब 'चेतना' के भौतिक आधार 'मस्तिष्क' के विषय में चर्चा शुरू हो गई। 'आत्मा', 'मन' तथा 'चेतना' का अध्ययन अत प्रेक्षण से हो सकता था, 'मस्तिष्क' तो अत प्रेक्षण की वस्तु न थी। इसलिये मनोविज्ञान में मस्तिष्क के अध्ययन के प्रवेश से हो स की चलाई हुई वाख्य परीक्षण (Experiment) की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई।

४. उन्नीसवीं शताब्दी

१६वा शताब्दी में हर्वार्ट (१७७६-१८४१) ने मनोविज्ञान को जो विचार दिये, वे शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े महत्त्व के सिद्ध हुए। यद्यपि ह्यूम के वार्शनिस विचारों से आत्मा में भिन्न भिन्न शक्तियों के होने का विचार (Faculty Psychology) मध्यम पड़ चुका था, तो भी यह विचार या बड़ा जनर्दस्त। इसने अभी देखा कि एक तरफ तो ह्यूम आत्मा में भिन्न भिन्न शक्तियों के विचार का रडन कर रहा था, दूसरी तरफ वही विचार ज्ञान, स्वेदन तथा कृति के रूप में आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों के स्थान में तीन शक्तियों का निरूपण कर रहा था। हर्वार्ट ने कहा कि मानसिक प्रक्रिया को इन तीन में प्रिभक्त करना ठीक नहीं है। मानसिक प्रक्रिया के तीन भाग करना तो फिर आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों के सिद्धात का पुनर्ज्ञान करना है। ज्ञान, स्वेदन तथा कृति अलग मानसिक शक्तियों नहीं हैं। ज्ञान में स्वेदन

दधा कृति रहती है ; संवेदन में ज्ञान तथा कृति समाविष्ट है ; कृति में ज्ञान तथा संवेदन है । मानसिक प्रक्रिया एक वस्तु है, उसके तीन भाग नहीं हैं । आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों को मानने के विचार पर यह अंतिम प्रहृत था, इसके बाद यह सिद्धांत मृत-प्राय हो गया । इससे पहले शिक्षक वालक की भिन्न-भिन्न मानसिक शक्तियों को तीव्र करने का प्रयत्न करता था, अब हर्वर्ट के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाने लगा कि वालक का मन एक डकाई है, और उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से विकास करना ही शिक्षक का कार्य है ।

उन्नीसवीं शताब्दी के मनोविज्ञान में 'शिक्षा-मनोविज्ञान' के लिये सबसे महत्वपूर्ण वात प्राणी की प्राकृतिक शक्तियों (Instincts) पर विचार करना था । इससे पहले प्राणी की प्राकृतिक शक्तियों की चर्चा तो रही थी, परंतु इन शताब्दी में इस विषय पर विशेष विचार हुआ । डार्विन (१८०९-१८८२) तथा हर्वर्ट स्पेन्सर (१८२०-१८०३) के विज्ञास-बाद पर हिस्सने के बाद मेरे यह विषय अधिक महत्व का हो गया । यह कहा जाने लगा कि प्राणि-जगत् में अपना जीवन ज्ञायम रखने तथा संतवि की रक्षा के लिये कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, जो उसकी मानसिक तथा शारीरिक रचना का हिस्सा होती हैं । इन्ह सौरभना नहीं पड़ता, ये जन्म से प्राणी के साथ आती हैं । पशुओं के विषय में तो यह वात निस्संकोच कही जा सकती थी, परंतु कुछ विचारकों ने कहना शुरू किया कि मनुष्य में भी जन्मते-ही इस

प्रकार की कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहले डार्विन के शिष्य प्रेयर ने इन शक्तियों की तालिका बनाकर उन्हें वज्रे पर घटाने का प्रयत्न किया। उसकी तालिका का परिस्रोध करके विलियम जेम्स (१८४२-१९१०) ने ५० ऐसी शक्तियों का संग्रह किया जिन्हे प्राकृतिक कहा जा सकता था। इस समय इस विषय पर प्रामाणिक व्यक्ति मैन्हूगल (१८७१), थॉर्नडाइक (१८७४) तथा बुडवर्थ समझे जाते हैं। इन लोगों ने इस विषय की गवेषणा करके 'शिक्षा-मनोविज्ञान' को अपना आडन्म शृणी बना लिया है। हम आगे चलकर देखेंगे कि किस प्रकार वज्रे की इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों (Instincts) को आधार बनाकर शिक्षा-विज्ञान में महत्व पूर्ण परिवर्तन हुए।

शुद्ध-शुद्ध में हमने देखा था कि मनोविज्ञान दर्शन-शास्त्र के अधिक निकट था, और भौतिक विज्ञान से बहुत दूर था। ज्यों-ज्यों समय चीतता गया, हम देखते हैं कि दर्शन-शास्त्र की कोरस में से निकलकर वह भौतिक विज्ञान के अधिक निकट आता गया। योरेप में १६वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान दर्शन से पृथक् नहीं किया जा सका था, तब तक यह विषय दर्शन के ही अंतर्गत पढ़ाया जाता था। १६वीं शताब्दी का मनोविज्ञान का पंडित जेम्स मुख्य तौर पर दार्शनिक ही समझ जाता रहा। सबसे पहले १८६० में विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। दर्शन-शास्त्र से दूर होने तथा शरीर-चन्दना-शास्त्र के निकट जाने की यह प्रवृत्ति इतनी

द्वितीय अध्याय

सदी कि १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मनोविज्ञान के लिये एक नए शब्द की कल्पना करनी पड़ी। यह 'नरीन मनोविज्ञान' 'देहिक मनोविज्ञान' (Physiological Psychology) कहाने लगा। इस शताब्दी में मनोविज्ञान का शारीर-चना-शास्त्र से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध जुड़ गया, और मस्तिष्क तथा 'ततु-स्थान' के सम्बन्ध में अनेक परीक्षण होने लगे। यद्यपि 'प्रथ तक, वीच-नीच में, दाह वरीक्षणों के करने की आवाज उठती रही थी, तो भी यह आवाज ही थी। मनोविज्ञान के पढ़ितों ने वैज्ञानिकों की तरह अपनी परीक्षण-शालाएँ (Laboratories) नहीं बनाई थीं। १६वीं सदी में मुल्लर (१८३५) तथा उसके कुछ साथियों ने दृष्टि, उचारण, रग आदि के विषय में कुछ परीक्षण किए। वीरर ने १८३४ में अपने प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन किया। १८७६ में चुन्डट (Wundt) ने भवसे प्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षा-शाला (Psychological Laboratory) की स्थापना की। मनोविज्ञान की इस प्रगति को 'परीक्षात्मक मनोविज्ञान' (Experimental Psychology) का नाम दिया जाता है। ऐसे ही विषय में आवाज तो ही स के समय से ही उठ रही थी, परन्तु इसका प्रारम्भ चुन्डट ने ही १६वीं सदी में किया। इस समय से मनोविज्ञान में अत प्रेक्षण के तरीके के स्थान पर यहि प्रेक्षण के भौतिक तरीकों को अविक महरण का समझा जाने लगा। परीक्षात्मक मनोविज्ञान से भी 'शिक्षा-मनोविज्ञान' को बहुत सहायता मिली। वृत्तान, अवधान, स्मृति आदि पर अनेक

परीक्षाशालाओं में परीक्षण हुए हैं, जो शिक्षकों के बहुत काम के हैं।

हमने देखा कि किस प्रकार मनोविज्ञान ने सबसे प्रथम आत्मा अध्ययन मन का अध्ययन शुरू किया, उसे छोड़कर चेतना को पकड़ा, चेतना को भी छोड़कर मस्तिष्क को अपनाया। परंतु अब वीसवीं सदी में मनोविज्ञान मस्तिष्क को भी छोड़ता नज़र आ रहा है, और मनुष्य के बाह्य व्यवहार (Behavior) का अध्ययन करना ही अपना ध्येय बनाता जा रहा है। बाह्य व्यवहार के अध्ययन की बढ़ती के साथ-साथ मनोविज्ञान में अंतःप्रेक्षण के स्थान पर बाह्य प्रेक्षण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति से वीसवीं सदी के मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। वीसवीं सदी के इस मनोविज्ञान का शिक्षा-मनोविज्ञान से इतना गहरा संर्वप्थ है कि इस सदी की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अलग अध्याय में वर्णन करना ही उपयुक्त है।

तृतीय अध्याय

वीसर्वीं सदी के

शिक्षा से संबद्ध मनोवैज्ञानिक संप्रदाय

... हमने अभी देखा कि १६वाँ शताब्दी के अंत गे मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या-न्या लहरें उठ सड़ी हुई थीं। १८६० तथा १८०० के दीच में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक उत्पन्न हो गए थे जिन्होंने मनोविज्ञान के लिये विल्कुल नए-नए क्षेत्र खोल दिए थे। उन्होंने 'वाल-मनोविज्ञान', (Child Psychology), 'पशु-मनो-विज्ञान' (Animal Psychology), 'अस्वस्थ मनोविज्ञान' (Abnormal Psychology) की स्थापना शुरू कर दी थी। इस समय मनोविज्ञान दर्शन की कोख में से निकलकर स्वतंत्र विज्ञान बन चुका था। यद्यपि अभी मनोविज्ञान के पंडित 'चेतना' के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते थे, तद्यपि वे भी 'व्यवहार' (Behavior) के विषय में अधिक चर्चा करने लगे थे। 'मस्तिष्क' तथा 'तंतु-संस्थान' के द्वारा चेतना को समझने के प्रयत्न को भी वे अब अनावश्यक समझने लगे थे। उनका कहना था कि हमें इससे कुछ प्रयोजन नहीं कि आत्मा है या नहीं, मन है या नहीं, चेतना किस प्रकार काम करती है, मस्तिष्क की रचना क्या है। हम प्राणी को संसार में 'व्यवहार' करते हुए देखते हैं,

किन्हीं परिस्थितियों में वह एक तरह से व्यवहार करता है, किन्हीं परिस्थितियों में दूसरी तरह से। मनोविज्ञान का काम पशु के, बालक के, मनुष्य के इन्हीं व्यवहारों तथा व्यवहारनियत नियमों का अध्ययन करना है। व्यवहार एक स्थूल चीज़ है, प्रत्यक्ष वस्तु है, उस पर अधिक आसानी और अधिक निरचय से विचार किया जा सकता है।

अस्ति में, यीसरीं सदी के मनोविज्ञान में इतनी जीवनी-शक्ति थी कि इसमें भिन्न-भिन्न दृष्टियों से कई संप्रदाय (Schools) उठ रहे हुए। वे प्रायः सभी अग्र तक के प्रचलित मनोविज्ञान के किसी-न-किसी सिद्धात के विरोध में थे। इन संप्रदायों का 'शिक्षा-मनोविज्ञान' से बहुत घनिष्ठ सबध है, क्योंकि प्रायः सभी बालक के मन का अध्ययन करते हैं। इनमें से मुख्य ये हैं—

१. सत्तानाद (Existentialism)

२. व्यवहारवाद (Behaviourism)

३. मनोविश्लेषणवाद (Psycho-Analysis)

४. प्रयोजनवाद (Purposivism)

५. अवयवीवाद या जिस्टाल्टवाद (Gestalt School)

अब हम 'शिक्षा-मनोविज्ञान' को दृष्टि से रखते हुए इन पाँचों संप्रदायों का प्रमाण वर्णन करेंगे।

१. सत्तावादी संप्रदाय

हम देख चुके हैं कि १९वीं सदी का मनोविज्ञान 'प्रत्यय-सबधन्वाद' (Association of Ideas) का रूप धारणा

किए हुए था । 'प्रत्यय-मनव-वादी' अत प्रेक्षण से काम लेते थे । वे कहते थे कि अपने भीतर मानसिक अवस्थाओं (Mental states) का निरीक्षण करने से ऐसा ज्ञात होता है कि हम विचार करते हुए 'प्रत्ययों' (Ideas) की प्रतिमाओं (Images) का निर्माण कर लेते हैं । अगर हम हॉकी खेलने के विचार को मन में लाते हैं, तो हमारे मन में हॉकी की लकड़ी की शास्त्र आ जाती है, देसे हुए किसी सामुद्रय की सूखति के रूप में खेलने का भाव मन में आ जाता है, और इन दोनों 'प्रत्ययों' की 'प्रतिमाओं' का परस्पर संबंध जुड़ जाता है । 'प्रत्यय' ये परस्पर जुड़ जाने का मतलब है, 'प्रत्ययों' की 'प्रतिमाओं' का परस्पर जुड़ जाना । मनुष्य अत-प्रेक्षण के साधन द्वारा इन्हीं प्रतिमाओं का निरीक्षण करता है । दूसरे शब्दों में, इन्हीं मानसिक प्रतिमाओं के जोड़-तोड़ से मनुष्य का मारा विचार चलता है । इस सबव्य में पैरिस के ब्रिनेट (१८५७-१९११) महोदय ने अपने विचार प्रकट किए । ब्रिनेट की दो लड़कियाँ थीं । वह उनसे प्रश्न करता था और पूछता था कि इस विषय में विचार करते हुए तुम्हारे मन में कोई शक्ति, कोई प्रतिमा (Image) आती है या नहीं । अनेक बार उनका विचार 'प्रतिमा-सहित' होता था, अनेक बार 'प्रतिमा-नहित' । इमी सबव्य में जर्मनी के कुलपे (१८६३-१९१५) तथा उसके अन्य कुछ साथियों ने परीक्षण किये । वे इस परिणाम पर पहुँचे कि 'दिनार' (Dinar) के लिये मानसिक प्रतिमा का होना

आवश्यक नहीं। कुलपे, बुन्डट का शिष्य था और उसके परीक्षण गत महायुद्ध के समय तक होते रहे।

‘अगर ‘विचार’ के लिये ‘प्रतिमा’ का होना आवश्यक नहीं है, तो इसका यह परिणाम निकला कि ‘प्रतिमा’ के मन में आए विना भी मानसिक विचार हो सकता है। जब ‘प्रतिमा’ मन में न हो, और मन विचार कर रहा हो, तब तो इसका यह मतलब हुआ कि ‘प्रतिमा-रहित विचार’ (Imageless thought) हो सकता है। अत प्रेक्षण में मानसिक प्रतिमाओं का ही तो जोड़-नोड़ होता है, जब मानसिक प्रतिमाओं के विना भी विचार हो सकता है तब अंत प्रेक्षण किसका? मानसिक प्रतिमाएँ चली गईं, तो अन्त प्रेक्षण स्थयं चला गया। इसके अतिरिक्त, प्रतिमा-रहित विचार ही सकता है, इस बात को मान लेने का यह स्वाभाविक परिणाम निकलता है कि ‘प्रत्यय-संबंध-वाद’ आगुद्ध सिद्धांत है। जब विचार की प्रक्रिया (Thought process) में मानसिक प्रतिमाएँ ही नहीं, तब यह ‘वाद’ कहरे टिकेगा जिसमें उन प्रतिमाओं के संबंध (Association) से ही विचार की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार ‘प्रतिमा-रहित-चिन्तन’ (Imageless thought) के विनेट तथा कुलपे के विचार ने १९वीं मही के ‘प्रत्यय-संबंध-वाद’ तथा ‘अंतः-प्रेक्षण’ पर आक्रमण किया।

इस आक्रमण का मुकाबिला दिच्चनर (१८६५-१९२७) ने किया। उसने प्राचीन ‘प्रत्यय-संबंध-वाद’ के सिद्धांत को धीसर्वी

वृत्तीय अध्याय

मदी का नया रूप दे दिया। उसने अपने परीक्षणों के आधार पर कहा कि हमारा चिंतन प्रतिमा-रहित ही होता है, प्रतिमा-रहित नहीं। क्योंकि हम प्रतिमा-भवित ही चिन्तन कर सकते हैं, इसलिये उन प्रतिमाओं का मन की परीक्षण-शाला में जोड़न्होड़ होता रहता है, और उनका अनुभव अंतःप्रेक्षण के साथ से ही हो सकता है। टिच्नर का यह सिद्धांत १८वीं शताब्दी के 'प्रत्यय-संबंधन्वाद' को उड़ानेवाले प्रयत्नों के विरोध में था और उसको स्थापना का समय १८१० सन् कहा जाता है।

टिच्नर के संप्रदाय को 'मतावादी' नंप्रदाय कहा जाता है। यह इसलिये क्योंकि उसका कथन था कि मनोविज्ञान का काम उपयोगिता को हात्रि में रखकर चलना नहीं है; जिस प्रकार भौतिकी, रमायन आदि विज्ञान अपने-अपने लेत्र की 'नत्ताओं' को लेकर उन पर विचार करते हैं, इसी प्रकार मनोविज्ञान भी मानसिक अनुभवों को, सत्ताओं (Existences) को लेकर उन पर विचार करता है। विज्ञान के नियमों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन ही रहा है, और इस प्रकार के अध्ययन के साथ-साथ कई ऐसी घातें स्वयं नियंत्र आती हैं जो मानवन्मान के लिये उपयोगी हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञान का भी शुद्ध विज्ञान (Pure Science) के तौर पर अध्ययन होना चाहिए, उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं। इस संप्रदाय का 'शिक्षा-मनोविज्ञान' से 'ग्रंथिक संबंध नहीं है, तो भी 'प्रतिमा-रहित-चिंतन' हो सकता है या नहीं, यह यात शिक्षा की हात्रि से कम महत्त्व की भी नहीं कही

जा सकती। 'प्रतिमन-रहित चिंतन' पर सत्तानादियों के अपने विचार हैं, जिनका उपर उल्लेख निया गया है।

२. व्यवहारभादी संप्रदाय

वैसे तो अत प्रेक्षण के तरीके पर देर से आवेप होते आए हैं, परन्तु १६वीं शताब्दी में ये आवेप बहुत बढ़ गए। सहेप म कहा जाय, तो वे आवेप निम्न थे —

(क) अत प्रेक्षण पर फॉचियान् काट ने यह आवेप किया है कि अत प्रेक्षण के समय मनुष्य 'द्रष्टा' तथा 'दृश्य' दोनों घनने का प्रयत्न करता है। यह सभन नहीं है। कल्पना कीजिए कि हम क्रोध आया। हम अत प्रेक्षण से दैर्घ्यना चाहते हैं कि क्रोध के समय मानसिक प्रक्रिया क्या-क्या होती है। अगर क्रोध के समय हम उस समय उत्पन्न होनेवाली मानसिक प्रक्रिया का चिंतन कर रहे हैं, तो क्रोध नहीं रह सकता, अगर क्रोध है, तो इस प्रकार का चिंतन नहीं हो सकता। काट के इस आवेप की दो हुए शब्दों में मानते हुए भिल ने कहा है कि अगर अत-प्रेक्षण हो ही नहीं सकता, तो कम-से-कम मानसिक प्रक्रिया की स्मृति तो ही सकती है। जेम्स ने तो यहाँ तक कह डाला है कि मपूर्ण अत प्रेक्षण 'अनुप्रेक्षण' (Retrospection) ही है।

(ख) अत प्रेक्षण पर दूसरा आवेप यह है कि पशु, वालक तथा पागल अन्त प्रेक्षण नहीं कर सकते, हालाँकि इनकी मानसिक प्रक्रिया का जानना शिक्षा आदि की दृष्टि से बड़ा आवश्यक है। हम 'अपने विचार को प्रक्रिया के आधार पर

करते हैं कि पशु तथा वन्चे भी शायद इसी प्रकार सोचते होंगे। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि जिस प्रकार हम सोचते हैं, इसी प्रकार पशु, नालक तथा परगल भी सोचते हों। अत प्रेक्षण के आधार पर युवकों की मानसिक प्रविद्या का अध्ययन निया जा सकता है, दूसरों का नहीं।

(ग) युवकों का अत प्रेक्षण भी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। उनके विचारों पर उनकी रिक्षा आदि का इतना प्रभाव पड़ चुका होता है कि उनका अत प्रेक्षण उनके अपने विचारों के रग में रँगा होता है।

इस प्रकार, एक तरफ तो 'अत प्रेक्षण' पर आक्षेप हो रहे थे, दूसरी तरफ 'चेतना' पर भी आक्षेप होने लगे। अत - प्रेक्षण का विषय तो चेतना ही थी। 'चेतना' के विषय में कहा जाने लगा कि यह अस्पष्ट-सी चीज़ है, इसका अध्ययन करने के बजाय हमें चेतना का जो परिणाम होता है, उसका अध्ययन करना चाहिए। चेतना के अध्ययन का मतलब था, चेतना के एक-एक टुकड़े का अध्ययन। जिस प्रकार रसायन-शास्त्र में भौतिक पदार्थों के भिन्न-भिन्न तत्त्वों (Elements) का अध्ययन करते हैं, और समझा जाता है कि उन भिन्न भिन्न तत्त्वों के मिलने से पदार्थों की रचना होती है, इसी प्रकार चेतना के विषय में समझा जाता था कि उसमें भिन्न भिन्न मानसिक तत्त्वों, प्रत्ययों का जोड़नोड़ होता रहता है। मनोविज्ञान का काम चेतना के इन्हीं तत्त्वों का अध्ययन करना है। इस प्रकार के मनोविज्ञान को 'चेतना-रचना-

वाद' (Structural Psychology) का नाम दिया जाता था। १६वीं शताब्दी के अंत में तथा २०वीं शताब्दी के शुरू में यह विचार जोर पकड़ने लगा कि चेतना की रचना (Structure) के विषय में यह विचार करना कि चेतना इन-इन तत्त्वों से मिलकर बनी है, निरर्थक है, हमें यह सांचना चाहिए कि चेतना अपना वार्य किस प्रकार करती है। हमें किसी घटना को देखकर क्षोब आता है। इस पर यह विचार करने के बजाय कि क्षोध पहले चेतना में उत्पन्न हुआ, फिर व्यवहार में प्रकट हुआ, हमें यह विचार करना चाहिए कि क्षोब के अने पर, हमारे शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा; चेतना का वर्णन करने के बजाय हमें क्षोध का हम पर जो प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन करना चाहिए। इस विचार को उठानेवालों का कहना था कि जिस प्रकार विकास के क्रम में से गुजरते हुए हमारी उगलियाँ बन गई हैं, हाथ-पैर एक खास तरह के हो गए हैं, पहले इस प्रकार के नहों थे, इसी प्रकार विकास में से गुजरते हुए, एक खास हालत में आकर, चेतना का भी विकास हुआ है। यह विकास किसी प्रयोजन से हुआ है, किसी उद्देश्य से हुआ है—ठीक इसी तरह जिस प्रकार हमारे हाथ-पैर का विकास किसी प्रयोजन से हुआ है। अर्थात्, जीवन-शास्त्र (Biology) की हाइ से चेतना का एक खास प्रयोजन है, और वह है जीवन की रक्षा के लिये कार्य (Function) करना। मनोविज्ञान का काम 'चेतना की 'रचना' (Structure of

Consciousness) का अध्ययन नहीं, चेतना 'के 'कार्य' (Function of Consciousness) का अध्ययन है। जिस प्रकार हाथ-पैर से हम जीवनोपयोगी काम लेते हैं, इसी प्रसार चेतना में भी लेते हैं। उन्हा कार्यों (Functions) का हमें अध्ययन करना चाहिए। मनोविज्ञान के इस हाइ-वोल्यु को 'चेतना-कार्य-वाद' (Functional Psychology) का नाम दिया जाता है। विलियम जेम्स (१८४२-१९१०) ने इस विचार को मुख्यता दी।

हमने देखा कि १६वीं शताब्दी के अत तथा नीसवीं शताब्दी के शुरू में 'अत प्रेक्षण' तथा 'चेतना' के अध्ययन के विरुद्ध आवाज़े उठी। इन्हीं के परिणाम-स्वरूप, व्यवहारवादी सप्रदाय वी स्थापना हुई। इस बाड़ के प्रार्तक अमेरिका के वाटसन (१८७८) महोदय हैं। वाटसन ने कहा कि 'चेतना-रचना-वाद' (Structural Psychology) तथा 'चेतना-कार्य-वाद' (Functional Psychology) में नोई अविन भेद नहीं है। दोनों 'चेतना' की रट लगाते हैं। 'चेतना' अस्पष्ट चीज़ है, उसका अध्ययन कैसा ? जेम्स के 'चेतना-कार्य-वाद' पर वाटसन का कथन है कि यह तो ठीक है कि मनोविज्ञान का काम मनुष्य के 'कार्यों' का निरीक्षण है, उनका अध्ययन है, परतु इसके साथ 'चेतना' को क्यों जोड़ा जाय ? हम देखते हैं, एक आदमी गुस्से में आकर हाथ-पैर पटकने लगता है। 'चेतना-रचना-वादी' कहता था कि चेतना में गुस्सा आया, हम उस गुस्से का अत प्रेक्षण

द्वारा अध्ययन करेंगे, 'चेतना-कार्य-न्यादी' कहता था कि उस गुस्से से शरीर पर, उसके मिन्न-मिन्न अगों पर जो प्रभाव पड़ा, हम उसका अध्ययन करेंगे, धाटसन का कथन है कि हमें 'चेतना' से कोई सरोकार नहीं, हम तो गुस्से की परिस्थिति में शरीर जो कार्य करने लगता है, जो चेष्टा तथा व्यवहार करता है, उसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वही प्रत्यक्ष वस्तु है। वास्तव के इस व्यवहार-न्यादी सप्रदाय की स्थापना १६१३-१४ में हुई समझी जाती है।

ब्यवहार-नाड (Behaviourism) का प्रारम्भ 'पशु-मनो-विज्ञान' (Animal Psychology) से हुआ। पशु-मनो-विज्ञान के पढ़ित थॉर्नबाइक (1874) ने पशुओं पर कई परीक्षण किए। उसने अपने परीक्षणों के आधार पर बतलाया कि अगर मुर्गी के बचे को पैदा होते ही थोड़ी-सी ऊँचाई पर बैठा दिया जाय, तो वह एकदम नीचे कूद पड़ेगा, कुछ अधिक ऊँचाई पर बैठाया जाय, तो घनराता हुआ कूदेगा, बहुत ऊँचे पर बैठाया जाय, तो नहीं कूदेगा। इसका यह अभिप्राय हुआ कि मुर्गी का बचा निना सीखे भी दूरी को देखकर ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे करना चाहिए। थॉर्नबाइक ने मुर्गी के बचे पर एक अन्य परीक्षण किया। पैदा होते ही उसे दूसरे बचों से अलगदार करके एक गोल पिंजडे में घद कर दिया, जिसमें एक छेद था। बचा पिंजडे के अंदर गोलाई में चघर काटने लगा। कई चक्कर काटने के बाद वह उस घेद में से निकलकर अन्य बचों में आकर

शामिल हो गया। उसे फिर पिंजड़े में बंद कर दिया गया। फिर वह कई चक्र काटने के बाद बाहर निकला। बार-बार ऐसा करने पर वह मट्ट से निकलने लगा, अब उसे कई चक्र काटने न पड़े। एक भूरे मुर्गा के बचे को उसने एक पिंजड़े में बद करके एक और परीक्षण किया। पिंजड़े के बाहर बचे के लिये भोजन रख दिया। बचा भीतर से चौंच मार-भारकर भोजन की तरफ जाने की कोशिश करता रहा। कई बार के प्रयत्न के बाद दरवाजा खुल गया। यह परीक्षण भी अनेक बार दोहराया गया। अंत में वह बचा पहले ही मट्ट के में दरवाजा सोलने लगा।

थॉर्नेंडाइक के इन परीक्षणों से 'शिक्षा-मनोविज्ञान' पर बहुत प्रकाश पड़ा। उसे यह सूझा कि किसी बात को सीखने के विषय में पशुओं पर किए गए परीक्षणों से बड़ी सहायता मिल सकती है। पशु कैसे सीखता है? वह प्रयत्न करता है, असफल होता है, फिर करता है, फिर असफल होता है—अंत में, अनेक असफलताओं के बाद वह उसे सीख जाता है। अर्थात्, पशु दूसरे को देखकर नहीं सीखता, युद्ध सोच-विचारकर भी नहीं सीखता, परंतु स्वयं करके किसी बात को सीखता है। वह किसी परिस्थिति में अपने को पार, भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यवहार करता है, कठिनाई को पार करने की कोशिश करता है। बार-बार कोशिश करने पर उसके अकृत्कार्य उद्योग निकल जाते हैं, कृत्कार्य रह जाते हैं, और हम कहते हैं कि यह अमुक बात सीख गया। इस तरीके को 'प्रयत्न करके, असफल होकर, फिर सीखने का तरीका'

(Trial and Error Method) कहा जाता है। धॉर्न्डाइक ने कहा कि केवल पशु ही इस तरीके से नहीं सीखता, मनुष्य भी ऐसी तरीके से सीखता है। सीखने (Learning) के इस नियम के दो विभाग किए जा सकते हैं :—

१. अभ्यास का नियम (Law of Exercise)

२. परिणाम का नियम (Law of Effect)

‘अभ्यास’ द्वारा, अर्थात् किसी काम को बार-बार करने से, भौतिक में उस काम को करने की शक्ति बढ़ जाती है, और किसी काम को न करने से उसके करने की शक्ति घट जाती है। परंतु सीखने (Learning) में केवल अभ्यास का नियम पर्याप्त नहीं है। जब हम किसी काम को सीख रहे होते हैं, उस समय गलती तो बार-बार होती है, परंतु बार-बार होने पर भी वह सीखने की जगह सुला दी जाती है। क्यों? क्योंकि सीखने में दूसरा नियम ‘परिणाम’ का नियम है। जिस काम के करने में हमें सुख, संतोष होता है, वह काम हम बार-बार न करने पर भी सीख जाते हैं; जिस काम के करने में हमें दुःख, असंतोष होता है, उसे बार-बार करने पर भी भूल जाते हैं। कर्जा लेकर प्रायः सब भूल जाते हैं, परंतु वही लोग कर्जा देकर नहीं भूलते। लेकर देना पड़ेगा, तो दुःख होगा। उस अवस्था को मन अपने सामने नहीं लाना चाहता, इसलिये लौटाने की वात को वह सुला ही देता है।

धॉर्न्डाइक के ये विचार बाटसन को अनुकूल पड़ते थे। इनके

तृतीय अध्याय

आवार पर 'चेतना' का नाम लिए निना भी पशु वथा बालक के व्यवहार को समझने का प्रयत्न किया गया था। परंतु 'परिणाम' के नियम में बाटसन को अडचन दीखती थी। 'परिणाम' का मतलब है, 'चेतना' पर परिणाम। अगर हमारे किसी काम से 'चेतना' को सतोष होता है, तो वह शीघ्र सीखा जाता है, अगर 'चेतना' को सतोष नहीं होता, तो वह नहीं सीखा जाता। इस समस्या का छल करने के लिये बाटसन ने कहा कि 'सीखने' (Learning) में 'परिणाम' कोई अलग नियम नहीं है। असली नियम 'अभ्यास' का ही नियम है। देर तक बाटसन का यही मत रहा कि सुनरायति (Frequency), नवीनता (Recency) वथा प्रभलता (Vividness) के मारण मनुष्य किसी बात को सीखता या भूलता है, उसके सतोष-जनक अथवा असतोष-जनक परिणाम के कारण नहा। बाटसन ने कहा कि जब कोई प्राणी किसी काम को करता है, तो अनेक असफल प्रयत्नों से पहले उसे वह काम कई बार करना होता है, अतः अनेक बार करने के कारण ही वह उस कार्य को आसानी से करना सीख जाता है। इसका उत्तर थॉर्नडाइक ने यह किया कि अगर यही बात है, तो जिन प्रयत्नों में वह असफल रहा है, उनकी सरया सकल प्रयत्नों से व्यादा रहने पर भी वह किसी काम को क्यों सीख जाता है? इस समस्या का उत्तर बाटसन को शरीरन्त्रन-शास्त्र वयवलब के परीक्षणों में दिखाई दिया और उसने प्रबलब के क्षेत्र को अपना लिया।

पवलव (१८४६) का जन्म रूस में हुआ था। उसने १९०५ में यह सिद्धांत निकाला कि हमारा वहुत-सा ज्ञान 'संबद्ध सहज-क्रिया' (Conditioned reflex) के द्वारा होता है। 'संबद्ध सहज-क्रिया' का क्या अभिप्राय है ? इसे समझने के लिये पवलव के परीक्षणों को समझना आवश्यक है। पवलव एक कुत्ते पर परीक्षण करता था। वह कुत्ते की मुख की ग्रंथी से उसका लाला-रस (Saliva) निकालता था। इसके लिये वह उसके सामने भोजन रखता था। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुख से लाला-रस टपकने लगता था। पीछे से, भोजन लाने से पूर्व, भोजन के लिये चहल-पहल को देखकर उसका मुँह लार टपकने लगता था, भोजन की तरतीरी देखकर उसका मुँह भीग जाता था। यहाँ तक कि भोजन लानेवाले के कदमों की आहट सुनकर भी उसका मुँह गीला हो जाता था। पवलव ने सोचा कि भोजन देखकर लार टपक आना तो स्वाभाविक है, परंतु भोजन को निना देखे, भोजन लानेवाले के कदमों की आहट सुनकर लार क्यों टपकती है ? इससे उसने परिणाम निकाला कि यद्यपि पहले तो भोजन देखकर मुँह से लार टपकती है, तो भी पीछे चलकर भोजन लाने के साथ अन्य जो बातें 'संबद्ध' हैं, उन्हें देखकर भी लार टपकने लगती है। भोजन देखकर लार टपक आना सहज-क्रिया (Reflex action) है; तरतीरी देखकर लार टपकना सहज-क्रिया नहीं है, यह 'संबद्ध सहज-क्रिया' (Conditioned reflex) है। पहली बात स्वाभाविक है,

तृतीय अध्याय

सीखी नहीं जाती ; दूसरी बात स्वाभाविक नहीं है, परंतु आप-से-आप सीखी जाती है। शिक्षा की दृष्टि से यह सिद्धांत बड़े महत्त्व का था। पवलव ने कहा कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वह सब 'संबद्ध सहज-क्रिया' (Conditioned reflex) का परिणाम है। वज्ञा गाय का ज्ञान प्राप्त करता है। कैसे ? वज्चे में अनुकरण करने की प्राकृतिक शक्ति (Instinct) है। जब हम 'गाय' बोलते हैं, हमारी आवाज सुनकर, वह भी 'गाय' बोलता है। यह अनुकरण उसकी सहज-क्रिया है। परंतु अगर जब-जब गाय सामने हो, तब-तब ही हम 'गाय' बोलें, दूसरे समय नहीं, तो क्या होगा ? वज्चे का 'गाय' बोलने का संबंध हमारे अनुकरण करने से न रहकर गाय से जुड़ जायगा। अब वह हमारे बोलने पर 'गाय' नहीं बोलेगा, परंतु गाय के सामने जाने पर 'गाय'-शब्द का उच्चारण करेगा। अर्थात् 'गाय'-शब्द एक विशेष जानवर के साथ 'संबद्ध' हो जायगा।

पवलव के 'संबद्ध सहज-क्रिया' (Conditioned reflex) के सिद्धांत से घाटसन के 'व्यवहारवाद' को बहुत सहारा मिला। थोर्नडाइक किसी नई बात को सीखने (Learning) में 'परिणाम का नियम' आवश्यक बतलाता था, परंतु उसमें घाटसन को 'चेतना' की वृ आती थी। हाँ, 'संबद्ध सहज-क्रिया' मानने में 'चेतना'-शब्द को प्रयोग नहीं करना पड़ता था। घाटसन व्यवहार-वादियों में सब से ज्यादा कटूर है। वैसे तो सभी व्यवहार-वादी 'चेतना' के शब्दों में बात करना पसंद नहीं करते।

'देखना', 'मुनना' आदि शब्दों में उन्हे 'चेतना' मानते की यू आतो है। 'देखना', अर्थात् कोई ऐसी 'चेतना' जो देखती है; 'मुनना', अर्थात् कोई ऐसी 'चेतना' जो मुनती है। इन शब्दों को जगह वे 'देखने' के लिये कहते हैं, 'विषय' (Stimulus) के सम्मुख आने पर ऊपर की 'प्रतिक्रिया' (Response) ; 'मुनने' के लिये कहते हैं, रावड़ के होने पर कान की प्रतिक्रिया। इस प्रकार 'विषय-प्रतिक्रिया' (Stimulus-Response) के शब्दों में अपने भावों को प्रकट करना ये लोग पसंद करते हैं। इस हृष्टि से 'व्यवहारवाद' को 'विषय-प्रतिक्रियान्वाद' (Stimulus-Response Theory) भी कहा जाता है।

बाटसन का कहना है कि 'विषय' तथा 'प्रतिक्रिया' की सहायता से, परिस्थिति को अनुदूल बनाकर, हम बालक को जो चाहे बना सकते हैं। एक ही बालक को उत्तम-से-उत्तम चिकित्सक अथवा उत्तम-से-उत्तम वकील बनाना हमारे ही हाथ में है। व्यक्ति वंशानुसंक्रम (Heredity) से कुछ नहीं लाता, प्राकृतिक शक्तियाँ (Instincts) कुछ नहीं हैं, परिस्थिति (Environment) ही सब कुछ है। परिस्थिति में 'संवद्ध सहज-क्रिया' (Conditioned reflex) का नियम ही शिक्षा का आधार है। शिक्षा की दृष्टि से यह विषय इतने महत्त्व का है कि इस पर हम 'वंशानुसंक्रम तथा परिस्थिति'-शीर्षक पृथक् अध्याय में ध्यार करेंगे।

३. मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय

व्यवहार-व्यादियों का कहना था कि 'चेतना' का अध्ययन मनो-

विद्वान् नहीं है। चेतना अंदर की वीज है, मनोविज्ञान का काम व्यवहार का, बाहर का अध्ययन है। मनोविश्लेषणवादियों ने कहा कि व्यवहार का अध्ययन ही हमें धतलाता है कि 'ज्ञात-चेतना' (Conscious self) से गहरी एक दूसरी 'अज्ञात-चेतना' (Unconscious self) है। वह ऐसी चेतना है जिसके सामने हमारी 'ज्ञात-चेतना' मानो गहरे पानी के ऊपर की सतह है। उस चेतना का हमें ज्ञान नहीं होता, हमें उसका कुछ पता भी नहीं लगता, इसीलिये उसे 'अज्ञात-चेतना' कहा जाता है। 'अज्ञात-चेतना' का अध्ययन एम गहरी चेतना का अध्ययन है, और इस दृष्टि से, 'मनोविश्लेषण-वाद' को कभी-नभी 'अंतर्द्वेतना मनोविज्ञान' (Depth Psychology) भी कहते हैं। चेतना तो चेतना है ही, परंतु 'ज्ञात-चेतना' के भीतर, गहराई में, एक और चेतना है जो हमारे ज्ञान में नहीं आती, छिपी हुई है, और उसका, अध्ययन करना मनोविश्लेषण-वाद का काम है।

इस संप्रदाय के प्रवर्तक है, वायना के महाशय फ्रॉयड (१८५६)। इन्होंने चिकित्सा-शाखा का अध्ययन किया था, और इन्हे मृगी आदि के इलाज का खास शौक था। इन्होंने पहले मोहनिद्रा (Hypnotism) के द्वारा बीमारों का इलाज शुरू किया। मोहनिद्रा—हिप्रोटिज्म—में क्या होता है? बीमार की 'ज्ञात चेतना' तो सुम हो जाती है, परंतु 'अज्ञात-चेतना' अप्से को प्रकट करने लगती है।

जो घाते जापत-अवस्था में रोगी के मुख से नहीं निकलती, जिनमें से कई का रोगी को जापत-अवस्था में ध्यान भी नहीं होता, वे मोहनिद्रा कर देने पर रोगी आपसे-आप बोलने लगता है। पेरिस के जेनेट (१८५६) महोदय ने इस प्रारंभ के कई परीक्षण किए। जेनेट का कथन था कि उसने हिस्टरिया के कई रोगियों को मोहनिद्रा के द्वारा सुलाकर पुरानी स्मृतियों को ताजा करने को कहा, तो उन्हें जीवन की कई ऐसी घटनाएँ चाद ही आईं जिनसे समझ पड़ गया कि उनके मन की विचित्र अवस्था क्यों थी। उन्हें जीवन में कहीं-न-कहीं कोई 'मानसिक उद्गेग का घक्का' (Emotional shock) लगा था, उसकी उह चाद नहीं रही थी, उसका ह्यान उनकी 'झात-चेतना' में नहीं था, परंतु अंदर-ही-अंदर वह उनके संपूर्ण जीवन को, सम्पूर्ण व्यवहार को प्रभावित कर रहा था। जेनेट ने परीक्षणों से उह भी पता लगाया कि अगर रोगी को मोहनिद्रा की अवस्था में यह कह दिया जाय कि जो होना था सो हो गया, और इसे भूल जाओ, तो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता था।

हिपोटिक्स के उक्त तरीके से 'झात-चेतना' के पीछे, छिपी हुई 'अझात-चेतना' प्रकट हो जाती है, वह उस अवस्था में, जैसे तेल पानी पर तैरने लगता है, इस प्रकार मानो 'झात-चेतना' के ऊपर तैरने-नी लगती है। 'अझात-चेतना' के अध्ययन के द्वारा रोगी के रोग का कारण जाना जा सकता है, और उसे अपने पिचारों द्वारा प्रभावित करके रोग को दूर भी किया जा सकता

तृतीय अध्याय

है। क्रूँयड इसी काम में लगा हुआ था, इसलिये उसे 'हिप्रो-टिज्म' एक बहुत अच्छा साधन प्रतीत हुआ। परंतु थोड़े ही दिनों में उसे यह अनुभव होने लगा कि प्रत्येक रोगी पर मोहनिद्रा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। कई वीमार ऐसे मिलते हैं जो किसी के घम में नहीं आते। ऐसों की 'अज्ञात-चेतना' की गहराई में भरे हुए विचारों को ऊपर की सतह पर लाने का क्या तरीका किया जाय ?

इस संबंध में क्रूँयड चिंतित ही था कि उने अपने मित्र मुश्त्र (१८४२-१८८५) से वड़ी सहायता मिली। मुश्त्र को उसके एक स्त्री-रोगी ने कहा था कि मोहनिद्रा की नीद में अग्रर उसे जो कुछ वह कहना चाहे कहने दिया जाय, तो उसका दिल मानो हल्का हो जाता था, और आगे से उसके मन की विचित्र अवस्था नहीं रहती थी। इस नीद में उसकी अनेक पिछली भूली हुई स्मृतियाँ ताजी हो जाती थीं और जब वह चिकित्सक से उन सब की चर्चा कर देती थीं, तो उस पर हिस्टीरिया का प्रक्षेप कम हो जाता था। इस परीक्षण के बारंबार दोहराने से वह स्त्री ठीक भी हो गई थी।

मुश्त्र ने कुछ देर तक तो क्रूँयड के साथ काम किया, परंतु पीछे उसने इस चेत्र को छोड़ दिया। अब क्रूँयड ~~मृत्यु~~ ही परीक्षण करता था। उसने हिप्रोटिज्म तो छोड़ दिया, परंतु रोगी जो कुछ भी कहना चाहता था, वह सब कुछ कह देने के संसेके को लारी रखता। वह रोगी को एक आराम-कुर्सी पर लिटा

देता था। उसपर मोह-निद्रा करने के बजाय वह उसे कहता था कि तुम्हे जो-जो भी तकलीफ हों, उन्हे याद करो, और जो-जो मन में आता जाय, कहते जाओ। हाँ, अपनी तकलीफों को छोड़कर और किसी बात को मन में मत आने दो। इस प्रकार रोगी को सोचने के लिये खुला छोड़ देने से उसकी 'अज्ञात-चेतना' ऊपर आने लगती थी। वह रोगी को कहता था, अगर तुम्हारे मन में कोई बात आती है, तुम सोचते हो, वह बहुत तुच्छ है, ओटो है, कहने लायक नहीं, इसकी भी पर्वा न करों, कह ढालो। फ्रॉयड ने 'अज्ञात-चेतना' को प्रकट करने के लिये हिप्रोटिज्म की जगह इस उपाय का प्रयोग किया। इस उपाय को 'स्वतंत्र कथन' (Free association) का उपाय कहा जाता है। 'मोह-निद्रा' तथा 'स्वतंत्र कथन' के उपाय ऐसे हैं जिनसे 'अज्ञात-चेतना' का बंद कपाट खुल जाता है, और हम उस चेतना के भीतर मँकरने लगते हैं जो अबतक हमारे लिये एक बंद पुस्तक के समान थी।

'अज्ञात-चेतना' हमारे लिये बंद क्यों थी? 'ज्ञात-चेतना' के समान ही 'अज्ञात-चेतना' के विचार मन की उपरली सतह पर क्यों नहीं तैरते; नीचे, गहराई में, ओरों से परे क्यों पड़े रहते हैं? फ्रॉयड इसका कारण बतलाता है। उसका कहना है कि मनुष्य में कई तरह के विचार हैं। कई विचार ऐसे हैं जिन्हे हमारा समाज बर्दाश्त कर लेता है, उन विचारों को रखने के लिये समाज का हम पर कोई बंधन नहीं है; कई विचार ऐसे

तृतीय अध्याय

हैं, जिन्हे हमारा समाज पसंद नहीं करता। जिन विचारों को हमारा समाज पसंद करता है, वे हमारी 'ज्ञात चेतना' में रहते ही हैं, परन्तु जिन विचारों को हमारा समाज पसंद नहीं करता वे भी तो मन में उठते रहते हैं, उनका क्या होता है? फ्रॉयड का कथन है कि वस, वे ही विचार 'अज्ञात-चेतना' में जाकर एक प्रित हो जाते हैं, और 'ज्ञात चेतना' के लिये मानो लुप्त हो जाते हैं। हम अपनी तरफ से तो मानो उन विचारों को मन से धकेलकर बाहर फेंक देते हैं, परन्तु बाहर चले जाने के बजाय वे और अदर चले जाते हैं, 'अज्ञात चेतना' में जाकर बेठ जाते हैं। हम समझते हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया, परन्तु वे निकलने के बजाय और अधिक अदर गड़ गए होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी भी प्रिवाहितान्त्री के प्रति खिंचाय अनुभव करता है। यह विचार ऐसा है जिसे समाज सहन नहीं कर सकता। जिरा व्यक्ति के हृदय में यह विचार उत्पन्न होगा वह डर से, शर्म से, इस विचार को दबाने का यत्न करेगा। फ्रॉयड का कहना है कि यह विचार, जब एक बार मन में आ गया, नष्ट नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में यह खिंचार उठेगा, उसके सामने दो रास्ते सुन्ने हैं। या यह सामाजिक नियमों की अवहेलना करके अपनी इच्छा का पूर्ण करे, या उस इच्छा के उठते ही उसे दबाने का यत्न करे। अन्तर लोग दूसरे मार्ग का अवलोकन करते हैं। वे इस प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के बजाय दबाते हैं। जिन इच्छाओं

को इस प्रकार दबाया जाता है, वे कुछ देर के बाद भूल जाती हैं। और मनुष्य को यह याद भी नहीं रहता कि ऐसी कोई इच्छा उसमें थी, या न थी। इच्छाओं को इस प्रकार दबाने को **फँपड़** 'प्रतिरोध' (Repression) कहता है। इच्छाएँ इस प्रकार प्रतिरुद्ध (Repressed) होकर भर नहीं जाती, वे 'झात-चेतना' को छोड़कर 'अझात-चेतना' में चली जाती हैं। अगर वे 'झात-चेतना' में आने का यत्न करती हैं, तो हमारे भीतर की ही एक शक्ति, उन्हें रोकती है, 'अझात-चेतना' से 'झात-चेतना' में नहीं आने देती।

यह 'प्रतिरोध-शक्ति' क्या है ? हम जब जन्मते हैं, तो अपने को एक समाज में पाते हैं। इस समाज में अनेक नियम बने हुए हैं। दूसरे की वस्तु उठाना चोरी है, दूसरे की खी को छेड़ना ध्यभिचार है, असत्य घोलना पाप है। ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होने लगता है, त्यों-त्यों समाज के इन नियमों के आधार पर उसके भीतर ये विचार घर करने लगते हैं। होते-होते जब वह बड़ा हो जाता है, तो इन नियमों को 'खत सिद्ध समझने लगता है। उसके भीतर एक ऐसा 'उच्च अंतःकरण' (Super-Ego) उत्पन्न हो जाता है जो उसे चोरी करने की इच्छा होने पर भी चोरी नहीं करने देता, दूसरे की खी पर बुरी नज़र ढालने की इच्छा होने पर भी ऐसा करने से मना करता है, किंड़कता है। एक तरह से मानो यह अन्धे और बुरे की पहचान करनेवाला संतरी हो जाता है। वस, यह 'उच्च अंतःकरण' जो समाज के प्रचलित आदर्शों

का एक प्रतिविव है, 'ज्ञात' तथा 'अज्ञात' चेतना के दोन्हां में बैठकर 'प्रतिरोधक' (Censor) का काम करता है।

मनुष्य का 'साधारण अंतःकरण' (Ego) इच्छाओं का घर होता है, वह हरएक इच्छा को, गंदी-सेन्ट्रली इच्छा को पूरा करना चाहता है; उसका 'उच्च अंतःकरण' (Super-Ego) 'ज्ञात' तथा 'अज्ञात' चेतना के दोन्हां में बैठकर केवल उन्हीं इच्छाओं को बाहर निकलने देता है जो सामाजिक आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है, दूसरी इच्छाओं को वह 'अज्ञात-चेतना' में धकेलकर उसके दखाजे पर ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई पहरेदार बैठा हो।

परंतु जो इच्छाएँ इस प्रकार 'अज्ञात-चेतना' में धकेल दी जाती हैं, जिन्हें हमारा 'उच्च अंतःकरण', हमारा 'प्रतिरोधक' निकलने नहीं देता, क्या वे 'अज्ञात-चेतना' के भीतर दूरी रह सकती हैं ?

'फूँयड' का कथन है कि 'इच्छा' कभी नष्ट नहीं होती। 'इच्छा' में क्रियाशीलता अंतर्निहित रहती है। 'इच्छा' का यह स्थभाव है। 'इच्छा' अगर पूरी हो गई, तब तो ठीक; अगर पूरी न हुई, तो वह अपनी क्रियाशक्ति को भिन्न-भिन्न तौर पर प्रकट करती है। आखिर, 'इच्छा' इसीलिये तो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि उसके बाहर निकलने के दखाजे पर 'प्रतिरोधक' (Censor) बैठा है। जब 'इच्छा' के क्रिया में परिणत न हो सकने का यही कारण है तब वह 'इच्छा' भी ऐसा भौंग ढूँढ़ती रहती है जब 'प्रतिरोधक' शिथिल हो जाय, और उसे बाहर

निकलने का अवसर मिल जाय। ऐसा अवसर उसे मिल भी जाता है। स्वप्न (Dreams) में ये ही अतृप्त द्वीप हुई इच्छाएँ सोते समय प्रकट होती हैं। स्वप्नों के अधार पर इन अतृप्त इच्छाओं के विषय में अच्छा प्रकाश पड़ता है। उस समय भी ये प्रतिरुद्ध इच्छाएँ स्पष्ट तौर पर अपने को नहीं प्रकट करतीं, मानो अपने नमन-रूप में प्रकट होने से शर्माती हैं। स्वप्न में भिन्न-भिन्न प्रकार से, भिन्न-भिन्न शब्दों को धारण फरके, ये इच्छाएँ प्रकट होती हैं। किस राह के स्वप्न का क्या अर्थ होगा, उस राह (Symbol) के पीछे क्या इच्छा काम कर रही होगी, इस पर क्रौंचवट ने बहुत लंबा-चौड़ा विवेचन किया है। 'ज्ञात-चेतना' ने जिन अतृप्त इच्छाओं को मुला दिया था, 'अज्ञात-चेतना' उन्हे नहीं मुलाती, परंतु सीधे तौर पर सामने लाकर भी नहीं रखती। यह देखा गया है कि अगर किसी प्रकार 'अज्ञात-चेतना' में से इन इच्छाओं को हम ढूँढ निकालें, तो मानसिक रोगी, जो इस द्विषी हुई इच्छा के कारण ही रोगी होता है, उस इच्छा के पता लग जाने पर खुद-ब-खुद ठीक हो जाता है। मनोविज्ञेयण-वादी चिकित्सक रोगी को ऐसी अवस्था में ले आता है जब 'ज्ञात-चेतना' सो जाती है, प्रतिरोधक हृष्ट जाता है, और 'अज्ञात-चेतना' मानसिक जगत् की ऊपर की सतह पर तैरने लगती है। क्योंकि द्विषी हुई इच्छाओं में बाहर निकलने की प्रवृत्ति जोर से काम कर रही होती है, इसलिये रोगों को तनाव में से हटाते ही ये इच्छाएँ प्रकट होने लंगती हैं। रोगी फिर से अपनी पुरानी हालत

में पहुँच जाता है, मानो पुराना जीवन फिर से दोहराने लगा हो। पुरानी अपस्था तथा वर्तमान अपस्था में इतना भेद रहता है कि पहले इसी मानसिक विप्रमता के उपस्थित होने पर वह विचलित हो गया था, कठिनाई में से रास्ता नहीं निकाल सका था, और इसी का परिणाम था कि उसकी मानसिक अपस्था निगड़ गई थी ; अब यद्यपि फिर धृ उसी विप्रम मानसिक अपस्था में आ गया है, तो भी उसका चिकित्सक उसे विचलित नहीं होने देता, ठीक रास्ते पर लगा देता है। कैसे कोई रास्ता खो गया हो, उसे ठीक रास्ते पर ढालने के लिये वहीं लौटाना पड़ता है जहाँ से वह गलत रास्ते पर पड़ा था, इसी तरह मानसिक रोगी को उस अपस्था में पहुँचाया जाता है जहाँ किसी विप्रम समस्या के कारण उसके मन में कोई गँठ पड़ गई थी। असावधानी की अपस्था में भी हमारी छिपी हुई इन्द्रियों निकल पड़ती हैं। उस समय इनके निकल पड़ने का यही कारण होता है कि मनुष्य असावधान होता है, अपनी ‘प्रतिरोधशक्ति’ से काम नहीं ले रहा होता। क्रेद आदि मानसिक आनेगों के समय सालों की दिल के भीतर-भीतर छिपाई हुई वाते उछल-उछलकर निफलने लगती हैं। यह इसीलिये, क्योंकि श्रोध के समय ‘प्रतिरोधशक्ति’ विलुप्त भाग जाती है, ‘आज्ञात-चेतना’ ‘ज्ञात-चेतना’ को पीछे धकेलकर स्वयं उपर आने लगती है, उसके भीतर छिपी हुई वातें भी ‘चेतना’ के उपर की सतह पर आने का मौका पाकर बड़े बेग से निकलने लगती हैं। हमारी

की हालत में भी 'प्रतिरोधक शक्ति' कम हो जाती है। इसके कम होते ही 'अज्ञात-चेतना' से निकल भागने की कोशिश करने पाली इच्छाएँ, फै व्वारे में से पानी की तरह फूट पड़ती हैं। 'हिमोटिज्म' तथा 'स्वतन्त्रकथन' के उपाय से 'अज्ञात-चेतना' में छिपी हुई वातों को ही बाहर निकालने का प्रयत्न किया जाता है।

हमने देख लिया कि मनुष्य की अतृप्ति इच्छाएँ भिन्न भिन्न उपायों से बाहर निकलने का प्रयत्न करती हैं। परंतु अगर हम उन्हें दराते ही रह, तो क्या परिणाम होगा? फ्रॉयड ने इस प्रभ पर खूब विचार किया है। वह कहता है कि जिन इच्छाओं को हम किसी कारण से तृप्ति नहीं कर सकते—चाहे यह कारण हमारे 'उच्च अस करण' की प्रतिरोध शक्ति हो, चाहे सामाजिक नियमों के प्रतिकूल चलने का भय या लज्जा हो—वे इच्छाएँ 'ज्ञात-चेतना' में तो रह नहीं सकतीं, वे 'अज्ञात' में चली जाती हैं, और वहीं पलती रहती हैं। क्योंकि उन्हें तृप्ति करने में कठिनाई होती है, इसलिये वे और भी प्रगल हो जाती हैं, यह उनका स्वभाव ही है। इस प्रकार की अतृप्ति इच्छाओं की सद्या बढ़ती जाती है। 'अज्ञात चेतना' में जाकर ये अतृप्ति इच्छाएँ परस्पर मिल-जुल जाती हैं, उनकी अदर ही अदर एक गुत्थी सी बन जाती है। फ्रॉयड इस गुत्थी को 'विपम जाल' (Complexes) का नाम देता है।

अतृप्ति अथवा प्रतिरुद्ध इच्छाओं के ये 'विपम जाल' (Complexes) अत्यंत वियाशील होते हैं, यद्यपि हमें

उनकी सत्ता का भी ज्ञान नहीं होता। हमारा परिचय तो 'ज्ञात-चेतना' से होता है, वे 'विषम जाल' (Complexes) 'अज्ञात-चेतना' में पल रहे होते हैं। इन 'विषम जालों' के साथ तीव्र उद्देश (Strong Emotion) जुड़ा होता है। अगर यह उद्देश (Emotion) न हो, तो वे जीवित ही न रह सके। ऐसी उद्देश के कारण इनमें 'क्रियाशीलता' (Motivation) होती है। अतएव इच्छाओं के इन 'विषम जालों' (Complexes) में मनुष्य के स्नभाव, उसकी आदत, उसके चाल-चलन, उसके ज्यवहार पर भारी असर होता है। इन 'विषम जालों' का वालक ही रिक्ता तथा उसके जीवन से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कल्पना कीजिये कि आपका एक लड़का है। वह आपका पहला वालक है, इसलिये आप उसकी हरएक इच्छा पूर्ण करते हैं। कुछ देर बाद आपकी एक और मंतान होती है। अब वड़े लड़के की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना पहले दिया जाता था, उसकी हरएक इच्छा पूरी नहीं की जाती। कुछ दिन तक तो वह बड़ा तूफान मचाता है, परंतु बाद को चुप हो रहता है। इसका यह मतलब नहीं कि उसकी इच्छा नष्ट हो गई। इसका यह मतलब है कि वह इच्छा आपके वर्ताव से एक प्रकार का मानसिक उद्देश का धक्का (Emotional shock) खाकर 'ज्ञात-चेतना' में से 'अज्ञात-चेतना' में जा द्विपी, और वहाँ वह अपना 'विषम जाल' (Complex), अपना ताना-ताना बुनने लगती। छोटे बच्चों के इस प्रकार के 'विषम जाल' कई कारणों से

उत्पन्न हो जाते हैं। किसी वालक की सौतेली माँ है, तो उसके व्यवहार से वालक की 'अझात-चेतना' में कई प्रकार के 'विपम जाल' उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सौतेली माँ के वर्ताव के कारण वालक को मानसिक उद्भेद के धके समय-समर्य पर पहुँचते रहते हैं, उसे अपनी इच्छाओं को देखना पड़ता है; किसी का पिता घड़ा तेज-न्तर्दर्द है, तो उसके अकारण गर्जन-न्तर्जन को देरकर वालक की 'अझात-चेतना' 'विपम जालों' से भर जाती है। वालक डर के मारे कुछ कह नहीं सकता; उसके 'विपम जाल' (Complexes) बढ़ते ही जाते हैं। व्यवहार के इन्हीं 'विपम जालों' का परिणाम है कि कई वालक हठी हो जाते हैं, कई दुराम्ही, कई निराशावादी। अगर उनकी 'झात-चेतना' को बंद करके, 'अझात-चेतना' में घुसकर देखा जाय, तो हठ, दुराम्ह, तथा निराशावाद के आधार में ऐसी कहानियाँ मिल जायेंगी जो वालक को उस प्रकार का बनाने में कारण हुई होंगी।

फ्रॉयड 'अझात-चेतना' के 'विपम जालों' का कारण ढूँढ़ता-ढूँढ़ता व्यवहार की तरफ जाता है। अधिकतर व्यवहार में ही ये 'विपम जाल' उत्पन्न होते हैं। व्यवहार में ही यह मत करो, यह मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो का व्यवहार होता है। उसी समय से जिन इच्छाओं को हम उप करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है, दबाया जाता है। इच्छाओं को इस प्रकार रोकने से, उन्हें दबाने से, वालक की 'अझात-चेतना' में 'विपम जालों' की संख्या बढ़ती चली जाती है। वालक के ग्रितरुद्ध मानसिक उद्भेदों

के इस जीवन (Repressed Emotional Life) को समझना शिक्षा की हृषि से घड़ा आवश्यक है। मनुष्य के व्यवहार (Behavior) पर अस्ती प्रभाव 'अश्वात-चेतना' में छिपे हुए प्रतिरुद्ध मानसिक उद्देशों का ही पड़ता है, और उन्हीं का पूरा होना या न होना बालक की शिक्षा की योग्यता, उसके सामर्थ्य, स्वभाव, आचार आदि का निर्धारण करता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक के विकास में उक्त प्रकार के 'विषम जाल' न बनने दे, अगर वे बनेंगे, तो बालक के व्यवहार को पेचीदा बना देंगे। जिस प्रकार नदी के प्रवाह को रोकने से वह अपने दूसरे मार्ग बना लेती है, इसी प्रकार इच्छाओं के प्रवाह को रोकने से उसके भिन्न-भिन्न मार्ग बन जाते हैं; बालक का मानसिक जीवन 'विषम जालों' (Complexes) से भर जाता है, और उन्हीं के कारण वह चिड़चिड़ा, दुरामही, हठीला तथा निराशावादी हो जाता है। यद्यपि मनोविश्लेषण-वाद का प्रारंभ मस्तिष्क के रोगियों को ठीक करने से हुआ था, तो भी, आगे चलकर, शिक्षा-विज्ञान तथा समाज-शास्त्र के लिये यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।

क्योंकि क्रॉयड ने अपना मंपूर्ण समय रोगियों के अध्ययन में ही विताया, इसलिये उसका वर्णन ऐसा है जैसे मनोविश्लेषण-वाद का भवित्व रोगियों में ही हो, और 'विषम जाल' (Complexes) उन्हीं में पाए जाते हों। यह जरूरी नहीं कि 'विषम जाल' इच्छाओं को दबाने से ही उत्पन्न होते हों, और वे मानसिक

रेगिस्टरों में ही पाये जाते हों। प्रत्येक व्यक्ति के मन में 'विषय जालो' का समूह-का-समूह पाया जाता है। वचपन से ही हम प्रत्येक वस्तु के साथ किसी-न-किसी प्रकार के अपने उद्देश्य (Emotions) जोड़ते रहते हैं, और इनसे 'अज्ञात-चेतना' के 'विषय जाल' बनते रहते हैं। वालक घर में अँगीठी के पास आकर बेठता है। वह अँगीठी में आग जलते हुए देखता है। आग को देखकर उसके मन में प्रकाश, गर्भ, चुधा कृति के विचार आग के साथ समद्वा हो जाते हैं। आग के साथ इस प्रकार प्रसन्नता के उद्देश्य (Emotion) का जुड़ जाना, 'अज्ञात चेतना' में 'विषय जाल' का उत्पन्न हो जाना है। अगर आग को देखकर यह याद आए कि इससे भोजन पकेगा, भोजन से भूख मिटेगी, तब तो यह मानसिक प्रक्रिया 'प्रत्यय-सम्बन्ध-वाद' में आ जायगी। परन्तु अगर आग को देखकर किसी को केवल खुशी हो, और उस खुशी का कारण समझ में न आये, तो इसका कारण 'अज्ञात चेतना' में आग के सम्बन्ध में बना हुआ 'विषय जाल' (Complex) ही समझना चाहिए। इस प्रकार अनेक 'विषय जाल' भिन्न-भिन्न पदार्थों के सम्बन्ध में वचपन में हमारे मन में बनते रहते हैं। हम जानते हैं कि शराब पीना ठीक नहीं, हमारा दिमाग भी इस बात को स्वीकार करता है कि यह चुरा है, परन्तु हमारी 'अज्ञात-चेतना' में वचपन में कुछ ऐसे सम्झार पड़ चुके हैं, कुछ ऐसे 'विषय जाल' बन चुके हैं कि हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। 'अज्ञात-चेतना' में बना हुआ

‘विपम जाल’ स्वाभाविक होता है, किन्तु दार्शनिक विचारों या अध्ययन का परिणाम नहीं होता। अध्ययन से प्राप्त मानसिक विचार ‘विपम जाल’ नहीं कहते। ‘विपम जाल’ तो खुद-ब-खुद बनते रहते हैं। ‘अज्ञात-चेतना’ में जो ‘विपम जाल’ बन जाते हैं, जल्दी नहीं वे अच्छे ही हों; जल्दी नहीं वे बुरे ही हों; यह भी जल्दी नहीं कि वे अत्यूप इच्छा के द्वे रहने के कारण ही उत्पन्न हों। उदाहरण के लिये, एक बालक है, जो चूहे के मारने को देखकर ढर जाता है। आगे से उसके व्यवहार में भय की मात्रा बढ़ जाती है। बड़े होने पर वह डरपोक स्वभाव का हो जाता है, परंतु उसे यह नहीं पता होता कि उसका ऐसा स्वभाव क्यों हो गया है। अगर उसे मोह-निद्रा में लाया जाय, तो हम देखेंगे कि ‘चूहे’ का नाम लेते ही वह चौंक जायगा। उसके इस प्रकार चौंकने से हमें पता लग जायगा कि ‘चूहे’ ने उसके जीवन को धनाने में कोई खास हिस्ता लिया है। चूहे के विषय में उसकी ‘अज्ञात-चेतना’ में जो ‘विपम जाल’ (Complex) बना, वह किसी उद्देश की द्वारा (Repression) के कारण नहीं बना, यो ही, एक घटना को देखकर एक खास प्रकार का मानसिक उद्देश का धक्का (Emotional shock) लगने से बन गया। इस प्रकार के अच्छे, बुरे या अन्य प्रकार के ‘विपम जालों’ के बनते-बनते बालक का स्वभाव भिन्न-भिन्न प्रकार का बन जाता है।

हमने देखा कि फँूँयड के कथन के अनुसार ‘अज्ञात-चेतना’ में कुछ उद्देश-युक्त विचार, जिन्हें ‘विपम जाल’ (Com-

plexes) कहा जाता है, वह रहते हैं, और वे हर समय उसमें से निकलने की कोशिश में रहते हैं। हमने यह भी देखा कि इन 'विषम जालों' का सिलसिला चचपन से शुरू होता है। अब हम यह देखेंगे कि फ्रॉयड के मत में ये विचार, जो 'अज्ञात-चेतना' में बंद रहकर उसमें से भिन्न-भिन्न रूपों में निकलने का यन्त्र करते रहते हैं, किस प्रकार के होते हैं।

फ्रॉयड का कथन है कि ये विचार लिंग-संबंधी (Sexual) होते हैं। वह कहता है कि वह में लिंग-संबंधी विचार शुरू शुरू में ही उत्पन्न हो जाते हैं। बालक अपनी माता के प्रति सिंचता है; बालिका अपने पिता के प्रति। बालक के माता के प्रति और बालिका के पिता के प्रति सिंचाव को फ्रॉयड लिंग-संबंधी (Sexual) सिंचाव कहता है। कुछ देर तक तो इस प्रेम में कोई रुकावट नहीं आती, परंतु अगर माता बालक का दूध छुड़ाना चाहती है, तो बालक अनुभव करता है कि माता उसके प्रति सख्ती कर रही है। इसके अतिरिक्त वह यह भी देखता है कि जिस प्रकार उसका पिता उसकी माता के प्रति प्रेम करता है, वैसा बालक को नहीं करने दिया जाता। यह देखकर वह अपने पिता को अपना प्रतिद्वंद्वी समझने लगता है। उसके भीतर एक संप्राप्त चल पड़ता है। वह अपनी प्रतिरुद्ध इच्छा को पूरा करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रयत्न करता है। अँगूठा चूसना, पेशावर करना, मल त्याग करना, सब उसी के भिन्न-भिन्न रूप हैं। फ्रॉयड के मत में बालक की प्रत्येक क्रिया का आधार 'काम-

भावना' (Libido) हे, इसीसे प्रेरित होकर वह भिन्न-भिन्न कामों से प्रवृत्त होता हे। कुछ दैर बाड उसकी 'काम-भावना' उत्पदक अगों से केंद्रित होने लगती है, वह अपने गुह्य-अगों का सर्पण करने लगता है। इस पर माता पिता उस पर और निगड़ते हैं, उसकी इन बुरी आदतों को छुड़ाने के लिये उसे पोटते हैं। अब अपनी 'काम-भावना' (Libido) को प्रतिरुद्ध (Repress) करने के सिवा उसके पास क्या चारा रह जाता है ? इस प्रकार 'काम-भावना' के प्रतिरोध के कई परिणाम निकलते हैं। 'काम-भावना' का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वह प्रतिरुद्ध नहीं रह सकती, वह भिन्न-भिन्न तौर से, भिन्न-भिन्न मार्गों से फूट निकलती है। किसी का दिमाग निगड़ जाता है, कोई पागल हो जाता है, किसी को मृगी हो जाती है, कोई हिस्टीरिया का शिकार हो जाता है।

'काम-भावना' (Libido) अङ्गात-चेतना मे से थाहर न निकलेगी, तो अदर-ही-अदर उथल-पुथल मचाए रखेगी। तो क्या किया जाय ? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि उसे इस प्रकार निकलने दिया जाय जिससे अनर्थ भी न हो, और 'काम-भावना' अदर दरी भी न रहे। इस उपाय को 'रूपातरित' (Sublimation) करना कहते हैं। काम-भाव के गीत गाना समाज से अच्छा नहीं समझा जाता, उसी को भक्ति-मार्ग का रूप देकर भारत तथा अन्य देशों के धर्म-प्रवर्त्तकों ने काम-भाव को रूपातरित कर दिया है। शिक्षा मे कला (Art) काम-भाव का ही 'रूपांतर' (Sublimation) है।

एडलर (१८७०) पहले फ्रॉयड के साथ ही काम करता था, परंतु १९१२ में उसने 'मनोविश्लेषणवाद' में अपने संप्रदाय की पृथक् स्थापना की। उसने कहा कि फ्रॉयड का यह कहना कि 'काम-भावना' (Libido) ही मनुष्य की प्रारम्भिक क्रियाओं का आधार है, गलत है। एडलर ने कहा कि 'काम-भावना' के आवेग' (Sex-impulse) का जीवन में मुख्य स्थान तो है, परंतु यह आवेग (Impulse) जीवन का सर्वेसर्वांगीन है, जीवन गंभीर सबसे मुख्य स्थान, जीवन की सब से चड़ी शक्ति, जीवन का सबसे बड़ा आवेग 'शक्ति प्राप्त करने की अभिलापा' (Self assertive Impulse) का है।

एडलर का कथन है कि हमारे सामने जीवन में तीन प्रश्न आते हैं : हम समाज में दूसरों के साथ कैसे बहें ; इडे होकर क्या पेशा करें ; जीवन में प्रेम के प्रश्न को किस प्रकार हल करें। इन तीनों प्रश्नों को सब लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से हल करते हैं। कोई व्यक्ति इन प्रश्नों को किस प्रकार हल करता है, यह उसके 'जीवन के तरीके' (Style of Life) पर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति का 'जीवन का तरीका' व्यचयन में ही निर्धारित हो जाता है। 'जीवन के तरीके' के आधार पर ही वालक की 'अज्ञात-चेतना' में 'विषम जाल' (Complexes) बनते रहते हैं। जिस समाज में वालक उत्पन्न होता है, जिन अवस्थाओं में वह अपने को पाता है, उनमें वह 'शक्ति प्राप्त करने की इच्छा' से प्रत्येक काम करता है। 'शक्ति प्राप्त करने' में कभी उसे सफलता होती

है, कभी असफलता। उसी के आधार पर उसके 'विषम जाल' बनते रहते हैं। एक वालक दूसरे वालक के साथ खेल रहा है। खेल में दूसरे आगे निकल जाते हैं, वह पीछे रह जाता है। इसमें उसकी 'शक्ति प्राप्त करने' की इच्छा को संतोष नहीं मिलता। वह उन वालकों के साथ खेलना छोड़कर, अलग जाकर खेलने लगता है। अब उसका मुकाबिला करनेवाला कोई नहीं, उससे आगे निकलनेवाला कोई नहीं। इसमें उसकी 'शक्ति प्राप्त करने' की इच्छा को संतोष मिलता है। उसकी 'अज्ञात-चेतना' में अपने छोटेपन का, दूसरों से अलग रहने का 'विषम जाल' बन जाता है। इस 'विषम जाल' बनने का कारण उसके 'जीवन का तरीका' (Style of Life) होता है। जिस वालक ने व्यवहार में इस प्रकार, दूसरों से अलग होकर अपने सामाजिक जीवन की समस्या को हल किया है, वह 'जीवन के इस तरीके' को अपने पेशे में भी हो आएगा, और इसी तरीके से प्रेम को समस्या को हल करेगा। वह ऐसा पेशा पसंद करेगा जिसमें मुकाबिला न करना पड़े, ऐसी खी से शादी करेगा जो मुलभ हो। इसी प्रकार उसकी 'शक्ति प्राप्त करने' की इच्छा पूर्ण हो सकती है, मुकाबिला करने से नहीं, क्योंकि वह दूसरों ने कभी नहीं कर दिया है। 'जीवन का तरीका' ज्यादातर व्यवहार में, और वह भी घर में, निश्चित हो जाता है। जो लड़का अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा है, उसकी देख-रेख बहुत होती है, माँ-बाप उसके लिये सब-कुछ करने को उत्सुक रहते हैं। उसकी 'शक्ति प्राप्त करने' की इच्छा' विना हाथ-पैर

चलाए पूरी होती रहती है, उसमें ऐसे 'विषय जाल' उत्पन्न हो जाते हैं कि उसमें साहस करने की प्रवृत्ति ही दियलाई नहीं देती। उसके 'जीवन का यह तरीका', उसकी यह सुस्ती, जीवन के तीनों विभागों में दृष्टिगोचर होती है। एक लड़का अपने मातानपिता का सबसे बड़ा पुत्र है। उसके 'जीवन का तरीका' ऐसा हो जाता है कि यह छोटे भाइयों को सदा हुक्म देवा रहता है। ये ये जमाना उसके जीवन का दिस्सा हो जाता है। वडे से छोटा लड़का जीवन-सप्राप्ति में पोद्रे पड़ता है, इसलिये 'शक्ति प्राप्त करने की इच्छा' के कारण वह उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, उसके 'जीवन के तरीके' से उसके 'विषय जाल' ही ऐसे बनते हैं कि वह वडे से अधिक तेज हो जाता है। तीसरे लड़के के 'जीवन का तरीका' पहले तथा दूसरे से भी भिन्न होता है। वह अपने 'जीवन के तरीके' में 'शक्ति प्राप्त करने' की अपनी स्वाभाविक इच्छा को पूरा करना चाहता है, और एक भिन्न स्वभाव को उत्पन्न कर लेता है। 'शक्ति प्राप्त करने' की अपनी स्वाभाविक इच्छा को बालक अपने 'जीवन के भिन्न-भिन्न तरीकों' के अनुसार पूरा करते हैं। कई का 'जीवन का तरीका' ऐसा है कि उन्हें शक्ति आसानी से मिल जाती है, वे हरएक बात में अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगते हैं, उनकी 'अद्वात-चेतना' में 'वडप्पन का विषय जाल' (Superiority complex) उत्पन्न हो जाता है, कहियों का 'जीवन का तरीका' ऐसा है कि उन्हें शक्ति आसानी से नहीं मिलती, वे हरएक बात

तृतीय अध्याय

में अपने को दूसरों से छोटा समझने लगते हैं, उनकी 'अद्वात-चेतना' में 'हीनता का निपम जाल' (Inferiority complex) उत्पन्न हो जाता है। जिन वालकों के 'जीवन का तरीका' हीनावस्था का होता है, वे उस हीनता से बचने के लिये भिन्न-भिन्न उपायों का अवलबन करने लगते हैं। जो वालक बदसूरत है, उसे अपनी बड़सूरती का ख्याल हो जाय, तो वह दूसरों से मिलना-जुलना छोड़ देता है। जीवन के इस तरीके से वह समझता है कि अब उसकी बड़सूरती को देखकर उसे नीचा समझनेशाला कोई नहा। 'शक्ति प्राप्त करने' की अपनी स्वाभाविक इच्छा को वह इसी प्रकार से पूरा करता है। जो लड़का शारीरिक दृष्टि से निर्वल है, वह पढ़ाई में तेज़ होने का प्रयत्न करता है। निर्वल होने के कारण उसे जो नीचा देखना पड़ता है, पढ़ाई में तेज़ होकर वह उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है। अनुर्तीर्ण हो जाने पर वालक अक्सर कहा करते हैं, अगर हम बीमार न पड़े होते, तो परीक्षा में ज़रूर उत्तीर्ण हो जाते। अपनी हीनता को मानने से इन्कार करने का यह भाव 'शक्ति प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा' का ही निर्दर्शक है। वे अक्सर कहा करते हैं, यह काम हम सुन करेंगे। सुन करने के भाव से उनकी वही इच्छा पूर्ण होती है। एडलर के उक्त सिद्धांतों से वालक की शिक्षा के प्रश्न पर अन्द्रा प्रकाश पड़ता है। एडलर ने जिस मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया, उसे 'वैयक्तिक मनोविज्ञान' (Individual Psychology) कहा जाता है।

मनोविश्लेषणवाद में तीसरे मुख्य व्यक्ति जग (१८७५) महोदय हैं। जग का फ्रॉयड से दो बातों में मतभेद है। फ्रॉयड का कथन है कि मनुष्य की मानसिक रचना में विकार उत्पन्न होने का कारण व्यपन में उत्पन्न हुए 'अज्ञात-चेतना' में विद्यमान 'विषम जाल' (Complexes) हैं। जग कहता है कि व्यपन के 'विषम जाल' तो दूरवर्ती कारण (Predisposing cause) हैं। उनके अलागा, वर्तमान में, निकटवर्ती कारण (Exciting cause) भी मौजूद होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ही सकता है कि व्यक्ति की 'अज्ञात-चेतना' में, अवशिष्ट रूप से कई दुरे 'विषम जाल' मौजूद हों, और किर भी वे मन की विज्ञिन अवस्था को उत्पन्न न करे। हाँ, अगर वर्तमान में व्यक्ति के मन्मुख कोई कठिन समस्या उपस्थित हो जाय, और वह उसका मुशायला न कर सके, तो वह नाल्य-काल भी विधि की ओर लौट जाता है, और ठीक ऐसी ही चेष्टाएँ करने लगता है जैसी वह व्यपन में, ऐसी कठिनाई के उपस्थित हो जाने पर, करता। अगर उसकी कठिनाई का कोई हल निकल आता है तब तो ठीक, नहीं तो उसके मन का विज्ञेप बना रहता है। इस हाट से फ्रॉयड तथा जग में पहला भेद यह है कि फ्रॉयड मानसिक विज्ञेप का कारण भूत की कठिनाई, व्यपन के 'अज्ञात-चेतना' के 'विषम जाल' मानता है, जग भूत के साथ वर्तमान कठिनाई पर बल देता है।

दूसरा भेद 'काम भावना' (Libido) के विषय में है।

फ्रूॅयड 'काम-भावना' को जीवन की मुख्य शक्ति मानता है, एडलर 'शक्ति प्राप्त करने की इच्छा' को, जग इन दोनों को मिला देता है। जग ने 'काम-भावना' का लिंग-संबंधी (Sexual) अर्थ न करके विस्तृत अर्थ किया है। वह कहता है कि 'काम भावना' (Libido) जीवन की एक शक्ति है। उसके दो हिस्से हैं। एक 'लिंग-मन्दिरी प्रवृत्ति' (Sexual Impulse), दूसरी 'शक्ति प्राप्त करने की इच्छा' (Self-assertive Impulse)। जिस प्रकार भौतिक शक्ति आग, विजली, भाप आदि के रूप में प्रदलती जाती है, उसी प्रकार 'काम-भावना' (Libido) का अर्थ वह 'शक्ति' है जो ध्येयपन में खेलने-कूदने, खाने पीने, शरीर के भरण पोषण करने के रूप में, और युवावस्था में प्रेम-भावना के रूप में प्रकट होती है। इस शक्ति को न केवल 'लिंग-संबंधी प्रवृत्ति' (Sexual Impulse) ही कहा जा सकता है, न केवल 'शक्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति' (Self assertive Impulse) ही, उसमें ये दोनों शक्तियाँ शामिल हैं। जो लोग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे 'अवर्मुर्स' (Introvert) कहे जाते हैं, जो विषय-व्यासना के पुजारी हैं वे 'वहिर्मुर्स' (Extrovert) कहे जाते हैं। इस प्रकार जग ने फ्रूॅयड के 'काम-भावना' (Libido) शब्द का विस्तृत अर्थों में प्रयोग किया है।

'मनोविद्यलेपण' का विषय विलकुल नया विषय है। इसमें दिनोंतिन नए-नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। हमने बालक की

शिक्षा से संबंध रखनेवाले मुख्य-मुख्य विचारों का ही यहाँ चर्णन किया है।

४. प्रयोजनवादी संप्रदाय

इस संप्रदाय का प्रवर्तक मैग्हूगल (१८७१) है। उसका कथन है कि व्यवहारवादियों का इतना कहना तो ठीक है कि जब भी प्राणी के सम्मुख कोई 'विषय' (Stimulus) उपस्थित होगा, उसमें उसके प्रति 'प्रतिक्रिया' (Response) भी होगी। परंतु 'विषय' के उपस्थित होने से ही 'प्रतिक्रिया' होती हो, उसमें और कुछ कारण न हो, इस बात को वह नहीं मानता। 'विषय' के सामने आने से पहले भी प्राणी के मन में कई 'प्रेरक कारण' (Motives) होते हैं, और उन 'प्रेरक कारणों' के अनुसार ही वर्तमान 'प्रतिक्रिया' (Response) होती है। ये 'प्रेरक कारण' ही वर्तमान 'प्रतिक्रिया' के निश्चायक होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के छू जाने से जल गया, सामने पानी का घड़ा पड़ा है, आपने एकदम हाथ को पानी में डाल दिया। आपकी इस 'प्रतिक्रिया' में घड़े का सामने पड़ा होना-मात्र कारण नहीं हो सकता। कारण है, हाथ जलने से जो पीड़ा अनुभव हुई, उसे दूर करने की इच्छा। वह पीड़ा न हो, तो घड़े के सामने पड़े होने पर भी आप उसमें हाथ नहीं डालेंगे। इसीलिये मैग्हूगल का कथन है कि किसी खास परिस्थिति में हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसका तिर्णय व्यवहारवादियों की भाषा में नहीं किया जा सकता; यह नहीं

वहा जा सकता कि अमुक 'विषय' (Stimulus) उपस्थित हुआ, और अमुक 'प्रतिक्रिया' (Response) हो गई। खास-खास 'प्रतिक्रिया' को उत्पन्न करने के लिये प्राणी के मन में खास-खास 'प्रेरक कारणों' (Motives) का होना चाही है। उन 'प्रेरक कारणों' के 'अनुमार ही एक प्रकार के 'विषय' के उपस्थित होने पर एक तरह की 'प्रतिक्रिया' होगी; दूसरी तरह के 'प्रेरक कारणों' के होने पर दूसरी तरह की 'प्रतिक्रिया' होगी। एक आदमी भूखा है, उसके सम्मुख भोजन लाया जाता है, वह उस पर झपट पड़ता है; दूसरा आदमी भूखा नहीं है, उसके सामने भोजन लाया जाता है, और वह उसकी तरफ देखता भी नहीं। क्यों? इसलिये क्योंकि 'प्रतिक्रिया' का निश्चय हमारे मन में वर्तमान 'प्रेरक कारणों' के अनुसार होता है।

तो क्या इस प्रकार के 'प्रेरक कारण' (Motives) पशुओं में भी पाए जाते हैं? न्यवहारवादी 'प्रेरक कारणों' को न पशुओं में मानते हैं, न मनुष्यों में। उनका तो इतना ही कथन है कि प्राणी एक यत्र के समान है, जिसके सम्मुख 'विषय' आता है, तो 'प्रतिक्रिया' उत्पन्न हो जाती है, परन्तु मैन्हगल बहता है कि पशुओं में 'प्रेरक कारण' होते हैं, और उनके भेड़ के बारण उनकी 'प्रतिक्रिया' भिन्न-भिन्न हो जाती है। पवलय के परीक्षण में हमने देखा था कि हमने भ्रूःे कुत्ते पर परीक्षण किए थे। भूगे पर क्यों, कृप पर क्यों नहीं? क्योंकि भूग एक ऐसा 'प्रेरक कारण' है जिसके होने पर 'प्रतिक्रिया' एक तरह से होती है, न होने पर

दूसरी तरह से । इन 'प्रेरक कारणों' के भिन्न होने पर 'प्रतिक्रिया' भिन्न हो जाती है, व्यवहार दूसरी तरह का हो जाता है । उद्ध-हरणार्थ, एक विज्ञी चूहे को देख रही है । उम समय उसके 'प्रेरक कारण' उसकी एक-एक नस को चूहे पर कापड़ने के लिये तैयार कर रहे हैं । वही विज्ञी अगर कुत्ते को देख रही है, तो उसका सारा शरीर भागने को तैयारी कर रहा है । अतः आंतरिक 'प्रेरक कारण' ही प्राणी के व्यवहार को बनाता है । यह कारण प्रवल हो जाय, तो व्यवहार में प्रवलता आ जाती है ; यह कारण निर्वल हो जाय, तो व्यवहार में निर्वलता आ जाती है । एक लड़का पढ़ने में बड़ा सुस्त है । उसे कहानी सुनने का शौक है । उसके हाथ में कहानियों की एक पुस्तक पड़ जाती है, अब वह दिन-रात पढ़ने में लगा हुआ दिशाई देता है । क्यों ? क्योंकि उसके मन में एक 'प्रेरक कारण' प्रवल हो उठा है । इस 'प्रेरक कारण' के द्वारा प्राणी किसी काम को करने के लिये तैयार (Ready), तत्पर (Set) हो जाता है । किसी 'प्रेरक कारण' के द्वारा जब यह तैयारी, यह तत्परता प्राणी में उत्पन्न हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उस प्राणी में प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य (Purpose) उत्पन्न हो गया है । शिवा की दृष्टि से वालक के मन में 'प्रयोजन' (Purpose) का उत्पन्न हो जाना बड़ा महत्व रखता है । एक लड़का अपने कुत्ते के लिये छोटा-सा घर बनाना अपना 'प्रयोजन' (Purpose) बनाता है । वह अपनी सारी शक्ति उसके बनाने में लगा देता है । इंटे इकट्ठी करके लाता है । अगर उसे वे इंटे

मोल लेनी पड़ी हैं, तो वह उन्हे गिनकर गिनती सीख जाता है और चीजों को खरीदना भी सीख जाता है। क्योंकि माप-मापकर कुत्ते का घर बना रहा है, उसे ऊचाई-निचाई का ज्ञान भी हो चुका है। यह सब काम उसे अनायास आ जाता है। अगर कोई लड़का कॉलेज में पढ़ता है, उसने किसी विषय पर नियंत्रण लियना अपना उद्देश्य बना लिया है, तो अनेक पुस्तकों को वह आगामी से पढ़ ढालता है। शिक्षक का काम यालू के मन में ‘उद्देश्य’, ‘प्रयोजन’ (Purpose) उत्पन्न कर देना है, ऐसा प्रयोजन उना नहीं कि उसने उसे पूरा करने के लिये जर्मान-आममान एक किया नहीं। ‘प्रोजेक्ट सिस्टम’ के आधार में यही नियम काम कर रहा है। लड़के अपने मामने एक प्रयोजन (Purpose), एक उद्देश्य बना लेते हैं, और उसे पूरा करने में जी-जान में लग जाते हैं, और उसी में सब छुछ सीख जाते हैं।

हमने मैमूरगल के ‘प्रेरक कारणों’ का उल्लेख किया। हमारी ‘विषय’ के प्रति ‘प्रतिक्रिया’, हमारा व्यवहार एक चास तरह का है, दूसरी तरह का नहीं, इनके हेतु ये ‘प्रेरक कारण’ ही हैं। परखु ये ‘प्रेरक कारण’ हैं क्या चीज़ ? इन ‘प्रेरक कारणों’ दो मैमूरगल ‘प्राकृतिक शक्ति’ (Instincts) कहता है। हमारी ‘प्राकृतिक शक्तियों’—भूख को निटाना, लड़ना, सवानोत्पत्ति, संप्रद करना—आदि ही हमारे व्यवहार को बनाने में ‘प्रेरक कारण’ का काम देती हैं। कहियो कि वहना है कि मनुष्य में कोई ‘प्राकृतिक शक्तियों’

(Instincts) नहीं हैं, वह सबकुछ परिस्थिति से सीखता है। मैग्हूगल इस बात को नहीं मानता। उसने इन शक्तियों की गणना की है, और ये शक्तियों किस प्रकार हमारे व्यवहार के बदलने में 'प्रेरक कारण' बनती हैं, इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। 'प्राकृतिक शक्तियों' का विषय एक अलग विषय है, हम उनका वर्णन एक पृथक् अध्याय में करेंगे। मैग्हूगल ने अपने संप्रदाय को १६०८ में स्थापना की और इसका नाम 'प्रयोजन-वाद' (Purposivism , Motivism या Hormic Psychology) रखा।

५. अवयवीवाद

जिस समय अमेरिका में व्यवहार-वाद की चर्चा शुरू हुई थी, उसी समय जर्मनी में 'अवयवी-वाद' का प्रारंभ हो रहा था। मनोविज्ञान के प्रचलित वादों में यह सबसे नवीन है। 'अवयवी-वाद' को 'जेस्टाल्ट-वाद' कहा जाता है। 'जेस्टाल्ट' जर्मन-भाषा का शब्द है। इसका प्रर्थ है 'रूप' (Shape), 'आकृति' (Form), 'अवयवी', 'संवद्ध प्रत्यय', 'सामान्य' (Pattern)। अँगरेजी में इसके लिये 'कॉनफिगरेशन'-शब्द का प्रयोग होता है। हम देख चुके हैं कि १७, १८ और बहुत-कुछ १९वीं शताब्दी में 'प्रत्यय-संवंध-वाद' का ही बोलथाला था। 'प्रत्यय-संवंध-वाद' (Association of Ideas) मनुष्य के प्रत्येक अनुभव का विश्लेषण करता था; इस वाद के अनुसार हमारे 'अनुभव' विचार के भिन्न-भिन्न अणुओं से बने होते हैं, ठीक

इस प्रकार जैसे रसायनशास्त्र का कथन है कि भौतिक पदार्थ भिन्न-भिन्न तत्त्वों से बने होते हैं। विचार की इस प्रक्रिया को 'चिंतनागुणाद' (Atomism of thought) कहा जाता है। अर्थात्, हमारे चिंतन का अगर विश्लेषण किया जाय, तो 'प्रत्यय' अलग-अलग दिखाई देंगे; चिंतन के इन्हीं अणुओं, 'प्रत्ययों' के मिलने से विचार बनता है। 'व्यवहार-वाद' 'अनुभव' का विश्लेषण करने के बजाय 'व्यवहार' का विश्लेषण करता था; हमारा प्रत्येक 'व्यवहार' 'विषय' तथा प्रतिक्रिया के संबंध के जुड़ने से उत्पन्न होता है। 'जेस्टाल्ट-वादियों' ने कहा कि 'अनुभव' तथा 'व्यवहार' का इस प्रकार भिन्न-भिन्न तत्त्वों में विश्लेषण करना, और यह कहना कि इनकी उत्पत्ति इन विशिष्ट तत्त्वों के संयोग से होती है, गलत विचार है। यह कहना कि पहले अमुक प्रत्यय आया, फिर अमुक आया, और इनके मिलने से अमुक विचार बन गया, मानसिक प्रक्रिया को न समझना है। 'प्रत्यय-संबंध-वादियों' के सम्मुख यह प्रश्न पहले भी एक दूसरे रूप में आ चुका था। अगर विचार भिन्न-भिन्न प्रत्ययों के संबद्ध हो जाने से बनता है, तो ये प्रत्यय जुड़ते कैसे हैं, इनका संबंध कौन स्थापित करता है? कई विचारक तो इतना कह देने से संतुष्ट थे कि वस, उन प्रत्ययों का संबंध किसी-न-किसी तरह जुड़ जाता है, परंतु आत्मवादी मनोवैज्ञानिक कहते थे कि इस संबंध को स्थापित करने के लिये मन अथवा आत्मा को मानो, तब संबंध जुड़ेगा, योही कैसे जुड़ जायगा?, जेस्टाल्ट-वादियों ने

कहा कि हमारा ज्ञान भिन्न-भिन्न प्रत्ययों के जुड़ जाने से नहीं बनता ; 'संबद्ध प्रत्ययों' (Patterns) के रूप में ही हमें ज्ञान होता है। हमें 'अवयवी' (Whole) का ज्ञान इकट्ठा होता है, भिन्न-भिन्न 'अवयवों' (Parts) के मिलने से नहीं। हम एक राग सुनते हैं। इस 'राग' को, भिन्न-भिन्न 'खरों' को जोड़कर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसकी खरों से पृथक् राग-रूप में स्वतंत्र सत्ता है। दो भिन्न-भिन्न चेहरे बनाकर विलुप्त एक तरह की ठोड़ी जोड़ दी जाय, तो ठोड़ी की शक्ति तथा उसका भाव, दोनों चेहरों में अलग-अलग दिखाई देने लगते हैं। यह क्यों ? इसलिये कि यद्यपि ठोड़ी दोनों चेहरों में एक ही है, 'अवयव' में कोई परिवर्तन नहीं, तो भी, दोनों चेहरे भिन्न-भिन्न हैं, 'अवयवी' (Organised wholes) अलग-अलग हैं। पानी का एक बुद्धुदा है, उसे कहीं से सुई से छुआ जाय, तो कूट जाता है। क्यों ? इसलिये कि वह बुद्धुदा सारा मिलकर एक बनता है, उसकी भिन्न-भिन्न हिस्सों के रूप में कल्पना करना ठीक नहीं है।

जेस्टाल्ट-न्वाद का प्रारंभ १६१२ में कर्क कोक्का (१८८६) तथा चोल्कांग कोहलर (१८८७) ने किया था। इन लोगों ने अधिकतर परीक्षण 'दृष्टि' (Sight) पर किए थे। कल्पना कीजिए, एक आदमी हमसे १० फीट की दूरी पर रहा है। अब उसे २० फीट दूर कर दीजिए। औँख के भीतर की दीवार पर उसकी शक्ति पहली शक्ति से आवी हो जायगी, इसलिये वह आदमी पहले से आधे

परिमाण का दीखना चाहिए। परंतु ऐना नहीं होता, वह उतना ही दीखता है, जितना पहले दीखता था। इसका उत्तर जेस्टाल्ट-यादी यहीं देते हैं कि पदार्थों की आटूति को, विशिष्ट रूप से, स्वतंत्र मत्ता नहीं कहा जा सकता, वह तो एक खास परिस्थिति में मस्तिष्क पर जो प्रतिक्रिया होती है, उसका परिणाम है। इसलिये उस पदार्थ के दूर चले जाने पर भी, मस्तिष्क, संपूर्ण परिस्थिति को सामने रखकर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसी को उत्पन्न कर देता है। ओँस की भीतर की दीवार पर 'विषय' का प्रभाव पड़ता है, उससे पदार्थ का ज्ञान होता है; परंतु ज्ञान के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है। इतने के अतिरिक्त, पदार्थ जिस परिस्थिति में है, जिन अवस्थाओं में है, वे सब मिलकर उसका ज्ञान कराते हैं।

जेस्टाल्ट-यादीयों के उक्त विचारों का शिक्षा-मनोविज्ञान पर भी प्रभाव पड़ा है। हम कैसे सीखते हैं? धॉर्नडाइक का कहना था कि विषय के सामने होने पर हम एक खास तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। अगर वह प्रतिक्रिया सुखद होती है, तो मस्तिष्क में घर कर लेती है; अगर दुःखद होती है, तो मिट जाती है। बालक के सम्मुख इस प्रकार के विषय उपस्थित करना, जिनकी सुखद प्रतिक्रिया हो, शिक्षा के तत्त्व को समझना है। जेस्टाल्ट-यादी कहते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया 'विषय विशेष' के प्रति नहीं होती, 'विषय सामान्य' (Patterns) के प्रति होती है। एक खरगोश के सम्मुख दो ढूँच्हों में से एक में झोजन रखना जाता है। एक ढूँच्हा 'कू' है, दूसरा 'रू'। 'कू' यह

हल्का नीला रंग है, 'र' का उससे कुछ गहरा नीला। भोजन सदा 'र' में रखा जाता है, परंतु 'क' भी उसके नज़दीक पड़ा रहता है। खरगोश सदा 'र' में जाता है। कुछ दिनों बाद 'क' को उठा लिया जाता है, उसकी जगह 'ग' ढब्बा रख दिया जाता है। 'ग' का रंग 'र' से भी कुछ गहरा है। हम देखते हैं कि अब खरगोश 'र' में भोजन ढूँढ़ने की जगह 'ग' में भोजन ढूँढ़ता है। यह क्यों ? अगर 'र' के रंग को देखकर उसके प्रति वह प्रतिक्रिया करता था, तो 'ग' के आने पर भी उसे 'ख' में ही भोजन ढूँढ़ना चाहिए था, वह 'ग' में क्यों जाता है ? इसलिये न, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया 'र' विषय-विशेष के साथ नहीं हुई थी, अपितु गहरे नीले रंग के ढब्बे के साथ हुई थी ; अवयव के प्रति नहीं, अवयवी के प्रति हुई थी ; विशेष के प्रति नहीं, सामान्य (Pattern) के प्रति हुई थी ; एक जेस्टाल्ट के प्रति हुई थी ।

अगर यह बात ठीक है, तो यह मानना पड़ेगा कि प्राणी में विषय के प्रति प्रतिक्रिया यंत्र के नियमों की तरह नहीं होती, अपितु प्राणी संपूर्ण परिस्थिति का ग्रहण करता है, और उस संपूर्ण परिस्थिति (Total situation) के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। मनुष्य के विषय में यह बात मान भी ली जाय, परंतु पशुओं के विषय में यह समझना कि उनका ज्ञान सीधा 'अवयवी' का, 'सामान्य' का होता है, कुछ कठिन-सा मालूम पड़ता है। परंतु जेस्टाल्ट-वादियों का कथन है कि इसमें कुछ असंगत बात नहीं है ।

कोहलर ने १६१३ में चपांझियों पर परीक्षण किए। चपांझी पिंजड़े में थे थे था। आहर केला रख दिया गया। केले के साथ रस्सी वॉधर फिंजड़े के पास रख दी गई। चपांझी ने रस्सी पर डकर केला र्हीच लिया। कहा जा सकता है कि उसने रस्सी यांही र्हीच ली होगी। इस कल्पना का निराकरण करने के लिये कोहलर ने कई रस्तियों पिंजड़े से केले तक फैला दी, जनमें से एक के साथ केला बैंधा था, दूसरों के नाथ नहीं। चपांझी ने रस्तियों को र्हीच कर ढेलना शुरू किया, जिस रस्सी से केला गिरना शुरू हुआ, उसे र्हीच लिया, दूसरी रस्तियों को नहीं र्हीचा। इससे यह परिणाम निरला कि चपांझी के मन में केले के इस परिस्थिति में गिर आने वा विचार आया होगा। इस प्रकार का मामान्यात्मक ज्ञान, जिसमें केला, रस्सी आदि का पृथक्-पृथक् स्वतंत्र ज्ञान न हो, परन्तु सपूर्ण परिस्थिति दीर्घ जाय, 'जेस्टाल्ट' कहाता है, और जेस्टाल्ट-वाटियों के क्यनातुमार यह प्रक्रिया पशुओं तथा मनुष्यों, मनमें होती है। कोफका का कथन तो यह है कि 'सीखने' (Learning) का अस्ली तत्त्व यही है। बालक भिन्न-भिन्न अशों को प्रहण नहीं करता, मायि परिस्थिति ने प्रहण नहता है। उसे हिँड़ों से पढ़ाना शुरू करने के बजाय शब्दों का ज्ञान पहले देना चाहिए, शब्दों से भी पहले शाक्यों का। जेस्टाल्ट-वाट का कथन है कि हम 'अपयवी' से 'अपयन' की तरफ आते हैं, 'अपयन' से 'अपयनी' की तरफ नहीं। शिक्षा में, 'सीखना, भूलना, और फिर मीरना' (Trial and

Error Method)—इस तरीके के बजाय 'जेस्टाल्ट-वाद' ही अस्ली तरीका है, यह कौशल की स्थापना है।

रिक्षा की दृष्टि से जेस्टाल्ट-वादियों की एक और वारा बड़े महत्व की है। व्यवहार-वाद, 'विषय-प्रतिक्रिया-वाद' (Stimulus-Response theory) है। जेस्टाल्ट-वादी प्रो० ल्यूविन (१८६०) का कथन है कि माना कि विषय तथा प्रतिक्रिया का बंधन (Bond) रहता है, परंतु यह बंधन ही तो प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर देने के लिये काफी नहीं है। आप पोस्ट वॉक्स में एक पत्र छोड़ने के लिये जेव में डालकर बाजार जाते हैं। पोस्ट वॉक्स 'विषय' है, और जेव में से पत्र निकालकर उसमें डालना 'प्रतिक्रिया' है। इन दोनों का आपने अपने मन में बंधन जोड़ लिया है। पोस्ट वॉक्स देखकर आप पत्र को जेव में से निकालकर उसमें डाल देते हैं। अब और आगे चलिए। आगे फिर एक पोस्ट वॉक्स दिखाई देता है। 'विषय-प्रतिक्रिया-वाद' का तो नियम यह है कि अभ्यास (Exercise) से उक्त बंधन और पुष्ट होगा। अब जब आप दोबारा पोस्ट वॉक्स देखते हैं, तब भी जेव से पत्र निकालकर उसमें डालने की प्रतिक्रिया दोनों चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। इससे मानना पड़ेगा कि विषय तथा प्रतिक्रिया में संबंध का स्थापित हो जाना प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिये काफी नहीं है। जब आपने पोस्ट वॉक्स में डालने के लिये पत्र जेव में डाला था, तो आपके भीतर एक तनाव (Tension) उत्पन्न हो गया था।

जब आपने पत्र ढाल दिया, तो वह तनाव हट गया। अगर आप किसी दूसरे को पत्र ढालने के लिये दें देते, तब भी यह तनाव हट जाता। किया करने के लिये इस प्रकार का तनाव ज़रूरी चीज़ है। जब हमारे सामने कोई 'अडिनाई' (Obstacle) आती है, तो अंदर-ही-अंदर एक तनाव-सा पैदा हो जाता है। इस तनाव का होना क्रिया-शक्ति को घटा देता है, क्योंकि मनुष्य उस काम को पूरा करके तनाव की हालत को दूर करना चाहता है। शिक्षा की दृष्टि से यह बात बड़े महत्त्व की है। विद्यार्थी के मन में कोई प्रश्न (Problem) पैदा कर दिया जाय, उसके भीतर एक तनाव उत्पन्न हो जाय, तब वह उस प्रश्न को हल करके ही आराम लेता है। इस प्रकार तनाव को हटाने का उद्योग करना भी जेस्टाल्ट-चार्द की पुष्टि बरता है। सपूर्ण परिस्थिति (Total situation) को न देखकर उसके किसी एक हिस्से (Part) को देखने के प्रयत्न से 'तनाव' उत्पन्न होता है, जो अस्वाभाविक है, और इसीलिये हम काम को पूरा करके उस तनाव को जल्दी-से-जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं।

चतुर्थ अध्याय

‘वंशानुसंक्रमण’ तथा ‘परिस्थिति’

बालक जो कुछ है, अपने माता-पिता के कारण है, यह एक प्रचलित विचार है। माता-पिता अच्छे हैं, योग्य हैं, तो संतान अच्छी और योग्य होगी ; माता-पिता नालायक हैं, तो संतान नालायक होगी, हम उसका कुछ नहीं बना सकते। आगर यह विचार ठीक है, तो ‘शिक्षा’ का कोई स्थान नहीं रहता, और हमारा बालक के मानसिक विकास के लिये ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ पर कुछ भी लियना निर्यक हो जाता है। इसलिये आगे बढ़ने से पहले, हमें यह देख लेना चाहिए कि बालक की शारीरिक तथा मानसिक रचना में वह हिस्सा कितना है जिसे हम बदल नहीं सकते, और वह हिस्सा कितना है जिसे हम बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें यह देख लेना चाहिए कि बालक के विकास में माता-पिता का, बीज-परंपरा का, ‘वंशानुसंक्रमण’ (Heredity) का कितना अंश है ; और शिक्षक का, समाज का, ‘परिस्थिति’ (Environment) का कितना अंश है। जिस मात्रा में परिस्थिति का हिस्सा अधिक होगा उसी मात्रा में ‘शिक्षा’ के संबंध में विचार करना सार्थक होगा, क्योंकि शिक्षा बालक की ‘परिस्थिति’ का ही एक मुख्यतम हिस्सा है।

१. प्रारंभिक विचार

योरप में १७, १८ तथा १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यह समझा जाता था कि 'बीर्यकण' (Spermatozoa) अथवा 'रज़कण' (Ova) में भावी सतति वीज रूप में रहती है। कई 'बीर्यकण' के पक्षपाती थे, कई 'रज़ कण' के, परन्तु ये दोनों मानते थे कि जैसे विना लिली फूल वीं कलों में पत्तियाँ बढ़ रहती हैं, अपने लिलने के समय की प्रतीक्षा बरती हैं, इसी प्रकार अगली जिननी भी सततियाँ आनेवाली हैं, वे सब सक्षिप्त-रूप में वीर्य अथवा रज में बढ़ रहती हैं। इस प्रकार वीर्य अथवा रज में आगामी सतति की पहले से रचना माननेवाले 'पूर्व-रचनावादी' (Preformationists) कहाते थे। इस वाद का मुख्य पोषक चार्ल्स बैनेट (१७३०-८३) था। उसका क्यन था कि ससार में कोई नर्मान रचना नहीं होती, कोई नया प्राणी उत्पन्न नहीं होता, जो भी उत्पन्न होते हैं वे सद्वित्त रूप में, वीज रूप में, वीर्य अथवा रज के भीतर, एक के नाद दूसरी तह के अश्व, पहले से ही मौजूद हैं, उनके अग-प्रत्यग सब पहले से ही बने हुए हैं।

२. लेमार्न जा विचार

'पूर्व-रचनावाद' के द्वारा हम ज्यादा-से-ज्यादा यह यह समझते थे कि माता-पिता तथा सतति में समानता क्यों पाई जाती है, परन्तु क्या हम वह नहीं देखते कि इन दोनों में समानता के साथ विपरीता भी दीखती है? समानता का कारण 'वशानुसक्तमण'

(Heredity) का सिद्धात हो सकता हे, किर चाहे वह 'पूर्व-रचनान्वाद' के अनुसार हो, चाहे और किसी बाद के अनुसार, परंतु विप्रमता का कारण क्या है ? इस प्रश्न पर पहले पहल लेमार्क (१७४४-१८०५) ने प्रकाश ढाला । लेमार्क ने १८०५ में यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने को बदलने का प्रयत्न करता हे । अगर उसकी 'परिस्थिति' (Environment) बदल जाय, तो उसे जिंदा रहने के लिये अपने को बदलना पड़ता हे । बदलने से उसमे जो परिवर्तन आते हैं वे सतति म चले जाते हैं, वशानुसंक्रान्त (Inherited) हो जाते हैं । जीराफ की गर्दन लंबी क्यों है ? शुरू शुरू म ऊचे वृक्षों के पत्ते साने के लिये वह अपनी गर्दन को ऊँचा करता होगा, उसकी सतति की गर्दन उससे लंबी हुई होगी । त्रागे बढ़ते-बढ़ते दई सततिया म जाकर जीराफ की गर्दन घटुत लंबी हो गई होगी । लेमार्क का कथन है कि मर्दी, नर्मी, नमी से, भोजन के पर्याप्त भाग मे मिलने न मिलने से, किसी काम को बार-बार करने (Use) या न करने (Disuse) से, प्राणी के शरीर या मन मे जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, वे आगामी सतति म भी जाते हैं । परिस्थिति (Environment) के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें 'अर्जित गुण' (Acquired Characters) कहते हैं । लेमार्क का कथन था कि अर्जित गुण आगामी सतति मे सम्राट होते हैं, इसी से नस्लें बदलती जाती हैं । शिक्षा की दृष्टि से यह

सिद्धांत वडे महत्त्व का है। अगर 'अर्जित गुण' संक्रांत होते हैं, तो शिक्षक मनुष्य-समाज की उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ ले जाने के कार्य में सफल हो सकता है; अगर ये संक्रांत नहीं होते, अगर शिक्षक को हर संतति के साथ नए सिरे से मगज-पश्ची करनी है, तो उसका काम अत्यंत कठिन हो जाता है। हम आगे चलकर देखेंगे कि लेमार्क के इस सिद्धांत पर बहुत मत-भेद रहा हुआ, अब तक विचारक लोग किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच पाए।

३. डार्विन का विचार

डार्विन (१८०८-१८८२) भी यही मानता था कि 'परिस्थिति' (Environment) प्राणी में परिवर्तन (Variation) उत्पन्न करती है, और वह परिवर्तन अनुसंक्रांत (Inherit) हो जाता है, उसी से प्राणियों की नस्लों में भेट आ जाता है। परंतु परिस्थिति प्राणी में परिवर्तन कैसे उत्पन्न करती है, इस प्रश्न पर डार्विन ने एक नवीन मत का प्रतिपादन किया। उसने कहा कि अनेक प्राणी बहुत अधिक मंतान उत्पन्न कर देते हैं। जब उनके लिये भोजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती, तब वे अपने जीवन को क्षायम रखने के लिये आपस में लड़ने लगते हैं। जो दूसरों की अपेक्षा अधिक बलवान् होते हैं, वे बाजी भार ले जाते हैं। 'बल' से मतहार शारीरिक बल से ही नहीं। न जाने किस मौके पर कौन-न्हीं वात 'बल' सिद्ध हो जाय, और प्राणी उसी के सहारे जीवन-संग्राम में जीत जाय। ये वातें जिन्हें

हमने 'वल' कहा है, जिनके कारण एक प्राणी दूसरों को जीवन-संपाद में पराजित कर देता है, जीवन में मुख्य वस्तु हैं। जिन प्राणियों में ये बात होती हैं, वे जीवित रहते हैं; दूसरे भूम से, वीमारी से, लड़ाई से भारे जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति सबल प्राणियों को छोटती जाती है, निर्वलों को खत्म करती जाती है। प्रकृति की दृष्टि में जो सबल प्राणी होते हैं, वे ही बच रहते हैं, और वे ही संतानोत्पत्ति करते हैं। उनके जो गुण थे, जिनके कारण वे सबल थे, वे अगली संतति में अनुसन्धान हो जाते हैं। इस प्रकार की छोट को, इस प्रकार के चुनने की प्रक्रिया को विकासवाद की परिभाषा में 'प्राकृतिक चुनाव' (Natural Selection) कहते हैं; इस प्रक्रिया का नतीजा 'जलशाली का जिन्दा रहना तथा निर्वल का मर जाना' (Survival of the fittest) होता है।

परिस्थिति में परिवर्तन के साथ प्राणी में 'अनुकूल परिवर्तन' (Favourable Variation) उत्पन्न हो जाना ही बल है, उस परिवर्तन का न उत्पन्न होना ही निर्वलता है। इन 'परिवर्तनों' के विषय में डार्विन का कथन था कि ये दो तरह के होते हैं: 'क्रमिक परिवर्तन' (Continuous Variations या Modifications) तथा 'आकस्मिक परिवर्तन' (Discontinuous Variations या Mutations)। 'क्रमिक परिवर्तन' का अभिप्राय तो यह है कि वह धीरे-धीरे हुआ, कुछ इस नंतति में हुआ, कुछ अगली में हुआ, होता-होता आखीरी संतति में बहुत

अधिक बढ़ गया। 'आकस्मिक परिवर्तनों' से अभिप्राय ऐसे परिवर्तनों से हैं, जो एकदम ही जाते हैं, उनका क्रमिक विकास नहीं होता, न उनके कारण का कुछ पता चलता है। डार्विन के बाद 'आकस्मिक परिवर्तनों' की सरक इंगलैंड में घेटसन (१८६१-१८२६) तथा हालैंड में डी ग्राइज (१८४८) ने विशेष रूप ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों को डार्विन चंशानुसंकांत (Inheitt) होनेवाला मानता था।

'चंशानुसंकमण' किन नियमों के आधार पर होता है, इस विषय में डार्विन का विचार यह था कि शरीर के प्रत्येक अंग का नमूना, जिसे वह 'जेम्बूल्स' (Gemmules) कहता था, 'उत्पादक कोषों' (Germ Cells) में जाता रहता है, और फिर 'उत्पादक कोषों' से वैसेन्कान्वैसा शरीर उत्पन्न हो जाता है। इस विचार को 'पैनजनिसिस' (Pangenesis) कहा जाता था। अब यह विचार नहीं माना जाता।

४. गालटन तथा विज़मैन का विचार

अभी तक लेमार्क तथा डार्विन ने ही भावापिता तथा संतान में समता एवं विषमता के प्रश्न पर 'चंशानुसंकमण' और 'परिस्थिति' की दृष्टि से विचार किया था। दोनों ने 'अर्जित गुणों' (Acquired Characters) के अनुसंकांत होने के पक्ष में ही अपने विचार प्रकट किये थे। अब गालटन (१८२२-१८११) ने इस प्रश्न पर विचार शुरू किया। उसने

देखा कि संतति केवल माता-पिता से ही नहीं मिलती, कहीं-कहीं दादा-परदादा से भी मिलती है। इसका क्या कारण? उसने इस समस्या को हल करने के लिये १८७५ में यह कल्पना की कि माता-पिता के 'बीर्य' तथा 'रज' के 'उत्पादक कोष्ठों का तत्त्व' (Germ Plasm) वालक के शरीर में ज्यों-का-त्यो बना रहता है, और अगली संतति तक चलता जाता है। तभी तो यह संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने पिता से इतना नहीं मिलता जितना अपने दादा से मिलता है। कोई ऐसी चीज़ होगी जो दादा से पोते में सीधी आई। 'अर्जित गुणों' के विषय में उसने कहा कि वे संक्रान्त नहीं होते, उनका प्रभाव केवल शरीर पर होता है। कुच्छ को दुम काट दी जाय, और इस वंश की हरएक संतति की दुम चाहे क्यों न काटते चले जायें, वह अगली संतति में अवश्य प्रकट होगी। इसलिये यह मानना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि वे ही गुण अगली संतति में संक्रान्त होते हैं जिनका सीधा 'उत्पादक कोष्ठों के तत्त्व' (Germ Plasm) पर असर होता है। यह पदार्थ क्योंकि वंश-परंपरा से आगे-आगे चलता है, इसलिये इस पर जो प्रभाव पड़ जायगा वही संक्रान्त हो सकेगा, हरएक गुण नहीं। गाल्टन के इस विचार को लेकर विज्ञान (१८३४-१८१४) ने आगे बढ़ाया। उसका कथन था कि 'उत्पादक पदार्थ' (Germ Plasm) पिता से पुत्र में, और पुत्र से आगे, निरंतर चलता रहता है, इसलिये उसके सिद्धांत को 'उत्पादक तत्त्व की निरंतरता' (Continuity

of Germ Plasm) का नाम दिया जाता है। वैसे तो इस वाद का प्रारम्भ गाल्टन ने किया था, परंतु यह विज्ञमेन के नाम से ही प्रसिद्ध है।


‘उत्पादक तत्व की निरत्वता’ का क्या अभिप्राय है? विज्ञमेन का व्यन्यन था कि प्रत्येक नर तथा मादा का शरीर दो प्रकार की रचनाओं से बना हुआ है। ये रचनाएँ प्राणी के शरीर को बनानेवाले दो ‘कोष्ठ’ (Cells) हैं। पहले प्रकार के कोष्ठों का नाम ‘शारीर कोष्ठ’ (Somatic cells) है, दूसरे प्रकार का नाम ‘उत्पादक कोष्ठ’ (Generative cells) है। ‘शारीर कोष्ठों’ से शरीर के भिन्न-भिन्न अग धनते हैं, वे शरीर की रचना करते हैं, और अपनी आयु भुगतकर मर जाते हैं, परंतु इन नश्वर ‘शारीर कोष्ठों’ के भीतर अविनश्वर ‘उत्पादक कोष्ठ’ रहते हैं। ‘शारीर कोष्ठों’ का काम इन ‘उत्पादक कोष्ठों’ की रक्षा करना है। नर के ‘उत्पादक कोष्ठों’ को ‘दीर्घकण’ तथा मादा के उत्पादक कोष्ठों को ‘रजकण’ कहते हैं। नर के ‘उत्पादक कोष्ठ’ उसके शरीर में से निकलकर मादा के गर्भाशय में प्रविष्ट होकर उसके ‘उत्पादक कोष्ठों’ से मिल जाते हैं, और इसी से शिशु का जन्म होता है। शिशु के शरीर में ‘उत्पादक कोष्ठ’ अपने सहशा दूसरे ‘उत्पादक कोष्ठों’ (Generative cells) को तो उत्पन्न करते ही हैं, परंतु साथ-ही-साथ ‘शारीर कोष्ठों’ (Somatic cells) को भी उत्पन्न करते रहते हैं। ये ‘शारीर कोष्ठ’ स्वयं नष्ट होते रहते हैं, परंतु ‘उत्पादक कोष्ठों’ को नष्ट नहीं

होने देते। 'उत्पादक कोष' नए होने के बजाय पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र और इसी प्रकार संतान से संतान में चलते जाते हैं। ये मानो हमें धरोहर में मिली संपत्ति हैं, हम इन्हें सुरक्षित रखते हैं। जिस प्रकार वैक में रूपया जमा रहता है, इस प्रकार ये मानो हम में जमा रहते हैं। 'उत्पादक कोषों' के इसी संतान से संतान में प्रवाह की 'उत्पादक तत्त्व की निरंतरता' (Continuity of Germ Plasm) कहा जाता है।

'उत्पादक कोषों' (Generative cells) में बताना 'उत्पादक तत्त्व' (Gen in plasm) ही दैत्रिक गुणों के संतान में संक्रान्त होने का भौतिक आधार है। इन 'उत्पादक कोषों' में एक कठोर गॉड-सी होती है जिसे 'न्यूक्लियस' (Nucleus) कहते हैं। इस 'न्यूक्लियस' में भी छोटे-छोटे रेशों से होते हैं, जिन्हें 'क्रोमो-सोम्स' (Chromosomes) कहते हैं। विज्ञैन का कथन यह कि यही 'क्रोमोसोम्स' दैत्रिक गुणों के वाहक होते हैं। अब दूरवीक्षण यंत्र के अधिक उन्नत हो जाने पर नए परीक्षणों से पता चला है कि 'क्रोमोसोम्स' की रचना और छोटे-छोटे दानों से होती है जिन्हें 'जेनीज' (Genes) कहते हैं। यही 'जेनीज' कँचाई, लंबाई, गोरापन, कलापन आदि भिन्न-भिन्न गुणों के 'वाहक' (Carriers या factors) होते हैं। एक 'जेनीज' में एक ही गुण रह सकता है, दो नहीं। मनुष्य के 'उत्पादक कोष' में चौबीस 'क्रोमोसोम्स' होते हैं, ऐसा पता लगाया गया है।

५. मेंडल के विचार

मेंडल (१८२२-८४) ने स्वतंत्र रूप से अपने परीक्षण किए थे। यद्यपि उसने उन्हे १८४५ में प्रकाशित करा दिया था, तथापि १६ वीं शताब्दी के अंत में जाकर उन परीक्षणों का महत्त्व विद्वानों को सनक पड़ा। इन परीक्षणों से विज्ञमेन के 'उत्पादक तत्त्व की निरंतरता' के सिद्धांत पर अन्द्रा प्रकाश पड़ता था। मेंडल ने बड़े (Tall) तथा छोटे (Short) मटरों पर परीक्षण किए थे। उन्हे बड़े तथा छोटे मटरों का मंयोग करके यह देखना चाहा कि उनकी वंश-परंपरा कैसे चलती है। पहली पीढ़ी में कुछ बड़े और कुछ छोटे हुए। इन पहली पीढ़ी में बड़े तथा छोटे, दोनों का अंश मौजूद था। इस पीढ़ी की अगली जो पोड़ी हुई उभयं बड़ों के बड़े ही मटर होते, और छोटों के छोटे ही होते, ऐसा नहीं देखा गया। उनमें एक नियम काम कर रहा था। यह नियम यह था कि बड़े मटरों की पीढ़ी में २५ प्रतिशतक तो 'शुद्ध बड़े' थे, अर्थात् अगली पीढ़ियों में बड़ों को ही पैदा करते थे, छोटों को नहीं; २५ प्रतिशतक 'शुद्ध छोटे' थे, अर्थात् अगली पीढ़ियों में छोटों को ही पैदा करने थे, बड़ों को नहा; ५० प्रतिशतक 'निश्चित' थे, अर्थात् बड़े होते हुए भी अगली पीढ़ियों में ऊपर के नियम के अनुसार ही वंश-परंपरा चलाते थे। यही नियम छोटे मटरों में कान करता हुआ दीन पड़ता था। इन नियम को चित्र में प्रकट करना चाहें, तो यो लियर सकते हैं:—



बड़े मटर के बड़े के साथ संयोग होने से बड़े उत्पन्न होंगे ; छोटे के छोटे के साथ संयोग से छोटे होंगे । परंतु 'व+वडा' के 'व+छोटा' के साथ संयोग में अगर वडा प्रधान है, तो ३ बड़े होंगे, १ 'शुद्ध छोटा' होगा । तीन बड़ों में १ 'शुद्ध वडा' होगा, अर्थात् उसकी अगली पीढ़ी भी बड़ों की ही होगी ; २ 'अशुद्ध वडा' होंगे, अर्थात् होंगे तो बड़े, लेकिन अगली पीढ़ी में बड़े-छोटों का यही ३ और २ का अनुपात रहेगा । यह चित्र बड़ों को 'प्रधान' तथा छोटों को 'गौण' समझकर बनाया गया है । ऐसा ही चित्र छोटों

को 'प्रधान' तथा बड़ों को 'गौण' समझकर बनाया जा सकता है। उस अवस्था में छोटे-बड़ों का अनुपात क्रमशः ३ और १ का होगा।

'प्रधान' तथा 'गौण' का क्या अर्थ है? हम पहले देख चुके हैं कि जन ननीन उत्पत्ति होती है, तो माता तथा पिता के 'उत्पादक कोष्ठों' के बीच में 'न्यूलियस' होता है, उसमें 'क्रोमो-सोम्स', और उनमें भी 'जेनीज' होते हैं। 'जेनीज' अनेक होते हैं, और उनमें से एक-एक माता-पिता के गिन्न-गिन्न गुणों का वाहक होता है। जन बड़े तथा छोटे का संयोग हुआ, तो संतति में या बड़ेपन के 'जेनीज' प्रधान होंगे, या छोटेपन के। 'प्रधान' जेनीज को 'प्रभावशाली' (Dominant) कहा जाता है; गौणों को, प्रभाव में आनेवालों को, 'प्रभावित' (Recessive) कहते हैं। काले तथा नीले रंगवाले माता-पिता की संतान में, अगर काला रंग प्रधान हो जाय, तो काले रंग के ही नेत्र होंगे, क्योंकि काला 'प्रभावक' (Dominant) तथा नीला 'प्रभावित' (Recessive) हो गया। हाँ, इनको अगली पीढ़ी में माता तथा पिता दोनों की काली आँखें होते हुए भी, नीली आँखों की संतान आ सकती है, क्योंकि माता-पिता के 'उत्पादक कोष्ठों' में नीले रंग के वाहक 'जेनीज' मौजूद हैं। यही कारण है कि कभी-कभी पुत्र की पिता से समानता न होकर पितामह से, प्रपितामह से, या माता के किसी संबंधी से पार्द जाती है। कभी-कभी संतति में बहुत पिछली पीढ़ियों के चिह्न प्रकट होने लगते

हैं। इस घटना को विकासवाद की परिभाषा में 'एट्रिजम' (Ativism) कहते हैं।

६. मैग्डगल तथा हैरीसन के परीक्षण

लेमार्क का कथन था कि 'अर्जित गुण' संक्रान्त होते हैं; विज-मैन ने कहा, नहीं होते। अगर विज-मैन का कथन ठीक है, तो शिक्षक बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है। जिन गुणों को वह चालक में उत्पन्न करता है, उसे अनंत काल तक ऐसे ही करते जाना होगा, क्योंकि ये संक्रान्त तो होंगे नहीं, परिस्थिति का, शिक्षा का अगली पीढ़ी पर कोई फल तो है नहीं। इस विषय में मैग्डगल के परीक्षणों से नवीन प्रकाश पड़ रहा है और फिर से लेमार्क के कथन को पुष्टि होती नज़र आ रही है। मैग्डगल तथा हैरीसन के परीक्षण निम्न हैं:—

(क). मैग्डगल ने चूहों पर परीक्षण किया। उन्हें पानी के एक तालाब में ढाल दिया। उसमें से निकलने के दो मार्ग थे। एक में अधेरा था, दूसरे में प्रकाश। चूहे प्रकाशवाले मार्ग से बाहर निकलने का प्रयत्न करते थे, - परंतु ज्योही वे उधर जाते थे, उन्हें विजली का घका दिया जाता था। विवश हो उन्हें अधेरे मार्ग से जाना पड़ता था। मैग्डगल ने गिना कि १६५ बार गलती करके पहली पीढ़ी के चूहों ने अधेरे मार्ग से जाना सीखा। वह इन परीक्षणों को उत्कीर्ण की पीढ़ियों पर करता गया। वे ईसवीं पीढ़ी में जाकर देखा गया कि २५ बार गलती करके वे अधेरे रास्ते से जाना, सीख गए। इससे यह परिणाम निकला

कि प्रत्येक पीढ़ी का 'अर्जित गुण' अगली पाढ़ी में 'संक्रांत' हो सकता है।

(स). हैरीसन ने एक विशेष प्रकार के पतंगों पर परीक्षण किया। उसने देखा कि कलाघरों के आस-पास के प्रदेश के पतंग कुछ कालेन्से रंग के थे। उसने शुद्ध रंग के पतंगों को लिया। उनके दो विभाग कर दिए। एक टोली को साधारण भोजन दिया, दूसरी को यही भोजन दिया जो कलाघरों के आस-पास रहने-वाले मच्छरों को मिलता था। पहली टोलो की संतति का रंग साधारण रहा, परंतु दूसरी टोली की संतति का रंग काला-सा हो गया। इस परीक्षण से भी यही सिद्ध हुआ कि 'अर्जित गुण' अगली पीढ़ी में संक्रांत होते हैं।

(ग). उक्त परीक्षणों के अतिरिक्त लेमार्क के मत को पुष्टि में अन्य प्रमाण भी पेश किए जाते हैं और कहा जाता है कि माता-पिता द्वारा अर्जित किए हुए शारीरिक गुण ही नहीं, मानसिक गुण भी संतति में संक्रांत होते हैं। उदाहरणार्थ, 'विजयुड-डार्थिन-गाल्टन'-वंशों के इतिहास को देखकर कहा जाता है कि इस वंश में जितने विज्ञानवेत्ता हुए हैं, उतने दूसरे किसी वंश में नहीं। इसी प्रकार 'जूक्स' (Jukes)-नामक एक अमरीकन वंश है। दो सौ साल हुए जब एक बदमाश से यह वंश चला। इस वंश में ३ हजार से अधिक व्यक्ति अब तक हो चुके हैं, परंतु सब एक-दूसरे से बदमाशी में बढ़े हुए हैं। 'जूक्स' की तरह एक और वंश का अध्ययन किया गया है जिसका नाम 'कालीकाक'

(Kallikak) वंश है। इस वंश के प्रवर्तक ने एक बदमारा खो से शादी कर ली थी जिसकी अब तक वैसी ही संतानें चली आ रही हैं। उसके बाद उसी व्यक्ति ने एक भली औरत से शादी की और उसके वंश से अब तक भलेमानस ही चले आ रहे हैं।

इन परीक्षणों तथा वंशों के इतिहासों से यह परिणाम निकलता है कि कई गुण, जिन्हे हम 'अर्जित गुण' का नाम देते हैं, संतानि में संक्रान्त होते हैं। संभव है, उनका सीधा 'उत्पादक कोष्ठों' पर असर हो जाता हो, और अस्ती परिवर्तन उत्पादक कोष्ठों द्वारा ही होता हो। परंतु कुछ भी हो, शिद्धक की दृष्टि से यह बात बड़े महत्त्व की है कि हमारे अनेक अर्जित शारीरिक तथा मानसिक गुण संतानि में संक्रान्त होते हैं। इसीलिये प्रत्येक पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का सारा इतिहास अंतर्निहित रहता है। विकासवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्राणी पिछली पीढ़ियों में जिन-जिन अवस्थाओं में से गुजरा है, वे सब इस जन्म में कुछ-कुछ देर के लिये घटपन में प्रकट होती हैं, और उनमें से गुजरकर ही हम बड़े होते हैं। गर्भावस्था में शिशु भिन्न-भिन्न शक्तियों में से गुजरता है जो लगभग पशुओं से मिलती-जुलती हैं। इस सिद्धांत को 'पुनरावृत्ति' (Recapitulation) का सिद्धांत कहा जाता है। इस पीढ़ी में पिछली सब पीढ़ियों का मानो संक्षिप्त उपसंहार, उनकी 'संक्षिप्त पुनरावृत्ति' हो जाती है। अगर शरीर के विकास में इस प्रकार की 'पुनरावृत्ति' होती है, तो मन के विषय में भी ऐसी 'पुनरावृत्ति' मानना असंगत नहीं

है। इमी सिद्धांत को शिक्षा के चेत्र में घटाते हुए बड़यों का कथन है कि वालक को उसी क्रम से सिखाना चाहिए जिस क्रम से जाति ने सीखा है। इस विचार का हर्वार्ट ने प्रतिपादन किया था, और उसी के शिष्य जिलर ने इसे और आगे बढ़ाया था। इनके सिद्धांत को 'फलचर ईपक थियोरी' (Culture Epoch Theory) कहा जाता है। जाति का मन विकास के जिस क्रम में से गुजरा है, वालक के मन को भी विकास के उसी क्रम में से गुजारना चाहिए। साहित्य के पढ़ाने में शुरू-शुरू में विम्से-कदानियों पढ़ानी चाहिए, क्योंकि शुरू-शुरू में इन्होंने साहित्य शुरू हुआ था। इसी प्रकार अन्य विषयों में इस सिद्धांत को घटाया जाता है। विज्ञान में इसी सिद्धांत को आर्मस्ट्रॉग ने घटाया था। उसका कथन था कि शिक्षक का कर्तव्य है कि विद्यार्थी को उस सब प्रक्रिया में से गुजारे जिसमें से गुजरते हुए पिछले विचारकों ने उस नियम का आविष्कार किया था। इसी तरह से वह नियम ठीक तौर से समझा जा सकता है। इस सिद्धांत को 'हूरिस्टिक मैथड' (Heuristic Method) कहा जाता है।

संक्षेप में, हमने देखा कि 'वंशानुसंक्रम' तथा 'परिस्थिति' के नियमों का वालक के विकास में बहुत बड़ा स्थान है। 'परिस्थिति' अर्थात् शिक्षा वालक के विकास में प्रभा कर सकती है? 'वंशानुसंक्रम' के जिन नियमों का हमने अध्ययन किया है, उनसे यह तो स्पष्ट है कि शिक्षा के द्वारा हम 'ऋणि' मुनि तो नहीं पैदा

कर सकते, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि 'वंशानुसंक्रम' तथा 'परिस्थिति' के नियम सदा एक-दूसरे के विरोध में ही काम करते हैं। इन्हे एक दूसरे का पूरक भी बनाया जा सकता है। 'वंशानुसंक्रम' बीज है, 'परिस्थिति' उसके प्रभाव के लिये सामग्री है, खाद है; 'वंशानुसंक्रम' प्रसुप शक्ति है, 'परिस्थिति' उस शक्ति को विकसित करने का साधन है।

शिक्षा क्या कर सकती है? शिक्षा वंशानुसंक्रम को, बीज-परंपरा को (Biological heredity) को तो नहीं बदल सकती, परंतु सामाजिक परंपरा को बदल सकती है। शिक्षा एक काले हवशी को गोरा अँगरेज तो नहीं बना सकती, परंतु उस हवशी की सामाजिक परंपरा को बदल सकती है, उसे ऐसी परिस्थिति में रख सकती है कि वह बहुत बढ़िया अँगरेजी बोले, अँगरेजों के दृष्टिकोण से ही प्रत्येक प्रश्न पर विचार करे, उन्हीं के रहन-नहन को अपने लिये स्थाभाविक समझने लगे। शिक्षा का काम सामाजिक परंपरा (Social heredity) को बनाए रखना तथा उसमें संरोधन एवं परिवर्धन करते रहना है। समाज के विकास के लिये इतना भी कम नहीं है। बीज-परंपरा (Biological heredity) को बदलने का काम एक दूसरे विज्ञान का है, जिसे 'यूजेनिक्स' (Eugenics) कहते हैं।

पंचम अध्याय

‘प्राकृतिक शक्तियाँ’ (Instincts)

एवं अध्याय में हमने ‘व्यवहारवादियों, (Behaviourists) तथा ‘प्रयोजनवादियों’ (Purposivists) का वर्णन किया है। व्यवहारवादी वाटसन आदि जीवन की प्रत्येक क्रिया को यांत्रिक कहते हैं। उनके मत में ‘विषय’ (Stimulus) सामने आता है, घूर्हे ‘ज्ञान-वाहक तंतुओं’ (Sensory Nerves) से ज्ञान के ‘केंद्र’ (Centre) में पहुँचता है, और वहाँ से ‘चेष्टा-वाहक तंतुओं’ (Motor Nerves) द्वारा शरीर की मांसपेशियों में क्रिया उत्पन्न हो जाती है। ‘ज्ञान-वाहक तंतुओं’ से ज्ञान के केंद्र में जाकर, यहाँ से ‘चेष्टा-वाहक तंतुओं’ द्वारा मांसपेशी तक जालंगा, धुमाव लिए हुए रास्ता है, इसे ‘सहज क्रिया गोलार्ध’ (Reflex arc) कहा जाता है। व्यवहारवादियों का कथन है कि प्रत्येक प्राणी का व्यवहार इसी ‘सहज क्रिया गोलार्ध’ से होता है, इसमें चेतना को कोई स्थान नहीं। प्रयोजनवादी मैर्ग्हूगल इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं। उसका कहना है कि प्राणी को प्रतिक्रिया, उसका व्यवहार यांत्रिक नहीं है। यांत्र की तरह चलनेवाले प्राणी के कार्यों को ध्यानपूर्वक देरा जाय, तो वे प्रयोजनपूर्वक चलनेवाले सिद्ध होते हैं। प्राणी का प्रत्येक कार्य किसी-न-किसी

'प्रयोजन' को लिए हुए होता है। 'प्रयोजन' के अतिरिक्त प्राणी में अन्य कई शक्तियाँ भी हैं, जिनके आधार पर ही प्राणी के व्यवहार को समझा जा सकता है; व्यवहारवादियों की तरह प्राणी को यंत्र मानकर उसके व्यवहार को नहीं समझा जा सकता।

१. आधारभूत शक्तियाँ

तो फिर वे शक्तियाँ कौन-कौन-सी हैं? प्राचीन काल में माना जाता था कि प्रत्येक मनुष्य में विचार, स्मरण, तर्क आदि की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ (Faculties) हैं। अब मनोविज्ञान ऐसा नहीं मानता। हम जिन अर्थों में 'शक्ति'-शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह प्राचीन प्रयोग से भिन्न है। हम जिन शक्तियों की तरफ निर्देश कर रहे हैं वे मन की स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं, मानसिक अनुभव के ही भिन्न-भिन्न पहल हैं। वे पहल तीन हैं। कौन-कौन से?

(क). पहली बात जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता यह है कि प्रत्येक प्राणी में उसका पिछला अनुभव संचित रहता है। पर्सी नन ने मन के इस गुण के लिये 'नेमे' (Mneme)-शब्द का प्रयोग किया है; हम 'नेमे' के लिये 'संचय'-शब्द का प्रयोग करेंगे। हम जीवन में जिस अनुभव में से भी गुज़रते हैं वह हमारे मस्तिष्क की रचना पर कोई-न-कोई प्रभाव छोड़ जाता है। इस 'संचय'-शक्ति का ही दूसरा रूप 'सृति' है। 'संचय'-शक्ति (Mneme) तथा 'सृति' (Memory) में भेद है। जब हम पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, तो हम अक्षरों को, शब्दों को, 'वाक्यों को समरण नहीं कर रहे होते,

परतु फिर भी हम अपने पिछले सचित अनुभवों, सस्कारों के कारण हो पड़ रहे होते हैं। वाजार में चलते हुए हम एक निम्र को देखते हैं। उस समय हम यह नहीं कहते कि उसका चेहरा हमें स्मरण हो आया। हम उन्मे पिछले सचित सस्कारों के कारण ही एकदम पहचान जाते हैं। एक व्यक्ति को कुछ शब्द याद करने को कहा जाता है। अगले दिन वह उन सबको भूल जाता है, परतु दुनारा याद करने को कहा जाय, तो पहले की अपेक्षा जल्दी याद कर लेता है। यद्यपि वह सब शब्द भूल गया था, तो भी जो सस्कार वच रहे थे उनके कारण अब वह जल्दी याद कर लेता है। ये मन स्मृति के नहीं, 'नेमे' के दृष्टात हैं। 'स्मृति' मकुचित शब्द है, 'नेमे' विस्तृत है, 'स्मृति' (Memory) 'नेमे' (Mneme) का ही एक रूप है। प्रत्येक अनुभव अपने पीछे मस्तिष्क में कुछ 'सस्कार' छोड़ जाता है। ये सस्कार हमारे आगामी आनेवाले अनुभवों को बढ़ाते रहते हैं। इन 'सस्कारों' के लिये पर्सी नन ने 'एनग्राम' (Engram) शब्द का प्रयोग किया है। प्राणी के मन की 'सचय-शक्ति' 'नेमे' है, और अनुभव में जो 'सस्कार' पड़ते हैं वे 'एनग्राम' हैं। यत्र में तथा प्राणी में यह पहला भेद है। यत्र में 'सस्कार' नहा पड़ते, 'सचय-शक्ति' नहा होती, प्राणी में 'सस्कार' पड़ते हैं, 'सचय-शक्ति' होती है।

(न) प्राणी का दूनरा गुण जिसे व्यवहारनादियों को छोड़कर प्राय सब मानते हैं, उमरा सप्रयोजन होना है। प्राणी सस्कारों का सचय ही नहीं करता, 'परतु नाथ ही किसी

‘प्रयोजन’ (Purpose) से काम करता है। कोई जीवनी-शक्ति, कोई जीवन की ‘प्रेरणा’ (Urge) उसकी ‘ज्ञात’ अथवा ‘अज्ञात’ चेतना में वैठी हुई उसका सचालन कर रही होती है। इसे प्राणी के मन की ‘सप्रयोजन-क्रियाशीलता’ कहा जा सकता है। पर्सी नन ने प्राणी की इस ‘प्रेरणा-शक्ति’ को ‘होर्म’ (Horme) का नाम दिया है। एक जास तरह की मनुष्यी अपने शिकार को बेहोश कर देती है, और उसे बिना मारे, अपने बच्चों के भोजन के लिये ले आती है। अगर वह उसे मार दे, तो उसके बचे ताचा खून नहीं पी सकते। मक्की के मन में चाहे सारी लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया न हो रही हो, परंतु उसकी क्रिया सप्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं। ‘प्रयोजन’ अपने को साक तौर पर तो उच्च प्राणियों में ही प्रकट करता है, परन्तु ‘प्रयोजन’ है सब जगह। प्राणियों में हो रही इसी ‘सप्रयोजन-प्रक्रिया’ को ‘होर्म’ कहा जाता है।

(ग) मानसिक जीवन का तीसरा पहलू ‘मंधव’ (Cohesion) का है। अगर प्राणी की प्रत्येक क्रिया सप्रयोजन है, तो उसमें पड़े हुए ‘संस्कार’ (Engagements) अलग-अलग, असंगद्वन्द्व नहीं पड़े रह सकते। वे जुड़ते रहते हैं, संगद्व होते रहते हैं। हम पहले लिय चुके हैं कि १६वीं सदी में मनोविज्ञान में ‘प्रत्यय-भंवंधजाद’ (Association of Ideas) माना जाता था। ‘प्रत्ययों’ (Ideas) के मन में जुड़ते रहते के सिद्धांत को मानने के स्थान पर यह मानना अधिक युक्तियुक्त है कि प्रत्ययों के

‘संस्कार’ (Engrams) आपस में जुड़ते रहते हैं, क्योंकि अनुभव हो चुकने के बाद ‘प्रत्यय’ मन में नहीं रहते, उनकी स्मृति, उनके ‘संस्कार’ (Engrams) मन में रह जाते हैं। ये संस्कार कियाशील होते हैं। ज्यों-ज्यों इम प्रकार के संस्कार बढ़ते जाते हैं, वे दूसरों से मिलकर ‘संस्कारों का जाल’ (Engram Complexes) बना देते हैं और प्राणी में कियाशीलता का मानसिक आधार तैयार हो जाता है।

प्राणी की प्रत्येक किया में, उनके प्रत्येक व्यवहार में मूलभूत, आधार शक्तियाँ तो यहीं तीन हैं, अन्य शक्तियाँ इन्हीं का विकास हैं।

२. प्राण्तिक शक्तियाँ (Instincts)

इसने अभी कहा कि प्राणी में ‘नंचय’, ‘द्वेष्य’ तथा //
 ‘संस्कार-संवर्धन’ पाया जाता है। ये मन के सामान्य गुण हैं, उसकी आधारभूत प्राण्तिक शक्तियाँ हैं। इन्हीं के आधार पर विकास की प्रक्रिया में से गुजरते-गुजरते प्राणी में अन्य कई शक्तियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिन्हें हम ‘प्राण्तिक शक्तियों’ के नाम से पुकारते हैं। सूष्टि के प्रारंभ में कोई नमय रहा होगा जब वे ‘प्राण्तिक शक्तियों’ जिन्हें अब किसी को सीखना नहीं पड़ता प्रकट नहीं हुई होंगी। प्राणी की आवश्यकताओं के अनुसार नए-नए व्यवहार उत्पन्न हुए होंगे, वे किसी ‘प्रयोजन’ को, किसी ‘होमं’ को पूरा करते रहे होंगे, वे प्राणी की ‘संचय-शक्ति’, ‘नेमे’ के कारण उसमें संगृहीत होते रहे होंगे, प्राणी के मस्तिष्क की

‘संबंधशक्ति’ के कारण वे मिल-जुलकर किन्हीं खास-न्यास व्यवहारों को उत्पन्न करते होंगे। प्रत्येक प्राणी अपनी संतति को ‘वंशानुसंकरण’ के नियमानुसार अपनी संगृहीत शक्तियों को देता रहा होगा, और होते-होते आज वे शक्तियों वसीयत के तौर पर प्रत्येक प्राणी को मिल रही है। उक्त तीन प्रकार की शक्तियों से आज कई ‘प्राकृतिक शक्तियों’ (Instincts) उत्पन्न हो गई हैं। वज्ञा रोता है, उसे रोना सीखने के लिये किसी के पास जाना नहीं पड़ता। वह माँ का दूध चुसकता है, यह किया भी वह किसी से नहीं सीखता। ये संस्कार, ये शक्तियाँ किसी सुदूरवर्ती भूत में, कितनी ही नस्लों में, वज्ञे के पूर्णजों ने प्राप्त की होंगी, परंतु आज वे उसे वंशापरंपरा से मिल गई हैं, उन्हें सीखने के लिये उसे मैहनत नहा करनी पड़ती। उसका रोना, दूध चुसकना सदियों के संस्कारों का परिणाम है; उनसे प्रयोजन भी है; परंतु उन्हें वज्ञे ने सीखा नहीं होता। ‘प्राकृतिक शक्ति’ एक ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा बिना पूर्व शिक्षा के इस प्रकार काम किया जाता है कि कोई नियत परिणाम निकले। पशु ‘आत्म-रक्षा’ करता है; ‘संतानोत्पत्ति’ करता है। ‘आत्म-रक्षा’ के लिये मुर्गी का वज्ञा अपने भोजन को ऐसे ही ढूँढ़ लेता है जैसे उसकी माँ, उसे किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती। शेर को भूय लगती है, वह जंगल में निरुल जाता है, जो शिकार दिखाई देता है, उसी पर झटक पड़ता है। भोजन के अतिरिक्त ‘आत्म-रक्षा’ का दूसरा

साधन आश्रय-स्थान है। पक्षी घोंसला बनाता है। जब वह घोंसला बनवे हुए देख सकता था तब वह अब्बे के रूप में था, अपना नया घोंसला देख सकने से पहले वह स्वयं अंडा दे देता है, और अपने घब्बों के लिये घोंसला तैयार कर देता है। जानवरों के आपस में प्रेम करने के अपने तरीके हैं, वे उन्होंने किसी से नहीं सीखे होते। विना सिखाए इस प्रकार की शक्ति का जन्म से ही प्राणी में होना 'प्राकृतिक शक्ति' कहाता है।

३. 'सहज-क्रिया' (Reflex Action)

परंतु कई लोगों का कहना है कि 'प्राकृतिक शक्तियों' (Instincts) 'सहज क्रियाओं' (Reflex Actions) के सिवा कुछ नहीं। व्यवहारवादी 'प्राकृतिक शक्तियों' को नहीं मानते, वे इन्हे 'सहज-क्रिया' कहते हैं। हर्वर्ट स्पेन्सर सहज-क्रिया दो 'साधारण सहज-क्रिया' (Simple Reflex Action) तथा प्राकृतिक शक्ति को 'विषम सहज-क्रिया' (Complex Reflex Action) मानता था। यह समझने के लिये कि क्या 'प्राकृतिक शक्तियाँ' 'सहज-क्रिया' ही हैं अथवा उनकी स्वतंत्र सत्ता है, 'सहज-क्रिया' किसे कहते हैं, यह समझना चाहिये है।

'सहज-क्रिया' दो प्रकार की होती है। हृदय गति कर रहा है, श्वास चल रहा है, और भोजन पचा रही है। यह सब आप-से-आप हो रहा है। ये ऐसी सहज-क्रियाएँ हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। इनके अतिरिक्त कई ऐसी सहज-क्रियाएँ हैं, जिनका हमें कुछ-कुछ ज्ञान होता है। हमारी और झपकती है, गुदगुदने

पर हम सिमिट जाते हैं, कॉटा चुभने पर पॉव सीच लेते हैं।
ये ऐसी सहज-क्रियाएँ हैं जिनमें कुछ-कुछ, यद्यपि बहुत थोड़ा,
ज्ञान रहता है। एक खास प्रकार के 'विषय' (Stimulus) के
उपस्थित होने पर एक खास प्रकार की 'निश्चित प्रतिक्रिया'
(Fixed Response) का होना 'सहज-क्रिया' कहता है।
हम यह दर्शाएँगे कि यद्यपि 'प्राकृतिक क्रिया' में भी प्राणी के
सम्मुख एक खास प्रकार के विषय के उपस्थित होने पर एक
खास प्रकार की निश्चित प्रतिक्रिया होती है, तो भी 'प्राकृतिक
क्रिया' तथा 'सहज-क्रिया' में भेद है।

४. 'प्राकृतिक क्रिया' तथा 'सहज-क्रिया' में भेद

दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि डेफल्ट पशुओं की
 क्रियाओं को यांत्रिक मानता था, हॉस मनुष्य की क्रियाओं को
 भी यांत्रिक कहता था। इसका यह अभिप्राय हुआ कि जिस
 प्रकार यंत्र में क्रिया होती है, इसी प्रकार पशु तथा मनुष्य में
 भी होती है। इस दृष्टि से 'सहज-क्रिया' तथा 'स्वाभाविक क्रिया'
 में कोई भेद नहीं रहता। परंतु जरा गहराई से देखा जाय,
 तो 'यांत्रिक क्रिया' 'सहज-क्रिया' तथा 'प्राकृतिक क्रिया'
 तीनों में भेद है। 'हीर्म' अर्थात् प्रयोजन, तो तीनों में
 दिसाई देता है, परंतु उस प्रयोजन के प्रकार में बहुत बड़ा
 भेद है। 'यांत्रिक क्रिया' में प्रयोजन यंत्र का नहीं होता, किसी
 दूसरे का होता है; भीतर का नहीं होता, बाहर का होता है।
 हम गेंद फेंकते हैं, गेंद एक प्रयोजन से जा रही है, परंतु व

‘अपने’ प्रयोजन को पूरा नहीं कर रही होती, ‘हमारे’ प्रयोजन को पूरा कर रही होती है। ‘सहज-क्रिया’ में प्रयोजन के बल जीवन-रक्षान्वयी (Biological) होता है। यह प्रयोजन बाहर का तो नहीं, भीतर का होता है, परंतु भीतर का होते हुए भी प्राणी को उस प्रयोजन का पता नहीं होता। वचा गुदगुदाने पर सिमिट जाता है, परंतु उसे ‘क्यों’ का पता नहीं होता, उसको इस क्रिया में उसका शरीर ही काम कर रहा होता है, मन का काम नहीं कर रहा होता। ‘प्राकृतिक क्रिया’ में प्रयोजन भीतर का होता है, वह जीवन-रक्षान्वयी भी होता है, परंतु इन दोनों के साथ इसमें प्राणी को थोड़ा-नहुत ‘क्यों’ का भी पता होता है, उसके ब्यवहार में मानसिक क्रिया भी हो रही होती है। ‘यत्र’ की क्रिया शुद्ध यांत्रिक (Mechanical) है; ‘सहज-क्रिया’ जीवन-रक्षान्वयी (Biological) क्रिया है; ‘प्राकृतिक क्रिया’ जीवन-रक्षान्वयी होती हुई भी मानसिक (Psychical) क्रिया है। ‘प्राकृतिक क्रिया’ में प्राणी के सन्तुलन को दूर करने के लिए ‘निकटर्वर्ती प्रयोजन’ (Immediate Purpose) होता है। यह प्रयोजन ‘सहज-क्रिया’-जैसा नहीं होता। वया घोसला बना रहा है। उसका प्रयोजन अडे ढेने पर उन्हे घोसले में सुरक्षित रखने का है। अभी अडे हुए भी नहीं, और वह घोसला बनाने की तैयारी कर रहा है। ‘सहज-क्रिया’ की अपेक्षा ‘प्राकृतिक क्रिया’ में ‘होर्म’ बहुत अधिक दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त ‘सहज-क्रिया’ साधारण (Simple) होती है, ‘प्राकृतिक क्रिया’

विपम (Complex) ; 'सहज-क्रिया' में शरीर का एक हिस्सा काम कर रहा होता है, 'प्राकृतिक क्रिया' में सारा शरीर किसी प्रयोजन को पूरा कर रहा होता है । कॉटा लगा, हमने पॉव हटा लिया । इस क्रिया में कई वाते शामिल नहीं हैं । धोंसला बनाने में पह्ली चार-चार अचित सामग्री को हूँढ़ने के लिये जाता है, उसे हूँढ़ता है, लाता है, जोड़ता है । कितनी विपम क्रिया है, और प्राणी का संपूर्ण शरीर उसमें लगा हुआ है । 'सहज-क्रिया' सदा एक-सी रहती है । पॉव में कॉटा चुभने पर कोई पॉव उठाए, कोई शिर लुजाए, ऐसा नहीं होता । 'प्राकृतिक क्रिया' में एक ही परिस्थिति में भिन्न-भिन्न प्राणी भिन्न-भिन्न व्यवहार कर सकते हैं । जंगल में हमारे सम्मुख शेर आ गया । उस समय प्राण-रक्षा के लिये ढरकर भागना प्राकृतिक क्रिया है, परंतु कोई भाग जाता है, कोई छिप जाता है, कोई बृक्ष पर चढ़ जाता है, सब एक ही तरह का व्यवहार करे, यह जास्ती नहीं है ।

५. 'प्राकृतिक क्रिया' की विशेषताएँ

हमने देखा कि 'प्राकृतिक क्रिया' को 'सहज-क्रिया' नहीं कहा जा सकता । अब हम 'प्राकृतिक क्रिया' की विशेषताओं पर विचार करेंगे । 'प्राकृतिक क्रियाओं' की निम्न विशेषताएँ हैं :—

(क). पुराने मनोवैज्ञानिकों का मत था कि 'प्राकृतिक क्रिया' में प्राणी को 'प्रयोजन' (Purpose) की जानकारी नहीं रहती, ये कियाएं 'निष्प्रयोजन' (Purposeless) होती हैं, वे इन क्रियाओं को चांत्रिक समझते थे । परंतु यह वात ठीक नहीं है ।

पशु जो कुछ करते हैं उसमें उनका कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें उस प्रयोजन का, अपने ही ढंग का ज्ञान भी रहता है। प्रयोजन की सफलता तथा असफलता का भेद भी वे कर सकते हैं। कभी-कभी सफलता पाने के लिये अपने व्यवहार का ढंग भी वे बदलते हैं। यह अवश्य है कि पशुओं को केवल निकटवर्ती प्रयोजन का ज्ञान रहता है, दूरवर्ती का नहीं। घोसला बनाते हुए चिड़िया के सामने बचों की रक्षा का प्रयोजन रहता है, औंधी, ओले पड़ने आदि से क्या आपत्ति आ पड़ेगी, इसका ज्ञान उसके मन में नहीं होता। 'प्रयोजन' का मन में होना ही क्रिया पर ध्यान को केंद्रित करता है।

(स) 'प्राकृतिक शक्तियों' एक ही जाति के सब प्राणियों में एक-सी पाई जाती हैं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ 'प्राकृतिक शक्तियों' कुछ मनुष्यों में तो पाई जायें, और कुछ में न पाई जायें। हाँ, उन शक्तियों के विकास की मात्रा में भेद हो सकता है, शक्तियों के स्वरूप में नहीं। संप्रह करने की प्राकृतिक शक्ति प्रत्येक वालक में पाई जाती है, परंतु कई वालक संप्रह करने के लिये आतुर दियाई देगे, कई आतुर न होंगे, परंतु संप्रह सब करेंगे। विकास की मात्रा में यदि भेद कई वातों पर निर्भर है। परिस्थिति-भेद के कारण 'प्राकृतिक शक्ति' अपने को भिन्न-भिन्न तौर पर प्रकट करती है। मुर्गी में जमीन को कुरेदने की 'प्राकृतिक शक्ति' है, परंतु जो मुर्गी नर्म जमीन पर ही रही होगी, वह भला क्यों कुरेदेगी, उसके कुरेदने के आवेग में कमी रहेगी। कभी-कभी

लिंग-भेद के कारण भी 'प्राकृतिक शक्ति' के आवेग में भेद दिसाई देता है। लड़कियों लड़कों की अपेक्षा शांत होती है, लड़के स्वभाव से ज्ञान तेज होते हैं।

(ग). 'प्राकृतिक व्यवहार' प्रारंभ से ही 'कुशलता' के साथ होने लगते हैं, उन्हें सीखना नहीं पड़ता। शिशु जन्मते ही माँ का दूध चुसकने लगता है, मुर्गी का बच्चा पंथ जमते ही उड़ने लगता है; बत्तख पानी में पड़ते ही तैरने लगती है। यह सब उन-उन प्राणियों की अपनी-अपनी 'प्राकृतिक शक्तियों' के कारण ही है।

(घ). प्राकृतिक व्यवहारों ने जन्म से ही कुशलता रहती है, इसका यह अर्थ नहीं कि प्राणी अपने नवीन अनुभव के प्रकाश में उन्हे बदल नहीं सकता। पुराने मनोवैज्ञानिकों का विचार था कि पशुओं में अपने अनुभव से लाभ उठाने तथा अपने व्यवहार को नवीन परिस्थिति के अनुसार बदलने की शक्ति नहीं। परंतु यह यात ठीक नहीं है। घर का पालतू कुत्ता शिष्टता से रोटी माँगना सीख जाता है, वह जंगली कुत्ते की तरह हाथ से रोटी छीनने को नहीं लपकता। चिडियों अपना चुग्गा ढूँढ़ने ऐसे स्थानों में ही जाती हैं जहाँ वह अधिकता से मिलता है। मनुष्य तो अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार बदल ही सकता है, परंतु पशु भी बदल सकते हैं। हाँ, सब पशुओं में यह शक्ति एकन्समान नहीं पाई जाती। चड़े जानवरों में यह योग्यता छोटों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है।

मनुष्य में तो अपने प्राकृतिक व्यवहार को अनुभव द्वारा वदलने तथा नवीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की नैसर्गिक शक्ति है। शिक्षा की दृष्टि से यह बात वड़े महत्त्व की है। शिक्षा का तो काम ही 'प्राकृतिक शक्तियों' को आधार बनाकर, उन्हें पूँजी समझकर, उसमें ऐसा परिवर्तन करना है जिससे वे ही शक्तियों अधड़ रूप में न रहकर व्यक्ति तथा समाज के लिये आधिक उपयोगी हो जायें।

(३). 'प्राकृतिक शक्तियाँ' जन्म के समय सब एकसाथ ही नहीं प्रकट हो जातीं। दूध छुसकने की शक्ति बच्चे में जन्मते ही होती है, किंतु चीज़ें जमा करना, अनुकरण करना, साथियों के साथ खेलना आदि शक्तियों जन्म से ही नहीं पाई जातीं। इनका विकास जीवन में किन्हीं खास-खास समयों पर होता है। तीन से छः वर्ष की आयु में बालकों में आत्म-भावना (Self-assertiveness) पैदा हो जाती है। इसे रोका जाय, तो वे जिदी हो जाते हैं। लिंग-संबंधी ज्ञान युवावस्था से पूर्व प्रकट नहीं होता। कौन-सी शक्ति का किस समय उदय होता है, शिक्षक के लिये यह जानना बड़ा आवश्यक है। शिक्षक का कर्तव्य है कि 'प्राकृतिक शक्ति' के उत्पन्न होने के ठीक समय को जानकर उसका उसी समय उपयोग करे, आगे-पीछे नहीं। बच्चे की अनुकरण करने की शक्ति से हम उसे बहुत-कुछ सिखा सकते हैं, परंतु इस प्रकार सिखाने का प्रयत्न तभी शुरू होना चाहिए जब उसमें यह शक्ति उत्पन्न हो जाय। उससे पहले ऐसा प्रयत्न किया

जायगा, तो वजा कावू में नहीं आएगा, और वह शिक्षक से, पाठ से, पढ़ने से, सबसे नफरत करने लगेगा।

(च). अभी कहा गया कि 'प्राकृतिक शक्तियों' के विकास का समय नियत रहता है। जेम्स का कथन है कि उदित होने के बाद इनके जीवन की अवधि भी नियत रहती है। किसी शक्ति के उदय होने पर यदि उसका प्रयोग न किया जाय, तो वह नष्ट हो जाती है। जन्म के बाद कुछ दिनों तक यदि व्यछड़े को थन से दूध न पिलाया जाय, तो वह चुसकना भूल जाता है। इसी प्रकार 'जिज्ञासा', 'संग्रहशीलता' आदि शक्तियाँ कुछ समय तक अपनी तीव्रता दिराकर नष्ट हो जाती हैं। इसलिये गाना, घोड़े पर चढ़ना, साइकल चलाना आदि नई-नई बातें व्यपन में यहुत सुगमता से सीखी जाती हैं। यदि ये बातें व्यपन में न सिराई जायें, तो फिर आसानी से नहीं आतीं, क्योंकि फिर वह 'प्राकृतिक शक्ति' जिसके आधार पर उक्त काम सीखे जा सकते थे, नष्ट हो चुकी होती है। यॉर्नडाइक जेम्स के इस सिद्धांत को नहीं मानता। यॉर्नडाइक कहता है कि 'स्वामाविक शक्ति' कभी नष्ट नहीं होती। वह प्रकट होकर कुछ समय तक अपनी तीव्रता दिराती है, फिर वह इस्तेमाल न करने से मध्यम पड़ जाती है, नष्ट नहीं होती। कभी-कभी दूसरे रूपों में वह जीवनभर अपने को प्रकट करती रहती है, स्थितिभेद से उसका रूपांतर हो जाता है। उदाहरणार्थ, 'जिज्ञासा' मनुष्य में केवल व्यपन में ही नहीं, जीवन-पर्याप्त बनी रहती है। नए-नए हेतुओं में कार्य

करने, नईनई चीजों को देखने, नयीन अनिष्टारों को करने की प्रवल इन्द्रिय व्यवहार की 'जिज्ञासा' का ही दूसरा रूप है। वड़े-वड़े पुनरालय तथा मग्नहालय बनाने की इन्द्रिय व्यवहार की सप्रद बनने की प्राकृतिक शक्ति का ही रूप है। थॉर्नडाइन ने जेम्स के 'प्राकृतिक शक्तियों के अल्पस्थायी' (Transitoriness of Instincts) होने के सिद्धात का संटन किया है, परन्तु जेम्स के सिद्धांत में भी सत्य की कम मात्रा नहीं है। यदि प्राकृतिक शक्तियाँ कुछ दिनों के बाद निल्कुल नष्ट नहीं हो जातीं, तो भी यह तो मानना पड़ेगा कि उनका प्रावल्य, उनकी तीव्रता अत तक वैमी नहीं बनी रहती। हरएक 'प्राकृतिक शक्ति' में कुछ समय के लिये तीव्रता आती है। शिव्वक का कर्तव्य प्राकृतिक शक्ति की तीव्रता की इस लहर से लाभ उठाना है। जालारु में 'जिज्ञासा' अपने शिग्गर पर पहुँची हुई है। उसके नामने गढ़ी परिस्थिति उपस्थित कर दी जाय, तो वह गंडी गड़ी जातों को जान जायगा। इसके चिपरीत उसे छोटे-छोटे यंत्रों से, मोटर, साड़विल, हवाई जहाज के सिलौनों से घेर दिया जाय, वह इनकी जिज्ञासा करने लगेगा। वह तो नई बातें जानने के लिये उतारला है, उसे जिस परिस्थिति से घेर दिया जायगा, वह उसकी ध्यान-बीन करने लगेगा, परंतु उसकी यह उप शक्ति सदा नहीं बनी रहेगी।

६. 'प्राकृतिक शक्ति' तथा 'उद्गेग'

वर्तमान समय में सरसे पहले मैग्नूगल ने 'प्राकृतिक शक्तियों' की तरफ मनोवैज्ञानिकों का ध्यान रखांचा। मैग्नूगल का यह भी

कहना है कि जब कोई 'प्राकृतिक शक्ति' हमारे अंदर काम कर रही होती है, तो उसके साथ कोई-न-कोई 'उद्देश' (Emotion) भी जुड़ा रहता है। जंगल में एक प्राणी शेर को देखकर जान बचाने के लिये भागता है। यहाँ जान बचाने के लिये भागना 'प्राकृतिक व्यवहार' (Instinctive Behavior) है। इस 'प्राकृतिक व्यवहार' के साथ 'भय' का 'उद्देश' (Emotion of Fear) जुड़ा रहता है। हम लड़ रहे हैं, 'लड़ना' 'प्राकृतिक व्यवहार' है, उसके साथ 'फ्रोथ' का 'उद्देश' जुड़ा रहता है। हमें 'जिज्ञासा' है, उसके साथ 'आश्चर्य' जुड़ा रहता है। भय है, तभी तो भागते हैं; फ्रोथ है, तभी तो लड़ते हैं; आश्चर्य है, तभी तो किसी बात की जानना चाहते हैं। 'प्राकृतिक व्यवहार' के लिये 'उद्देश' का होना जरूरी है; 'उद्देश' न हो तो 'प्राकृतिक व्यवहार' भी न हो। मैग्नूगल के इस मर का ड्रेवर तथा रिवर ने विरोध किया है। उनका कथन है कि 'प्राकृतिक व्यवहार' को उत्पन्न करने के लिये 'उद्देश' की ज़रूरत नहीं। 'प्राकृतिक व्यवहार' तो आप-से-आप होता है, परंतु जब उसके पूर्ण होने में रुकावट पड़ती है, तब 'उद्देश' उत्पन्न होता है। मनुष्य जंगल में शेर को देखकर भागने लगता है। जब तक उसके मार्ग में रुकावट नहीं आती, वह भागता जाता है, जब भागते-भागते सामने रुकावट पड़ जाय, और वह अपने बच निकलने का फोई उपाय न देख सके, तब एकदम 'भय' का 'उद्देश' उत्पन्न हो जाता है। पहले से भागने की क्रिया में वह इतना लगा हुआ था

कि 'भय' के 'उद्देश' को प्रकट हाने की कोई गुजाइशा ही नहीं थी, अब जन कि उसकी गति अवरुद्ध होती है, एकदम भय उत्पन्न हो जाता है। ड्रेवर के इस सिद्धांत को 'अवरोध का सिद्धात' (Baulking Theory) कहते हैं। 'अवरोध के सिद्धात' का शिक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्व है। चालक के 'प्राकृतिक व्यवहार' में शिक्षक की तरफ से कभी-कभी ऐसी रुकानट आ पड़ती है कि उसका मन झुट्ठ हो जाता है, वह क्रोध, निराशा अथवा इसी प्रकार के किसी 'उद्देश' से विचलित हो जाता है। यह अवस्था शिक्षा प्रहण करने के अनुद्दृत नहीं है, इसलिये शिक्षक का कर्तव्य है कि चालक में ऐसी अवस्था न उत्पन्न होने दे।

७. 'प्राकृतिक शक्तियों' का वर्गीकरण

भिन्न-भिन्न विद्वानों ने 'प्राकृतिक शक्तियों' का भिन्न-भिन्न वर्गीकरण किया है। हम यहाँ पर कर्कषैट्रिक, थॉर्नडाइक तथा नेग्हूगल का वर्गीकरण देंगे।

(क). कर्कषैट्रिक ने 'प्राकृतिक शक्तियों' को पाँच भागों में बँटा है। दूसरे भेद इन्हीं के अवांतर किए हैं। वे पाँच नेम हैं:—

१. आधरणा (Self-preserved Instinct)
२. संतानोत्पत्ति (Reproductive Instinct)
३. सामूहिक जीवन (Gregarious Instinct)
४. परिस्थिति के अनुद्दृत जीवन प्राप्ताना (Adaptive Instinct)
५. धार्मिक आदर्शों के अनुद्दृत जीवन प्राप्ताना (Regulative Inst.)

(र). थॉर्नडाइक 'प्राकृतिक शक्तियों' को दो भागों में वॉटा है—'धैयलिक' तथा 'सामाजिक' । धैयलिक में भोजन प्राप्त करना, आल्मरक्षा करना, आश्रय ढूँढना आदि आ जाता है ; सामाजिक में संतानोत्पत्ति, सामूहिक जीवन आदि आ जाते हैं ।

(ग). मैग्नूगल मानसिक शक्तियों के दो हिस्से करता है : 'प्राकृतिक शक्तियों' (Instincts) तथा 'सामान्य प्रवृत्तियों' (General Tendencies) । 'प्राकृतिक शक्तियों' के साथ 'उद्गेत्रा' (Emotion) जुड़ा रहता है ; 'सामान्य प्रवृत्तियों' के साथ नहीं । 'सामान्य प्रवृत्तियों' को वह 'प्राकृतिक शक्तियों' में नहीं गिनता, क्योंकि उनके साथ 'उद्गेत्रा' नहीं रहता । 'प्राकृतिक शक्तियों' तथा उनके 'उद्गेत्रों' का मैग्नूगल ने निम्न वर्गीकरण किया है :—

'प्राकृतिक शक्ति'	उसके साथ संबद्ध 'उद्गेत्र'
प्लायन-Escape	भय-Bear
युयुत्ता-Combat	क्रोध-Anger
निवृत्ति-Repulsion	घृणा-Disgust
पुत्रकामना-Parental	दया-Tender Emotion
संरेतना-Appeal	दुःख-Distress
भोग-Mating	काम-Lust
जिज्ञासा-Curiosity	आशचर्य-Wonder
दैन्य-Submission	आमहीनता-Negative self feeling
आत्मगौरव-Self-assertion	आत्मभिमान-Positive self feeling

सामूहिक जीवन-Gregariousness	एकाकी मात्र-Loneliness
भोजनान्वेषण-Foodseeking	शुस्ति-Gusto
संचय-Acquisition	स्वत्त्व-Ownership
विधायकता-Constructive	कृतिमात्र-Creativeness
हास्य-Laughter	थारमोद-Amusement

‘प्राकृतिक शक्तियों’ के अलावा मैराहगल कुछ ‘सामान्य प्रवृत्तियों’ (General Tendencies) भी मानता है, जिनके साथ ‘उद्देश’ नहीं जुड़ा रहता। इनका घर्गिकरण उसने निम्न प्रकार से किया है :—

- ✓१. संकेत (Suggestion)
- ✓२. सहानुभूति (Sympathy)
- ✓३. अनुकरण (Imitation)
- ✓४. खेल (Play)

इम मुख्य-मुख्य ‘प्राकृतिक शक्तियों’ (Chief Instincts) तथा ‘सामान्य प्रवृत्तियों’ (General Tendencies) का वर्णन अगले अध्याय में करेंगे।

C. प्राकृतिक शक्तियों की शिक्षा में उपयोगिता

‘प्राकृतिक शक्तियों’ की शिक्षा की दृष्टि से बड़ी भारी उपयोगिता है, हम उसी का सज्जेप से निर्देश करके इस अध्याय को समाप्त करेंगे।

(क). जैसे घड़ा बनाने के लिये कुम्हार को मट्टी की परत छोती है, वैसे शिक्षक को, वालक को शिक्षा देने के लिये उसकी

‘प्राकृतिक शक्तियों’ तथा ‘प्रवृत्तियों’ की आवश्यकता है। ये शक्तियाँ ही व्यवहार का स्रोत हैं, व्यवहार को बदलने अथवा सुधारने के लिये शिक्षक को इन्हीं से चलना होता है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना ही आसान रास्ता है। ‘प्राकृतिक शक्तियों’ ज्ञात हैं, इन्हीं से वालक की अज्ञात मानसिक रचना को बनाया जाता है। घोड़े की पानी के सामने ला खड़ा करने से तो वह पानी नहीं पीने लगेगा, पानी पीने के लिये घोड़े को प्यास लगी होनी चाहिए। इसी प्रकार शूल में भर्ता कर देने मात्र से वालक नहीं सीख जायगा। सीखने के लिये वालक के अंदर ही प्यास हानी चाहिए। वह प्यास प्रत्येक वालक के अंदर ‘प्राकृतिक शक्ति’ के रूप में मौजूद होती है। शिक्षक का काम उसी का लाभ उठाना है। वालक की ‘प्राकृतिक शक्तियों’ शिक्षक के लिये प्रारंभिक पूँजी हैं, जिनसे उसे व्यापार करना होता है।

(ख). इन ‘प्राकृतिक शक्तियों’ से लाभ उठाने का सब से अच्छा समय उनका प्रावल्य-काल है। अनुकरण, खेल, जिज्ञासा, संघर्ष आदि शक्तियों के वालक के स्थिति में प्रकट होने का अपना-अपना समय है, और अपने-अपने समय में ही ये शक्तियों उसमें तीव्र वेग धारण कर लेती हैं। जिस समय कोई लहर अपने उच्चतम शिखर पर हो, उसी समय उसे पकड़ लेना शिक्षक का काम है। इस प्रकार नई धार आसानी से सिखाई जा सकती है और शिक्षा को सरल, रुचिकर तथा मिय बनाया जा सकता है। इस प्रकार चलने से शिक्षक का काम वालक के सम्मुख

उचित परिस्थिति उपस्थित कर देता है, अगला काम तो वालक अपने-आप कर ढालता है।

(ग). 'प्राकृतिक शक्तियों' के उचित प्रयोग से जहाँ कोई नहीं बात सिसाई जा सकती है, वहाँ 'आदतों' को बनाने में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। आदतों का जीवन में इतना महत्त्व है कि जेम्स ने चरित्र को चास प्रकार की आदतों का ही समूह कहा है। जिन आदतों का आधार स्वामाधिक शक्तियों पर बनाया जाता है वे आखानी से पढ़ जाती हैं, और चिरस्थायी रहती हैं। आदतों की तरह चरित्र निर्माण में भी प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

(घ). 'प्राकृतिक-शक्तियों' का प्रारंभिक शुद्ध रूप बेदंगा और बेतुकाँ होता है। उस अवस्था में वे न अच्छी कही जा सकती हैं, न बुरी, परंतु परिस्थिति के कारण कभी-कभी वे बुरा रूप धारण कर सकती हैं। शिशक लोग इस बात से डरकर कि कहाँ 'प्राकृतिक शक्ति' बुरा रूप न धारण कर ले, उसे दबाने का प्रबन्ध करने लगते हैं। वे में 'जिज्ञासा' है, वह अच्छी बात के विषय में भी पूछता है, बुरी के विषय में भी। क्योंकि कभी-कभी वह बुरी के विषय में भी पूछ बैठता है, इसलिये कई माता-पिता उसकी प्रश्न करने की प्रतुक्षि को ही दबाने लगते हैं, उसे हरएक प्रश्न पर गिर्हने लगते हैं। इस प्रकार उसकी माकृति शक्ति दब योड़े ही सकती है। वह अन्य उपायों में जिज्ञासा को पूर्ण करने लगता है। बुद्धिमान माता-पिता तथा शिशक का कर्तव्य

है कि जो 'जिज्ञासा' की प्रादृष्टिक शक्ति वालक में बेढ़गी, बेतुकी और निष्प्रयोजन-सी पाई जाती है, उसे उचित भार्ग से से निकलने वें, उसे दबाएं नहीं, अपितु रूपांतरित (Sublimate) करे। शिक्षक चतुर हो, तो योड़े ही प्रयत्न से वालक की हरएक अघढ़ प्रादृष्टिक रक्ति को किसी ऊची दिशा में फेर सकता है। एक चतुर शिक्षक जिज्ञासु वालक को घड़ा भारी विज्ञान का पंडित बना सकता है, डरपोक वालक को ईश्वर-भक्त बना सकता है, भगवान् वालक को स्वाभिमानी तथा निर्भय बना सकता है। विज्ञान के पंडित में जिज्ञासा ही रूपांतरित हो गई है, ईश्वर-भक्त में भय रूपांतरित हो गया है, स्वाभिमानी व्यक्ति में भगवान्लूपन रूपांतरित हो गया है।

षष्ठ अध्याय

‘प्राकृतिक शक्तियाँ’ तथा ‘स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ’

पहले मनोविज्ञान के परंटित मनुष्य में प्राकृतिक शक्तियों की सत्ता को नहीं मानते थे, इन्हें पशुओं में ही मानते थे, परंतु अब वे मनुष्य में भी इन शक्तियों को मानते लगे हैं। मनोवैज्ञानिकों का इस दिशा में ध्यान सर्वोच्चने का ब्रेय मैग्नॉगल को है। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि मैग्नॉगल ‘प्राकृतिक शक्तियों’ तथा ‘स्वाभाविक प्रवृत्तियों’ में भेद करता है। उसके अनुसार ‘प्राकृतिक शक्तियों’ चौदह हैं, और ‘स्वाभाविक, प्रवृत्तियों’ चार हैं। ‘प्राकृतिक शक्तियों’ के साथ कोइन-कोई ‘उद्गेग’ जुड़ा रहता है; ‘स्वाभाविक प्रवृत्तियों’ के साथ ‘उद्गेग’ नहीं रहता। इसके अतिरिक्त ‘स्वाभाविक प्रवृत्तियों’ ‘प्राकृतिक शक्तियों’ की अपेक्षा अधिक व्यापक होती हैं। एक बच्चा बैठा घर बना रहा है, उसे देसकर दूसरे भी बनाने लगते हैं। यहाँ पर घर बनाना ‘यिवायक शक्ति’ (Constructiveness) का परिणाम है, जो ‘प्राकृतिक शक्ति’ है, परंतु इसमें ‘अनुकरण की प्रवृत्ति’ (Tendency of Imitation) सहायक सिद्ध हो रही है, यद्य ‘स्वाभाविक प्रवृत्ति’ है। एक बालक पुस्तक उठाकर उसके चित्र देखने लगता है, उसे देसकर दूसरे भी चित्र देखने आ बैठते

हैं। यहों पर पहले वधे का चिन्ह देखना 'जिज्ञासा' की 'प्राकृतिक शक्ति' है, इसमें दूसरों पा चिन्ह देखने में शामिल हो जाना 'अनुकरण' की 'स्वाभाविक प्रवृत्ति' है। अनुकरण की प्रवृत्ति विधायकता तथा जिज्ञासा दोनों में शामिल है, उन दोनों की अपेक्षा यह अधिक व्यापक है। हम इस अध्याय में पहले शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी कुछ 'प्राकृतिक शक्तियों' का तथा फिर 'स्वाभाविक प्रवृत्तियों' का नम्रा वर्णन करेंगे।

प्राकृतिक शक्तियाँ

१. 'प्लायन' (Escape)

मैन्हूगल भय को 'उद्घेन' कहता है, भय के कारण भागने को 'प्राकृतिक शक्ति' कहता है। बालक विजली वी कडक सुनकर मर्गान के अदर भाग जाता है, अगर मौं के साथ निस्तर पर लेट रहा है, तो कडक सुनकर मौं से चिपट जाता है, अगर इकला पड़ा है, तो रजाई में छिप जाता है। ये सब प्लायन के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं।

भय उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। परिस्थिति में अचानक परिवर्तन हो जाना, जैसे, निजली कडकना, दरवाजे का ओर से झटकना, वादल का गर्जना, किसी अज्ञीव जानपर का सामने आ जाना बालक में भय पैदा कर देते हैं। श्रेष्ठेरा शुरू-शुरू में भय का कारण नहीं होता, परंतु ज्यों-ज्यों बालक में कल्पना शक्ति उत्पन्न होती जाती है, वह भय का कारण बनती जाती है। भूत-प्रेत का भय भी कल्पना-शक्ति के कारण है। कई भय सहचार

के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें 'संबद्ध-भय' (Conditioned fear) कहते हैं। जब जब चूहा सामने आए तब तब अगर ज़ोर से आवाज की जाय, तो वालक चूहे से डरने लगता है। चूहा डरने की चीज़ नहीं है, परंतु चूहे के सामने आते ही डरावनी आवाज होती है, उस आवाज का डर चूहे के साथ संबद्ध हो जाता है। 'संबद्ध-भय' को दूर करने का यही तरीका है कि उसे असंबद्ध कर दिया जाय। चूहे को देखकर बचा दरता है; उसे किसीको चूहे के साथ खेलते हुए दिया दिया जाय। इसे 'पूर्ववन् करण' (Reconditioning) कहते हैं, इसमें चूहे तथा भय के संबद्ध होने से पहले की अवस्था वालक के मन में जमा दी जाती है।

'भय' की शिक्षा में बड़ी उपयोगिता है। वालक शिक्षक से भय रखता है। यह डरता है कि उसने कुछ अनुचित किया, तो मार पड़ेगी। वालक में अच्छी आदत ढालने के लिये भय का उपयोग किया जा सकता है। जिन वालकों में भय नहीं रहता, वे बेकाबू हो जाते हैं। परंतु डरा-धमकाकर काम करना शिक्षा की हाप्टि से अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इस साधन का लगातार प्रयोग करने से वालक के हृदय में शिक्षक के ग्राति घृणा भी उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि भय की भावना को रूपांतरित (Sublimate) कर दे। पहले वालक शिक्षक के दंड देने से डरता है, फिर वह शिक्षक की अपने विषय में बुरी सम्मति से डरने लगे, कोई बुरा काम इसकिये न करे।

क्योंकि उसे शिक्षक वा भय नहीं, किंतु अंतरालमा के धिकार का भय है।

२. 'जिज्ञासा' (Curiosity)

'जिज्ञासा' प्राकृतिक शक्ति है। इसके साथ 'आश्चर्य' का उद्घोग लगा रहता है। प्लेटो का कथन है कि 'जिज्ञासा' ही संपूर्ण ज्ञान की जननी है। वालक एकदम इस विशाल वित्त में आ टपकता है। वह क्या करे ? हरएक चीज़ को वह आश्चर्य से देखने लगता है, जिस चीज़ को देखता है, उसी के पीछेभाग पढ़ता है। मानो प्रत्येक चीज़ को उठा-उठाकर जान लेना चाहता है कि यह क्या है ? इस शक्ति 'के द्वारा वह थोड़े ही दिनों में अपनी बहुत-सी परिस्थिति से परिचय प्राप्त कर लेता है।

शुल्गशुरु में तीव्र उत्तेजना के पदार्थ उसका ध्यान जल्दी आकर्षित करते हैं। चमकीली चीज़, जौर की आवाज़, भड़कीला रंग, तेज़ गतिवाली वस्तु उसे एकदम सीधे लेते हैं। मोटर की आवाज़ आई नहीं कि वहे उसे देखने के लिये भट्टन्से मकान से बाहर ढौड़ पढ़ते हैं। वह चमकीली भी है, आवाज़ भी करती है, तेज़ भी ढौड़ती है ; उनके आकर्षण का केंद्र यन जाती है। आरंभ में शिक्षा में इसी प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। आजकल वस्तुपाठ आदि विषयों का पाठ-विधियों में समावेश है। इसमें वालक वस्तुओं को छूता है, उठाता है, उलट-पलटकर देखता है, उन्हे जोड़ता है, तोड़ता है, और इस प्रकार उनके प्रिय में बहुत कुछ सीख जाता है।

बचों की प्रारंभिक जिज्ञासा में 'चुनाव नहीं होता, जो चीज़ उनका ध्यान मौंचती है, उसी को देखने लगते हैं। देखते-देखते कई चीजों में उनकी 'रुचि' (Interest) हो जाती है। जिन चीजों में उनकी 'रुचि' हो जाती है, उनका अपने-आप 'चुनाव हो जाता है, बाकी को बालक छोड़ देते हैं। रुचि 'अवधान' (Attention) का कारण है, और अवधान नई बातों के 'सीखने' (Learning) में सहायक है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह वस्तुओं को बालक के सम्मुख इस प्रकार उपस्थित करे जिससे बालक कौतूहल से उनकी तरफ लिये, उसकी उनमें रुचि उत्पन्न हो जाय, वह 'उनकी तरफ ध्यान दे और वहुत कुछ सीख जाय।

बचा एक खिलौने को देख रहा है। कुछ देर तक वह देखता रहता है। उसके बाद दूसरे खिलौने को देखकर वह पहले को फेंक देता है, दूसरे को ले लेता है। पहले से वह कुछ कुछ परिचित हो चुका है, दूसरे के विषय में वह कुछ नहीं जानता, इसलिये वह भट्टन्से दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाता है। परंतु अगर अंत तक जिज्ञासा का प्रवाह इसी प्रकार चलता रहे, तो वह निरुद्देश्य जिज्ञासां हो जाती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि जिज्ञासा को सोहेश्य बनाए, और उसे नई-नई बातों के सीखने की दिशा में रूपांतरित कर दे। जिस पथर का बालक फेंक देता है, उसका भूगर्भ-शास्त्री वर्षों तक अध्ययन करता रहता है। शिक्षक का काम जिज्ञासा को इसी प्रकार के किसी सौचि में ढाल देना है।

जिज्ञासा अपरिचित विषय के प्रति होती है, परंतु अगर वह विषय बहुत अधिक अपरिचित है, तब तो उससे भय उत्पन्न होने लगता है। बिलकुल अजननी चीजों से वचा ढरता है। इसलिये जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिये कुछ परिचित तथा कुछ अपरिचित दोनों आवश्यक हैं। पढ़ाते हुए शिक्षक को न तो बिलकुल नई वात पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए, न ऐसी ही वातें समझाने लगना चाहिए जिनसे वालक खूब अच्छी तरह से परिचित हैं। बिलकुल नई वातों को वे समझेंगे नहीं, बिलकुल पुरानी वातों को वे सुनेंगे नहीं। इसलिये शिक्षक को पढ़ाते हुए तीन वातों का स्थाल रखना चाहिए—(क) इस विषय में वालक पहले से क्या जानते हैं, (ख) नियत समय में कितनी नई वात उन्हें बताई जा सकती है, (ग) नई को पुरानी से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। शिक्षा में 'ज्ञात' से 'अज्ञात' की तरफ जाने का यही मतलब है। वालक में जिज्ञासा है, परंतु जो पदार्थ उसके सामने है, उसी के साथ किसी तरह का संबंध लोड़कर नई वात उसे सिंलाई जा सकती है। हर्वार्ट ने जिज्ञासा के इस मनोवैज्ञानिक रूप को खूब समझा था। उसने कोई नया पाठ पढ़ाने के जो क्रम नियत किए थे, वे उक्त सिद्धांत पर ही आधित थे।

३. 'विधायकता' (Constructiveness)

'विधायकता' के साथ कुछ नवीन उत्पन्न करने का उद्देश रहता है। विधायक शक्ति पक्षियों में घोसला बनाने के रूप में दिखाई देती है। वालक भी कुछ-न-कुछ बनाता रहता है। शुरू-

शुरू में उसमें वस्तुओं के घर्तमान रूप में परिवर्तन करने की हृच्छा प्रवल होती है। पुस्तक मेज पर रखदी है, तो वह उसे नीचे फेंक देगा, नीचे रखदी है, तो ऊपर ढाल देगा। आपने कुछ लिख कर रखा है, तो वह उठाकर उसके दो दुरुड़े कर देगा। बनाने तथा चिगाइने में वह भेद नहीं करता। धीरे-धीरे यह शक्ति रचना में, बनाने में, विधायकता में बदलती जाती है। कुछ बचे मिलकर बैठे हैं, वे मट्टी का घर बनाने लगते हैं, मट्टी का चूल्हा, मट्टी का तबा, मट्टी का आटा और मट्टी की थाली बनाते हैं। यह शक्ति विधायकता की शक्ति है। बालक में यह सोइरेय किया है, इसका उइरेय कुछन-कुछ नया 'उत्पन्न करना है। इसी शक्ति को विकसित करके, बढ़ाकर, एक खास दिशा में चलाकर उसी बालक को थड़े-थड़े मकान और पुल बनानेवाला एंजीनीयर बनाया जा सकता है। किसी घात को अपने हाथ से करके जितना सीखा जा सकता है उतना किताबें पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। आजकल सूलों में बालकों से काम करवाकर उन्हें सिर्झाने का नया तरीका चला है। 'प्रोजेक्ट पद्धति' में बालक मकान तक बनाते हैं, 'मॉन्टिसरी पद्धति' में बालकों के लिये ऐसे उपकरणों का निर्माण किया गया है जिन्हें जोड़नोड़कर वे कुछन-कुछ बनाते रहते हैं, 'वालोद्यान शिक्षा' में भी इस घात को ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं करके जो घात सीखी जाती है, वह दिमाग में गड़ भी जाती है। शिक्षक को चाहिए कि वह जो कुछ पढ़ाएं, उसे बालकों से कराता भी जाय।

४. 'युयुत्सा' (Combat)

'युयुत्सा' में 'क्रोध' का उद्देश काम कर रहा होता है। वालक मजे में बैठे खेल रहे हैं, इतने में एक वालक दूसरे को मार बैठता है, और बुरतमकुण्ठी होने लगती है। माता-पिता के सामने बच्चे जरा-जरा-सी बात पर अड़ जाते हैं। बच्चों के इस प्रकार के भराड़लूपन से मातानपिता बड़े दग रहते हैं, परंतु यह वालक के विकास के लिये एक अद्भुत शक्ति है, इसे द्याना ठीक नहीं। युयुत्सा तभी उत्पन्न होती है, जब वालक की कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है। यह साना चाहता है, साने में रुकावट दीरगती है, वह मुँफलाकर छीनने की बोशिश करता है, या जमीन पर लोट जाता है। इस हप्टि से यह अन्य शक्तियों की सहायक शक्ति है। जो वालक घरंपन में शांत पड़े रहते हैं, वे अक्सर बड़े होकर दुदू निकलते हैं क्योंकि उनमें कठिनाई को जीत लेने का साहस उत्पन्न नहीं होता। शिक्षक का कर्तव्य है कि वालक में युयुत्सा को दो रूप दे। या तो वालक अपनी रक्षा में लड़े, या अपने से कमज़ोर की रक्षा में लड़े, यो ही दूसरों पर हाथ न चलाता फिरे। चतुर शिक्षक के हाथ में वालक की 'युयुत्सा' एक उत्तम हथियार बन जाती है। किसी दुराई के सामने आने पर, किसी कठिनाई को देप-कर वालक का हृदय उत्साह, साहस, विजय की इच्छा से भर जाता है और वह गट-से अपने मार्ग की धाधा को छिन्न-मिन्न कर देता है।

५. 'मंचय' (Acquisition)

वालक में 'संचय' की प्राकृतिक शक्ति है। इसमें 'स्वत्व' अर्थात्

ममता का 'उद्देश' काम कर रहा हाता है। बालक 'को जो कुछ मिलता है, वह उसे इकट्ठा कर लेता है। उसके संप्रह में वे सब चीजें मिल जाती हैं, जिन्हें लोग निकन्मी समझकर फेक देते हैं। कारणों के दुकड़ों और फटे हुए चीथड़ों से लेकर निधों और स्याही की गोलियों तक सब उसके संग्रहालय में भिल जाता है। शिक्षा की दृष्टि से यह शक्ति बहुत उपयोगी है। जो चीज़ अपनी है उसके लिये मनुष्य सब कुछ करने के लिये उद्यत रहता है। संपत्ति की पंचायती धानाने के विशद्ध यही युक्ति थी जाती है। कहा जाता है कि अगर ऐसा कर दिया जाय, तो लोग काम करना ही छोड़ दें। कई बालकों को टिकट इकट्ठे करने का शौक हो जाता है, उन्हें इससे इतिहास तथा भूगोल आसानी से सिखाया जा सकता है। जिस चीज़ में उनका स्वत्व, उनकी ममत्व-युद्धि हो गई, उसे साक्षमुयता रखना सिखाकर बालकों में सफाई की आदत ढालना युक्तिकल नहीं रहता। बहुत अधिक ममत्व-युद्धि से अनुदारता वड़ सकती है, अतः शिक्षक को इस शक्ति को बेलगाम नहीं छोड़ देना चाहिए।

इनके अतिरिक्त बालक में घृणा के कारण 'निवृत्ति' की शक्ति है। शिक्षक बालक के हृदय में बुराई के प्रति घृणा उत्पन्न करके उससे निवृत्ति उत्पन्न करा सकता है। संसार में बुरे लोग तो रहेंगे, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, परंतु बुराई के प्रति घृणा अवश्य उत्पन्न की जा सकती है। बालक में 'आत्मनौरब' की शक्ति भी है। वह किसी काम को करता हुआ फहता है, दूसों

मैं कैसे करता हूँ, दूसरों का ध्यान अपनी कृत्त्वार्थता की तरफ रीचता है। इस शक्ति का एक-दूसरे से आगे बढ़ने में उपयोग किया जा सकता है। मुख्य-मुख्य 'प्राकृतिक शक्तियों' के वर्णन के बाद अब हम 'स्वाभाविक प्रवृत्तियों' (General Tendencies) का वर्णन करेगे।

स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ

१. 'सहानुभूति' (Sympathy)

'सहानुभूति' में कम-से-कम दो व्यक्तियों का होना चाहिये है, दोनों में से एक की अनुभूति को दूसरा प्रहण कर लेता है। किसी दूसरे के मानसिक 'उद्देश' को हम कैसे प्रहण कर लेते हैं? यह तो हरएक जानता है कि उद्देश की अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक अवस्था एक रास फ्रांकर की हो जाती है। अगर वह डर गया है, तो भागने लगता है; दुःखी हो रहा है, तो ऑसू वहाने लगता है। इस अवस्था से हम उसके बरने या दुःखी होने का अनुमान करते हैं, और भागते को देखकर खुद भी डर जाते हैं और भागने लगते हैं; रोते को देखकर खुद भी दुःखी होने तथा रोने लगते हैं, उसकी अनुभूति हमसे प्रविष्ट हो जाती है। इस समय हमें डर या दुःख के कारण का ज्ञान नहीं होता। दूसरे की 'निलाहट' को सुनकर हम अनुमान करते हैं कि वह डर रहा है, और हम भी डरने लगते हैं; दूसरे के 'ऑसू' को देखकर हम समझते हैं कि वह दुःखी हो रहा है, और हम भी दुःख में रोने लगते हैं; दूसरे के मुक्ते को देखकर

हमें ज्ञात होता है कि यह गुस्से में है, और हमें भी गुस्सा आने लगता है। इन अवस्थाओं में तो उक्त उद्वेग आप-से-आप हमारे भन में आने लगते हैं, परंतु सहानुभूति की एक वह भी अवस्था होती है जब कि दूसरा व्यक्ति हमारे भीतर किन्हीं खास प्रकार के उद्वेगों को उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा होता है। भिखारी अपने शरीर पर कोई ख़र्ब बना लेता है, व्याख्याता व्याट्यान देता हुआ रोने लगता है, अध्यापक बीरता का पाठ पढ़ता हुआ ज़ोर से आवेग में घोलने लगता है। इन अवस्थाओं में दूसरे में उद्वेग उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है।

सहानुभूति होना ठीक है या नहीं? अंधी सहानुभूति ठीक नहीं है। दूसरे को रोते देखकर यों ही रो पड़ना, दूसरे को भागते देखकर यों ही भाग पड़ना मूर्खता है। कई वक्ता जनता में उद्वेग की अवस्था उत्पन्न करके उनसे जो कुछ कराना चाहते हैं, करा लेते हैं। जनता प्रायः उद्वेग से चलती है। यह अवस्था भी ठीक नहीं। परंतु इसका यह गतलब नहीं कि सहानुभूति सदा अंधी ही होती है। सहानुभूति पशुओं तथा मनुष्यों को परस्पर वाँधने का सबसे उत्तम साधन है। शिक्षक तथा माता-पिता के हाथ में सहानुभूति एक ऐसा शब्द है जिसका सहुपयोग करके वे बालक के चरित्र-निर्माण में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो शिक्षक बालक के उल्टा चलने पर उसे दाढ़ देता है, वह उसकी आदत चिंगाड़ देता है। बालक को ऐसे समय सहानुभूति मिल जाती है जब नहीं मिलनी चाहिए थी। इतिहास तथा साहित्य पढ़ते हुए कई

पाव्र आते हैं, अन्द्रे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर 'शिक्षक ठीक पात्रों' के साथ सहानुभूति प्रकट करता है, तो वह स्मर्य वालकों में पहुँच जाती है, और उनके चरित्र-निर्माण में सहायक होती है। प्रसन्न रहनेवाला अध्यापक वालकों में प्रसन्नता का संचार कर देता है, मातमी शब्दों को देखकर वालक भी मातमी शब्दों बना लेते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि वालकों में अंधी नहीं, उचित सहानुभूति की भावना का संचार करे, उनका सहानुभूति का छेप्र संकुचित न हो, विस्तृत हो। परंतु यदि रखना चाहिए कि सहानुभूति व्याख्यान देने से उत्पन्न नहीं होती, ठीक प्रकार की सहानुभूति राहबैदना के कार्य 'करते' से आती है। वालकों को सिखाया जाय कि वे अंधे को रात्ता बता दें, दीमार को दयाई ला दें। इससे उनका आत्मिक विकास होगा। इसके अतिरिक्त वालकों में दूसरों के सुख में शरीक होने की भी आदत ढालनी चाहिए। दूसरे के हुए में दुखी होनेवाले कई मिल जाते हैं, दूसरे के सुख में सुखी होनेवाले धोड़े हैं। उत्तम संस्कारों को ढालनेवाले शिक्षक अपने वालकों में इस भावना को उत्पन्न करना भी नहीं भूलते। जो शिक्षक सहानुभूति से वालकों की वश में करना जानता है, उसे नियंत्रण में बोई कठिनाई नहीं होती।

२. 'संकेत-योग्यता' (Suggestibility)

कभी-कभी हम दूसरे के दिए हुए संकेतों (Suggestions) को, उन पर विना नज़ुनच किए मान लेते हैं। दूसरा व्यक्ति लिखकर, घबानी कहकर या किसी अन्य तरीके से हमें कुछ

कहता है, और हम उसकी बात पर मट्टन्से चलने लगते हैं, उस पर चहस नहीं करते। इस प्रकार दूसरे के संकेत को स्वीकार करने की योग्यता, इमकी प्रवृत्ति प्रत्येक वालक में होती है। छोटे वालक, जिनकी आयु तथा विचार परिपक्व नहीं होते, संकेतों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। जिन लोगों के किसी विषय में विचार बन चुके होते हैं, वे संकेत को आमतौर से प्रदण नहीं करते। संकेत को प्रहण करने में शारीरिक अवस्था भी कारण होती है। थका हुआ आदमी हरएक बात में 'हाँ' कर देता है। कमज़ोर व्यक्ति अपने से अधिक बलवान्, तथा निराश अपने से अधिक सफल व्यक्ति की बात को मट्ट-से मान लेता है। प्रत्येक व्यक्ति में संकेत को प्रहण करने की योग्यता भिन्न-भिन्न होती है। किसी वालक की 'संकेत-योग्यता' (Suggestibility) की मात्रा का पता लगाने के लिये जितने संकेत उसे दिए जायें, उनकी संख्या से, जितने संकेतों को बह महण करे, उन्हें विभक्त कर देता चाहिए। इस प्रकार 'संकेत-योग्यता का गुणक' (Co-efficient of Suggestibility) निकल आता है। उदाहरणार्थ, एक वालक को १० संकेत दिए गए, उसने ५ के अनुमार काम किया, उमकी 'संकेत-योग्यता का गुणक' $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ हुआ। इमको प्रतिशत में कहने के लिये गुणक को १०० से गुणा कर देना चाहिए। जिस वालक के विषय में हम लिख रहे हैं उसकी संकेत प्रहण करने की योग्यता $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ प्रतिशत हुई। संकेतों का विभाग इस प्रकार किया गयी है:—

(क). 'वृद्ध-संकेत' (Prestige Suggestions) वे कहते हैं जो माता-पिता अथवा शिक्षक की तरफ से बालक को दिए जाते हैं। बालक इसलिये उनके अनुसार चलता है, क्योंकि कोई वहा उसे कह रहा है।

(ख). दूसरे संकेत वे हैं जो बहुपक्ष के होते हैं, इन्हे 'बहु-संख्याक संकेत' (Mass Suggestions) कहते हैं। जब कई लोग मिलकर एक बात को कहने लगते हैं, तो इकलों व्यक्ति के लिये अलग सम्मति रखना मुश्किल हो जाता है। स्कूल में लड़के अक्सर वही बात कहते या करते हैं जो बहुपक्ष की होती है।

(ग). तीसरे संकेत 'आत्म-संकेत' (Auto-Suggestions) कहते हैं। किसी को कह दिया जाय, वह कमज़ोर हो रहा है, तो वह सचमुच कमज़ोर होने लगता है।

(घ). औथे प्रकार के संकेत 'विरुद्ध-संकेत' (Contrary-suggestions) कहते हैं। इसमें जो कुछ कहा जाय, व्यक्ति उससे उल्टा कहता या करता है। जीवन में ऐसी घटनाएँ रोज़ दिनाई देती हैं। किसी ने पूछा, आप जायेंगे, आपको जाना भी है, परंतु आप कह देते हैं, हम नहीं जायेंगे। घहस करने में ऐसे पक्ष अक्सर बन जाते हैं, दूसरा व्यक्ति जो कुछ कहता है, हम उससे उल्टा कहने लगते हैं।

शिक्षक बालक को या तो सब कुछ बतला सकता है, या उसे संकेत देकर उससे ही बात निकलवा सकता है। बढ़ी शिक्षक चतुर समझा जाता है, जो स्वयं सब कुछ न बताए, संकेतों

द्वारा वालक से ही उत्तर को निकलना ले। संकेतों द्वारा 'आत्म-क्रियाशीलता' (Self-activity) को बढ़ाना ही शिक्षक का काम है। परंतु कई शिक्षक इतने अधिक संकेत देने लगते हैं कि वालक की विचार-शक्ति को, 'आत्म-क्रियाशीलता' को प्रोत्साहना देने के बजाय संकेतों की भरमार कर देते हैं। इससे स्वतंत्र विचार-शक्ति मारी जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डमबेल का कथन है कि शिक्षक ग्रायः इस प्रवृत्ति का दुरुपयोग करते हैं। शिक्षक अक्सर ऐसे प्रश्न करने लगते हैं जिनका उत्तर 'हाँ' या 'न' में होता है। कई शिक्षक ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर प्रश्न में ही आ जाता है। ये दोनों बातें मानसिक विकास को खेकती हैं। संकेत की प्रवृत्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, परंतु सँभलकर। 'यह भत करो', 'यह गलत है', इस प्रकार के वाक्यों द्वारा शिक्षा देना कभी-कभी उल्टा पड़ जाता है। वालक की 'विरुद्ध-संकेत' की प्रवृत्ति उससे यही करने लगती है जिस बात से उसे भना किया जा रहा है। इसके बजाय कि वालक को गलत क्या है, यह बताकर, सही बताया जाय, सही ही बताकर उसपर चलने की शिक्षा देनी चाहिए। मानसिक विकास की अपेक्षा आत्मिक-विकास में 'संकेत-योग्यता' का 'अधिक अच्छा' उपयोग किया जा सकता है। वालक को प्रारंभिक जीवन में, जब कि उसमें विचार-शक्ति का विकास नहीं हुआ होता, संकेतों द्वारा ही बुराई से हटाकर अच्छाई की तरफ प्रवृत्ति किया जा सकता है। इस समय शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि

क्योंकि वालक 'बहुसंख्याक संकेत' (Mass Suggestions) से बहुत प्रभावित होता है, इसलिये शिक्षक को स्कूल में उच्च विचारों का बहुमत बताए रखना चाहिए। अगर स्कूल में अधिक संख्या उच्च विचारों की है, तो बहुत से वालक सुदृश्य उच्च विचारों के हो जाते हैं।

३. 'अनुकरण' (Imitation)

थॉर्नडाइक का कथन है कि 'अनुकरण' प्राकृतिक शक्तियों के घर्गांकिरण में गिनी जानेवाली प्रवृत्ति नहीं है। लोग कहते हैं कि वालक 'अनुकरण' से सीखता है, थॉर्नडाइक कहता है कि नहीं, अनुकरण से नहीं सीखता। तो फिर वह कैसे सीखता है? हम 'हँसने' को ले लेते हैं। कहा जाता है कि हम हँसते हैं, हमें हँसता देस वालक अनुकरण करता है, और हँसने लगता है, वह हँसना सीख जाता है। थॉर्नडाइक कहता है कि अगर अनुकरण से ही वालक सीखना शुरू करे, तो सारी आयु में केवल बोलना भी नहीं सीख सकता। बोलते समय २० मासपेशियों काम करती हैं। आगर इनके तीन-चार भी दिनावनाव माने जायें, और वालक दस घंटा रोज़ इनका संचालन सीखे, तो तीस साल में भी केवल अनुकरण के आधार पर वालक बोलना तक नहीं सीख सकता। वालक किस मासपेशी को क्य, किस प्रकार हिलाए कि असुक अनुकरण उत्पन्न हो जाय, यह उसे सिराने कौन आता है? अस्ति बात यह है कि मनुष्य की शारीरिक रचना ही इस प्रकार की भी है कि शरीर की मासपेशियों की भिन्न-

भिन्न स्वतन्त्र इकाइयों हैं, और वे स्वतन्त्र रूप से 'सहज निया' करती हैं। ऑपर की इकाई अलग है, हाथ की अलग, इनकी अलग अलग स्वतन्त्र रूप से 'सहज-निया' होती है, और यह 'सहज निया' 'सनद्ध' हो जाती है। हमसे एक गज की दूरी पर एक चीज़ पड़ी है। ऑपर की इकाई स्वतन्त्र रूप से एक गज का अदाक्षा लगाती है, हाथ की अलग, और ये दोनों अदाक्ष जुड़ जाते हैं, हाथ अपने को उतना ही बढ़ाता है, जितना ऑपर देखती है। हाथ के अनाज और ऑपर के अनाज का आपस में बोई सनव नहीं था, यह सबध उत्पन्न हो जाता है, और हम दूरी का ज्ञान सीख जाते हैं। इस हृष्टि से हमारा 'सीखना' शरीर की भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र 'सहज नियाओं' का परस्पर सनद्ध हो जाना है, सीखना 'सनद्ध सहज निया' (Conditioned Reflex) है, 'अनुकरण' नहीं। बच्चे हँसना केसे सीख जाते हैं? गुदगुदाने से स्वयं हँसी आती है, यह 'सहज निया' है, परन्तु क्योंकि गुदगुदी करनेवाला गुदगुदाते हुए स्वयं भी हँसता है, इसलिये पीछे चलकर नचा उसे हँसते देखकर भी हँसने लगता है। पहले गुदगुदी हुई और हँसी आई, अब वह 'सहज निया' गुदगुदी करने से असनद्ध होकर गुदगुदानेवाले के साथ सनद्ध हो जाती है, बच्चा विना गुदगुदाने पर भी उसे देखकर हँसने लगता है। इस प्रकार हँसना 'सनद्ध सहज निया' द्वारा ही होता है। हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सीखना (Learning) 'सनद्ध सहज-नियाँ' द्वारा होता है,

परंतु क्या 'अनुकरण' की सत्ता से इनकार किया जा सकता है ? बोलने का साधन गला तो सबके पास एक समान है। इसकी 'सहज-किया' भी सबकी समान होती है, परंतु फिर बंगाली, पंजाबी आदि के हिंदी या अगरेजी बोलने के लहजे में भेद क्यों पाया जाता है ? बंगाली के अँगरेजी के उच्चारण को सुनकर भट कहा जा सकता है कि वह बंगाली है। इस भेद का कारण अनुकरण को ही मानना पड़ता है। उसने बंगालियों का ही अनुकरण किया है, इसलिये उन्होंका-सा बोलता है।

'अनुकरण' के कई विभाग किए जाते हैं। कर्कषेट्रिक ने इसके पाँच विभाग किए हैं :—

(क). 'सहज अनुकरण' (Reflex Imitation) जैसे, दूसरे को उत्तासी लेते देखकर उत्तासी आ जाना, नम्र देखकर नम्र हो जाना, कठोर देखकर कठोर हो जाना, लापरवाह देखकर लापरवाह हो जाना ।

(य). 'स्वाभाविक अनुकरण' (Spontaneous Imitation) ये हैं जिन्हे अनुकरण करने को खुट जी करने लगे। जो चीज़ बालक को पसंद आ जाती है, उसका वह अनुकरण करने लगता है। गाड़ी को सीटी लेते देखकर बालक भी सीटी बजाने लगते हैं ।

(ग). 'अभिनवानुकरण' (Dramatic Imitation) वह है जिसमें बालक दैर्घी हुई चीज़ों का नाटक करने लगते हैं। गुड़िया को बालक नाकायदा सुलाते हैं, निलहाते हैं, गिलाते हैं,

जैसे खुद सोते, नहाते और खाते हैं। इसका महत्व फिलत ने खूब समझा था। वालोदान-शिक्षा में ऐसे कई खेल होते हैं।

(च). 'सप्रयोजनानुकरण' (Purposeful Imitation) वह है जिसमें किसी उद्देश्य से वालक अनुकरणीय पदार्थ को सामने रखकर उसका अनुकरण करता है। जैसे अच्छा लेग सीखने के लिये किसी सुलेखक का लेग सामने रखता है, और उसका अनुकरण करता है।

(छ). 'आदर्शानुकरण' (Idealistic Imitation) वह है जिसमें वालक किसी आदर्श को सामने रखकर उसका अनुकरण करता है। पहले वह अपने से बड़ों के यताए हुए आदर्शों का 'अनुकरण' करता है, फिर युद्ध बड़ा होकर अपने ही आदर्श बना लेता है, और उनका अनुकरण करने लगता है।

मैग्हगल ने भी अनुकरण को पाँच भागों में बँटा है।

द्वे वर ने अनुकरण के दो विभाग किए हैं—(१) 'स्वाभाविक' (Unconscious), तथा (२) 'सप्रयत्न' (Deliberate)। हम समाज में रहते हुए जो कुछ सीख जाते हैं वह 'स्वाभाविक अनुकरण' है। हमारी बोल-चाल, रहन-सहन, बोलने का तरीका, नव रसायनिक अनुकरण हैं, इनके लिये प्रबन्ध नहीं किया जाता, ये वालक को आप-से-आप आ जाते हैं। इसी लिये परिस्थिति को शुद्ध रखने की बड़ी आवश्यकता है। गडे वायुमंडल में रहकर वालक गंदी वातों का अनुकरण भट्ट-से सीख जाता है। 'सप्रयत्न अनुकरण' वह है जिसमें वालक किसी उद्देश्य ने कोई चात

सीखता है। स्कूल का सारा कार्य ‘सप्रयत्न अनुकरण’ है। इन दो के अलावा ड्रैवर ने अनुकरण के दो भेद और भी किए हैं—‘दृश्यानुकरण’ (Perceptual Imitation) तथा ‘विचारानुकरण’ (Ideational Imitation)। ‘दृश्यानुकरण’ तब होता है जब कि जिस चीज़ का वह अनुकरण कर रहा है, वह उसकी ऑर्टो के सामने हो, ‘विचारानुकरण’ तब होता है जब कि वह वस्तु तो सामने नहीं, परंतु उसका विचार मन में हो, और हम उसके अनुकरण का प्रयत्न करें।

शिक्षा की दृष्टि से अनुकरण का बड़ा भारी महत्त्व है। बालक अनुकरण से ही बहुत-कुछ सीखता है। इस कारण शिक्षक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह बालक के सम्मुख स्वयं भी आदर्श बनने का प्रयत्न करे, नहीं तो शिक्षक के अनेक दोष बालक में आ सकते हैं। बालक अनुकरण करते हुए जब एक दूसरे से बढ़ना चाहते हैं, तो एक और प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे ‘स्पर्धा’ (Emulation) कहते हैं। जो बालक दूसरों से बड़े नहीं सकते, वे दूसरे का अहित-चिंतन करने लगते हैं, इसे ‘ईर्पा’ (Envy) कहा जाता है। शिक्षक को चाहिए कि बालकों में ‘स्पर्धा’ को प्रोत्साहित करे, ‘ईर्पा’ को उत्पन्न न होने दे। कई लोगों का विचार है कि ‘अनुकरण’ से बालक की प्रतिभा भारी जाती है, वह दूसरे की नफल-भाग रह जाता है। परंतु यह तभी होता है जब अनुकरण अंत तक अनुकरण ही बना रहे। अनुकरण का उद्देश्य प्रतिभा को जगाना है, व्यक्तित्व को उत्पन्न करने

के लिये उचित सामग्री देना है। अगर अनुकरण यह काम करता है, तो वह प्रतिभा को दबाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करता है।

४. 'खेल' (Play)

जितनी भी प्राकृतिक शक्तियों या स्वाभाविक प्रवृत्तियों का चर्णन किया जा सकता है, शिक्षा की दृष्टि से, खेल उन सब से ज्यादा महत्त्व-पूर्ण है। पुराने शिक्षक समझते थे कि खेलना समय नष्ट करना है। शिक्षा के लिए में खेल के महत्व को हाल ही में समझा जाने लगा है। यह प्रवृत्ति सबसे अधिक व्यापक है। अनुकरण, युयुत्सा, विद्यायकता आदि अनेक प्राकृतिक शक्तियों में खेल की प्रवृत्ति काम कर रही होती है। शुल्घुरुल में वालक इकला खेलना पसंद करता है, वह बैठा-बैठा कुछ-न-कुछ किया करता है। धीरे-धीरे वह अनुभव करने लगता है कि खेलने के लिये उसे साथियों की ज़रूरत है। इस दृष्टि से खेल एक सामाजिक प्रवृत्ति है। दूसरे के साथ खेलता हुआ वालक घुट-घुट सोए जाता है। खेल भिन्न-भिन्न तरह का होता है। किसी आयु में कोई खेल वालक को आकर्षित करता है, किसी में कोई। कार्ल्म्पूस ने देलों के पाँच प्रकार कहे हैं :—

- (क). परीक्षणात्मक (Experimental Play)
- (ख). ढौड़-धूपवाले खेल (Movement Play)
- (ग). रचनात्मक खेल (Constructive Play)
- (घ). लड़ने-झगड़नेवाले खेल (Fighting Play)
- (ङ). मानसिक खेल (Intellectual Play)

परीक्षणात्मक रेल वे हैं जिनमें वालक चीजों को धरने-उठाने में लगा रहता है। इनमें कोई उद्देश्य नहीं रहता। इन खेलों से वालक को अपनी परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है और उसकी इंद्रियों विषयों को पढ़चानने लगती हैं। दौड़-थूपवाले रेल वालकों के एक दूसरे के पीछे भागने, पलथर आदि उठाकर फेंकने के रूप में पाए जाते हैं। इनसे वालकों के शरीर का गठन दृढ़ होता है, और शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों का पारस्परिक सहयोग घटता है। रचनात्मक खेलों में लड़के मट्टी का घर बनाते हैं, स्काउटिंग सीखते हुए पुल बनाते हैं, और इसी प्रकार के रचनात्मक कार्य करके बहुत-कुछ सीख जाते हैं। इस प्रवार स्वयं हाथों से काम करके वालक जितना सीख जाते हैं उतना किताबों को पढ़ाने से नहीं सीख सकते। लड़ने-झगड़ने के रेल करही, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल आदि हैं। इनमें हारकर भी हँसते रहने और दूसरे के साथ वैर-भाव न पैदा करने की भावना उत्पन्न होती है, जो चरित्र-निर्माण में बहुत उपयोगी है। मानसिक प्रयत्नवाले खेल तीन तरह के होते हैं। (१) 'विचारात्मक' (Intellectual), जैसे, शतरज, ताश, ड्राफ्ट, शब्द-रचना आदि ; (२) 'उद्वेगात्मक' (Emotional), जैसे, नाटक आदि का खेलना जिनमें वीर, वीभत्स, रौद्र आदि रस हों ; (३) 'कृत्यात्मक' (Volitional), जैसे, कोई हँसानेवाली कहानी कहकर न हँसने की शर्त लगा दी जाय, चुटकी लेकर न चिह्नाने की शर्त वोध दी जाय, जो हँस पड़े, चिह्ना पड़े, वह हारा समझा जाय।

‘गेल’ (Play) तथा ‘काम’ (Work) में भेद है, परंतु यह भेद बहुत वारीक है। जो बात एक व्यक्ति के लिये ‘गेल’ है, वह दूसरे के लिये ‘काम’ हो सकती है, इसी प्रकार एक ही बात उसी व्यक्ति के लिये किसी समय ‘काम’ और किसी समय ‘गेल’ हो सकती है। टैनिस रिलाडी के लिये ‘गेल’ है, गेड उठाकर देनेवाले नौकर के लिये ‘काम’ है; पहाड़ पर चढ़ना मज़े के लिये चढ़ने-वाले के लिये ‘गेल’ है, कुली के लिये ‘काम’ है। ‘गेल’ तथा ‘काम’ का भेद क्रिया के प्रकार पर नहीं, कर्ता के दृष्टिकोण पर होता है। ‘काम’ तथा ‘गेल’ में भेद तीन प्रकार का है। (१) ‘काम’ में उद्देश्य की सिद्धि की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ‘गेल’ में खेलने की क्रिया के व्यापार में ही उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। काम में याद उद्देश्य रहता है, गेल में याद उद्देश्य नहीं रहता। कई कहते हैं कि गेल में भी सफलता प्राप्त करना या खुशी हासिल करना उद्देश्य है। इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि गेल का उद्देश्य अस्ली उद्देश्य नहीं, वह तो अपने मन की मौज का उद्देश्य है। ‘काम’ का उद्देश्य उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाता है, ‘गेल’ का उद्देश्य मन की मौज के सिवा कुछ नहीं। (२) ‘काम’ में स्वतंत्रता नहीं रहती, हमें काम करना ही होता है, गेल में स्वतंत्रता रहती है, जब मर्जी हो हम काम करें, जब मर्जी हो न करें। (३) ‘काम’ में प्रसन्नता होना आवश्यक शर्त नहीं है, काम में कष्ट हो तब भी काम तो करना ही पड़ता है। ‘गेल’ में प्रसन्नता, खुशी आवश्यक शर्त है।

खेल की प्रवृत्ति का आधार क्या है, इस विषय में निम्न सिद्धांत हैं :—

(क). ‘अतिशय शक्तिवाद’ (Super Energy Theory)—रिलर तथा स्पेसर का कथन है कि प्राणी में आवश्यकता से अधिक जो शक्ति होती है उसे वह खेल में खर्च करता है, ठीक ऐसे जैसे एंजिन की भाषपद जाने से उसे लोल दिया जाता है। वज्रों को खुद कुछ काम नहीं करना होता, माता-पिता उनके लिये सब-कुछ कर देते हैं। वे अपनी शक्ति का क्या करे ? बस, वे उस शक्ति का खेलने द्वारा व्यय करते हैं। परंतु यदि यह बात ठीक है, तो कमज़ोर, थके हुए और बीमार व्यक्ति क्यों खेलते हैं, उनमें तो आवश्यकता से अधिक शक्ति नहीं होती ?

(ख). ‘पुनरावृत्तिवाद’ (Recapitulation)—स्टेनले हाल का कथन है कि वालक वचपन से युवावस्था तक उस लंबे रास्ते को तय करता है जो उसके पूर्वजों ने सृष्टि के प्रारंभ से अब तक तय किया है। इस प्रकार वचपन की भिन्न-भिन्न खेल की क्रियाएँ उसके पूर्वजों के कार्यों की पुनरावृत्ति हैं। किसी समय मनुष्य जंगली रहा होगा, वह अपने शिकार की दोह में छिपकर बैठता होगा, उसे हूँड़ता होगा, यही प्रवृत्ति वचपन में ऑरन-मिचौनों के खेल में पाई जाती है। इसी प्रकार अन्य खेल भी उसकी जंगली अवस्था की स्मृतियाँ हैं।

(ग). ‘परिष्कृतिवाद’ (Cathartic Theory)—हमने अभी कहा, वालक अपने जंगली पूर्वजों की संतान है।

उनकी भिन्न-भिन्न जंगली प्रवृत्तियाँ जो वालक में वंशानुसंक्रम द्वारा आई होती हैं समाज के सम्मता के नियमों के कारण दबी रहती हैं। येल उनसे याहर निकालने तथा वालक को परिष्कृत करने का एक साधन है। इस धर्य में 'परिष्कृति' (Catharsis) शब्द का पहले-पहल अरसु ने प्रयोग किया था। उसका कथन था कि अभिनय द्वारा अंदर दबे हुए भाव निकलकर आत्मा परिष्कृत हो जाता है।

(घ). 'पुनः प्राप्तिवाद' (Recuperative Theory)—
इसके प्रधार्तक लेउरन महोदय हैं। उनका कथन है कि वालक के शरीर तथा दिमाग जब थक जाते हैं तब वह खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिये येल की तरफ झुकता है। यह विचार 'अतिशय शक्तिवाद' से उल्टा है।

(ङ). 'पूर्वाभिनयवाद' (Anticipatory Theory)—
मेल प्रांत संघ कार्ल प्रूम का मत है कि वालक को युवावस्था में जो-जो झुछ करना होता है, वालक उसकी येल में पहले से ही तैयारी करता है, उसका अभ्यास करता है। छोटी-छोटी लड़ियों शुद्धियों से येलती है, उनके पर बनाती है, उनके कपड़े सीती है, यह सब मानो उनकी आनेवाले जीवन के लिये तैयारी होती है।

शुरू में देखने से ऐसा पता लगता है कि ये पाँचों याद एक दूसरे के विरुद्ध हैं। परंतु ऐसा नहीं है। पर्सी नन के शब्दों में ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, पूरक हैं। इनसे येल के किसी-न-किसी पहलू पर प्रकाश पड़ना है।

शिक्षा में खेल की प्रणाली (Play Way) को आजकल बहुत स्थान दिया जाता है। इस बात का उद्योग किया जाता है कि वालक तथा शिक्षक शिक्षा को 'काम' न समझकर 'खेल' समझें, और वालक को खेल-खेल में बहुत-कुछ सिखा दिया जाय। तथा 'स्वतंत्रता' का अंश रहता है। शिक्षा देते हुए इस धात का ध्यान रखना चाहिए कि वालक पढ़ते हुए प्रसन्नता से सब कुछ पढ़ जाय, और साथ ही 'अपने को बेंधा हुआ अनुभव न करे। प्राचीन शिक्षा-प्रणाली में इन दोनों बातों पर ध्यान देना तो दूर रहा, इन्हे शिक्षा के लिये हानिकर समझा जाता था। आजकल शिक्षा के प्रत्येक चैत्र में 'खेल' (Play) को आधारभूत बनाया जा रहा है। शिक्षा देने के तरीके, स्कूल नियंत्रण, प्रबंध तथा पढ़ाई में खेल की प्रणाली को काम में लाया जा रहा है। आजकल जितनी भी शिक्षा-प्रणालियाँ आविष्कृत हुई हैं, उन सबको समझने के लिये शिक्षा में खेल के महत्व को समझना चाहिए हो गया है। खेल की प्रणाली पर आश्रित निम्न शिक्षा-पद्धतियाँ इस समय प्रचलित हैं:—

(क). 'मॉन्टीसरी शिक्षा-पद्धति'—इस पद्धति में वालक खिलौनों के साथ खेलते हैं, खेल-खेल में ही वस्तुओं के नाप, तोल, रंग, रूप, दूरी आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, क्योंकि वहाँ कोई शिक्षक नहीं होता, सहायक के रूप में एक निरीक्षक रहता है। इस प्रकार के काम में उन्हें आनंद भी दूब निलता है।

(स). 'डाल्टन शिक्षा-पद्धति'—रेल द्वारा शिक्षा देने का दूसरा तरीका 'डाल्टन-पद्धति' है। 'डाल्टन'-प्रणाली का जन्म ही पुरानी शिक्षा-प्रणाली के विरोध में हुआ है। इसमें न समय-विभाग का बंधन होता है, न घटी की पार्वंदी। वालक अपनी इच्छानुसार जिस विषय को जितनी देर तक चाहता है, पड़ता है। यहाँ भी कोई शिक्षक नहीं होता, केवल कठिनाइयों हत फरने के लिये एक सहायक होता है। डाल्टन-प्रणाली द्वारा, जिसमें कोई याहू बंधन नहीं, वालक के व्यक्तित्व का उच्च विकास समर है।

(ग). 'प्रोजेक्ट शिक्षा-पद्धति'—शिक्षा को ऐल के समान लचिकर, मिय तथा सरल बनाने का एक और तरीका प्रोजेक्ट-प्रणाली है। इसमें स्कूल के कार्य को जीवन की समस्याओं के साथ जोड़कर वालकों के सामने एक 'प्रयोजन' (Purpose) रख दिया जाता है। वालक उन समस्याओं का अपने हंग से अपने-आप प्रेम, लगन और उत्साह के साथ हल करने में जुट जाते हैं। इस प्रकार वात-ही-वात में वे बहुत-मुश्किलीय जीवन जाते हैं।

(घ). 'अभिनव-पद्धति'—इस तरीके से वालक इतिहास और साहित्य वड़ी सुगमता से सीखते हैं। उन्हें इतिहास बढ़ना नहीं पड़ता। राणा प्रताप और अकबर का अभिनव करके वालक उनके जीवन की घटनाओं को ही आसानी से नहीं सीख सकते, उनके चरित्र पर भी इसका स्थायी प्रभाव पड़ जाता है।

(ङ). 'वालचर-पद्धति'—यदि प्रणाली वालक का खाली समय अन्दरी तरह बिताने पर जोर देती है। वास्तविक शिक्षा

वह है जो वालक को अपने अवकाश के समय को भली भाँति व्यतीत करने के योग्य बनाए। इस प्रणाली द्वारा वालक को खेल-खेल में जीवन की बहुत-सी उपयोगी वातों का ज्ञान हो जाता है। इस समय जर्मनी, इटली तथा अन्य देशों में युवकों के अलग-अलग संगठन बन रहे हैं, इसे युवक-प्रगति (Youth Movement) का नाम दिया जाता है। युवकगण अपने खाली समय में दूर-दूर स्थानों का अभ्यास करते हैं, सब काम अपने हाथों से करते हैं। इन प्रगतियों से, जिनका आधार खेल की प्रवृत्ति को भिन्न-भिन्न दिशाएँ देना है, वालक के शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास से घड़ी सहायता मिलती है।

सप्तम अध्याय

'संवेदन' (२) 'उद्गेग' तथा 'स्थायी भाव'

मनोविज्ञान का मुख्य विषय प्राणी के मानसिक व्यापारों का अध्ययन करता है। मानसिक व्यापार तीन तरह के माने जाते हैं। ^(१)ज्ञान (Knowing), ^(२)संवेदन (Feeling), ^(३)कृति, व्यवसाय अथवा प्रयत्न (Willing)। संसार के पदार्थों को देखने, छूने, जानने, स्मरण रखने, उनका संबंध जोड़ने तथा उनकी कल्पना करने के संबंध में जो मानसिक व्यापार होता है, वह 'ज्ञान' के अंतर्गत है। ^(४)उन पदार्थों के विषय में सुन्न, दुःख, भय, क्रोध, प्रेम, मंतोप आदि का अनुभव 'संवेदन' कहा जाता है। ^(५)अनुष्टुप्य के अनुभव में जो कुछ आता है, उसे वह क्रिया में परिणत करने का इरादा करता है। ज्ञान, इरादा, प्रयत्न 'कृति-शक्ति' में प्रविष्ट समझे जाते हैं। सब मानसिक व्यापार इन तीनों के अंदर आ जाते हैं, इनके बाहर कोई नहीं रहता।

मानसिक व्यापारों के उक्त भेदों का यह मतलब नहीं कि मन की ये तीनों भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं। मानसिक व्यापार एक अभिन्न प्रक्रिया का नाम है। उक्त तीनों प्रकार के व्यापार उसमें मिलें-जुले रहते हैं। 'ज्ञान' से संवेदन तथा कृति को जुड़ा नहीं किया जा सकता, 'संवेदन' में ज्ञान तथा कृति शामिल रहते हैं,

'कृति' में ज्ञान तथा संवेदन मौजूद हैं। परंतु किर भी हमारे मानसिक व्यापार में किसी-न-किसी प्रक्रिया की प्रधानता रहती है, उसी के आधार पर हम उस व्यापार को ज्ञान, संवेदन अथवा कृति का नाम देते हैं। रात्ते चलते हमें चोट लग जाती है, हम गिर पड़ते हैं, अनेक तमाशबीन इकट्ठे हो जाते हैं। उम समय हमें चोट लगने का 'ज्ञान' है, दुःख हो रहा है इसलिये हम में 'संवेदन' भी है, हम पॉव को जीर से हाथ में पकड़ वैठे हैं ताकि दर्द कम हो जाय, इस दृष्टि से 'कृति' भी है, परंतु इन तीनों में 'संवेदन' की प्रधानता है। तमाशबीन लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, दर्द दूर करने के लिये कुछ करना भी चाहते हैं, किसे चोट लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी, इस प्रकार की कौतुक-रूर्ण जिज्ञासा की उनमें प्रवलता है, इसलिये उनका व्यापार 'ज्ञान'-प्रधान कहाता है। अगर इस समय कोई चिकित्सक आ पहुँचे, और एकदम कपड़ा गीला कर प्रारंभिक चिकित्सा शुरू कर दे, तो यह तो नहीं कहा जा सकेगा कि उसमें 'ज्ञान' तथा 'संवेदन' नहीं, परंतु हाँ, इन दोनों की अपेक्षा उसमें 'कृति' अथवा 'प्रयत्न' की प्रधानता अवश्य कही जायगी।

हम इस अध्याय में इन तीनों से से केवल 'संवेदन' (Feeling) पर, और 'उसके साथ संबद्ध विषय, "उद्देश" (Emotion) तथा 'स्थायी भाव' (Sentiment) पर मनोवैज्ञानिक विवेचन करेंगे, और 'स्थायी भाव' के साथ ही 'आत्म-सम्मान के स्थायी भाव' का भी वर्णन करेंगे।

१. 'संवेदन' (Feeling)

प्रत्येक व्यक्ति सुख, दुःख, इर्पा, हेप, काम, क्रोध आदि का प्रनुभव करता है। इन्हीं के अनुभव को 'संवेदन' कहते हैं। 'संवेदन' दो तरह का होता है। (१) 'इंद्रिय'-संवेदन (Feeling as Sensation) तथा (२) 'भाव'-संवेदन (Feeling as Emotion)। मेरा साथ दीवार से टकरा गया, मुझे दर्द हुआ, यह 'इंद्रिय-संवेदन' है; एक आदमी मेरी चुग्ली करता है, मुझे क्रोध आया, यह 'भाव-संवेदन' है। 'इंद्रिय-संवेदन' जीवन में उच्छ्वास में होने लगता है, 'भाव-संवेदन' वाद में घड़े होकर जाता है; 'इंद्रिय-संवेदन' में उत्तेजना बाहर से होती है, 'भाव-विवेदन' में उत्तेजना भीतर से होती है; 'इंद्रिय-संवेदन' में अनुभव १ शरीर से संबंध होता है, 'भाव-संवेदन' में अनुभव का मन से वंश होता है; 'इंद्रिय-संवेदन' का संबंध शरीर के किमी एक हिस्से साथ होता है, 'भाव-संवेदन' में संपूर्ण शरीर जुड़ जाता है।

यालक का जबतक मानसिक विकास नहीं होता तबतक वह कृतिक शक्तियों (Instincts) के ही अधीन रहता है, उसमें द्रिय-नवेदन' (Sensuous feeling) रहता है, 'भाव-संवेदन' नहीं उत्पन्न होता। उसे भूख लगी, वह रोने लगता है; भर गया, फिर खेलने लगता है। किसी ने गारा, वह चिल्हा ला, इतने में किसी ने मिठाई दे दी, वह रोना भूलकर खाने जुट गया। 'इंद्रिय-संवेदन' से आगे वह नहीं बढ़ता। यालक 'इंद्रिय-संवेदन' में अपनी ही घार विशेषताएँ रहती हैं:—

(क). उसके संवेदन वहुत 'प्रारंभिक प्रकार' के होते हैं, 'स्वार्थमय' होते हैं। भूरे बालक को जबतक साने को नहीं दिया जायगा, तबतक वह चीखता ही रहेगा, कानू में हरगिज नहीं आयगा। प्यास, लुटी है, तो जहाँ होगा वहाँ शोर मचा देगा, इस बात की परिणहीं करेगा कि वहाँ शोर मचाना चाहिए या नहीं। क्रोध, आश्चर्य, भय, दुरःख, इर्पा आदि के संवेदन उसमें इस समय वहुत निचले दर्जे के होते हैं। वह पशु की सतह पर होता है, और इन वृत्तियों का संबंध उसके साने-पीने वथा इसी प्रकार की वारों के साथ रहता है।

(ख). बालक की स्मृति तथा युद्ध विकसित नहीं हुई होती, इसलिये वह भूत तथा भविष्यत् के विषय में, तो सोच ही नहीं सकता। इसीलिये जो चीज उसके सामने होती है, उसी के साथ उसके संवेदन का संबंध होता है। अगर उसके सामने विली है, तो वह डरता है; सामने नहीं है, तो जब तक उसमें कल्पना-शक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, तबतक नहीं डरता।

(ग). बालक का संवेदन 'तीव्र' होता है, जबतक उसका संवेदन रहता है, तबतक वह पूर्णतया उसके वशीभूत रहता है।

(घ). परंतु तीव्र होते हुए भी वह देर तक नहीं रहता। तबतक उसमें स्मृति के द्वारा संवेदन करने की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई होती, इसलिये जोर से रोता हुआ भी झटने से चुप हो जाता है। बालकों में ओसुओं-भरी ओरों के साथ हँसते हुए हॉठ नई घटना नहीं है।

२. 'उद्वेग' (Emotions)

जब वालक का मानसिक विकास होने लगता है, तब वह 'इंद्रिय-संवेदन' (Feeling as Sensation) से ऊपर उठ जाता है; उसमें 'भाव-संवेदन' (Feeling as Emotion) प्रकट होने लगता है। अब सांनेखीने की वार्ताओं के साथ ही उसका सुखन्दुर स नहीं जुड़ा रहता, कई 'भावों' के साथ भी उनमें नाचा प्रकार के नवेदन उठने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस समय वालक में 'उद्वेग' (Emotions) प्रकट होने लगता है। 'भाव-संवेदन' 'उद्वेग' का ही दूसरा नाम है। 'इंद्रिय-संवेदन' वालक की प्रारम्भिक अवस्था में होता है; 'उद्वेग' उसमें तरु प्रकट होने लगता है, जब उसका व्यवहार केवल 'प्राकृतिक शक्तियों' (Instincts) से ही नहीं चल रहा होता, अपितु उसमें विचार-शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। पहले वालक माता से इसलिये प्रेम करता है क्योंकि वह उसे दूध देती है, अब वह उसे प्रेम करता-करता ऊँची भावनाओं के कारण प्रेम करना सीख गया है। पहला प्रेम 'इंद्रिय-संवेदन' के छर्डे पर है, दूसरा प्रेम 'भाव-संवेदन' या उद्वेग के छर्डे पर कहा जाता है। वालक में 'उद्वेग' (Emotion) की अवस्था 'इंद्रिय-संवेदन' (Sensuous Feeling) के बाद आती है।

'उद्वेगों' के भिन्न-भिन्न विभाग किए गए हैं। अस्ल में इनका विभाग करना बहुत कठिन है। कई उद्वेग एक-दूसरे से इतने मिलते हैं कि उनका निश्चित रूप ही ठीक नहीं समझ आता।

मैग्हृगल ने प्राकृतिक शक्तियों के ग्रेक के तौर से जो मुख्य १४ उद्देश्य कहे हैं, उनका परिगणन हम पिछले अध्याय में कर आए हैं। इस विभाग के अतिरिक्त 'उद्देश्यों' के निम्न तौर से भी विभाग किए जा सकते हैं :—

पहला विभाग 'उद्देश्यों' के स्थाभाविक विकास को हृषि में रखकर किया जाता है। इस विभाग के अनुसार 'उद्देश्य' पाँच प्रकार के हैं—(१) स्वर्थमय उद्देश्य, भय, क्रोध, अभिमान आदि। (२) परार्थ-उद्देश्य, प्रेम, सम्मान, सहानुभूति आदि। (३) ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यानुराग, सत्य, प्रेम आदि। (४) सौंदर्यात्मक उद्देश्य, सौंदर्यानुराग आदि। (५) नैतिक उद्देश्य, कर्तव्य-परायणता, ईश्वर-प्रेम आदि।

दूसरा विभाग छात्र भगवानदास ने किया है। उनका कहना है कि मुख्य 'उद्देश्य' दो हैं—राग तथा द्वेष। राग को प्रेम (Love) कहते हैं, द्वेष को धृणा (Hate)। प्रेम तथा धृणा अपने से बड़े, अपने वरावरवाले तथा अपने से छोटे के प्रति हो सकते हैं। अपने से बड़े के प्रति प्रेम को सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, आदर कहते हैं; अपने वरावरवाले से प्रेम को मित्रता, काम, प्रेम कहते हैं; अपने से छोटे के प्रति प्रेम को दया, सहानुभूति आदि कहते हैं। इसी प्रकार अपने से बड़े के प्रति धृणा को भय, घबराहट, दृपोक्षण कहते हैं; अपने वरावरवाले से धृणा को क्रोध, वैरभाव कहते हैं; अपने से छोटे के प्रति धृणा को अभिमान कहते हैं। कई 'उद्देश्य' भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से मिलकर भी बनते हैं।

‘उद्घेगों’ की क्या विशेषताएँ हैं ? ड्रैवर ने ‘उद्घेगों’ के संबंध में पॉच विशेषताओं का प्रतिपादन किया है —

(क) जिस व्यक्ति अपवा निचार के विषय में हमारे अड्डर ‘उद्घेग’ उत्पन्न हुआ है, उसके साथ हमारा सबेन्नात्मक संबंध होना चाहिए। उग्रहरणार्थ, मही के संबंध में हमारे भीतर कोई उद्घेग नहीं उठता, क्योंकि मही से हमारा सबेदनात्मक कोई संबंध नहीं। अगर वहाँ अपने देश की मही एक दिनिया में भरकर हमें गिरेश देठे कोई भेज दे, तो उसे देखकर उद्घेगों की गढ़ आ जाती है। उस समय उम मही को देखकर अपने देश की सृति ताजी हो जाती है, और उसके साथ हमारा सबेन्नात्मक संबंध हो जाता है, इसीलिये वह ‘उद्घेग’ को उत्पन्न कर देती है।

(ख) उद्घेग के समय शरीर में वाहरी तथा भीतरी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। भय के समय रोगटे रड़े हो जाना, काँपना, झौंध में लाल मुँह हो जाना, होठों का फड़कना, प्रसन्नता में चेहरे वा गिल जाना आदि याहू परिवर्तन दिराई देते हैं। भीतरी परिवर्तनों को देखने के लिये अनेक परीक्षण किए गए हैं। केनन ने विली को भोजन कराकर उसपर ‘एक्स-रे’ के परीक्षण किए। विली ना भोजन पेट ने पच रहा था, पाचक रस निकल रहा था, इतने म एक बुत्ते को लाया गया, उसने विली को देखते ही भोजन शुरू किया, और विली ढर गई। इस ढर का यह परिणाम हुआ कि पेट ने पाचक रस निरालना बद कर दिया, और पेट की सब गतियाँ बद्द हो गईं। बुत्ते के

चले जाने के भी १५ मिनट थाद तक चिज्जी की यही हालत रही। तभी उद्गेग के समाप्त हो जाने पर भी कुछ देर तक मनुष्य अपने को ठीक स्थिति में नहीं ला सकता। दफ्तर में डॉट सुनकर कई लोग जब घर लौटते हैं, तो वहाँ को यिन वात के पीटने लगते हैं। डॉट खातम हो गई, परंतु उसका असर अभी तक बना रहता है। भय तथा क्रोध के समय भोजन की संपूर्ण आंतरिक प्रक्रिया बंद हो जाती है। इन उद्गेगों का शरीर के अन्य ग्रंथिरसों पर भी प्रभाव पड़ता है। दुःस के समय आँसू फूरने लगते हैं, क्रोध में पसीना आने लगता है, भय के समय ऊँह सूख जाता है, पेट में पाचक रस निकलना बंद हो जाता है। शरीर में कई ग्रंथियाँ ऐसी हैं जिन्हें 'प्रणालिकान्यहित ग्रंथि' (Ductless glands) कहते हैं। इन ग्रंथियों से जो रस निकलता है, उसमें एक विशेष पदार्थ होता है, जिसे 'हौरमोन' (Hormones) कहते हैं। ये 'हौरमोन' शरीर को शक्ति देते हैं। गुरुं के पास दो 'प्रणालिकान्यहित ग्रंथियाँ' होती हैं, जिन्हें 'एड्रेनलस' कहते हैं। क्रोध तथा भय के समय इनमें से एक 'हौरमोन' निकलने लगता है, जिसे 'एड्रिनेलीन' कहते हैं। 'एड्रिनेलोन' से हृदय शीघ्र गति करने लगता है, रुधिर तेज चलने लगता है, और सॉस का बेग बढ़ जाता है। निम्न-मिन्न उद्गेगों में शरीर के बाहरी तथा भीतरी भागों पर ऐसा असर पड़ता है, जिसे ओक्सो से ओक्सल नहीं किया जा सकता।

'उद्गेगों' के समय इन परिवर्तनों को देखकर जेम्स ने अपना

एक सिद्धांत स्थिर किया था, जिसे 'जेम्स-लैंग मिद्हांत' (James-Lange Theory) का नाम दिया गया है। जेम्स तथा लैंग ने स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत को १८८० में निकाला था। जेम्स का कहना यह है कि 'उद्देश' का कारण, उद्देश के समय शरीर में जो भीतरी तथा बाहरी परिवर्तन हो जाते हैं, वे हैं। शेर को सामने देखकर शरीर में रोंगटे रड़े हो जाते हैं, पसीना छूटने लगता है। हमारा ढरना शेर को देखकर नहीं होता, शरीर के रोंगटों के रड़े होने तथा पसीना छूटने को हम 'ढरना' कहते हैं। साधारण विचार तो यह है कि शेर को देखकर हम ढरे, ढर से शरीर के रोंगटे रड़े हुए; 'जेम्स-लैंग सिद्धांत' यह है कि शेर को देखकर शरीर के रोंगटे रड़े हुए, और रोंगटों को अनुभव करने से भय उत्पन्न हुआ। जेम्स का सिद्धांत प्रचलित विचार से उल्टा है। उसका कहना है कि इस मिद्हांत का शिक्षा में बहुत उपयोग है। अगर हम उद्देशों से उत्पन्न होनेवाले शारीरिक परिवर्तनों को न होने दे, तो उद्देश क्रान्ति में आ सकते हैं। क्रोध के समय जो शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें कोई रोक ले, तो वह क्रोध को रोक लेगा; भय के समय के शारीरिक परिवर्तनों को बश में कर लेने से भय उत्पन्न नहीं होगा।

जेम्स के कथन को अगर यह रूप दे दिया जाय कि उद्देशों के एकदम साथ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो यह सिद्धांत अधिक युक्तियुक्त हो जाता है। यह कहना कि शारीरिक परिवर्तन पहले होते हैं, और उद्देश फिर उत्पन्न होता है, व्यग्रहारन्वाद

(Behaviourism) की चरम सीमा है। सब परीक्षणों में यही देखा गया है कि क्रोध तथा भय के साथ-ही-साथ भीतरी तथा बाहरी परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं।

(ग). उद्देश के प्रत्येक अनुभव में सुख या दुःख का भाव छिपा रहता है। हम किसी से प्रेम इसलिये करते हैं, क्योंकि उसकी तह में सुख का भाव छिपा होता है; पूरण इसलिये करते हैं क्योंकि उस व्यक्ति अथवा पदार्थ से दुःख का कोई संबंध होता या हो सकता है।

(घ). उद्देश में विचार-शक्ति काम नहीं कर रही होती, इसलिये वह तीव्र होता है।

(ड). उद्देश के समय विचार-शक्ति नहीं रहती, इसलिये भिन्न-भिन्न मार्गों में से किसी एक का चुनाव भी इसमें नहीं होता। क्रोध की अवस्था में मनुष्य यह नहीं सोच सकता कि इस बात का निपटारा किर कर लूँगा, किसी को बीच में डालकर इस समस्या को हल करेंगा, इत्यादि। वह उद्देश में, जो विचार सामने आ जाता है, वही कर डालता है।

शिक्षा की दृष्टि से उद्देशों का बड़ा महत्व है। ये जीवन में कार्य-शक्ति का संचार करते हैं। मनुष्य जितना ही उद्देश के निकट पहुँचता है, उतना ही संकल्प को किया में परिणत करने के नजदीक पहुँच जाता है। जिन लोगों ने बड़े-बड़े काम किए हैं, उनकी कृत्कार्यता का स्रोत कोई-न-कोई उद्देश रहा है। उद्देशों को जीवन में से निकाल देना प्रेरणा-शक्ति को नष्ट कर देना है।

प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध यह ठोक आक्षेप किया जाता है कि इसमें पढ़ाई-लिखाई चहुत है, परंतु बालक के उद्देशों के विकास तथा संगठन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे बालक शारीरिक उद्योग को पृष्ठा की दृष्टि से देखते हैं, पढ़ने-लिखने के बाद माता-पिता की उपेक्षा करने लगते हैं, देश के प्रति उदासीन रहते हैं, यह अवस्था शोचनीय है।

३. 'स्थायी भाव' (Sentiments)

पहले 'उद्देश' (Emotion) तथा 'स्थायी भाव' (Sentiment) में कोई भेद नहीं समझा जाता था। मनोवैज्ञानिक लोग 'स्थायी भाव' को 'उद्देश' ही कहते थे। शैंड ने पहले-पहल 'उद्देश' तथा 'स्थायी भाव' में भेद किया। प्रेम, ह्रेप, लज्जा आदि 'उद्देश' (Emotions) हैं, परंतु जब ये 'उद्देश' किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी विचार, भाव अथवा आदर्श के साथ स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, तब इन्हे 'स्थायी भाव' (Sentiments) कहा जाता है। वच्चे को माता से प्रेम है, क्योंकि वह उसे दूध पिलाती है। अभी यह भाव 'उद्देश' के दर्जे पर भी नहीं आया। यह कुछ बड़ा होता है, दूध पीना छोड़ देता है, परंतु माता के विना नहीं रह सकता। इस समय उसमें 'उद्देश' उत्पन्न हो गया है। वह उद्देश बढ़ता जाता है, रोज के अभ्यास से दृढ़ होता जाता है। अतः 'स्थायी भाव' के उत्पन्न होने में पहली बात यह है कि वह एक ही 'उद्देश' के किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ बार-बार जुड़ते रहने से उत्पन्न हो सकता है। और बालक कॉलेज में

पढ़ने योग्य हो गया। वह दूर किसी शहर के कॉलेज में दाखिल हो जाता है। वहाँ बैठे एक दिन संध्या के समय उसे अपनी माँ की चाद आ जाती है, उसकी ओर से दो धूंद और सूटफक पड़ते हैं। यह 'स्थायी भाव' के कारण है। परंतु वालक का अपनी माता के विषय में जो स्थायी भाव उत्पन्न हो गया है, उसमें प्रेम का बार-बार का अनुभव ही कारण नहीं है। माता के उस प्रेम में अन्य भी कई 'उद्देश' शुरू से ही जुड़ते गए हैं। जब वह छोटी था, तो माँ उसकी रक्षा करती थी, इसलिये वच्चा उसके प्रति 'कृतज्ञता' का भाव अनुभव करता था; उन समय माँ उसकी तारीक करती थी, इसलिये उसमें 'आत्माभिमान' उत्पन्न होता था। ये सब 'उद्देश' बीरे-बीरे जुड़ते चले गए, संगठित होने गए, एक ही दिशा में चढ़ते गए और कई वर्षों के बाद 'प्रेम', 'कृतज्ञता', 'आत्माभिमान' तथा 'सहानुभूति' के उद्देशों ने मिलकर पुनर्में माता के प्रति प्रेम के 'स्थायी भाव' को उत्पन्न कर दिया। यह 'स्थायी भावों' के उत्पन्न होने में दूसरी वात है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रत्येक 'स्थायी भाव' में कई उद्देश संगठित रूप से अवश्य ही पाए जायेगे, हो सकता है कि एक ही 'उद्देश' बार-बार के अनुभव से 'स्थायी भाव' बन जाय। 'स्थायी भाव' तथ उत्पन्न होता है, जब 'उद्देश' किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा विचार के इर्द-गिर्द ~~लौटी~~ आ अन्य उद्देशों के साथ मिलकर संगठित हो जाता है। एक वालक को अपने जन्म के मकान के साथ विशेष प्रेम ही जाता है, दूसरे को उसी मकान के साथ घृणा का

भाव भी हो सकता है, तीसरे को उसके प्रति कोई भाव नहीं होता। नालङ् को इमी जास शिक्षक के प्रति प्रेम हो सकता है, भय हो सकता है, पृणा भी हो सकती है। इसी प्रकार सप्तार्द्ध, मादगो, न्याय, सच्चार्द्ध आदि के लिये वालकों में प्रेम, अद्वा आदि उत्पन्न हो सकते हैं। स्थायी भावों की रचना में तीसरी बात यह है कि वे जन्म से नहीं आते। जन्म में तो प्राकृतिक शक्तियाँ (Instincts) आती हैं, और शुरू-शुरू में वालक का सारा व्यवहार उन्हीं के अधीन रहता है। परन्तु नालक के मानसिक विकास के हो जाने पर उसका व्यवहार 'प्राकृतिक शक्तियों' के अधीन नहीं रहता, तब उसका व्यवहार 'स्थायी भावों' के अधीन हो जाता है। प्राकृतिक शक्तियों 'मानसिक रचना' (Mental Structure) का हिम्मा होती है, उम्मी बनावट में ओत प्रोत होती है, इसलिये वालक को अपने वश में रखती है, इसी प्रकार मनुष्य में 'स्थायी भाव' भी उसी मानसिक रचना के अभिन्न अवयव नन जाते हैं, उम्मी बनावट में ओत प्रोत हो जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जैसे वचपन में हम 'प्राकृतिक शक्तियों' (Instincts) के अधीन थे, वैसे नड़े होकर 'स्थायी भावों' (Sentiments) के अधीन हो जाते हैं।

'स्थायी भावों' का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है? 'सप्तेदन' के प्रकरण में हमने कहा था कि सप्तेदन दो प्रकार का होता है, 'इद्रिय-सप्तेदन' तथा 'भाव-सप्तेदन'। शुरू-शुरू में वालक उन्हीं पदार्थों के विषय में सप्तेदन पर सकता है जो

इंद्रिय-आव हैं, स्थूल हैं, देसे तथा स्पर्श किए जा सकते हैं। यह मानसिक विकास की पहली अवस्था है। इसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिये बालक के समाने पदार्थ का होना चाहरी है। इस अवस्था तक 'स्थायी भाव' की उत्पत्ति नहीं होती। मानसिक विकास की दूसरी सीढ़ी 'भाव-संवेदन' है। इसमें स्थूल विषय के समाने न रहते हुए भी उस वस्तु का विचार ही प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त होता है। यह अवस्था पहली अवस्था के बाद आती है, और उससे ऊँची है। मानसिक विकास की इस दूसरी अवस्था में ही 'स्थायी भाव' उत्पन्न होता है, पहली अवस्था में नहीं। दूसरी अवस्था के बाद मानसिक विकास की तीसरी अवस्था 'आत्म-सम्मान के स्थायी भाव' की आती है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे।

'स्थायी भावों' के निर्माण के लिये दो बातों का होना आवश्यक है :—

(क), वयोंके मानसिक विकास को दूसरी सीढ़ी पर ही 'स्थायी भाव' उत्पन्न हो सकता है, इसलिये 'स्थायी भाव' के निर्माण में पहली बात यह है कि मनुष्य में पदार्थ को समाने की शक्ति हो जाय, उसका पदार्थ के विषय में ज्ञान कहने-सुनने से ही प्राप्त न हुआ हो, परंतु वह उसे देरा चुका हो, समझ चुका हो, खूब अच्छी तरह से जान-बूझ चुका हो। अगर ठीक तरह के जान-बूझा न होगा, तो 'स्थायी भाव' किस चीज़ के प्रति होगा, अद्वात या अस्पष्ट-ज्ञात वस्तु फे प्रति 'स्थायी भाव' नहीं होता।

(स). उस पदार्थ के इर्द-गिर्द किसी एक अथवा अनेक उद्गों (Emotions) का संगठन होना भी आवश्यक है । अगर किसी पदार्थ के विषय में ज्ञान पूरी तरह से हो गया है, परंतु उसके साथ हमारा कोई उद्गोत्तमक संबंध नहीं हुआ, तो उस पदार्थ के विषय में हममें कोई 'स्थायी भाव' नहीं होगा । 'स्थायी भाव' वही भावी मानसिक शक्ति है । जिस बात के विषय में 'स्थायी भाव' बन जाता है, वह किन्ती ही दोटी हो, जीवन को मानो घेर लेती है । इसलिये शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालकों के स्थायी भावों को भावात्मक विचारों के साथ जोड़ने का प्रयत्न करे । उदाहरणार्थ, न्याय, सत्य, ईमानदारी आदि भावात्मक विचार हैं । अगर इन विचारों के साथ बालक के स्थायी भाव उत्पन्न हो जायें, तो जीवन में वह न्याय से प्रेम करनेवाला, सत्य पर ढढ़ रहनेवाला तथा ईमानदार आदमी बन जायगा, इसके विपरीत अगर इन विचारों के साथ कोई स्थायी भाव न हों, तो न्याय के मौजे पर वह अन्याय कर बैठेगा, सत्य बोलने के स्थान पर भूठ बोलने से नहीं भिजकेगा ।

परंतु प्रश्न यह है कि इन सूक्ष्म विचारों के साथ स्थायी भाव किस प्रकार उत्पन्न किए जायें ? बालकों को शिक्षा देनेवाले जानते हैं कि स्थूल पदार्थों के साथ उनके स्थायी भावों को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है । संसार का नियम ही स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है । शिक्षक वही आसानी से स्थूल पदार्थों के साथ बालक के स्थायी भावों को उत्पन्न कर सकता है ।

जब उनके साथ बालकों के स्थायी भाव उत्पन्न हो जायें, तो उन्हें स्थूल से सूक्ष्म भावों के साथ जोड़ देने का ही काम रह जाता है। स्थायी भाव को पहले 'विशेष' से जोड़ा जाता है, फिर 'सामान्य' से, और उसके बाद 'भावात्मक विचार' से। उदाहरणार्थ, हमने बालकों के हृदय में 'सत्य' के प्रति स्थायी भाव को उत्पन्न करना है। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई जाय। वे कहानी के हरिश्चंद्र से प्रेम करने लगेंगे, ऐसे हरिश्चंद्र से जो सज्जा था, जिसने सच के लिये अपने राज तक को छुकरा दिया। इसके बाद वे उन सब से प्रेम करने लगेंगे जो हरिश्चंद्र-सरीखे सत्यवादी हों, धार्मिक हों। जब हरिश्चंद्र तथा उस-सरीखे अन्य सत्य-वादियों के विषय में बालकों का स्थायी भाव बन जाय, तब शिक्षक कह सकता है, आखिर हरिश्चंद्र तथा उस-सरीखे दूसरे महापुरुष इसीलिये तो इतने महान् थे क्योंकि वे 'सत्य' पर बढ़ रहे। इस प्रक्रिया से बालकों में 'सत्य' के भावात्मक विचार के लिये श्रद्धा, प्रेम आदि का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया खुद-न-खुद रोज हमारे जीवन में काम करती हुई दीख भी पड़ती है। एक अध्यापक बालक को पीटता है, बालक को अध्यापक से घृणा उत्पन्न हो जाती है। अध्यापक पढ़ाता तो अच्छा है, परंतु वह घृणा उसके विषय के साथ भी हो जाती है, जिसे वह अध्यापक पढ़ाता है। बढ़ते-बढ़ते, कई बार उस स्थूल के प्रति घृणा हो जाती है जिसमें वह अध्यापक था। 'स्थूल से सूक्ष्म को तरफ मन अपने-आप जाता

रहता है। मन की इस प्रक्रिया का शिक्षक को लाभ उठाना चाहिए और इतिहास, भूगोल, नाहित्य आदि विषयों को पढ़ाते हुए देश-भक्ति, न्याय, सेवा, समाज-सुधार आदि वातों के लिये उसमें 'स्थायी भाव' उत्पन्न करते रहना चाहिए।

'स्थायी भाव' तथा 'आदत' में भेद है। एक बालक को लोटा साफ रखने की आदत है। वह लोटे को खूब मौजता है, जर कभी उसके हाथ में लोटा पड़ता है, वह उसे मौजकर खूब चमका देता है। परंतु यह ज़रूरी नहीं कि लोटा साफ रखने की आदत के कारण उसमें सफाई की भी आदत हो, वह हरएक वस्तु को सफा रखते। सफाई की आदत तब पड़ती है जब सफाई के साथ बालक के हृदय में 'स्थायी भाव उत्पन्न' हो जाता है। इस दृष्टि से शिक्षक का कर्तव्य है कि 'आदत' तथा 'स्थायी भाव' में भेद करे, और बालक में किसी वात के लिये 'आदत' डालने के बजाय उस वात के लिये 'स्थायी भाव' उत्पन्न करे।

४. 'आत्मसंभान' का स्थायी भाव'

हमने अभी कहा था कि मानसिक विकास की तीन सीढ़ियाँ हैं। इनमें से दो—'इंट्रिय-संवेदन' तथा 'भाव-संवेदन'—का बर्णन हम कर चुके हैं। इन दोनों के बाद तीसरी सीढ़ी क्या है? 'भाव-संवेदन' अथवा 'उद्वेग' में स्थूल पदार्थ की अनुपस्थिति में भी उद्वेग किसी भाव या विचार के साथ अपने को मंत्रद्वंद्व कर लेता है, जोड़ लेता है। हम बहुत अच्छे यिलाड़ी हैं। खेल के साथ हमारा 'स्थायी भाव' बन चुका है। हम अखबार पढ़ते हैं, तो

रेल-विपयक समाचारों की 'जिज्ञासा' के लिये ; किसी की प्ररंसा करते हैं, तो रिलाइंसों की ; सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो अच्छा रेलने परंतु फिर भी हार जानेवालों के साथ । हमारी संपूर्ण मानसिक रचना, हमारे संपूर्ण भाव तथा उद्देश रेल ही के आस-पास चक्र बाटते हैं, हम उसी के लिये मानो रह गए हैं, और किसी चीज़ के लिये नहीं । इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे व्यक्ति के जीवन में अन्य ही कोई 'स्थायी भाव' बना हुआ है, और उसकी एक-एक किया उसी 'स्थायी भाव' से चलती है । हमारे ही जोनन में कई 'स्थायी भाव' हो सकते हैं । तो क्या इन 'स्थायी भावों' का आपस में कोई संबंध नहीं ? इन्हें आपस में जोड़नेवाला कोई इनसे भी बड़ा भाव हममें नहीं है ? हमने 'प्राकृतिक शक्तियों' के अध्याय को प्रारंभ करते हुए कहा था कि आधारभूत प्राकृतिक शक्तियाँ तीन हैं । 'निमे', 'हीर्म', तथा 'संबंध-शक्ति' । मानसिक प्रक्रिया में 'संबंध-शक्ति' वडे महत्व की है । 'स्थायी भाव' भी तो तभी पेढ़ा होता है जब भावों का परस्पर संबंध स्थापित हो जाता है, वे आपस में स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं । तो हमारे स्थायी भावों को आपस में जोड़नेवाला सूत्र कौन-सा है ? स्थायी भाव (Sentiment) तो भिन्न-भिन्न उद्देशों (Emotions) को जोड़ता है, उनका राजा है ; प्रश्न यह है कि भिन्न-भिन्न स्थायी भावों को कौन जोड़ता है, इनका कौन राजा है ? बस, धालक में स्थायी भावों के भी सूत्र, इनके भी राजा, इनके भी शासक 'भाव' का उत्पन्न हो जाना ही मानसिक विकास की तीसरी सीढ़ी है ।

यह 'शासक स्थायी भाव' कैसे उत्पन्न होता है? पढ़ले कहा जा चुका है कि जब उद्देश किसी 'विषय' के साथ जुड़ जाते हैं तब स्थायी भाव उत्पन्न होता है। इस 'शासक स्थायी भाव' को उत्पन्न करने के लिये भी उन्हें किसी ऐसे 'विषय' के साथ जुड़ जाना चाहिए। यह विषय 'स्व' (Self) है। 'स्व' का अर्थ अपना आत्मा, 'भी' है। मैमूरगल का कहना है कि 'इर' के साथ, 'आत्मा' के साथ, 'अपने' साथ जब स्थायी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो स्थायी भावों का राजा 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव' (Self-regarding Sentiment) उत्पन्न हो जाता है, और तब से मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का शासक यही भाव बन जाता है।

परंतु 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव' कैसे उत्पन्न हो जाता है? हमने अभी कहा कि 'आत्म-सम्मान के स्थायी भाव' की रचना में 'स्व' आधार बनता है, उसके चारों तरफ स्थायी भाव जुड़ने लगते हैं। परंतु 'स्व' का ज्ञान वालक को कैसे होता है? वालक अपने चारों तरफ अनेक चीजें देखता है। वह खुद देखता, सुनता और बोलता है। शुम्ख-शुरू में वह भमझता है कि ये पदार्थ भी उसी की तरह देखते, सुनते वा बोलते हैं। वह घैठा-घैठा अपने खिलौनों के साथ धंटों बात किया करता है। परंतु धीरे-धीरे उसे ज्ञान होने लगता है कि खिलौना उससे यातें नहीं करता, वह यों ही पड़ा रहता है। इसके विपरीत वह देखता है कि उसकी परिस्थिति में कई ऐसे लोग हैं जो

उसी की तरह वातं करते हैं। इस भेद को देखकर उसके भीतर जड़चेतन का ज्ञान उत्पन्न हुई जाता है। पहले वह सिलोने को भी अपने-~~सरीखा~~^{छोटे} समझता था, अब वह चलने, फिरने, घोलनेवालों को ही अपने-सरीखा समझने लगता है। उसके ज्ञान की यह पहली अवस्था होती है। अभी तक वह अपने तथा दूसरों में भेद करना नहीं मीरा होता। दूसरी अवस्था में वह इस भेद को सोख जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ उसे पुचकारती है, उसका पिता उसे चीज़े लाकर देता है। बालक भी अपने से छोटे बच्चे को पुचकारने लगता है, उसे चीज़े लाकर देता है। माता-पिता उसके प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, अपने से छोटों के प्रति वह भी जैसा व्यवहार करने लगता है। इस अवस्था में उसमें 'स्व'-'पर' का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह अपने-आपको 'स्व' समझते लगता है, दूसरों को 'पर', तभी तो वह अपने से छोटों के साथ जैसा व्यवहार करता है जैसा माता-पिता उसके साथ करते हैं। जब बालक ने 'स्व' का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब इसके साथ स्थायी भाव जुड़ने लगते हैं, और 'स्व' के ज्ञान के विकास के साथ-साथ 'आत्म-सम्मान' के स्थायी भाव का धीरे-धीरे निर्माण होने लगता है। 'स्व' के साथ 'आत्म-सम्मान' का स्थायी भाव कैसे जुड़ता है? 'स्व' अपने आपको दो भागों में बांट लेता है - 'द्रष्टा' (I) और 'दृश्य' (Me)। पहले वह 'द्रष्टा' (I) के रूप में हरएक चीज़ को देखता है, और अपनों दृष्टि से प्रत्येक वस्तु को अच्छा या बुरा कहता है। परंतु

सामाजिक व्यवहार से उसे अनुभव होने लगता है कि दूसरे भी उसके विषय में अपने विचार रखते हैं, उसके व्यवहार के अच्छा या बुरा होने के विषय में अपना निर्णय देते हैं। दूसरों की इस दृष्टि के सम्मुख वह 'हश्य' ('Me') बन जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं ही दूसरों के विषय में अपनी राय नहीं देता, दूसरे भी मेरे विषय में अपनी राय देते हैं। पहले दूसरे ही उसे 'हश्य' बनाते थे, अब वह अपने लिये ही 'द्रष्टा' तथा 'हश्य' दोनों बन जाता है। अब वह दूसरों की अपने विषय में सम्मति को अपने लिये माप बना लेता है, उसी के अनुसार बनने का प्रयत्न करता है, उसका 'हश्य स्व' उसके लिये 'आदर्श स्व' बन जाता है। इन अवस्था में दूसरे उसके विषय में जो सम्मति रखते हैं उन्होंके प्रकाश में वह अपना 'आदर्श स्व' बना लेता है, और वह 'आदर्श स्व' ही उसके प्रत्येक कार्य का शामक बन जाता है। जब वह 'अवस्था उत्पन्न हो जाती है तब 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव' उत्पन्न हो जाता है। अब वह स्वयं 'द्रष्टा' बनकर अपने प्रत्येक कार्य की अपने 'हश्य स्व' अथवा 'आदर्श स्व' के माप से आलीचना करता है। अगर उसमें कोई द्युरे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वह सोचता है कि मेरे साथी, मेरे माता-पिता, गुरु सुके देखकर क्या कहेंगे, उन्होंने मेरी जो कल्पना कर रखती है उसके मैं प्रतिमूल जा रहा हूँ, मैं यह काम नहीं करूँगा, यह बात करना मेरे लिये ठीक नहीं है। इस प्रकार की मणिस्त्रिक प्रक्रिया इसलिये होती है कि इस बालक में 'आत्म-

सम्मान का स्थायी भाव' बन चुका होता है, वह अपने 'दृश्य स्व' के साथ प्रेम करने लगता है। शिक्षक की दृष्टि से वालक में 'आत्म-सम्मान के स्थायी भाव' का निर्माण घड़ा आवश्यक है। वालक में जो भी 'आदर्श स्व' की कल्पना हुई है, वह माता-पिता, साथी तथा गुरुओं के द्वारा ही उत्पन्न की हुई है। 'स्व' के विषय में ऊँची कल्पना उत्पन्न करने के स्थान पर वे नीचा भाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। अगर किसी वालक को सदा भूठा कहा जायगा, तो उसके 'स्व' की कल्पना यही हो जायगी कि मैं भूठा हूँ। वह अगर भूठ योलेगा, तो मिलकेगा नहीं, क्योंकि वह सोचेगा, मैं भूठा तो हूँ ही, मेरे माता-पिता मुझे भूठा कहते हैं, मेरे गुरु मुझे भूठा कहते हैं, मैं भूठ ही बोल सकता हूँ, सच नहीं योल सकता। इस वालक में 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव' उत्पन्न हो जाता है, वह जीवन में गिरता नहीं, उठता ही जाता है, वह ऐसा ही काम करता है, जो उसके आत्मा को ऊँचा उठाता है। आगर वह गिरने लगता है, तो वह अपने को ही संबोधन करके पूछता है, क्या ऐसा करना मुझे शोभा देता है? उसके शिक्षक भी उसे उल्टे रास्ते पर जाते देखकर कहते हैं, यह तुम्हें शोभा नहीं देता! उस समय 'आदर्श स्व' को सामने रखकर, उसके माप से, उसके मुकाबिले में ही कहा जाता है, 'मुझे शोभा नहीं देता', या 'तुम्हें शोभा नहीं देता!' इस 'आदर्श स्व' के प्रति प्रेम, सम्मान का भाव उत्पन्न कर देना, अर्थात् 'आत्म-सम्मान के स्थायी भाव' को उत्पन्न कर देना शिक्षक का सबसे मुख्य कर्तव्य है।

अष्टम अध्याय

‘व्यवसाय’, ‘चंरित्र’ तथा ‘विषम जाल’

१. ‘व्यवसाय’ (Will)

‘कृति’-शब्द का विस्तृत अर्थों में भी प्रयोग होता है। इसमें शरीर तथा मन की सब प्रकार की चेष्टाएँ आ सकती हैं। आँख के फड़कने से लेकर देश के राज्य करने तक सब ‘कृति’ में आ सकता है। परंतु ‘व्यवसाय’-शब्द इतना विस्तृत नहीं। ‘कृति’ में ऐच्छिक (Voluntary) तथा अनैच्छिक (Involuntary) क्रियाएँ सब समाविष्ट हो सकती हैं; ‘व्यवसाय’ (Will) में केवल ऐच्छिक क्रियाएँ गिनी जाती हैं। हम यहाँ पर ‘अनैच्छिक क्रियाओं’—सहज-क्रिया (Reflex Action), प्राकृतिक-क्रिया (Instinctive Action), विचार-क्रिया (Ideo-motor Action)—का वर्णन न करके केवल ‘ऐच्छिक क्रिया’ का वर्णन करेगे।

‘व्यवसाय’ (Will) ऐच्छिक क्रिया है। ‘व्यवसाय’ का प्रारंभ ‘ज्ञान’ से होता है। जिस वस्तु के विषय में हमें ज्ञान नहीं, जिसका हमें पता नहीं कि वह क्या है, उसके विषय में ‘व्यवसाय’ क्या हो सकता है? ‘ज्ञान’ के बाद दूसरी वस्तु ‘इच्छा’ (Desire) है। यह हो सकता है कि हमें किसी वस्तु का ज्ञान

हो, परंतु उसके विपय में कोई इच्छा न हो। 'व्यवसाय' तभी होगा जब उस वस्तु के ज्ञान के साथ इच्छा भी रहेगी। परंतु इतना भी काफी नहीं है। हो सकता है, हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो, उसके लिये इच्छा भी हो, किंतु वह दुष्प्राप्य हो। इसलिये 'व्यवसाय' के उत्पन्न होने में तीसरी शर्त वह भी है कि 'ज्ञान' तथा 'इच्छा' के साथ हमें यह भी 'विश्वास' हो कि वह वस्तु हमें प्राप्त हो सकती है, वह हमारे लिये दुष्प्राप्य नहीं है। जब ये तीनों वांते होंगी, तब 'व्यवसाय' हो सकता है।

'व्यवसाय' में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या होती है? हमारे मन में कोई 'प्रयोजन' (Purpose) होता है। अगर एक ही प्रयोजन हो, तब तो कोई कठिनाई नहीं होती। 'प्रयोजन' खुदन्व-खुद किया में परिणत हो जाता है। परंतु अक्सर ऐसा नहीं होता कि मन में एक ही प्रयोजन हो। होता यह है कि मन में एक प्रयोजन है, परंतु उस प्रयोजन के क्रिया में परिणत होने में अनेक रुकावटें भी भौजूद हैं। सबसे बड़ी रुकावट यह होती है कि मन में कई परस्पर-विरुद्ध 'प्रयोजन' (Purposes) उत्पन्न हो जाते हैं, और उनके पारस्परिक संग्राम में हम यह निश्चय नहीं कर पाते कि किस प्रयोजन को पूरा करें, और किसे न करें। यह द्विविद्या की अवस्था होती है। इस अवस्था में 'व्यवसाय'-शक्ति (Will) निर्णय कर देती है। यह निर्णय कैसे होता है? द्विविद्या की अवस्था देर तक नहीं बनी रह सकती। मनुष्य किसी निश्चय पर पहुँचना चाहता है। निश्चय पर पहुँचने के लिये

‘प्रयत्न’ (Effort) करना पड़ता है। ‘द्विविधा’ (Conflict) की अवस्था में ‘प्रयत्न’ (Effort) द्वारा ही किसी एक मार्ग को चुना जाता है। ‘प्रयत्न’ द्वारा मनुष्य में साधारण अवस्था की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उस शक्ति द्वारा वह किसी एक तरफ निश्चय कर देता है। मन में कई ‘प्रयोजन’ उत्पन्न न हों, तो द्विविधा की अवस्था भी न हो, ‘द्विविधा’ की अवस्था न हो, तो प्रयत्न न हो, ‘प्रयत्न’ न हो, तो व्यवसाय न हो, निश्चय की अवस्था उत्पन्न न हो, ‘व्यवसाय’ न हो, तो कोई काम न हो। इसी भाव को यों भी कह सकते हैं कि किसी विचार को व्यवसाय तक पहुँचने के लिये चार प्रत्रियाओं में से गुज़रना चाहुरी है —

(१) पहले विचारों का सप्रह होना आवश्यक है। जिस काम को हम किया में परिणत करना चाहते हैं, उसके अनुकूल-प्रतिकूल सभ चारों का ज्ञान चाहुरी है ।

(२) इसके बाद हम अनुकूल तथा प्रतिकूल पह की एक-एक युक्ति को लेकर विचार करते हैं। अनुकूल युक्तियाँ भी काफी मिल जाती हैं, प्रतिकूल भी काफी। विचारन्सधर्प की इस अवस्था में द्विविधा उत्पन्न हो जाती है। हम न यह कर सकते हैं, न यह कर नस्कते हैं। इस समय या तो हम सोचना छोड़-कर कोई तीसरा ही काम हाथ में ले सकते हैं, या विचारों के सप्रह में से किसी एक को चुन सकते हैं।

(३) इस प्रकार किसी एक विचार को चुन लेना तीसरा कदम है।

(४). चुनने के बाद मनुष्य संकल्प कर लेता है, और विचार किया में परिणत हो जाता है ।

‘व्यवसाय’ की उक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के लिये हम एक हृष्टांत ले लेते हैं । हम विस्तर पर पढ़े सो रहे हैं । सुधह हो गई । आँख खुली । काम से जुट जाने का वक्त है । एक भाव सामने आता है, उठो, मुँह-हाथ धोकर तैयार हो जाओ । परंतु सर्दी बहुत पड़ रही है, कौन उठे, विस्तरे में तो छूब गमी है, आनंद से लेट रहो । इन दो परस्पर-विरुद्ध प्रयोजनों (Purposes) के मन में उत्पन्न हो जाने पर संप्राप्त छिड़ जाता है । दोनों पक्षों के अनुकूल तथा प्रतिकूल युक्तियाँ आती हैं । एक विचार कहता है, आलसी मत बनो, कर्तव्य का पालन करो ; दूसरा कहता है, इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर में काम कर लेना । इस विचार-संघर्ष में कर्तव्य का विचार प्रबल हो उठता है, और हम विस्तर छोड़कर यदे हो जाते हैं । परंतु सदा कर्तव्य का विचार ही प्रबल हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है । प्रायः कर्तव्य का विचार निर्बल रहता है, आलस्य का विचार प्रबल रहता है । ऐसी अवस्था में ‘प्रयत्न’ के द्वारा साधारण की अपेक्षा अधिक शक्ति उत्पन्न करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर कहीं आलस्य के भावों को दबाया जा सकता है । इस प्रकार ‘प्रयत्न’ (Effort) की सहायता से निर्बल भावों को प्रबल और प्रबल को निर्बल बनाया जा सकता है । जेन्स ने इसी बात को गणित की परिभाषा में यों प्रकट

किया है कि 'उच्च आदर्श' को क्रिया में परिणत करने की भावना के साथ अगर 'प्रयत्न' न जोड़ा जाय, तो उसकी शक्ति 'स्वाभाविक प्रवृत्ति' से कम रहती है; परंतु अगर 'उच्च आदर्श' के साथ 'प्रयत्न' जोड़ दिया जाय, तो उसकी शक्ति 'स्वाभाविक प्रवृत्ति' से बहुत ज्यादा हो जाती है। 'स्वाभाविक प्रवृत्ति' का मार्ग आसान मार्ग है, उसमें कोई नकाबट नहीं, कोई कठिनाई नहीं। इसलिये अगर 'प्रयत्न' द्वारा शक्तिसंग्रह न किया जाय, तो मनुष्य न्यूनतम वाधा के मार्ग का अवलंबन करेगा। परंतु 'प्रयत्न' अबवा 'व्यवसाय' द्वारा वह अधिकृतम वाधा के मार्ग का अवलंबन करता है, और कृत्कार्यता से उसे पार कर लेता है।

परंतु 'प्रयत्न' के द्वारा साधारण की अपेक्षा अधिक शक्ति कैसे उत्पन्न हो जाती है ? कई लोगों का कहना है कि 'प्रयत्न' (Effort), 'व्यवसाय' (Will) का गुण है, और 'व्यवसाय' द्वारा ही 'प्रयत्न' में साधारण की अपेक्षा अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। परंतु व्यवसाय में इस प्रकार का गुण कहाँ से आया ? 'व्यवसाय' में यह शक्ति 'आत्म-सम्मान के स्वायी भाव' (Self-regarding Sentiment) से आती है। कल्पना को जिए कि एक वालक में 'आत्म-सम्मान का स्वायी भाव' उत्पन्न हो चुका है। वह कक्षा में सदा प्रथम रहा है। उसका इन्तिहान भी न खोड़ता है। इन्हों दिनों शहर में एक नाटक हो रहा है। उसकी चारों तरफ बड़ी धूम है। यह वालक सोचता है, मैं भी देस आऊँ, फिर नाटक-कंपनी चलो जायगी। प्रलोभन बड़ा चर्वर्दस्त है।

परंतु उसके साथी यह आशा करते हैं कि वह इमित्रिहान में पहला आएगा। वह सोचता है, अगर मैं नाटक देखने गया, तो तैयारी ठीक से न कर सकूँगा। 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव' नाटक न देखने की निर्बल भावना को प्रबल बना देता है, और वह नाटक देखने नहीं जाता। इस प्रकार 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव' 'प्रयत्न' में साधारण को अपेक्षा अधिक शक्ति को उत्पन्न कर देता है। उच्च आदर्शों को क्रियात्मक रूप देने में 'आत्म-सम्मान के स्थायी भाव' का बड़ा महत्व है।

'व्यवसाय' के विषय में जो बातें कही गई हैं, शिक्षा की दृष्टि से बड़ी आवश्यक हैं। कोई भी विचार तब तक क्रिया में परिणत नहीं होता जब तक उसका 'प्रयोजन' (Purpose) नहीं होता। इसी प्रकार वालक के सम्मुख जब तक 'प्रयोजन' (Purpose) न हो तब तक वह योंही समय बिताता है। जब कोई काम करना हो, तो प्रयोजन, उद्देश्य या लक्ष्य का बना लेना सब से ज्यादा आवश्यक है। प्रयोजन होगा तो सचि भी होगी, अवधान भी होगा, व्यवसाय भी होगा; प्रयोजन नहीं होगा, तो सचि भी नहीं होगी, ध्यान भी नहीं लगेगा, काम भी कुछ नहीं होगा। यही भनोवैज्ञानिक सत्य 'प्रोजेक्ट पद्धति' के आधार में है।

२. चरित्र (Character)

हम पहले देख चुके हैं कि 'प्राकृतिक शक्तियों' जन्म-सिद्ध हैं, और वे वालक की प्रत्येक क्रिया को प्रेरित करती हैं। चरित्र भी वालक की प्रत्येक क्रिया को प्रेरित करता है, परंतु यह जन्म-

सिद्ध (Innate) नहीं है, अर्जित (Acquired) है। वालक का 'प्राकृतिक व्यवहार' (Instinctive Behaviour) तो 'प्राकृतिक शक्तियों' (Instincts) के द्वारा प्रेरित होता है, परंतु ज्यों-ज्यों वह बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों प्राकृतिक व्यवहार की जगह वह व्यवहार आता जाता है, जिसे वह मातानपिता, साथियों, गुरुओं तथा समाज से सीखता है। इसी को 'चरित्र' कहते हैं। 'चरित्र' में 'आदत' का अंश भी रहता है। मनुष्य को एक खास प्रकार की परिस्थिति में एक खास ढंग के व्यवहार करने की 'आदत' पड़ जाती है। इसलिये कई लोग 'चरित्र' (Character) को 'आदतों का समूह' (Bundle of Habits) कहते हैं। परंतु 'चरित्र' 'आदतों' के अतिरिक्त भी बहुत-कुछ है। 'आदत' यांत्रिक होती है; जैसी आदत पड़ जाय, वैसा करने को मनुष्य याधित होता है; 'चरित्र' यांत्रिक नहीं होता। चरित्र में आदत तो होती है, परंतु भिन्न-भिन्न स्थिति में मनुष्य उसी स्थिति के अनुकूल भिन्न-भिन्न व्यवहार कर सकता है। जीवन में एक ही स्थिति वार-वार उत्पन्न नहीं होती। अगर एक ही स्थिति वार-वार उत्पन्न होती हो, तब तो 'आदत', काम दे सकती है। परंतु भिन्न-भिन्न स्थितियों का मुकाबला करने के लिये 'चरित्र' ही काम दे सकता है। 'चरित्र' में भिन्न-भिन्न स्थितियों का मुकाबला करने की शक्ति कहाँ से आती है? 'स्थायी भावों' से। 'स्थायी भावों' के प्रकरण में हम पहले भी बतला चुके हैं कि उनमें तथा 'आदत' (Habit) में भेद है।

‘आदत’ का प्रभाव जीवन के किसी एक पहलू पर ही होता है, ‘स्थायी भाव’ का प्रभाव संपूर्ण जीवन पर होता है। क्योंकि चरित्र को ‘स्थायी भावों’ से शक्ति प्राप्त होती है, ‘आदत’ से नहीं, इसलिये चरित्र का जीवन पर प्रभाव स्थायी भावों की तरह का होता है, आदतों की तरह का नहीं।

चरित्र के विकास में तीन क्रम दीख पड़ते हैं। ड्रैवर ने दो दृष्टियों से इसके तीनन्तीन विभाग किए हैं। पहली दृष्टि ‘संवेदन’ (Feeling) की है। ‘संवेदन’ की दृष्टि से चरित्र के विकास के निम्न तीन विभाग किए गए हैं:—

(क). अपरिपक संवेदन की अवस्था (Crude Emotion)

(ख). स्थायी भाव की अवस्था (Sentiment)

(ग). आदर्श उत्पन्न हो जाने की अवस्था (Ideal)

‘ज्ञान’ (Knowing) की दृष्टि से भी ड्रैवर ने चरित्र के विकास को तीन भागों में बॉटा है। वे विभाग निम्न हैं:—

(क). इंद्रियानुभव की अवस्था (Perceptual)

(ख). भावानुभव की अवस्था (Ideational)

(ग). तर्कानुभव की अवस्था (Rational)

मैग्हार्गल ने चरित्र के विकास में चार क्रमों का प्रतिपादन किया है। वे ये हैं:—

(क). सुख-नुख से निर्धारित चरित्र

(ख). पारितोषिक तथा दंड से निर्धारित चरित्र

(ग). प्ररांसा तथा निंदा से निर्धारित चरित्र

(घ). आदर्श (आत्म-सन्मान के स्थायी भाव) से निर्धारित चरित्र

मनुष्य का चरित्र उक्त चार क्रमों में से गुजरता हुआ आदर्श उक्त पहुँचता है । मैग्हगल ने जिन क्रमों का प्रतिपादन किया है, इम उनकी संक्षेप से व्याख्या करेंगे :—

(क). वालक दूर की नहीं सोच सकता, इसलिये प्रारंभिक अवस्था में उसके चरित्र का निर्धारण उन वातों से ही होता है जिनका उस पर सुख तथा दुःख के रूप में तात्कालिक प्रभाव होता है । वह आग से खुद-वन्खुद बचता है, क्योंकि इससे उसका हाथ जलता है । मिठाई को देसकर उसे मुँह में डाल लेता है, क्योंकि इससे उसे मिठास का आनंद मिलता है । ढूँबर के वर्गीकरण में यह ‘अपरिपक संवेदन’ तथा ‘इंद्रियानुभव’ की अवस्था है ।

(ख). इसके बाद वालक के विकास में वह अवस्था आती है जब कि उसके चरित्र का निर्धारण सुख-दुःख की प्राकृतिक शक्तियों पर ही नहीं रहता, वह शिक्षक के ढर से काम करने लगता है । उस ढर के साथ पारितोषिक का भाव मिलकर चरित्र-निर्माण में सहायक बनता है । अगर अमुक काम करोगे, तो इनाम मिलेगा, अमुक करोगे, तो दंड मिलेगा । इनाम के लोभ तथा दंड के भय से वालक बैसा ही करता है जैसा शिक्षक उससे कराना चाहता है । शिक्षक पारितोषिक देने के प्रलोभन तथा दंड

के भय से घालक से बहुत-कुछ करा सकता है, परंतु अंत तक इसी व्यवहार का रहना घालक के मानसिक विकास में घाव सिद्ध होने लगता है। वह विना इनाम या विना दंड के कुछ करता ही नहीं। द्वैवर के वर्गीकरण में यह 'स्थायी भाव' अथवा 'भावानुभव' की अवस्था है।

(ग), कुछ देर बाद जब घालक में स्थायी भाव उत्पन्न हो लगते हैं, तब उसके चरित्र का निर्धारण प्रशंसा तथा निंदा से होने लगता है। आब उसे इनाम तथा भय का उतना ध्यान नहीं रहता जितना अपने साथियों तथा गुहश्लों की अपने विषय में सम्मति का। जिस बात से वे उसकी प्रशंसा करते हैं, वह उसे करता है; जिससे निंदा करते हैं, उसे नहीं करता। शिद्धक घालक के चरित्र-निर्माण में निंदा तथा प्रशंसा के बहुमूल्य साधन का बड़ी सफलता से प्रयोग कर सकता है। द्वैवर के वर्गीकरण में यह 'स्थायी भाव तथा भावानुभव' की ही अवस्था है। मैट्ट-गल के चक्र दो वर्गों की जगह द्वैवर ने एक ही विभाग किया है।

(घ). चरित्र-निर्माण में अंतिम अवस्था यह है जब घालक में 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव' (Self-regarding Sentiment) उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में युवक सुख वा हुँर, प्रलोभन वा दंड, प्रशंसा वा निंदा, किसी की परवाह नहीं करता। उसके सामने एक आदर्श वन चुका होता है, उस आदर्श के पीछे वह पागल हो जाता है। इस अवस्था में वह कर्तव्य को संसार के प्रत्येक प्रलोभन के पहले स्थान देता है। यह

केसी काम को करता हुआ यह नहीं सोचता कि इसमें सुख होगा ज्ञा दुःख होगा, लोग प्रशंसा करेंगे या निदा करेंगे; यह सोचता है, यह काम उसकी आत्मा को शांति देगा या न देगा। 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव' उसके जीवन की हरएक क्रिया, हरएक पहलू को प्रभावित करता है, उसके संपूर्ण व्यवहार में यही भाव ओत-ओत हो जाता है। चरित्र-निर्माण की यह सबसे ऊँची सीढ़ी है, और इस सीढ़ी तक पहुँचना ही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब चरित्र-निर्माण इस अवस्था तक पहुँच जाता है तब युवक के मानसिक विचारों में परस्पर संघर्ष नहीं होता, उनका प्रयाह एक ही दिशा में बहने लगता है, उसके मन, बचन तथा कर्म में एक अपूर्व समता का राज्य हो जाता है।

३. 'विषम जाल' (Complexes)

हम बतला चुके हैं कि मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण 'स्थायी भावों' (Sentiments), 'व्यवसाय' (Will) तथा 'चरित्र' (Character) द्वारा होता है। परंतु हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से जानता है कि हमारे सब उद्देश्य क्रिया में परिणत नहीं होते। जो हो जाते हैं वे विकसित होते चले जाते हैं, परंतु जो भाव, जो उद्देश्य प्रकट नहीं होते उनका क्या होता है?

कई कहते हैं कि उनमें से बहुत-से तो भुला दिए जाते हैं; कई भाव अपने भौंके के इंतजार में बैठे रहते हैं; कई भिन्न-भिन्न प्रकार से रूपांतरित होते रहते हैं। इस विषय में 'मनोविश्लेषणवादी', 'फ़ॉयड, एडलर तथा जंग' ने विस्तृत विवेचन

किया है। उनका कहना है कि स्थायी भाव, व्यवसाय तथा -^२- तो 'ज्ञात चेतना' का विषय हैं, जो भाव दवा दिए जाते हैं^३- 'अज्ञात चेतना' में चले जाते हैं। 'अज्ञात चेतना' में पड़े पड़े वे दो काम करते हैं —

(क) मनुष्य के व्यवहार को उसके बिना जाने प्रभावित करते रहते हैं, और

(ख) अदर-अदर अन्य द्वे भावों के साथ मिलकर 'विषम जाल' बनाते रहते हैं। वे मनुष्य की मानसिक रचना का जबरदस्त हिस्सा बन जाते हैं, इसीलिये उन्हे 'विषम जाल' (Complexes) कहते हैं।

'स्थायी भाव' भी मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, 'विषम जाल' भी, परंतु इनमें ऐदृश है कि 'स्थायी भाव' 'ज्ञात चेतना' में रहते हैं, 'विषम जाल' 'अज्ञात चेतना' में, 'स्थायी भाव' जिसमें होते हैं उसे उनका ज्ञान होता है, 'विषम जाल' जिसमें होते हैं, उसे उनका ज्ञान नहीं होता।

शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक में उक्त प्रकार के 'विषम जाल' न बनने दे। इनके विषय में हम विस्तार से तृतीय अध्याय में लिख चुके हैं।

‘नवम अध्याय

तंतु-संस्थान, निर्विकल्पक, सविकल्पक तथा पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष

‘मानसिक प्रक्रिया के हमने तीन विभाग किए हैं : ‘ज्ञान’, ‘संवेदन’ तथा ‘व्यवसाय’। इनमें से ‘संवेदन’ तथा ‘व्यवसाय’ का वर्णन हम कर चुके, अब ‘ज्ञान’ का वर्णन करेंगे। ‘ज्ञान’ में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष, पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष, रुचि, अवधान, प्रत्यय-संबंध, स्मृति, कल्पना, विचार, तर्क, शिक्षण तथा स्वभाव आ जाते हैं। अगले अध्यायों में हम इन्हीं का वर्णन करेंगे।

हमारे ‘ज्ञान’ का भौतिक आधार मस्तिष्क है, इसलिये मस्तिष्क की रचना पर कुछ प्रारंभिक वातों का वर्णन कर देना आवश्यक है।

१. तंतु-संस्थान (Nervous System)

हम कई प्रकार के अनुभव तथा कई प्रकार की क्रियाएँ करते हैं। इन सबके नियंत्रण के लिये शरीर में बड़ा सुव्यवस्थित प्रबंध है। जिस प्रकार तार-घर में तारें लगी होती हैं, और वहाँ से हम जहाँ चाहें वहाँ संदेश भेज सकते हैं, इसी प्रकार शरीर में भी तंतुओं (Nerves) का जाल-सी विद्धा हुआ है।

शरीर के भिन्न-भिन्न भागों से ततु मस्तिष्क में पहुँचते हैं, और वहाँ से दूसरे तंतुओं के द्वारा संदेश वाहर को भेजा जाता है। तंतुओं के इस संपूर्ण संस्थान को 'तंतु-संस्थान' कहते हैं। 'तंतु-संस्थान' को तीन भागों में वॉटा गया है —

क. मस्तिष्क तथा मेरुदण्ड। यह 'केंद्रिय तंतु-संस्थान' (Central Nervous System or Cerebro-spinal System) कहाता है।

ख. तंतु-जाल, जो मस्तिष्क तथा मेरुदण्ड से शुरू होकर आँख, नाक, कान, त्वचा आदि में फैल रहा है, इसे 'तक्तु-संस्थान' (Peripheral Nervous System) कहते हैं।

ग. 'जीवन-योनि संस्थान' (Sympathetic Nervous System).

(क). 'केंद्रिय तंतु-संस्थान' (Central Nervous System) में मस्तिष्क के चार अंग आ जाते हैं :—

१. बड़ा दिमाग (Cerebrum)

२. मेरुदण्ड (Spinal cord)

३. छोटा दिमाग (Cerebellum)

४. सेतु (Pons)

(१) बड़ा दिमाग (Cerebrum)—सिर की सोपड़ी के भीतर जो भेजा होता है वही दिमाग कहाता है। इसमें जो हिस्सा भौंओं के सामने से चलकर सिर के पीछे उभरे हुए स्थान तक चला जाता है, वह 'बड़ा दिमाग' कहाता है। यह दो अर्ध-वृत्तों में

थंगा रहता है, और इसकी शक्ति अग्ररोट की गिरी-जैसी होती है। अग्ररोट की गिरी में जैसी दरारें होती हैं वैसी इसमें भी पाई जाती हैं। ये दरारें मस्तिष्क को भिन्न-भिन्न भागों में बॉटती हैं। जिसमें जितनी अधिक दरारें होती हैं, उसमें उतनी अधिक चस केंद्र की शक्ति मानी जाती है। बड़े दिमाग में ज्ञानेंद्रियों के केंद्र रहते हैं। आँख, नाक, कान, जिहा आदि से ज्ञान-वाहक तंतु बड़े दिमाग में ही जाते हैं, इसलिये बड़े दिमाग को भिन्न-भिन्न ज्ञानों का केंद्र समझा जाता है। ज्ञानेंद्रियों के केंद्र बड़े दिमाग के किस हिस्से में रहते हैं? अगर बड़े दिमाग की किसी बड़ी तह को लेकर काटा जाय, तो उसके दो रंग दिखाई देंगे। जैसे कदूदू को काटें, तो छिलके के नष्टीक का हिस्सा कुछ लालिमा लिए होता है, और भीतर का सकेदी लिए; इसी प्रकार बड़े दिमाग की किसी तह को काटें, तो बाहर की परत के साथ का हिस्सा भूरे रंग का और भीतर का सकेद रंग का दिखाई देता है। भूरे रंग के इस पदार्थ को 'कॉरटेक्स' (Cortex) कहते हैं, और मस्तिष्क की रचना में यही मुख्य पदार्थ है। ज्ञान-तंतु 'कॉरटेक्स' में इंद्रिय के ज्ञान को ले जाते हैं। 'कॉरटेक्स' में प्रत्येक इंद्रिय के ज्ञान को प्रहण करने का एक-एक केंद्र होता है। ज्ञान-वाहक तंतु इसी केंद्र तक ज्ञान पहुँचा देता है। ज्ञान को प्रहण करने के केंद्रों के अतिरिक्त 'कॉरटेक्स' में चेष्टा के केंद्र भी रहते हैं। ज्ञान-तंतु द्वारा 'ज्ञान के केंद्र' (Sensory Centre) तक जब किसी इंद्रिय का ज्ञान पहुँचता है, तो

‘चेष्टान्केंद्र’ (Motor Centre) को क्रिया करने का हुक्म होता है। ‘ज्ञान-केंद्र’ तथा ‘चेष्टान्केंद्र’ को मिलानेवाले कुछ वंतु हैं जिन्हें ‘संयोजक वंतु’ (Association Fibres) यहते हैं। ‘ज्ञान-केंद्र’ से जो ज्ञान आता है, उसे समझकर ‘चेष्टान्केंद्र’ को हुक्म दिया जाता है, यिनी समझे नहीं दिया जाता, यह बात तो स्पष्ट है। परंतु समझने के इस काम को कौन करता है? ‘ज्ञान-केंद्र’ खुद तो समझ नहीं सकते। ‘आत्मा’ को न माना जाय, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है? परंतु मनोविज्ञान इस प्रश्न को यही छोड़ आगे चल देता है, क्योंकि यह मनोविज्ञान का विषय नहीं है, ‘अंतिम सत्तावाद’ का प्रश्न है। मनोविज्ञान इतना ही कहता है कि अगर हमारे सामने फूल है, तो ज्ञान-वाहक वंतु कॉरटेक्स में ‘ज्ञान-केंद्र’ के पास पुण्य का अनुभव भेज देते हैं, वहाँ से ‘चेष्टान्केंद्र’ चेष्टा-वाहक वंतुओं द्वारा क्रिया करते हैं, और हाथ फूल को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार जब घड़ा दिमाग काम करता है, तो ‘ज्ञानपूर्वक चेष्टा’ होती है, इसे ऐच्छिक (Voluntary) क्रिया कहा जाता है, इसमें दिमाग सीधा अपने आप काम करता है।

परंतु हमारी सब क्रियाएँ ऐच्छिक ही हों, ज्ञानपूर्वक ही हों, सब में दिमाग सीधा ही काम करे, यह बात नहीं है। कई क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें दिमाग सीधा काम नहीं करता। वे क्रियाएँ ‘पुष्ट-न्यंश’ द्वारा होती हैं जिसे ‘मेल्डंड’ कहते हैं।

(२) मेल्डंड (Spinal Cord)—जिस प्रकार कई

बड़े-बड़े दफ्तर होते हैं, उनके नीचे कई छोटे दफ्तर उन्हीं का काम हल्का करने के लिये होते हैं, इसी प्रकार बड़े दिमाग के कई काम इसके छोटे दफ्तर में दृढ़ के सुपुर्द हैं। मेरदृढ़ रीढ़ की हड्डी का नाम है, जो गर्दन से शुरू होकर नीचे तक चली गई है। इसमें कई मोहरे हैं और इन मोहरों में वही भूरा तथा सफेद पदार्थ होता है जो बड़े दिमाग में पाया जाता है। बड़े दिमाग से ततुओं के बारह जोड़े सो सीधे चेहरे, आँख, नाक, कान, जीभ में चले जाते हैं, इकतीस 'ततु-युगल' मेरदृढ़ में से होकर शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रसार नहूत-से कानों के लिये मेरदृढ़ शरीर तथा बड़े दिमाग में माध्यम का काम करता है। देखने, सूँधने, चलने आदि में सीधा बड़ा दिमाग काम करता है, परन्तु अगर कॉटा चुम जाय, तो पाँव को एकदम रीच लेने का काम नड़ा दिमाग नहीं करता। यह काम बड़े दिमाग ने मेरदृढ़ के सुपुर्द कर रखता है। सहज-क्रियाओं (Reflex Actions) का नियन्त्रण मेरदृढ़ से होता है, ऐन्ध्र क्रियाओं का नियन्त्रण नड़े दिमाग से होता है। कई 'जन्मसिद्ध ऐन्ध्र क्रियाएँ' (Innate Reflexes) होती हैं, जैसे, आँख का अपकूना, कई 'अनित ऐन्ध्र क्रियाएँ' (Acquired Reflexes) होती हैं, जैसे, चलना, वाइसिस्टल चलाना। 'अनित ऐन्ध्र क्रियाएँ' शुरू-शुरू में बड़े दिमाग से होती हैं, अभ्यास हो जाने पर उनका नियन्त्रण मेरदृढ़ से होता है।

(३) छोटा दिमाग (Cerebellum)—यह खोपड़ी के भीतर, गले से ऊपर, बड़े दिमाग के नीचे, एक कनपटी से दूसरी कनपटी तक फैला रहता है। इसका काम शरीर की गति का नियंत्रण करना है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, सड़े होना, इन सबका संचालन इसी से होता है। कई लोग इसे सांसारिक प्रवृत्तियों का भी केंद्र मानते हैं। प्रेम-भाव, सजाज-प्रेम, दांपत्य स्नेह, बात्सल्य भाव, मैत्री भाव आदि का केंद्र छोटा दिमाग समझ जाता है।

(४) सेतु (Pons)—यह छोटे दिमाग के दोनों अंधृतों को ऊपर से मिलाए रहता है।

(ख). 'तंतु-संस्थान' (Peripheral Nervous System) में ये तंतु गिने जाते हैं; 'शान-वाहक तंतु' (Sensory Nerves) तथा 'चेष्टा-वाहक तंतु' (Motor Nerves).

जिस प्रकार शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों की रचना 'कोष्ठों' (Cells) द्वारा होती है, इसी प्रकार ज्ञान तथा चेष्टा-वाहक तंतु भी 'कोष्ठों' (Cells) से बने हैं। इन कोष्ठों को 'तंतु-कोष्ठ' (Nerve Cells) कहते हैं। 'तंतु-कोष्ठ' गोल-गोल-से कोष्ठक नहीं होते, ये पतले, लंबे धागे-से होते हैं। इनके बीच में एक गाँठ-सी होती है, जिसे 'कोष्ठ-शरीर' (Cell-body) कहते हैं। 'कोष्ठ-शरीर' के दोनों तरफ, दाँ-बाँ जो धागे-से होते हैं उनसे मिलकर पूरा 'तंतु-कोष्ठ' (Nerve Cell) बनता है। बड़ा होकर यह 'तंतु-कोष्ठ' दोनों ओर की ओर तक का ही जाता है।

इस प्रकार के अनेक, परंतु एक ही सदृश, 'तंतु-कोष्ठ' (Nerve Cells) मिलकर 'ज्ञान-वाहक तंतु' तथा 'चेष्टा-वाहक तंतु' को बनाते हैं। हमने अभी कहा था कि 'तंतु-कोष्ठ' पर एक गाँठ-सी होती है, जिसे 'कोष्ठ-शरीर' (Coll-body) कहते हैं। जब 'तंतु-कोष्ठों' के मिलने से 'वाहक तंतु' (Nerves) बनते हैं तब 'कोष्ठ-शरीर' भी परस्पर मिल जाते हैं, और इस प्रकार जो कोष्ठ-समूह बनता है उसे 'कोष्ठ-समूह' (Ganglion) कहते हैं। 'ज्ञान-वाहक तंतु' का एक सिरा शरीर के त्वक्-प्रदेश में फैला होता है, दूसरा सिरा मेरुदण्ड के भीतर समाप्त होता है। ज्ञान-वाहक तंतु का 'कोष्ठ-समूह' (Ganglion) मेरुदण्ड के भीतर नहीं जाता, बाहर ही रहता है, और शरीर के दूर-दूर से आ रहे अनुभवों में वेग उत्पन्न कर देता है गाकि केंद्र तक पहुँचते-पहुँचते उसका वेग धीमा न पड़ जाय। मेरुदण्ड के भीतर जहाँ 'ज्ञान-वाहक तंतु' समाप्त होता है, वहाँ, उसके नाथ से ही 'चेष्टा-वाहक तंतु' शुरू हो जाता है। 'चेष्टा-वाहक तंतु' का 'कोष्ठ-समूह' (Ganglion) मेरुदण्ड के भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता, और ज्ञान तथा चेष्टा-वाहक तंतुओं के सिरों के सहयोग से एक छोटे-से दिमाग का काम करता है। 'जन्मसिद्ध' (Innate) तथा 'अर्जित' (Acquired) 'सहज-क्रियाओं' (Reflexes) का यही संचालन करता है। शरीर-बना-शास्त्र में चेष्टा-वाहक तंतु के इस 'कोष्ठ-समूह' (Ganglion) को, जो मेरुदण्ड के भीतर रहता हुआ 'सहज-

क्रिया' का संचालन करता है, 'कोष्ठ-समूह' (Ganglion) नहीं कहते, 'कोष्ठ-शरीर' (Cell-body) ही कहते हैं। 'चेष्टा-वाहक तंतु' त्वक्-प्रदेश में नहीं जाता, मांसपेशी में जाता है और इसीलिये 'ज्ञान-वाहक तंतु' द्वारा किसी ज्ञान के आने पर मांसपेशी में क्रिया उत्पन्न होती है। ज्ञान-वाहक तथा चेष्टा-वाहक तंतु मेहदंड में ही आकर मिलते हैं; इसलिये 'सहज-क्रियाओं' (Reflexes) का संचालन मेहदंड से ही होता है।

ज्ञान-वाहक तथा चेष्टा-वाहक तंतु मेहदंड में समाप्त नहीं हो जाते, उसमें से गुजरकर वे मस्तिष्क में जाते हैं। कई क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क की साधारण द्रेस-नेट में मेहदंड द्वारा ही हो जाता है, और कई का मस्तिष्क द्वारा होता है।

'जब विषय सामने आता है, तो ज्ञान-वाहक तंतु वड़े दिमाग में समाचार पहुँचाते हैं। ऑरंट के द्वारा ज्ञान होता है, तो देरमें के केंद्र के पास समाचार पहुँचता है; कान के द्वारा होता है, तो सुनने के केंद्र के पास। जब समाचार दिमाग तक पहुँच जाता है, तो इसे निर्विकल्पक इंद्रिय-जन्य ज्ञान (Sensation) कहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय का अपना-अपना ज्ञान (Sensation) है। इस ज्ञान के बाद उन-उन इंद्रियों के 'चेष्टा-केंद्र' चेष्टा-वाहक तंतुओं द्वारा मांसपेशियों में चेष्टा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार सहज-क्रियाओं में यह संपूर्ण क्रिया वड़े दिमाग में न होकर मेहदंड में धर्तमान भिन्न-भिन्न केंद्रों में हो जाती है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ऑरंट नहीं देरती,

जड़ा दिमाग देखता है, वही सूचता है, वही चखता है। अगर किसी का 'शान-वाहक तंतु' काट दिया जाय, तो वह चेष्टा तो छूट सकेगा, उसे ज्ञान (Sensation) नहीं होगा; अगर चेष्टा-वाहक तंतु काट दिया जाय, तो उसे ज्ञान होगा, परंतु वह चेष्टा नहीं कर सकेगा।

(ग). 'जीवन योनि संस्थान' (Sympathetic Nervous System) का नियंत्रण 'मज्जादंड मूल' (Medulla oblongata) से होता है। 'मज्जादंड मूल' मेरुदंड के ही उस उपर्युक्त भाग को कहते हैं जो रोपड़ी में प्रविष्ट होकर उसमें फैल जाता है। यह हृदय, फेफड़े आदि की गतियों को नियंत्रित करता है। मेरुदंड के भीतर 'कोष्ठ-समूह' होते हैं, यह हम पहले ही आए हैं। मेरुदंड की मोहरों के बाहर भी दोनों तरफ गर्दन तक दानों-दानों के रूप में कुछ 'कोष्ठ-समूह' (Ganglia) होते हैं जिनका संबंध ऊपर गर्दन सक 'मज्जादंड मूल' से होता है। इन 'कोष्ठ-समूहों' से कुछ तंतु हृदय, फेफड़े आदि में जाते हैं और वे उनकी गतियों को नियंत्रित करते हैं। इस 'तंतु-संस्थान' को 'जीवन योनि संस्थान' कहते हैं, क्योंकि यह जीवन के कारण-भूत अवयवों का संचालन करता है।

२. निर्धिकल्पक प्रत्यक्ष (Sensation)

तो फिर इंद्रिय-जन्य ज्ञान किसे कहते हैं? विषय हमारे सामने है। उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। वे लहरे ईर्थ के माध्यम से हमारी इंद्रिय की बाहर की तह को आकर छूती

हैं। जैसा ऊपर कहा गया था, प्रत्येक इंद्रिय के बाहू में ज्ञान-चाहक ततुओं का जाल विद्या रहता है, जिसे 'तंतु-संस्थान' कहते हैं। जब वे लहरें इंद्रिय के ज्ञान-संतुओं पर पड़ती हैं, तो उस ज्ञान को ये तंतु दिमाग के भूमि के पश्चार्थ 'कॉरटेक्स' तक पहुँचाते हैं। 'कॉरटेक्स' में 'ज्ञान' होता है। जब 'कॉरटेक्स' के ज्ञान-केंद्र तक अनुभव आता है तभी उसे 'निविकल्पक प्रत्यक्ष' या 'इंद्रिय-जन्य' (Sensation) कहते हैं। औंख, नाक, कान, रसना, त्वं सब इंद्रियों इसी प्रकार अपने ज्ञान को 'कॉरटेक्स' के ज्ञान-में पहुँचाती हैं।

'कॉरटेक्स' के ज्ञान-केंद्र तक पहुँचकर अनुभव फा, भट्ट-कॉरटेक्स के अन्य भागों से भी संबंध हो जाता है। औंख आनेगाले अनुभवों को हम पिछले अनुभवों के प्रकाश में देखते हैं, और हमें शुद्ध इंद्रिय-जन्य ज्ञान की कभी अनुभूति न होती। शुद्ध इंद्रिय-जन्य ज्ञान (Pure Sensation) 'निविकल्पक प्रत्यक्ष' को कहते हैं, जिसमें जिस इंद्रिय से ज्ञान रहा है, उस इंद्रिय के ज्ञान की अनुभूति के सिवा अन्य की अनुभव शामिल न हो। होता क्या है? किसी ने 'कागज'-शब्द कहा। इसे सुनते ही दिमाग की 'कॉरटेक्स' के अवण के 'ज्ञान-केंद्र' तक खबर पहुँची, परंतु साथ हमें उसकी सफेदी, उसकी लंबाई और चौड़ाई आदि का ध्यान भी आया। यह तो 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' (Perception) हो गया। प्रत्येक इंद्रिय के साथ ऐसा ही

होता है। हमारा निर्विकल्पक ज्ञान पिछले अनुवूल-प्रतिवूल प्रभुभवों के प्रकाश में ही नवीन ज्ञान को देरता-मुनता है। इस टृष्णि में 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष' अथवा 'शुद्ध इंद्रिय-जन्य ज्ञान' तो होता ही नहीं है।

'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष' को हम दो-एक हास्यांत देकर और प्राचिक समझाने का प्रयत्न करेंगे। हम पड़े सो रहे हैं, गाढ़ निद्रा रहे हैं। इतने में देरवाचे की राट्रसटाहट से हमारी आँखें खुल जाती हैं। हम अपने चारों तरफ मेज़-कुर्सी-पलेंग देराते हैं, परंतु मैं कृद्ध सेकिंड तक यह ज्ञान नहीं होता कि हम कहाँ हैं, ये क्या स्लुएँ हैं; दूसरे ही क्षण हमें सब ज्ञान हो जाता है। पहले क्षण, आँखें भोलने के ठीक बाद, जब हमारे सम्मुख धुँधला-सा ज्ञान था, ज्ञान था भी परतु ज्ञान नहीं भी था, उसे 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष' (Sensation) कहा जा सकता है, परंतु दूसरे ही क्षण 'वह 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' (Perception) में बदल गया। हम लिख रहे हैं, हमारा ध्यान कागज की तरफ है, जो शब्द ज्ञेयनी से निकल रहे हैं, उनकी तरफ है। परंतु हमारे कपड़े भी जो हमारे अंगों को छू रहे हैं, उनका हमें निर्विकल्पक ज्ञान हो रहा है, परंतु ज्योंही हमने उनको मोचना शुरू किया त्योही उनका ज्ञान निर्विकल्पक नहीं रहा, सविकल्पक हो गया। आँखें बंद कर ली जायें, सामने दीपक हो, उसकी रोशनी का कुछ-कुछ असर बंद आँखों पर भी पड़ रहा हो, हम दीपक के विषय में कुछ न सोच रहे हों, नह मस्तूर जो रेशमी का, असर देता है,

उसे 'निर्विकल्पक' कहा जा सकता है। जब हम पैदा हुए थे, एक दम संसार को हमने आँखें खुलते ही देखा था, वह 'निर्विकल्पक' ज्ञान था। किसी जन्मांध की एक दम आँखे खुल जाय, उसे जो पहले पहल ज्ञान होगा, वह 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष' कहा जायगा।

इन्द्रियानुभव पाँच इंद्रियों के कारण पाँच प्रकार के हैं। कौनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम अँधेरे में किसी वस्तु को पकड़ने के लिये इतना ही हाथ बढ़ाते हैं जितनी दूर वह होती है। क्यों? इससे ज्ञान होता है कि शरीर की गतियों को साधने, नज़दीकी दूरी को अनुभव करने का एक स्वतंत्र अनुभव है। इसे 'देशानुभव' (Kinesthetic Sensation) कहा जाता है।

प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों की अपनी-अपनी तीव्रता (Acuity) होती है, जिसे मापा भी जा सकता है। किसी के कान तेज़ हैं, किसी की आँखें। यह तीव्रता वंशानुसंक्रमण से आती है। कई लोगों का कहना है कि तीव्रता को बढ़ाया भी जा सकता है। तीव्रता विषय के ऊपर भी निर्भर है। कई तीव्र विषय हैं। दीर्घ के सामने चिज़लों की रोशनी तीव्र है, वॉसुरी की तान के सामने ढोल की आवाज तीव्र है। तीव्र विषय मध्यम को दबा लेता है।

इंद्रियानुभवों पर कई परीक्षण किए गए हैं जिनमें बीवर का परीक्षण बहुत प्रसिद्ध है। बीवर के परीक्षण को फेचनर ने सब इंद्रियों के ज्ञानों पर घटाया था, इसलिये इन परीक्षणों के आधार पर बने नियम को बीवर-फेचनर नियम कहते हैं। यह नियम क्या है?

कल्पना कीजिए कि हमारे हाथ पर एक चरा-सा कागज का डुकड़ा रख दिया गया। हमें इसके बोझ का अनुभव नहीं होगा। इस बोझ को बढ़ाते जायें, तो ऐसी अवस्था आ जायगी जब बोझ का अनुभव होने लगेगा। यहाँ से अनुभव का प्रारंभ होता है। इससे कम दर्जे के जो अनुभव थे, उन्हें हमारे इंद्रियों प्रहण नहीं कर सकतीं। अब इस बोझ को हम बढ़ाते जायें, तो अनुभव होता जायगा कि बोझ बढ़ रहा है। परंतु बोझ के बढ़ते-बढ़ते भी एक ऐसी स्थिति आ जायगी जब हमारे लिये बोझ असह्य हो जायगा। उस असह्य बोझ की अवस्था में अगर एक सेर बोझ और बढ़ा दिया जाय, तो हमें उसके बढ़ने का अनुभव नहीं होगा, बोझ के असह्य होने का अनुभव होता रहेगा। अनुभव की उस सीमा को, जब विषय कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाय, अनुभव में भेद नहीं ज्ञात होता, 'परांत सीमा' (Maximum Limit) कहते हैं। अनुभव की उस सीमा को जिससे विषय का अनुभव शुरू होता है 'अपरांत सीमा' (Threshold of Sensation) कहते हैं। शारीर 'अपरांत' तथा 'परांत' सीमा के बीच के विषयों को ही अनुभव करता है, इनके इधर-उधरवालों को नहीं। अत्यंत धीमा शब्द भी हमें सुनाई नहीं देता, और कुछ सीमा के बाद शब्द को कितना ही क्यों न बढ़ाते जायें, उसमें भी हम भेद नहीं कर सकते। शब्द के कंपन में इतनी अधिक मात्रा भी हो सकती है कि उसका हमें विलक्षुल भी ज्ञान न हो।

हमने अभी कहा कि किसी एक रास सीमा पर आकर ही

हम वोक के बढ़ने और घटने के भेद को अनुभव कर सकते हैं और ये सीमाएँ 'अपरांत' तथा 'परांत' कहती हैं। 'अपरांत' तथा 'परांत' सीमाओं में भी विषय की मात्रा में एक निश्चित गृहीत होनी चाहिए, ताकि पहले अनुभव को दूसरे अनुभव से निकाला जा सके। प्रब्रह्म यह है कि 'परांत' तथा 'अपरांत' सीमाएँ भीतर किस विषय को कितना बढ़ा दिया जाय कि विषय में भेद का अनुभव होने लगे? प्रकाश के विषय में पता लगाया गया है कि जितना प्रकाश हमारे कमरे में है उसका $\frac{1}{2}$ हिस्सा और वह जाय, तो भेद पता लगेगा; दबाव, गर्भी तथा शब्द में दु बढ़ना चाहिए; वोक में $\frac{1}{2}$; उंगली पर दबाव के लिये $\frac{1}{2}$; इसे उस विषय की 'अनुभव-भेद-मात्रा' (Differential Threshold) कहते हैं। अगर हमारे सिर पर ३० सेर वोक है, तो १ सेर बढ़ने से मालूम पड़ेगा कि वोक बढ़ा, आध सेर बढ़ने से नहीं। यही वीवरन्केचनर ने पता लगाया। कल्पना कीजिए कि हम १० नंबर खाली वत्ती के प्रकाश में बैठे हैं। इस प्रकाश में 'अनुभव-भेद-मात्रा' तय आएगी जब १० वत्ती के प्रकाश का $\frac{1}{2}$ हिस्सा उसमें जुड़ जायगा, अर्थात् $10 \times \frac{1}{2}$ होने पर हमें भेद अनुभव होगा। अब कल्पना कीजिए कि आप १०० वत्ती के प्रकाश में उतनी ही बढ़ती करना चाहते हैं जितनी १० वत्ती के प्रकाश में की थी। तब क्या करना होगा? $\frac{1}{2}$ बढ़ा देने से प्रकाश में उतनी बढ़ती नहीं होगी। उस समय $100 + \frac{1}{2}$ से उतना प्रकाश बढ़ेगा। अर्थात् प्रकाश की 'जितनी मात्रा आपके पास है, उसका $\frac{1}{2}$

इससा बढ़ने से ही अनुभव में भेद पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम यह सकते हैं कि १० नंबर की वस्ती में अगर हम १ वस्ती बढ़ा दें, तो उसी भेद को १०० वस्ती में लाने के लिये, २ वस्ती बढ़ाना चाही नहीं होगा, उसमें १० वस्ती बढ़ानी पड़ेगी, तब जारी उतना रकारा में भेद अनुभव होने लगेगा जितना १० वस्ती में १ वस्ती के बढ़ाने से अनुभव होता था।

‘गुण’ (Quality), ‘मात्रा’ (Intensity), ‘स्थिति-काल’ (Protensity) तथा ‘देश’ (Extensity) की दृष्टि से इंट्रिय-जन्य ज्ञान को चार भागों में बाँटा जाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श वया शब्द ‘गुण’ हैं। एक ही शब्द डॉचा हो सकता है, धीमा हो सकता है, यह ‘मात्रा’ है। यह शब्द देर तक रहे, तो शीघ्र समाप्त हो जाय, इसमें अनुभव भिन्न हो जाता है, इसे ‘स्थिति-काल’ कहते हैं। नाक के एक स्थान को हुआ जाय, तो भिन्न अनुभव होता है, दूसरे स्थान को हुआ जाय, तो भिन्न। यह ‘स्थान-कृत’ अथवा ‘देश-कृत’ भेद है। यह भेद स्पर्शादि में ही पाया जाता है, सब में नहीं।

शिंहा इंट्रिय-जन्य ज्ञान पर ही आकृति है। शिंहक का कर्तव्य है कि यह वालकों के इंट्रिय-ज्ञान की परमता रहे। कई वालकों की ओरें खरांव होती हैं, और शिंहक को इसका पता ही नहीं होता। यह वालक बहुत घाटे में रहता है। शिंहक का काम वालक को भिन्न-भिन्न इंट्रियों के जितने हो सके उतने अनुभव देता है। हमारा संपूर्ण ज्ञान इंट्रियालुभवों पर ही आकृति है।

शिक्षक भिन्न-भिन्न इंद्रियों से जितना ज्ञान वालक को दे सके उतना ही उसके काम आएगा । 'मौंटिसरी-पद्धति' में उपकरणों का यही लाभ है । वालक की इंद्रियों उनसे सधरी हैं । पहुँच शिक्षक का इतना ही काम नहीं है कि वालकों को इंद्रियानुभवों का धनी बनाने लिये केवल उन्हें इंद्रियानुभवों से घेर दे । हम देखना चाहिए कि हम इंद्रियानुभव प्राप्त करने के लिये जिन परिस्थितियों को वालक के चारों तरफ उत्पन्न करें वे सम्भयोजन हों, निष्प्रयोजन नहीं । आजकल स्कूलों में हाथ के कई काम सिखाए जाते हैं । इनका यही महत्त्व है कि ये वालक के इंद्रियानुभव को बहुत बढ़ा देते हैं ।

३. सविकल्पक प्रत्यक्ष (Perception)

'कॉरटेक्स' में जब अनुभव पहुँचता है, तब उसे 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष' या 'इंद्रिय-जन्य ज्ञान' (Sensation) कहते हैं; जब मन उस अनुभव को समझ लेता है, वह अनुभव क्या है, जैसा है, कहाँ से आ रहा है, इन बातों का ज्ञान कर लेता है, तो उसे 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' (Perception) कहते हैं । 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष' के बाद होता है ।

- जैसा पहले कहा जा चुका है, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' ही होता है । जब तक हमें पदार्थ के विषय में भान-सा होता है, अस्पष्ट-सा, धुँपला-सा ज्ञान होता है, तभी तक वह 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष' (Sensation) के क्षेत्र में होता है; ज्योंही हमें उसका स्पष्ट ज्ञान होने लगता है, ज्योंही हम

(प्रय को पहचानने लगते हैं, त्योहाँ वह 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' Perception) के क्षेत्र में आ जाता है। हमारा ज्ञान 'साव-ल्पक' ही रहता, 'निर्विकल्पक ज्ञान' तो कल्पना की वस्तु ममक्ता चाहिए।

'प्रत्यय-संबंध-वादियों' (Associationists) का कथन कि हमारा संपूर्ण ज्ञान 'प्रत्ययों' अर्थात् 'इंद्रिय-जन्य ज्ञानों' समूह का नाम है। हम अनार देखते हैं। वह गोल है, लाल मीठा है, और न-जाने वहुत-कुछ है। ये सब अनुभव हमारे त के अनुभवों के प्रकाश में हमारे ज्ञान को बनाते रहते हैं। हमने परसों अनार साथा था, उसन्जैना ही यह है। यह उस-जैसा गोल, लाल, मीठा है। मुराने अनुभव के प्रकाश में, साट्रय के अण, हम इसे अनार कह देते हैं। यह अमरुद् नहीं है, क्योंकि ल हमने जो अमरुद् साथा था, उससे इसके गुण भिन्न हैं। इस न्यूनतिरेक द्वारा प्रत्ययों के संबंध से हमें 'सविकल्पक ज्ञान' Perception) होता है। 'प्रत्यय-संबंध-वादियों' के मुकाबिले में 'स्टान्ट-वादियों' का कथन है कि 'सविकल्पक ज्ञान' को हम भिन्न-त्रय प्रत्ययों में नहीं धौँट सकते। हमें संपूर्ण वस्तु का इनटा ज्ञान ता है। 'जेस्टान्टवाद' पर हम तृतीय अध्याय में लिख चुके हैं।

'सविकल्पक ज्ञान' को तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है:—
, (क). हम आम के पेड़ को देखते हैं। यह देखना क्या है ? | विषय हमारे मन्मुग्य है, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे, यह 'दृश्य-क्लप' (Presentative Aspect) कहाता है।

(र) जनआम का पेड हमारे सामने नहीं होता तब भी हम उसका विचार मन मे ला सकते हैं, यह 'कल्पना-रूप' (Representative Aspect) ज्ञान है।

(ग) आम के पेड को हम किन्हीं सबधों मे ही अनुभव करते हैं। अगर हमारे गौव मे हमारा ही कोई बागीचा है, उसमे आम ही के पेड हैं, तो उस सबध से, अथवा किसी अन्य सबध से हमारा आम के पेड का ज्ञान बना रहता है। इसी प्रकार अन्य ज्ञान भी स्वतन्त्र-रूप से नहीं होते, उनमें किसी-न किसी प्रकार का 'सबध रूप' (Relational Aspect) रहता ही है।

बालकों का ज्ञान 'दृश्य रूप' का होता है। जिस चीज को समझाना हो, उसे प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए। उनमे कल्पना के आधार पर बना ज्ञान बहुत कम चाहिए। बच्चे जब एक ही चीज को दुबारा देते हैं तब भी उन्ह उस बख्तु के पूर्वानुभव की स्मृति बहुत कम होती है। इसलिये बच्चों को एक ही चीज के बार-बार दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आम का ज्ञान कराना है, तो उन्ह बागीचे मे ले जाकर आम दिखा देने से जैसा ज्ञान हो जाता है, वैसा आम का वर्णन कर देने से नहीं होता। बागीचे मे दृश्य दिखाने से 'सविकल्पक ज्ञान' मे रहनेवाला 'सबध-रूप' भी अपना काम करता है। आम कहाँ है ? बाग मे है, उसके पास अनार के पेड हैं, उसके एक तरफ पहाड है, इन सबधों के कारण आम के पेड का ज्ञान 'यथार्थ ज्ञान' का रूप धारण करता है। कई

बालकों में 'स्मृति' तथा 'कल्पना' थोड़ी होने के बजाय अधिक होती हैं। वे जब किसी चीज़ को देखते हैं तब उससे मिलती-जुलती अनेक चीज़ें उन्हे याद आने लगती हैं। वे किसी गोल चीज़ को देखकर गेड़, अनार, लड्डू, अमरुद न-जाने क्या-क्या बोल जाते हैं। 'सविकल्पक ज्ञान' (Perception) को शुद्ध धनाने के लिये शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को वस्तु बार-बार दिखलाए, भिन्न-भिन्न 'संबंधों' (Relations) में उसका ज्ञान कराए, और बालक में ऐसी योग्यता उत्पन्न कर दे कि वह वस्तु को अपनी कल्पना-शक्ति द्वारा भी अपने मन में ला सके। काल तथा देश के विषय में बालकों का ज्ञान घनुत दोपूर्ण तथा अधूरा होता है। दिन, सप्ताह, पक्ष, मास आदि के विषय में उनका ज्ञान स्पष्ट नहीं होता। कुट, गज, मील आदि को भी वे ठीक नहीं समझते। इन विषयों का ज्ञान बालक को स्थूल उपायों से कराना चाहिए।

४. पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष (Apperception)

हम कह चुके हैं कि 'सविकल्पक ज्ञान' में पिछले अनुभव का म करते रहते हैं। जब कोई वज्र को कोनीन खाने को देता है, अगर उसने उसे कभी नहीं साया, तो वह फटन्से उसे मुँह में ढाल लेता है। कड़वी लगने पर थूकता है। परंतु अगर वह पहले उसे मुँह में ढाल चुका है, तो कोनीन को लेते ही वह फेंक देता है, कहता है, कड़नी है। अगर किसी वज्र ने मीठा नहीं साया, कोनीन का अनुभव कर चुका है, उसे अगर मीठा दिया जाय, तो वह 'कड़वा' कहकर उसे बिना चरे ही फेंक देता है। यह क्यों? इस

का यही कारण है कि हमारा संपूर्ण नवीन-ज्ञान पूर्ववर्ती-ज्ञान के प्रदाश में ही मन में प्रविष्ट होता है। हम कई वातों का प्रत्यक्ष कर चुके हैं। जब नया प्रत्यक्ष होता है, तो मन में एक विचार-प्रविद्या चल पड़ती है। यह चीज अमुक चीज से मिलती-जुलती है, और अमुक से विलुप्त भिन्न है। जिस वालक ने कोनीन चरण रखती है, और मीठा नहीं चरण, वह मीठे को देखकर उसका कोनीन से मिलान करता है, जिसने मीठा चरण, और कोनीन नहीं चखी, वह कोनीन को देखकर उसे मीठा समझता है। अर्थात् हमारा जो भी नवीन-प्रत्यक्ष होता है, वह पूर्ववर्ती प्रत्यक्ष का अनुवर्ती होकर चलता है, इसलिये प्रत्येक नवीन-ज्ञान 'पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष' (Apperception) कहाता है। इसी दृष्टि से कई लोगों का कथन है कि संपूर्ण 'सविकल्पक ज्ञान' (Perception) 'पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष' (Apperception) है।

एक मज़दूर बेदों के व्याख्यान को क्यों नहीं समझ सकता, और एक विद्वान् व्यक्ति बड़े विद्वत्ता-पूर्ण व्याख्यान को क्यों खूब समझता है? मज़दूर देखता है कि उसका जो 'पूर्ववर्ती ज्ञान' (Apperceptive mass) है, बेदों के व्याख्याता की कोई वात भी उससे मेल नहीं खाती। उसके दिमाग में जो भी वर्गीकरण बन चुका है, उसमें बेदों की वात किसी वर्ग में भी नहीं आती। उसके दिमाग में जो वात पहले से मौजूद है, नई वात उनमें से किसी से मिलती-जुलती हो, तब तो अंदर जा सके। बेदों के व्याख्याता के मन में जो कुछ पहले से सचित है,

व्याख्याता का विषय उससे बहुत मिलता-जुलता है, इसलिये यह सब कुछ समझता जाता है। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि हम नवीन विषय को उतना ही समझ सकते हैं, जितना वह हमारे पूर्व-प्रत्यक्ष से मिलता-जुलता होता है। अगर किसान के सम्मुख 'फल'-शब्द का उचारण किया जाय, तो वह इसका अभिप्राय सेव, प्रभरूद आदि से समझेगा, अगर पढ़ित के सम्मुख यह शब्द बोला जाय, तो उसका ध्यान 'कर्मों के फल' की तरफ जायगा, अगर लोकार के सम्मुख वह शब्द कहा जाय, तो वह इसका अर्थ दुरी, भाले आदि से समझेगा। प्रत्येक व्यक्ति का नवीन ज्ञान उनके पूर्ववर्ती ज्ञान का अनुवर्ती होगा। नए अनुभव पुरानों से ही मिलते-जुलते होते हैं, इसीलिये वे दिमाग में स्थान भी पा जाते हैं। अदर जानकर वे पुराने अनुभवों से मबद्द हो जाते हैं, और उनमें अपनी कुछ नवीनता का भी सचार कर देते हैं। इस प्रकार 'पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष' पूर्वानुभवों के नवीन अनुभवों के साथ सनब (Association) का परिणाम होता है।

शिक्षा में 'पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष' का नडा महत्त्व है। शिक्षक वालक को वही वात समझा सकता है जिस तरह की कोई वात वह पहले समझा हुआ है, निलकुल नई वात को वह नहीं समझ सकता। अगर कोई नई वात समझानी हो, तो उसका वालक के 'पूर्ववर्ती ज्ञान' (Apperceptive Mass) के साथ किसी-न-किसी प्रकार का संबंध जोड़ना आवश्यक होता है। वालक

प्रत्येक पदार्थ का खुद-व-खुद अपने 'पूर्ववर्ती ज्ञान' के अनुसार वर्गीकरण करता रहता है। विक्रम की घटन का नाम उमा है। विक्रम को एक लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है। उसे देखकर वह भट्ट से 'उमा' कह उठता है। बड़ा होने पर बालक अन्नराख्यास सीखता है, परंतु कुछ ही दिनों में वह शब्द पढ़ना सीख जाता है। जब वह खूब पढ़ने लगता है, तब वह प्रत्येक शब्द के हिज्जे नहीं करता, शब्द-के-शब्द पढ़ जाता है। अगर गलत शब्द लिखा है, उसे भी सही पढ़ जाता है। इसका कारण यही है कि उसके दिमार में जो ज्ञान वन चुका होता है, उसी के आधार पर वह पढ़ता जाता है, शब्द पढ़ते हुए वह उसके एक-एक अक्षर को नहीं पढ़ता। शिक्षक का काम 'पूर्ववर्ती ज्ञान' के साथ-साथ नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित करते जाना है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत को हर्वर्ट ने घटाया था। उसका क्यन है कि अध्यापक को नया पाठ पढ़ाते हुए पहले पिछले पाठ के साथ संबंध अवश्य जोड़ना चाहिए, तभी नया पाठ ठीक समझ में आता है, अन्यथा नहीं।

दशम अध्याय

चेतना, रुचि, अवधान तथा थकान

१. केंद्रवर्ती तथा प्रांतवर्ती चेतना

‘रुचि’ तथा ‘अवधान’ को समझने के लिये यह आवश्यक है कि इन दोनों का मनोवैज्ञानिक स्वरूप समझ लिया जाय, और इनके मनोवैज्ञानिक रूप को समझने के लिये ‘चेतना’ के विषय में दो-एक बातें समझ लेना चाहरी है। लॉयड मार्गन ने ‘चेतना’ की व्याख्या करते हुए दो शब्दों का प्रयोग किया है: ‘केंद्रवर्ती’ (Central) तथा ‘प्रांतवर्ती’ (Marginal)। चेतना की एक वृत्त से उपमा दी जा सकती है। कुछ विचार चेतना-रूपी वृत्त के केंद्र में रहते हैं, इन्हे ‘केंद्रवर्ती’ कहना चाहिए; कुछ इस वृत्त के केंद्र में तो नहीं परंतु प्रांत-भाग में रहते हैं, इन्हे ‘प्रांतवर्ती’ कहना चाहिए। हम वैठे लिए रहे हैं, हमारे सामने विजली का पंखा चल रहा है, परंतु हमारा उसकी आवाज की ओरफ ध्यान नहीं जाता। क्या पंखे की आवाज हमारी चेतना में नहीं है ? है, परंतु वह आवाज हमारी चेतना के वृत्त के प्रांत-भाग में है। हम जिस विषय पर लिख रहे हैं, वह हमारी चेतना के केंद्र में है। इतने में पंखा किसी खटावी के कारण बंद हो जाता

है। पंसे का हमारी 'प्रांतवर्ती' चेतना में जो विचार था, वह एक-दम चेतना के 'केंद्र' में चला आता है, और हम लिखना छोड़कर, यह क्यों बंद हो गया, इस पर विचार करने लगते हैं। जेम्स ने चेतना को एक नदी की धारा से उपरा दी है। उसका कथन है कि चेतना की धारा में कई विचार ठीक बीच में तैरते रहते हैं, कई किनारे-किनारे। बीचवालों को मध्यवर्ती या केंद्रवर्ती कह सकते हैं, किनारेवालों को तटवर्ती या प्रांतवर्ती।

उक्त वर्णन से यह तो स्पष्ट ही है कि जब कोई विचार केंद्र-वर्ती हो जाता है, तभी हमारा उसकी तरफ ध्यान जाता है, जब तक वह प्रांतवर्ती रहता है, तब तक हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। किसी विचार के चेतना के प्रांत में से निकल-कर केंद्र में आ जाने को ही 'अवधान' (Attention) कहते हैं। केंद्र में सब विचार नहीं आ जाते। चेतना में जितने भी विचार होते हैं, उनमें से कुछ प्रांत-भाग में ही रहते हैं, और कुछ केंद्र-भाग में आ जाते हैं। इस प्रकार प्रांतवर्ती भाग में से केंद्र-वर्ती भाग में कुछ विचारों का हमारी चेतना 'चुनाव' कर लेती है, और जिन विचारों का चुनाव होता है, वे ही 'अवधान' के विषय बनते हैं।

अब, अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि विचार चेतना के प्रांतवर्ती भाग से केंद्रवर्ती भाग में किस नियम से चुना जाता है? क्या योही कोई विचार कभी प्रांतवर्ती भाग में, और कभी केंद्रवर्ती भाग में आता-जाता है, या इसका कोई नियम है?

हमारा पंसा चल रहा था, हम लिस रहे थे, हमारा पंसे की तरफ ध्यान नहीं था, लिसने की तरफ था। पंसे के बंद हो जाने पर हमारा ध्यान एकाएक परसे की तरफ गया। पंसा 'प्रांतवर्ती' चेतना से 'केंद्रवर्ती' चेतना में किस नियम से आ गया ? प्रांतवर्ती चेतना में और भी तो कई विचार थे, वे न आए, उन सरमे से केवल पंसे का ही चुनाव क्यों हुआ ? इसका कारण यह है कि पंसा हमने दृश्य के लिये सोल रखा था, दृश्य बंद हो जायगी, तो इस गर्मी में हम कैसे लिख सकेंगे। पंसा हमारे 'प्रयोजन' (Purpose) को सिद्ध करता है, परसे के बड़े हो जाने पर हमारा 'प्रयोजन' असिद्ध हो जाता है। अर्थात्, जिस बात से हमारा 'प्रयोजन' सिद्ध होता है, उस तरफ मटन्से हमारा ध्यान चला जाता है, और वही बात चेतना के केंद्र में आ पहुँचती है। अर्थात्, 'प्रयोजन' (Purpose) के कारण ही कोई वस्तु केंद्रवर्ती चेतना में आती है। बालकों के 'प्रयोजन' (Purposes) निचले दर्जे के होते हैं। जैसा पहले वहा जा चुका है, उनमें प्राकृतिक शक्तियाँ (Instincts) ही अपने चौपन-रूप में काम कर रही होती हैं। वे किसी चीज़ को देखकर उसे मुँह में ढालना चाहते हैं, किसी क्रिया को देखकर उसका अनुकरण करना चाहते हैं। उनके 'प्रयोजन' इसी तरह के होते हैं। बालक के पॉप में कॉटा चुभ गया, वह चिह्न रहा है, इतने में एक मोटर की आवाज आई, वह उद्घलता-बूदता मोटर की तरफ लपकता है। नई चीज़ को वह जानना चाहता है, यह उसका

'प्रयोजन' है, इसलिये कॉटे की दर्द उसकी चेतना के प्रांतवर्ती भाग में चली जाती है, मोटर केंद्रवर्ती भाग में आ जाती है।

'प्रयोजनवाली वात चेतना के केंद्र में धुन ली जाती है'—इसे यों भी कहा जा सकता है कि जिस चीज़ में हमारी 'रुचि' (Interest) होती है, वही चेतना के केंद्र में आती है। 'प्रयोजन', 'रुचि' उत्पन्न करने में सबसे बड़ा कारण है। इसीलिये चालकों में किसी चीज़ के प्रति 'रुचि' उत्पन्न करनी हो, तो उनके हृदय में उस विषय के प्रति कोई-न-कोई 'प्रयोजन' उत्पन्न कर देना सर्वोत्तम साधन है। वज्रों के लिये हिसाब सीखना कितनो नीरस वात है, परंतु अगर उनसे कहा जाय कि तुम्हें दो ऐसे रोज़ मिलेंगे, और हफ्ते भर में जितने जोड़ लोगे, उससे हुगुने और दिए जायेंगे, तो वह खुद-व-खुद हिसाब करने लगता है। धारन्चार पूछता है कि हफ्ते में कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिलेंगे। उसके सामने एक 'प्रयोजन' रख दिया गया, उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये उसकी हिसाब में 'रुचि' उत्पन्न हो जाती है। 'प्रयोजन' (Purpose) 'रुचि' (Interest) को उत्पन्न करता है, 'रुचि' 'अवधान' (Attention) को उत्पन्न करती है। इस प्रकार कोई विचार प्रांतवर्ती से केंद्रवर्ती चेतना में आ जाता है।

२. रुचि (Interest)

'रुचि' दो प्रकार की होती है : 'प्राकृतिक रुचि' (Intrinsic Interest) तथा 'अर्जित रुचि' (Acquired Interest)। 'प्राकृतिक रुचि' उसे कहते हैं जिसमें विषय को देखकर

अपने-आप रुचि उत्पन्न हो। इसका आधार मनुष्य की 'प्राकृतिक शक्ति' (Instinct) उसका 'स्वभाव' है। जब तक कोई विशेष ही कारण न हो, स्वादिष्ट भोजन में प्रत्येक की रुचि होती है। बालकों की रुचि खाने, पीने, रेलने, कूदने, नई बात जानने, लड़ने-भिड़ने आदि से होती है। उनमें यह सब स्वभाव से आता है। जिस बात में रुचि हो, उसमें अवधान स्वयं हो जाता है, इसलिये बालकों का ध्यान खाने, पीने, रेलने, कूदने में अधिक रहता है। 'अर्जित' उसे कहते हैं जो प्राकृतिक नहीं होती, किंतु उत्पन्न की जाती है। उदाहरणार्थ, वज्रों को तरह-तरह के रँग देखने का शौक है। यह 'प्राकृतिक रुचि' है। परंतु अगर उसके सामने भिन्न-भिन्न रँगों के अक्षर उपस्थित कर दिए जायें, तो वह रँगों को देखने के साथ-साथ अक्षर पढ़ना भी सीख जाता है। अब अगर उसे इस टँग से पढ़ने का शौक पैदा हो गया, तो यह 'अर्जित रुचि' कहलाएगी। इसी प्रकार तसर्वारं देखने के शौक से कई वज्रे पढ़ना सीख जाते हैं, पैसे जमा करने के शौक से कई वज्रे हिसाब सीख जाते हैं, गुड़ियों को कपड़े पहनाने के शौक से कई लड़कियाँ सीना-पिरोना सीख जाती हैं।

'प्राकृतिक रुचि' सो जन्म-सिद्ध होती है, क्योंकि उसका आधार उन बातों पर होता है जो हमें जन्म से प्राप्त हैं, परंतु 'अर्जित रुचि' का आधार क्या है? 'अर्जित रुचि' का आधार 'प्राकृतिक रुचि' ही है। जिन बातों में हमारी रुचि नहीं होती, उन्हें प्राकृतिक रुचि की बातों के साथ जोड़ने से उनमें भी रुचि उत्पन्न

हो जाती है, और जो विषय पहले अस्थिर कर था, अब वह रुचि-कर हो जाता है। सबसे ज्यादा रुचि मनुष्य को अपने-आप में, अपनी चीजों में, अपने संबंधियों में होती है, इसलिये जिस बात का उसके 'स्व' या 'आत्मा' के साथ संबंध जुड़ जाता है, वह कितनी ही अस्थिर क्यों न हो, उसके लिये रुचिकर हो जाती है। सबसे अधिक नीरस चीज रेल का टाइम-ट्रेवल होता है, परंतु अगर हमें अपने घर जाना हो, तो सारे टाइम-ट्रेवल की आनंदीन कर डालते हैं; 'खीड़र' में रोज़ आधा सफा-भर भिन्न-भिन्न कंपनियों के हिस्से की दरे निकलती रहती हैं, जब तक हमने किसी कंपनी का हिस्सा नहीं खरीदा तब तक हमारी उस सफे पर नज़र भी नहीं जाती, अब हिस्से चारीढ़ने के बाद सबसे पहले वही सफा खुलता है। वयों में जिस विषय के प्रति आत्म-भावना उत्पन्न कर दी जाय, उसमें एकदम उनकी रुचि भी बढ़ जाती है। झगड़ा, कलम, द्वात देकर उन्हें कह दिया जाय, ये तुम्हारी हैं, तो वे उनकी देस-भाल में, उन्हें सँभालने में अपूर्ज साध्यघानता, तत्परता तथा रुचि दिखाते हैं। रुचि का यह नियम है कि एक रुचिकर विषय के साथ जो दूसरा विषय जुड़ता है, भले ही वह अस्थिर हो, रुचिकर के साथ जुड़ते ही वह भी रुचिकर हो जाता है। रुचि की आग से उपरा दी जा सकती है। उसमें जो ईंधन पड़ेगा, वह भी प्रज्वलित हो जाएगा। 'अर्जित रुचि' इसी प्रकार 'प्राकृतिक रुचि' से अपना जीवन प्राप्त करती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि जो भी अस्थिर विषय हों उन्हें वालकों

के सम्मुख इस प्रकार रखते कि वे वचों की किसी-न-किसी प्राकृतिक शक्ति को संतुष्ट करते हों। योग्य शिक्षक इतिहास, भूगोल आदि विषयों को 'संप्रह-शीलता' तथा 'विधायकता' की प्राकृतिक शक्तियों की सहायता से बहुत रुचिकर बना सकता है।

'अर्जित रुचि' के विकास में हमें मानसिक विकास की उन्हीं सीढ़ियों में से गुजरना पड़ता है, जिनमें से 'संवेदन' गुजरता है। 'संवेदन' के प्रकरण में हम लिख चुके हैं कि वालक को पहले 'इंट्रिय संवेदन' होता है, फिर 'भाव-संवेदन', अंत में उसमें 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव' उत्पन्न हो जाता है। 'रुचि' (Interest) 'संवेदन' (Feeling) का ही एक रूप है, इसलिये 'अर्जित रुचि' को इसी प्रक्रिया में से गुजरना होता है। पहले वालक की 'रुचि' उन पदार्थों के प्रति होती है, जो 'इंट्रिय-संवेदन' के अंतर्गत हैं। 'इंट्रिय-संवेदन' इंट्रिय-माहा तथा स्थूल पदार्थों के प्रति होता है, उनके प्रति जिन्हें देखा, सूँधा तथा छुआ जा सकता है। वालक की शुरू-शुरू में 'रुचि' (Interest) भी ऐसे ही पदार्थों में होती है। तब तक उसमें 'भाव-संवेदन' नहीं उत्पन्न हुआ होता, इसलिये भावात्मक वातों में उसकी रुचि भी उत्पन्न नहीं होती। उसके सामने आम रस दिया जाय, तो उसकी भट्टन्से उसके प्रति 'रुचि' उत्पन्न हो जायगी, क्योंकि 'आम' का 'खाने' के साथ संबंध है; रंग-विरंगे सिलौने को देखकर वह उसे पकड़ने को दौड़ेगा, क्योंकि यह भी उसकी किसी-न-किसी प्राकृतिक रुचि (Instinctive Interest) को संतुष्ट करता है। वालक की

‘इंद्रिय-संबेदन’ के पदार्थों में ‘रुचि’ को शिक्षा के काम में लाया जा सकता है। उसे एक और एक ‘दो’ होते हैं, सिराने के बजाय, पहले एक आम देकर फिर एक और दे दिया जाय, और कह दिया जाय, ये दो हो गए, तो वह तुरंत सीख जाता है। कुछ बड़ा हो जाने पर बालक में ‘भाव-संबेदन’-संबंधी पदार्थों में ‘रुचि’ उत्पन्न होने लगती है। जहाँ बालकों में अपनी ‘अस्मा’ का जिक्र चलता है, तो सब बड़ी ‘रुचि’ से उसकी चर्चा करते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि स्थूल पदार्थों के बाद उन सूक्ष्म पदार्थों में बालक की रुचि उत्पन्न करे जो शिक्षा में सहायक हैं। अंत में, जब बालक में, ‘आत्म-सम्मान का स्थायी भाव’ उत्पन्न हो जाय, तब उसमें सत्य, न्यय आदि भावों के प्रति ‘रुचि’ उत्पन्न कराना आसान हो जाता है।

‘अर्जित रुचि’ (Acquired Interest) बढ़ते-बढ़ते ‘स्वाभाविक रुचि’ (Native Interest)-जैसी ही बन जाती है। एक आदमी आजीविका के लिये हिसाब का काम सीखता है। पहले उसकी यह रुचि स्वाभाविक न थी, परंतु काम करते-करते उसकी हिसाब में ‘स्वाभाविक रुचि’ हो जाती है। उससे जब बात करें, वह हिसाब की ही बात करता है, और किसी चीज में उसे ‘रुचि’ हो नहीं होती। शिक्षक को चाहिए कि सत्य, न्यय, दया आदि जीवनोपयोगी भावों के लिये बालक में इसी प्रकार की रुचि उत्पन्न कर दे, यिन प्रयत्न के उसकी इन बातों में रुचि हो। ‘आत्म-सम्मान का स्थायी भाव’ जब किसी बालक में उत्पन्न हो जाता है, तब इस प्रकार उसी अवस्था स्थायं आ जाती है।

‘रुचि’ के क्रमिक विकास को हमने देया। परंतु ‘रुचि’ किन बातों पर आन्तित है, किन बातों के होने पर रुचि होगी, और किनके न होने पर नहीं होगी? इस विषय में तीन नियम हैं:—

(क). ‘रुचि’ उसी विषय में होगी, जिस विषय में हमारा ‘पूर्ववर्ती ज्ञान’ (Apperceptive mass) कुछ-न-कुछ घन चुका होगा। जिस बात से वालक विलकुल अनभिज्ञ है, उसके विषय में उसकी ‘रुचि’ उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिये कहा जाता है कि शिक्षा ‘ज्ञात’ से ‘अज्ञात’ की तरफ जानी चाहिए, ‘अज्ञात’ का ‘ज्ञात’ से कोई-न-कोई संबंध जोड़ देना चाहिए।

(स). इसी प्रकार जिस चीज़ को वालक कई बार देख चुका है, सुन चुका है, उसमें उसकी कोई ‘रुचि’ नहीं होगी। वह नई चीज़ देखना चाहता है, उसमें ‘जिज्ञासा’ (Curiosity) काम कर रही है। वह ‘अज्ञात’ की तरफ, जाना चाहता है, परंतु वह ‘अज्ञात’ को ‘ज्ञात’ के महारे से ही समझ सकता है। जो शिक्षक एक ही बात को दोहराते रहते हैं, वे अपने विषय के प्रति ‘रुचि’ उत्पन्न नहीं कर सकते। एक ही बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिये दोहराने की ज़रूरत हो, तो शिक्षक को चाहिए कि वह उसे भिन्न-भिन्न तौर से, नए-नए ढँग से कहे, तभी वालकों की उसमें ‘रुचि’ उत्पन्न होगी।

(ग). जिस मात्रा में किसी बात का सुख-दुःख के अनुभव के साथ संबंध जोड़ा जा सकेगा, अपने ‘स्व’ के साथ संबंध जोड़ा

जा सकेगा, उतनी मात्रा म वह वस्तु 'रुचिकर' अथवा 'अरुचिकर' हो जायगी। इसके कई दृष्टात पहले दिए जा चुके हैं।

३. अवधान (Attention)

जैसा कहा जा चुका है, 'अवधान' का आधार 'रुचि' है। 'रुचि' के हमने दो भेद किए थे 'प्राकृतिक' सथा 'अर्जित'। 'प्राकृतिक रुचि' वह होती है, जिसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, 'अर्जित' में प्रयत्न करना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। क्योंकि 'अवधान' का आधार 'रुचि' है, इसलिये 'अवधान' के भी दो भेद हैं 'प्राकृतिक रुचि' पर आश्रित 'अवधान', जिसे 'प्रयत्न-नहित' अथवा 'अनेच्छिक' (Involuntary) भी कहा जा सकता है, तथा 'अर्जित रुचि' पर आश्रित 'अवधान', जिसे 'सप्रयत्न' अथवा 'चेच्छिक' (Voluntary) भी कहा जा सकता है।

'अनेच्छिक अवधान' में 'प्राकृतिक रुचि' काम करती है, इसलिये उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, चालक का ध्यान अपने-आप उधर जाता है। 'अनेच्छिक अवधान' का नियन्त्रण निम्न-लिखित तीन नियमों से होता है —

(क) किसी हद तक, जिस अनुपात में 'विपय' (Stimulus) की मात्रा बढ़ती जायगी, उसी अनुपात में चालक का ध्यान भी बढ़ता जायगा। वीमे प्रकाश की अपेक्षा तेज प्रकाश, मध्यम आवाज की अपेक्षा ऊँची आवाज, फीके रंग की अपेक्षा गाढ़ा रंग चालक का ध्यान जल्दी रोक लेता है।

(स) 'विपय' (Stimulus) में परिवर्तन भी चालक का

ध्यान अपने-आप सीच लेता है। बालक रो रहा है, अगर उसके सामने गुलाम का फूल घर दिया, जाय गे वह चुप हो जाता है। घड़े होने पर भी मनुष्य नवीनता की तरफ भागता है। पाठ्य-क्रम में विविध विषयों का समावेश इसी दृष्टि से किया जाता है।

(ग). 'विषय' के साथ हमारे सुख-नुख के संबंध पर भी ध्यान आश्रित रहता है। बालक वीसियों को देखता है, परंतु उस का ध्यान किसी की तरफ नहीं खिचता, इतने में वह अपनी माँ को देखता है, मट्टसे उसका ध्यान अपनी माँ की तरफ खिच जाता है। इसका कारण यही है कि माता के साथ उसकी अनेक सुख की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं।

उक्त तीनों प्रकार के 'अनैन्द्रिक अवधान' (Involuntary Attention) में 'प्राकृतिक रुचि' काम करती है। 'एन्द्रिक अवधान' (Voluntary Attention) में ध्यान अपने-आप नहीं हो जाता, उसे 'प्रयत्न' से उत्पन्न करना पड़ता है। 'अनैन्द्रिक अवधान' का आधार 'रुचि' (Interest) है, 'एन्द्रिक अवधान' का आधार 'प्रयत्न' (Effort) है, 'इन्वेस्टमेंट' (Will) है। इसमें हमारा ध्यान अपने-आप किसी विषय की तरफ नहीं जाता, परंतु प्रयत्न के द्वारा, व्यक्तसाय करके, हम ध्यान को उधर सीचते हैं।

'अनैन्द्रिक अवधान' 'प्राकृतिक रुचि' (Instinct-interest) की वस्तुओं की तरफ जाता है। पहले-पहल बालक का ध्यान स्थूल जीजों की तरफ खिचता है। शिशुक का कर्तव्य है

कि स्थूल चीजों के साथ सूक्ष्म चीजों का संर्वध जोड़कर वालक के ध्यान को भावात्मक पदार्थों की तरफ ले आए, उसकी रुचि स्थूल में ही सीमित न रहे, सूक्ष्म में भी उत्पन्न हो जाय। सूक्ष्म वस्तुओं में जब वालक की रुचि उत्पन्न होने लगती है, तब उसके अवधान को 'ऐच्छिक अवधान' कहा जाता है। शिक्षक को चाहिए कि 'ऐच्छिक अवधान' को बढ़ाते-बढ़ाते ऐसा बना दे कि वालकों के लिये वह स्वाभाविक हो जाय, प्राकृतिक हो जाय, अनैच्छिक हो जाय।

'ऐच्छिक अवधान' का नियंत्रण निम्न चार नियमों से होता है:-

(क). मन का प्रतिपाद्य विषय के लिये तैयार होना या न होना ध्यान का पहला नियम है। अगर हम किसी बात के लिये तैयार हैं, तो वह एकदम ध्यान को 'र्धांच लेती है, अगर तैयार नहीं हैं, तो उस तरफ ध्यान नहीं रिच्चता। हम अपने किसी मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमरे में जरा-सी आहट होती है, हम तुरंत उठकर देखने लगते हैं। हम उसके आने के लिये तैयार थे, इसलिये हल्की-सी आहट से भी हमारा ध्यान उसकी तरफ खिच जाता है। अब कल्पना कीजिए कि हम उसके आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे। वह आ जाता है, और जोर-जोर से पुकारता है। हम उसकी आवाज से भली प्रकार परिचित हैं, परंतु हुँछ देर तक आवाज सुनकर भी नहीं पहचान पाते। जब उसे देखते हैं, तब कह उठते हैं, और तुम यहाँ कहाँ? अगर

हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते, उसके लिये तैयार होते, तब ऐसा न होता। शिक्षक के लिये यह नियम बड़ा आपश्यक है। अगर कोई वात पढ़ाने से पहले वालकों का मन उस विषय के लिये तैयार कर दिया जाय, तो उनका ध्यान बड़ी आसानी से उस विषय की तरफ स्थित जाता है। 'रुचि' के प्रकरण में हम लिये चुके हैं कि जिस विषय में वालक का 'पूर्ववर्ती ज्ञान' उन चुक्का हो, उसी में उसे 'रुचि' उत्पन्न होती है। इसी नियम को 'अनुधान' के प्रकरण में हमने उक्त प्रकार से कहा है।

(र) ध्यान का दूसरा नियम 'नवीनता' है। जो चीज़ नहीं होगी, वह ध्यान को शीघ्र ही रोच लेगी। शिक्षक को चाहिए कि वालक को नहीं नहीं बातें बतलाए। परन्तु क्योंकि शिक्षक को कई बार एक ही बात को वालकों के दिमाग में गाड़ने के लिये दोहराना पड़ता है, इसलिये उसे ऐसे समय में एक ही बात के भिन्न भिन्न पहलुओं पर प्रकाश ढालना चाहिए। इस प्रकार पुरानी बात भी नए रूप में आकर बच्चे का ध्यान, रोच लेती है। 'रुचि' के प्रकरण में भी इस नियम का प्रतिपादन करते हुए कहा गया था कि वालक में 'जिज्ञासा' का भाव जन्म है। उस 'जिज्ञासा' का शिक्षक को लाभ उठाना चाहिए।

(ग) जो 'विषय' (Stimulus) ध्यान को रोचता से उसके सम्बन्ध तथा निर्णय होने पर भी ध्यान का सम्बन्ध होना अथवा निर्णय होना आनंदित रहता है। 'विषय' जाहर भी हो सकता है, अद्वार भी। गाहन-गाहे रेंग की तल्लीरे वालकों का ध्यान

आकर्षित कर लेती हैं। ये सबल 'वाह्य विपय' (External Stimulus) हैं। एक बालक परीक्षा में प्रथम आने के उद्देश्य से खूब ध्यान से पढ़ता है। यह सबल 'आंतर विपय' (Internal Stimulus) है। बालक दंड के भय से, पारितोषिक के लोभ से, माता-पिता को प्रसन्न करने की इच्छा से, और ऊँची अवस्था में पहुँचकर, अपने 'आत्म-सम्मान के स्थायी भाव' की प्रेरणा से अनेक कार्य करते हैं। ये सब प्रेरणाएँ 'आंतर विपय' (Internal Stimuli) हैं, और 'ऐच्छिक अवधान' में सहायक हैं। 'रुचि' के प्रकरण में हमने लिखा था कि जिस बात का 'स्व' से संबंध होता है, उसमें 'रुचि' उत्पन्न हो जाती है। 'अवधान' का उक्त नियम 'रुचि' के ही तीसरे नियम से निकला है।

(घ). जिस समय ध्यान देना हो उस समय शरीर में तथा मन में ध्यान देने को कितनी शक्ति है, इस बात पर भी 'ऐच्छिक अवधान' आश्रित रहता है। शारीरिक अथवा मानसिक थकावट के समय ध्यान नहीं जमता। बीमार वशे किसी गृह विपय की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। प्रातःकाल दिमारा तथा शरीर ताजा होता है, इसलिये उस समय दोपहर की अपेक्षा अधिक ध्यान लगता है। एक ही स्थिति में, वैठे-वैठे बालक थक जाते हैं, इसलिये उनका ध्यान उचट जाता है। शिक्षक को चाहिए कि उन्हें खड़ा होने, चलने-फिरने का भौका दे। कभी किसी बालक को 'श्यामपट' पर बुला ले, कभी किसी को। इससे 'ऐच्छिक अवधान' में सहायता मिलती है।

हमने 'अनैच्छिक' तथा 'ऐच्छिक' अवधान के भेद को यत-लाते हुए फहा था कि 'अनैच्छिक' में 'रुचि' (Interest) काम कर रही होती है, 'ऐच्छिक' में 'प्रयत्न' (Effort) अथवा 'व्यवसाय' (Will) । परंतु यहाँ पर यह समझ लेना खरुरी है कि 'प्रयत्न' द्वारा 'अवधान' उत्पन्न करना कृत्रिम साधन है । प्रयत्न से यह तो हो सकता है कि हम किसी चीज़ में लगे रहें, परंतु उस लगने में क्रियाशीलता, वेग, चेष्टी तथा तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक 'रुचि' की सहायता न ली जाय । हम जर्मन पढ़ रहे हैं, वड़ी कोशिश करते हैं, 'प्रयत्न' तथा 'व्यवसाय' के सारे लोत वहाँ देते हैं, परंतु अंत में पुस्तक उठाकर अलग रख देते हैं । अस्ल में, 'ऐच्छिक अवधान' में भी 'प्रयत्न' की जगह 'रुचि' का समावेश करने का उद्योग करना चाहिए । दूसरे शब्दों में, 'ऐच्छिक अवधान' को भी 'अनैच्छिक' ही बनाने की कोशिश करना चाहिए तभी, अमली अर्थों में, किसी विषय में हमारा ध्यान लग सकता है । 'रुचि' प्राकृतिक वातों में, स्थूल वातों में, सानेपीने की वातों में होती है, अतः 'ऐच्छिक अवधान' का प्रारंभ भी स्थूल वातों से ही होगा । परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि शिक्षक अंत तक वालक की प्राकृतिक इच्छाओं को सोमने रखकर ही अपना एक-एक कदम उठाए । यह तो शिक्षा शुरू करने का तरीका होना चाहिए । आगे चलकर 'रुचि' को 'आत्म-सम्मान के स्थायी भाव' में बदल देना चाहिए, और वालक के अवधान का लोत यही स्थायी भाव हो जाना चाहिए ।

हमने देख लिया कि 'अवधान' क्या है ? 'अवधान' के विषय में मनोवैज्ञानिकों ने कई परीक्षण किए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि एक समय में मन में कितनी बाते रखती जा सकती हैं, एक चीज़ पर कितनी देर ध्यान टिक सकता है, एक ही समय में कितने काम हो सकते हैं ; इत्यादि । हम इन परीक्षणों का संक्षिप्त परिचय देकर 'अवधान' के प्रकरण को समाप्त करेंगे :—

(क). 'अवधान का विस्तार' (Span of Attention)— मन एक समय में एक ही वस्तु का प्रहण कर सकता है, या कई का इकट्ठा, इस संबंध में जो परीक्षण हुए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि हम पाँच वस्तुओं तक को एक ही समय में अवधान में ला सकते हैं । अगर पाँच बिंदु, पाँच गोलियाँ, पाँच अद्वार या पाँच रेखाएँ सेकंड के $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$ भाग से लेकर $\frac{1}{2}$ भाग तक सामने रखती जायें, तो मन उनका एकदम प्रहण कर लेता है, इनसे अधिक वस्तुओं का नहीं । इसी प्रकार अगर पाँच शब्द, पाँच विभुजें, या पाँच अन्य वड़ी वस्तुएँ सामने लाई जायें, तो उनका भी मन युगपद्-प्रहण कर सकता है । 'जेस्टाल्ट-वाद' के अनुसार हमें 'अवयवी' का एकसाथ ज्ञान होता है, यह पहले कहा जा चुका है । शब्द, विभुज आदि 'अवयवी' हैं, अद्वयों तथा रेखाओं से बने हैं, इनका युगपद्-प्रहण 'जेस्टाल्ट-वाद' की पुष्टि करता है ।

(ख). 'अवधान का विचलन' (Fluctuation of Attention)— एक वस्तु पर हम कितनी देर तक ध्यान दें सकते हैं ? कभी-कभी हमारा ध्यान एक ही वस्तु पर घंटों जमा रहता है ।

क्या वास्तव में उस समय हमारा ध्यान उसी वस्तु पर जमा होता है ? परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि ऐसी वात नहीं है । अगर हम अपने सामने एक सुई रखकर उस पर ध्यान केंद्रित करने लगें, और अपने एक भिन्न को पास बैठा लें, और जब-जब ध्यान उचटे, तब-तब उँगली उठा दें, वो पता लगेगा कि एक मिनट में हमारा ध्यान कितनी ही बार उचट जाता है । साधारणतया ५ या ६ सेकंड तक ही ध्यान केंद्रित रहता है । कम-से-कम ३ तथा अधिक-से-अधिक २५ सेकंड तक ध्यान केंद्रित रह सकता है । जो लोग समझते हैं कि वे इससे अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, वे अगर विचार करेंगे, तो उन्हें पता लग जायगा कि अधिक देर तक का ध्यान तब होता है जब हम विषय के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार करने लगते हैं । हम सुई पर देर तक सोचना चाहते हैं, तो कभी उसकी लंबाई पर सोचने लगते हैं, कभी उसके पतलेपन पर, कभी उसके संबंध में किसी और विषय पर । शिक्षक के लिये विद्यार्थियों का एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करने का यह सर्वोत्तम उपाय है ।

(ग). 'अवधान का विभाग' (Division of Attention)—हम एक ही समय में कितने काम कर सकते हैं ? जिन वातों में ऐन्ड्रिक ध्यान की ज़खरत नहीं होती, वे तो कई इकट्ठे किए जा सकते हैं ; चलते हुए वात करना भी हो सकता है ; परंतु प्रश्न यह है कि 'ऐन्ड्रिक अवधान' में हम कितने काम इकट्ठे कर सकते हैं । इस वात का पता लगाने के लिये निम्न परीक्षण

किया जा सकता है। पहले एक मिनट तक अयुग्म संरचना गिनो और देखो कि १, ३, ५, ७, ९ के क्रम से एक मिनट में तुम कितने अंक बोल सकते हो। यह संत्या नोट कर लो। इसके बाद वर्णमाला के अच्चर क, र, ग आदि लिखो। एक मिनट तक जितने अच्चर लिखे जायें, उनकी संरचना नोट कर लो। अब दोनों काम एक-साथ एक मिनट तक करके देखो। अच्चर लिखते जाओ, और विषम संरचना बोलते जाओ। इस परीक्षण का परिणाम यह होगा कि पहले की अपेक्षा कम अच्चर लिखे जायेंगे, और कम "संत्या बोली जायगी। अगर इस समय ध्यान देकर देगा जाय, 'तो पता लगेगा कि मन दोनों में से कभी एक तरफ ध्यान देता है, कभी दूसरी तरफ। वह 'दोनों विषयों' को करना चाहता है, अतः 'प्रयत्न' की सहायता लेता है। परंतु 'प्रयत्न' कभी अच्चर लिखने की सहायता करने लगता है, कभी संरचना बोलने की, दोनों की एक-समान सहायता नहीं कर सकता, और इसलिये पहले की अपेक्षा कम तथा निचले दर्जे का काम होता है।

(घ). 'ध्यान में चाधा' (Distraction) — चाधा से ध्यान में विकेप पड़ता है, यह सर्व-साधारण का अनुभव है। परंतु कभी-कभी चाधा से 'अवधान' साधारण की अपेक्षा अधिक काम कर दैठता है। जब चाधा उपस्थित होती है, तब मन उस चाधा का मुकाबिला करने के लिये साधारण अवस्था की अपेक्षा अधिक 'व्यवसाय-शक्ति' (Will-power) को उत्पन्न कर देता है, और मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा काम कर देता है। शिक्षक

को चाहिए कि वालक के सामने कोई प्रश्न (Problem) रख दे, यह प्रश्न उसके सम्मुख वाधा के रूप में उपस्थित होगा, और वह इसे हल करने के लिये सावारण अवस्था की अपेक्षा अधिक व्यवसायशक्ति को उत्पन्न करेगा। इस दृष्टि से 'वाधा' कभी-कभी, अवधान का कारण बन जाती है।

(द). 'ध्यान का केंद्रीकरण' (Concentration of Attention)—ध्यान का केंद्रीकरण तब होता है, जब हम अवधान के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। हम पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं। जब तक एक-एक अध्याय पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर देते, तब तक ध्यान उबला रहता है, गहराई तक नहीं जाता, और उस विषय का बोध भी यथार्थ-बोध तक नहीं पहुँचता। ध्यान के केंद्रीकरण के लिये किसी 'प्रयोजन' (Purpose) का मन में होना जरूरी है। 'प्रयोजन' वह केंद्र है जिसके इर्द-गिर्द अवधान बड़ी आसानी से चक्रत काटने लगता है। अगर हमें किसी चीज पर ध्यान लगाना है, तो उसके संबंध में मन में कोई न-कोई 'प्रयोजन' अवश्य उत्पन्न कर लेना चाहिए। जो शिक्षक वालकों के हृदय में 'प्रयोजन' (Purpose) उत्पन्न कर देता है, वह उनके ध्यान को केंद्रित करने में अवश्य सफल होता है।

४. थकान

ध्यान के केंद्रित न होने का मुख्य कारण 'रुचि' न होना है। जब पाठ रोचक न हो तब वालक इधर-उधर देखने लगते हैं, अध्यापक की बात सुनने में ध्यान नहीं ढूँते। इस अवस्था में

शिक्षक का दोष होता है, उसे अपने पाठ को रुचिकर बनाना चाहिए। परंतु कभी-कभी थकान भी अनवधान का कारण होती है। काम करते-करते थक जाना स्वामाविक है। शिक्षक को इन दोनों में भेद करना चाहिए। ऐसा न हो कि वालक पाठ के अरोचक होने से ध्यान न दे रहे हों, और वह समझने लगे कि है थकान के कारण पाठ से ध्यान नहीं दे रहे।

थकान दो तरह की होती है, शारीरिक तथा मानसिक। शारीरिक थकान शरीर से अधिक काम लेने पर होती है। काम करते समय शरीर की मांसपेशियों में गति होती है। इस गति से मांसपेशी में खुल रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। पहले मांसपेशी की प्रतिक्रिया ज्ञारीय (Alkaline) थी, गति करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया अम्लीय (Acid) हो जाती है। शरीर में गति करने से मांसपेशियों में लगभग ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जैसे घंटूक में गोली चलने से होते हैं। गोली चलने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उससे गोली तेज़ चली जाती है, और घंटूक की नाली गर्म हो जाती है। इसी प्रकार मांसपेशी की गति से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनसे शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, और साथ ही गर्मी भी उत्पन्न होती है। यह शक्ति ही काम के रूप में दिखाई देती है। परंतु इस शक्ति को उत्पन्न करने में 'अम्ल' भी उत्पन्न हो जाता है, इस अम्ल का नाम 'कार्बनिक अम्ल' (Carbonic Acid) है। यह अम्ल रुधिर में मिलता जाता है, और यही थकावट का कारण है। जिस प्रकार क

रासायनिक निया शारीरिक थकावट में होती है, इसी प्रकार की मानसिक थकावट में भी होती है। मन की प्रत्येक गति का आधार दिमाग है। दिमाग में वह भाग जहाँ चेतना रहती है, जिसे हमने भूरे रंग का पदार्थ या 'कॉरेट्रैक्स' कहा था, वहाँ पर वे ही परिवर्तन होने लगते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन में मास-पेशी में होते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क में कार्बनिक अम्ल तथा अन्य विष-न्युक पदार्थों का बढ़ जाना मानसिक थकावट को उत्पन्न कर देता है।

'कार्बनिक अम्ल' को शरीर में से निकालने का साधन फेफड़े हैं। फेफड़ों में अम्ल मिश्रित रधिर-शिराएँ पहुँचती हैं, उनमें शुद्ध वायु भी पहुँचती है। शुद्ध वायु का 'ओपजन' रुधिर में चला जाता है, और शिराओं का 'कार्बनिक अम्ल' गेस के रूप में, फेफड़ों की वायु के द्वारा, सॉस के ज़रिए, बाहर निकल जाता है। इसीलिये शारीरिक अथवा मानसिक थकावट के बाड़ कुछ व्यायाम कर लेना, गहरे-नहरे सॉस ले लेना थकावट को दूर कर देता है।

शारीरिक थकावट शरीर के किमी एक हिस्से में या संपूर्ण शरीर में हो सकती है। इसी प्रकार मानसिक थकावट किसी एक विषय में या संपूर्ण मानसिक कार्य में हो सकती है। एक-देशीय थकावट को दूर करने के लिये काम को बदल देना 'सर्वोत्तम उपाय है, संपूर्ण शरीर तथा मन की थकावट को तो आराम से और नोंद से ही दूर किया जा सकता है।

शिक्षक का दोष होता है, उसे अपने पाठ को शृंचिकर बनाना चाहिए। परंतु कभी-कभी थकान भी अनवधान का कारण होती वै। काम करते-करते थक जाना स्वाभाविक है। शिक्षक को इन दोनों में भेद करना चाहिए। ऐसा न हो कि थालक पाठ के अरोचक होने से ध्यान न दे रहे हों, और वह समझने लगे कि है थकान के कारण पाठ से ध्यान नहीं दे रहे।

थकान दो तरह की होती है, शारीरिक तथा मानसिक। शारीरिक थकान शरीर से अधिक काम लेने पर होती है। काम करते समय शरीर की मांसपेशियों में गति होती है। इस गति से मांसपेशी में कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। पहले मांसपेशी की प्रतिक्रिया आम्लीय (Alkaline) थी, गति करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया अम्लीय (Acid) हो जाती है। शरीर में गति करने से मांसपेशियों में लगभग ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जैसे बदूक में गोली चलने से होते हैं। गोली चलने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उससे गोली तेज़ चली जाती है, और बदूक की नाली गर्म हो जाती है। इसी प्रकार मांसपेशी की गति से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनसे शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, और साथ ही गर्मी भी उत्पन्न होती है। यह शक्ति ही काम के रूप में दिखाई देती है। परंतु इस शक्ति को उत्पन्न करने में 'अम्ल' भी उत्पन्न हो जाता है, इस अम्ल का नाम 'कार्बनिक अम्ल' (Carbonic Acid) है। यह अम्ल रुधिर में मिलता जाता है, और वही थकावट का कारण है। जिस प्रकार क

रासायनिक त्रिया शारीरिक थकावट में होती है, इसी प्रकार की मानसिक थकावट में भी होती है। मन की प्रत्येक गति का आधार दिमाग है। दिमाग में यह भाग जहाँ चेतना रहती है, जिसे हमने भूरे रंग का पदार्थ या 'कॉरटेक्स' कहा था, वहाँ पर वे ही परिवर्तन होने लगते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन में मास-पेशी में होते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क में कार्बनिक अम्ल तथा अन्य विष-नुक्स पदार्थों का बढ़ जाना मानसिक थकावट को उत्पन्न कर देता है।

'कार्बनिक अम्ल' को शरीर में से निकालने का साधन फेफड़े हैं। फेफड़ों में अम्ल मिश्रित स्थिर-शिराएँ पहुँचती हैं, उनमें शुद्ध वायु भी पहुँचती है। शुद्ध वायु का 'ओपजन' रुचिर में छला जाता है, और शिराओं का 'कार्बनिक अम्ल' गेस के स्प में, फेफड़ों की वायु के ढारा, सॉस के चरिए, जाहर निम्ल जाता है। इमीलिये शारीरिक अथवा मानसिक थकावट के बाद कुछ व्यायाम कर लेना, गहरे-गहरे साँस ले लेना थकावट को दूर कर देता है।

शारीरिक थकावट शरीर के किसी एक हिस्से में या संपूर्ण शरीर में हो सकती है। इसी प्रकार मानसिक थकावट किसी एक निषय में या संपूर्ण मानसिक कार्य में हो सकती है। एन-देशीय थकावट को दूर करने के लिये काम को बदल देना सर्वोत्तम उपाय है, संपूर्ण शरीर तथा मन की थकावट को तो आराम मे और नाद से ही दूर किया जा सकता है।

थकान 'अरुचि' तथा 'अनववान' का मुख्य कारण है, इसलिये शिक्षक को इस विषय पर सदा सचेत रहना चाहिए। बालकों के बैठने, उठने के दृग वदलते रहना चाहिए, लगातार लिंगने या लगातार देखने का ही काम नहीं देना चाहिए, भिन्न-भिन्न कार्यों का ऐसा संमिश्रण करना चाहिए जिससे एक विषय के बाद दूसरा ऐसा विषय पढ़ाया जाय जिसमें उन अंगों को सुदृढ़-पुढ़ आराम मिल जाय जिनसे पहले विषय के अध्ययन के समय काम लिया गया था। इस दृष्टि से समय-विभाग के बनाने में बड़ी धुखिमत्ता से काम लेना चाहिए। दीच-दीच में बालकों को आराम भी देना चाहिए, उन्हे लगातार पढ़ाई में जोते नहीं रखना चाहिए।

एकादश अध्याय

‘सृष्टि’ तथा ‘प्रत्यय-संबंध’

‘सविकल्पक ज्ञान’ (Perception) में पदार्थ हमारे सम्मुख होता है, और हम उस पर विचार करते हैं। परंतु अगर हम पदार्थ के सम्मुख होने पर ही विचार कर सके, उसके सम्मुख न होने पर न कर सकें, तब तो वड़ी मुश्किल हो जाय, हर समय पदार्थ को सम्मुख कैसे लाया जाय? इसलिये यह भी एक प्रक्रिया होती है जिससे पदार्थ अपनी प्रतिमा हमारे मन में छोड़ जाता है, और हम पदार्थ के सम्मुख न होते हुए भी उसकी प्रतिमा अपने सम्मुख ला सकते हैं, और उस पर विचार कर सकते हैं। इससे विचार करना बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ‘सृष्टि’ के नाम से पुकारा जाता है। ‘गानभिक प्रतिमा’ तथा ‘विचार’ का आधार ‘सृष्टि’ ही है। जिन चीजों को हम पहले देख चुके हैं उनके संस्कार हमारे दिमाग में पड़ जाते हैं, वे हमारी सृष्टि के हिस्से बन जाते हैं, और इन संस्कारों, इन सृष्टियों, इन मानसिक प्रतिमाओं के आधार पर ही हमारी संपूर्ण विचार-परंपरा चलती है। इसी दृष्टि से कई लोग कल्पना (Imagination) तथा विचार (Thinking) को भी सृष्टि के अंतर्गत ही गिनते हैं। ये विषय परस्पर इतने संबद्ध हैं कि हम

अगले तीन अध्यायों में स्मृति (Memory), कल्पना (Imagination), तथा विचार (Thinking) पर क्रमशः विवेचन करेंगे।

पॉचवें अध्याय के प्रारंभ में हमने बतलाया था कि मन की मुख्य शक्तियों तीन हैं 'हॉर्म', 'निमे' तथा 'सबध'। 'हॉर्म' का वर्णन प्राकृतिक शक्तियों के प्रकरण में काफी हो चुका है। इस अध्याय में हमें 'निमे' तथा 'सबध' पर ही विचार करना है।

१. 'स्मृति' (Memory)

हमने दस साल हुए श्यामलाल को देखा था, आज श्यामलाल हमारे सामने नहीं, परतु हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, यह कैसे? इसका उत्तर मनोविज्ञान के पडित दो तरह से देते हैं। 'आत्म'-वादी तो कहते हैं कि आत्मा के दो रूप हैं, 'उद्भूत' (Conscious) तथा 'अनुद्भूत' (Sub-conscious)। 'उद्भूत'-आत्मा पर जो स्वकार पड़ते जाते हैं, वे 'अनुद्भूत' में सचित होते जाते हैं, और आत्मा को जिस समय जिन स्वकारों की जल्दत होती है वे उसके 'अनुद्भूत' रूप में से 'उद्भूत' रूप में आ जाते हैं। इस प्रकार वे लोग स्मृति को आत्मा का गुण मानते हैं, उसकी शक्ति (Faculty) मानते हैं। परतु अगर स्मृति आत्मा की स्वतंत्र-शक्ति (Faculty) हो, तो जिस समय आत्मा किसी वात को याद करना चाहे, वह फट-से याद आ जानी चाहिए। परतु ऐसा नहीं होता। हम जिस वात को याद करना चाहते हैं, ध्यान में लाना चाहते हैं, वह कभी-कभी चेतनता से

परेन्परे भागती जाती है, लास कोशिश करने पर भी हाथ नहीं आती। इसलिये सूति आदि को आत्मा की भिन्न भिन्न शक्तियों मानने का विचार मनोविज्ञान के छेत्र में पुराना समझा जाने लगा है। अब मनोविज्ञान के पढ़ित इस विचार को नहीं मानते। वे लोग भूतकाल की सूति का उत्तर मस्तिष्क की रचना से देते हैं। उन लोगों का कहना है कि मस्तिष्क में स्स्कारों को सचित करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे 'सचय-शक्ति' (Conservation) कहते हैं। प्रत्येक अनुभव मस्तिष्क के भीतर के कोष्ठों में सचित होता रहता है। जब हमने श्यामलाल को दस साल हुए देखा था, तो उसके स्स्कार हमारे 'ज्ञान-वाहक तंतुओं' में से होकर 'वडे दिमाग' (Cerebrum) के भूरे रँगाले भाग 'कॉरटेक्स' में जाकर जमा हो गए थे। 'कॉरटेक्स' में लायों-करोड़ों 'तंतु-कोष्ठ' (Nerve cells) हैं। श्यामलाल को देखने से इन कोष्ठों में श्यामलाल के स्स्कार पड़ गए थे, और वे स्स्कार सचित (Conseived) हो गए थे। इस समय जब कि हम श्यामलाल को याद कर रहे हैं, वे ही स्स्कार जाग गए हैं। परंतु पूछा जा सकता है कि स्स्कारों के सचित होने से क्या अभिप्राय है? श्यामलाल का जो अनुभव हुआ था, क्या वह अनुभव मस्तिष्क में सचित रहता है? अगर यह बात है, तम तो 'आत्मवादी' भी तो यही मानते थे कि आत्मा के 'अनुद्भूत रूप' में स्स्कार जमा होते रहते हैं, उन्हीं को 'सूति' कहते हैं। इसके उत्तर में मस्तिष्क को सृति का भौतिक आधार माननेवाले कहते हैं कि नहीं, मस्तिष्क में श्यामलाल का 'अनुभव'

नहीं संचित होता, मस्तिष्क के तंतु-कोष्ठों पर श्यामलाल की तस्वीर लिंच जाती है। अर्थात् श्यामलाल को देखकर तंतु-कोष्ठों में परिवर्तन हो जाता है, श्यामलाल को देखने से पहले वे जैसे थे, वैसे अब नहीं रहते। जिस प्रकार किसी अच्छे गानेवाले का फोनोग्राफ में रिकार्ड भरा जाता है, फोनोग्राफ पर लगी मोम पर बुद्ध चिह्न से पड़ जाते हैं, और जब उस रिकार्ड को प्रामोशन पर चढ़ाया जाता है, तो वे ही संस्कार जो पहले लिखे गएथे, उद्भूत रूप में आकर गाने के रूप में प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार जब हम कोई चीज देखते, सुनते, सूचते, छूते हैं, तब उसका असर मस्तिष्क के फोनोग्राफ पर होता है, अर्थात् उसके तंतु-कोष्ठों में परिवर्तन हो जाता है, और समय आने पर वे तंतु-कोष्ठ स्मृति को जाग्रत् कर देते हैं। 'अनुभव' संचित नहीं होता, 'तंतु-कोष्ठों' की रचना में ही परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को 'संस्कार-लेखन' (Engram Complexes) कहते हैं। अनुभव अपने-आप तो नहीं रहता, परंतु अपने पीछे 'तंतु-कोष्ठों' में 'परिवर्तन', 'संस्कार' (Modifications, Dispositions) छोड़ जाता है। प्रत्येक अनुभव से 'तंतु-कोष्ठों' की पहले की रचना में परिवर्तन हो जाता है, और क्योंकि उस अनुभव के लिये तंतु-भाग (Nervous Path) घन चुका होता है, इसलिये दुधारा उस अनुभव का ग्रहण आसान हो जाता है, और साथ ही उसका उद्वोधन भी आसान हो जाता है। इस दृष्टि से स्मृति का भौतिक आधार 'कॉर्टेक्स' के 'तंतु-कोष्ठों' (Nerve Cells)

की 'संचय-प्रक्रिया' (Conservation) है, इसी को 'नेमे' कहा जाता है।

इस 'संचय-प्रक्रिया' की अपनी भिन्न-भिन्न तह हैं। हम एक पाठ को याद करते हैं, वह भूल जाता है। क्या विल्कुल भूल जाता है ? अगर हम भूले हुए पाठ को दुबारा याद करें, तो पहले की अपेक्षा जल्दी याद हो जाता है। क्यों ? अगर वह विल्कुल भूल गया था, तो अब भी उतनी ही देर लगनी चाहिए थी, जितनी पहले लगी थी। वास्तव में बात यह है कि पहले का याद किया हुआ भूल तो गया, परंतु उसके कुछ-कुछ संस्कार (Impressions) मस्तिष्क में चर्खर बचे रहे, तभी तो दुबारा याद करने पर पाठ जल्दी स्मरण हो गया। यह 'स्मृति' की सबसे निचली तह है। कभी-कभी हम देखते हैं कि जबानी बतलाने से हमें एक चोज याद नहीं आती, घर्ही सामने कर देने से हम उसे पहचान जाते हैं। पदार्थ के सन्मुख होने पर उसे पहचानना—'प्रत्यभिज्ञा' (Recognition) कहाता है, और यह स्मृति की दूसरी तह है। 'संस्कार' तथा 'प्रत्यभिज्ञा' के बाद स्मृति की तीसरी तह यह है जब हम बस्तु को अन्मुख लाए निता ही, उसकी प्रतिमा को मन में ला सकते हैं, और उसे पहचान लेते हैं। किसी ने श्यामलाल का नाम लिया, और तुरंत हमारे मन में श्यामलाल की प्रतिमा उपस्थित हो गई। यह 'प्रत्याह्वान' (Recall) कहाता है, और यही स्मृति की सबसे ऊँची तह है।

हमने देख लिया कि जो संस्कार 'कॉर्टेक्स' के कोष्ठों में

नहीं संचित होता, मस्तिष्क के तंतु-कोष्ठों पर श्यामलाल की तस्वीर खिच जाती है। अर्थात् श्यामलाल को देखकर तंतु-कोष्ठों में परिवर्तन हो जाता है, श्यामलाल को देखने से पहले वे जैसे थे, वैसे अब नहीं रहते। जिस प्रकार किसी अच्छे गानेवाले का फोनोग्राफ़ में रिकार्ड भरा जाता है, फोनोग्राफ़ पर लगी मोम पर कुछ चिह्न से पड़ जाते हैं, और जब उस रिकार्ड को आमोफोन पर चढ़ाया जाता है, तो वे ही संस्कार जो पहले लिये गएथे, उद्धृत रूप में आकर गाने के रूप में प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार जैव हम कोई चीज़ देखते, सुनते, सूचते, छूते हैं, तब उसका असर मस्तिष्क के फोनोग्राफ़ पर होता है, अर्थात् उसके तंतु-कोष्ठों में परिवर्तन हो जाता है, और समय आने पर वे तंतु-कोष्ठ स्मृति को जापन् कर देते हैं। ‘अनुभव’ संचित नहीं होता, ‘तंतु-कोष्ठों’ की रचना में ही परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को ‘संस्कार-लेखन’ (Engram Complexes) कहते हैं। अनुभव अपने-आप तो नहीं रहता, परंतु अपने पीछे ‘तंतु-कोष्ठों’ में ‘परिवर्तन’, ‘संस्कार’ (Modifications, Dispositions) छोड़ जाता है। प्रत्येक अनुभव से ‘तंतु-कोष्ठों’ की पहले की रचना में परिवर्तन हो जाता है, और क्योंकि उस अनुभव के लिये तंतु-मार्ग (Nervous Path) बन चुका होता है, इसलिये दुबारा उस अनुभव का ग्रहण आसान हो जाता है, और साथ ही उसका उद्घोधन भी आसान हो जाता है। इस हाटि से स्मृति का भौतिक आधार ‘कॉरटेक्स’ के ‘तंतु-कोष्ठों’ (Nerve Cells)

की 'संचय-प्रक्रिया' (Conservation) है, इसी को 'नेमे' कहा जाता है।

इस 'संचय-प्रक्रिया' की अपनी भिन्न-भिन्न तह हैं। हम एक पाठ को याद करते हैं, वह भूल जाता है। क्या विल्कुल भूल जाता है? अगर हम भूले हुए पाठ को दुबारा याद करें, तो पहले की अपेक्षा ज़न्दी याद हो जाता है। क्यों? अगर वह विल्कुल भूल गया था, तो अब भी उतनी ही देर लगनी चाहिए थी, जितनी पहले लगी थी। वास्तव में यात यह है कि पहले का याद किया हुआ भूल तो गया, परंतु उसके कुछ-कुछ संस्कार (Impressions) मस्तिष्क में ज़रूर बचे रहे, तभी सो दुबारा याद करने पर पाठ ज़न्दी स्मरण हो गया। यह 'स्मृति' की सबसे निचली तह है। कभी-कभी हम देखते हैं कि ज़बानी बतलाने से हमें एक चोज़ याद नहीं 'आती, वही सामने कर देने से हम उसे पहचान जाते हैं। पदार्थ के सम्मुख होने पर उसे पहचानना—'प्रत्यभिज्ञा' (Recognition) कहाता है, और यह स्मृति की दूसरी तह है। 'संस्कार' तथा 'प्रत्यभिज्ञा' के बाद स्मृति की तीसरी तह वह है जब हम वस्तु को सम्मुख लाए विना ही, उसकी प्रतिमा को मन में ला सकते हैं, और उसे पहचान लेते हैं। किसी ने श्यामलाल का नाम लिया, और तुरंत हमारे मन में श्यामलाल की प्रतिमा उपस्थित हो गई। यह 'प्रत्याहान' (Recall) कहाता है, और यही स्मृति की सबसे कँची तह है।

हमने देख लिया कि जो संस्कार 'कॉर्डेक्स' के कोष्ठों में

संचित हो जाते हैं, उन्हें 'सृष्टि' कहते हैं। सृष्टि का बल 'संस्कार-प्रत्यभिज्ञा' तथा 'प्रत्याह्रान' तक हो सकता है। सृष्टि का अस उद्देश्य प्रत्यभिज्ञा, और उससे भी बढ़कर 'प्रत्याह्रान' है। विषय उपस्थित न होने पर हम उसकी प्रतिमा (Imagery) को में ला सकें, तभी तो संसार के कारोबार चल सकते हैं। इस प्रक की प्रक्रिया का नियंत्रण करनेवाले मुख्य तौर से तीन निर माने जाते हैं :—

(क). 'संस्कार-प्रसक्ति' (Perseveration)—जो संस्क हम पर पड़ते हैं, उनमें से सबका गहरा असर नहीं पड़ता, पर कभी-कभी कोई संस्कार अपनी अभिट छाप डाल देता है। हम रे गाड़ी में सफर कर हैं, एक आदमी खिड़की में से बाहर माँक र है, इतने में रिड़ी का दरवाजा खिसक पड़ा, उसकी लैंगली च गई, धून की धार वह चली। घटना बीत गई, परंतु रह-रहव उसकी सृष्टि ताजी हो उठती है, मुलाएं नहीं भूलती, मानों सा चित्र ओंदों के सामने खिचा रहता है। हम कोई गाना सुन हैं, एक स्वर ऐसा सुनाई पड़ता है कि हम गुनगुनाने लगते हैं, औ वह स्वर गाना समाप्त हो जाने के बाद भी अनायास हमारे मुँह निकलने लगता है। इसे 'संस्कार-प्रसक्ति' (Perseveration कहते हैं। जो मंस्कार मस्तिष्क के कोष्ठों पर पड़े हैं, इतने गत हैं, इतने जवर्दस्त हैं कि हमें उन्हें उद्देश्य करने के लिये 'प्रयया' 'व्यवसाय' नहीं करना पड़ता, वे युद्ध-युद्ध उद्देश्य हो ज हैं। शिक्षक को नई बात यालक के सम्मुख इस ढंग से रख

चाहिए कि देखते ही उसके दिमाग में घर कर ले, दिमाग में मानों प्रमुक हो जाय, चिपट जाय, उसे छोड़े ही नहीं। जिस चीज़ को बालक ठीक तौर से समझ जाता है, जिस चीज़ के विषय में उसके मन में अस्पष्ट विचार नहीं रहते, विलुप्त स्पष्ट हो जाते हैं, वह अपने-आप स्मृति में जा गड़ती है। इसलिये किसी वात को याद करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि रटाने के बजाय शिक्षक उसे चूंब अच्छी तरह से समझा दे, बालकों के हृदय में उसके विषय में कोई मंदेह न रहे। इसलिये जिस चीज़ में उनका अवधान होता है उसे उन्हे याद करने की खस्तत नहीं रहती, वह स्वयं याद हो जाती है। ‘अवधान’ किसी वात को समझने में सहायता है, इसलिये ‘प्रवधान’ भी स्मृति में घड़ी सहायता करता है।

‘प्रसक्ति’ जहाँ संस्कार की प्रगलता पर निर्भर है, वहाँ मस्तिष्क की अवस्था पर भी बहुत-कुछ अपलंबित रहती है। किसी वात की तरफ हमारा ध्यान है, किसी की तरफ नहीं, किसी व्यक्ति में हमारी रुचि है, किसी में नहीं, इन वातों के कारण भी संस्कार कभी सबल और कभी निर्वल हो जाता है। ताजे दिमाग पर संस्कार आसानी से असर करते हैं, थके पर उतनी आसानी से उनका असर नहीं होता।

(स). ‘रटन’ (Rote Memory)—किसी चीज़ को दोहराने से वह याद हो जाती है। वचन में पहाड़े याद कराए जाते हैं, कर्मण या कर्म याद कराया जाता है, गूँ सर ‘रटन’ है।

कई लोग 'रटन' को 'स्मृति' न गिनकर 'आदत' मानते हैं। वर्गसन का कथन है कि 'रटन' में हम एक बात को वार-बार दोहराते हैं, उसमें मन के द्वारा विचार-शक्ति का प्रयोग नहीं करते। किसी धीज का वार-बार होना 'आदत' (Habit Memory) है, ठीक अर्थों में स्मृति (True Memory) नहीं। प्राचीन शिक्षा-विज्ञान में 'रटन' पर ही अधिक ज्ओर दिया जाता था, आजकल इस पर अधिक ज्ओर नहीं दिया जाता, संबंध स्थापित करके याद करना अच्छा समझा जाता है।

(ग). 'प्रत्यय-संबंध' (Association of Ideas)— 'स्मृति' का तीसरा नियम 'प्रत्यय-संबंध' का नियम है। हम सैर करने मसूरी गए थे। सुमित्रा हमारे साथ थी, वह धीमार पड़ गई थी, हमने डॉक्टर को दुलारा था। अब 'मसूरी' का नाम सुनकर हमें सुमित्रा याद आ सकती है, सुमित्रा का नाम सुनकर डॉक्टर याद आ सकता है, डॉक्टर का नाम सुनकर वह कमरा याद आ सकता है जिसमें सुमित्रा धीमार पड़ी थी। डॉक्टर, मसूरी, सुमित्रा के भिन्न-भिन्न प्रत्यय, भिन्न-भिन्न विचार हमारे मस्तिष्क में हैं, और उन सबका परस्पर इस-प्रकार का संबंध है कि किसी एक के सामने आने से कोई-सा भी याद आ जाता है। इसी को 'प्रत्यय-संबंध' का नियम कहते हैं। स्मृति के लिये यह नियम इतना आवश्यक तथा आधार-भूत है कि इस पर विस्तार से अलग विचार करना असंगत न होगा। इसलिये इस पर हम कुछ विस्तार से विचार करेंगे।

२. 'प्रत्यय-संबंध' (Association of Ideas)¹

हमने 'स्मृति' का भौतिक आवार बतलाते हुए कहा था कि दिमाग के भूरे रंगबाले हिस्से में, जिसे 'कॉरटेक्स' कहते हैं, लाखों और करोड़ों तंतु-कोष (Nerve Cells) होते हैं। इन कोषों में संस्कारों के नंचय को ही स्मृति कहते हैं। सुमित्रा मसूरी में चीमार पड़ी। इस घटना से मस्तिष्क में क्या परिवर्तन हुआ? मस्तिष्क में एक कोष पर सुमित्रा की छाप पड़ी, दूसरे पर मसूरी की, तीसरे पर टॉक्टर की। परंतु यह तो एक प्रक्रिया हुई, दूसरी प्रक्रिया यह हुई कि जब तीनों कोषों पर एक-साथ छाप पड़ रही थी, तब इन तीनों का परम्पर एक दूसरे के साथ तांत्रीय संबंध भी पैदां हो गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि उछ काल बाद जब कोई एक कोष जाग्रन हुआ, तो उसने पूर्व तांत्रीय संबंध के कारण दूनरे को भी जगा दिया, और हमें पुरानी सब चाते, डंकट्टी बाद हो आई। यही 'कोष-संबंध' 'प्रत्यय-संबंध' का कारण है। 'प्रत्यय' कोषों में संचित रहते हैं, 'कोषों' का संबंध जुड़ गया, तो 'प्रत्ययों' का संबंध तो अपने-आप जुगाया। मस्तिष्क में यह 'संबंध-शक्ति' (Cohesion) मौजूद रहती है, इनका हम पहले भी चिक्क कर चुके हैं। कई विचारक तो मन की ग्रत्येक प्रक्रिया को 'प्रत्यय-संबंध-बाद' की दृष्टि से ही देखते रहे हैं। इसका ऐतिहासिक विवेचन हम दूनरे अध्याय में कर आए हैं।

पूछा जा सकता है कि एक 'प्रत्यय' का दूसरे 'प्रत्यय' के साथ

संबंध' कैसे होता है ? मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय पर निम्न दो नियमों का प्रतिपादन किया है :—

(क). 'अव्यवधानता' (Contiguity)—इस मसूरी गए थे, वहाँ हमारी डॉ० राथके से भेट हुई थी, वहाँ एक दिन पं० जयगोपाल भी मिले थे । अब डॉ० राथके का नाम सुनकर मसूरी की याद प्राप्ति है, पं० जयगोपाल की याद आ सकती है, मसूरी का नाम सुनकर डॉ० राथके और पं० जयगोपाल दोनों की याद आ सकती है । यह देश-कृत 'अव्यवधानता' का दृष्टांत है । इसी प्रकार काल-कृत अव्यवधानता हो सकती है । कल हमारे यहाँ प्रो० परमात्माशरण आए थे, उनके साथ उनके एक शिष्य भी थे । अब हम उनके शिष्य को देखकर प्रोफेसर साहब के विषय में पूछने लगते हैं, और प्रोफेसर साहब को देखकर उनके शिष्य के विषय में । काल-कृत अव्यवधान में देश-कृत अव्यवधान अंतर्निहित रहता है, देशकृत अव्यवधान में कालकृत अव्यवधान का अंतर्निहित रहना चाहिए नहीं । कभी-कभी कार्य से कारण का और कारण से कार्य का स्मरण हो आता है । यह संबंध भी अव्यवधान के 'प्रत्यक्ष ही समझना चाहिए' ।

(ख). 'समानता' (Similarity)—दो समान वस्तुओं अथवा अनुभवों में अगर समानता हो, तो एक के स्मरण से दूसरी का स्मरण हो आता है । इस एक वृद्ध-पुरुष को देखते हैं, उसके बाल सफेद हैं, दाढ़ी लहरा रही है, उसे देखते ही हमें अपने पितामह का स्मरण हो आता है । इसी प्रकार एक ही वस्तु से

उसके विपरीत गुणों की वस्तु का भी संकेत मिल जाता है। इसे 'वैधर्म्य संवंध' (Dissimilarity) कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने 'वैधर्म्य संवंध' को 'समानता' के अंदर ही माना है।

कहीं लेखक 'समानता' को 'अव्यवधानता' से पृथक् नहीं मानते। डमविल महोदय का कथन है कि 'समानता' में कुछ अंश 'अव्यवधानता' का अवश्य रहता है। जब हम एक वृद्ध पुरुष की लंबी दाढ़ी देखते हैं, तो क्या हमें 'समानता' के कारण अपने पितामह का स्मरण हो आता है? 'समानता' तो केवल दाढ़ी में है, अतः केवल दाढ़ी की 'समानता' का स्मरण होना चाहिए। बात यह है कि दाढ़ी की 'समानता' देखकर तो पितामह की दाढ़ी का ही स्मरण होता है, परंतु क्योंकि पितामह की दाढ़ी के साथ उनके चेहरे, उनके हाथ-पौँव आदि संपूर्ण शरीर की 'अव्यवधानता' है, अतः संपूर्ण पितामह का स्मरण हो आता है। इसीलिये डमविल ने कहा है कि 'समानता' में 'अव्यवधानता' रहती है।

'प्रत्यय-संवंध' के मूलभूत नियम तो उक्त दो ही माने जाते हैं, परंतु मनोविज्ञान के पंडितों ने कुछ गौणभूत नियमों का भी प्रतिपादन किया है, जिनके कारण प्रत्ययों के संवंध के बल का निर्णय होता है। ये नियम 'अव्यवधानता' तथा 'समानता' दोनों में काम करते हैं, और निम्न हैं:—

(क). 'नवीनता' (Recency)—जो घात अभी हाल ही में हो चुकी हो, उसका संवंध बहुत प्रबल होता है, और उसकी सूति भी शीघ्र हो जाती है। हम अभी पूँ० श्रीधर पाठक का

‘भारत-गीत’ पढ़ रहे थे। वैसे तो उनके अनेक काव्य-प्रथ हैं, परंतु अगर कोई पाठकजी का नाम ले, तो हमें एकदम ‘भारत-गीत’ का स्मरण हो आता है। यह इसलिये नहीं कि हमें उनके अन्य किसी प्रथ का ज्ञान ही नहीं, अपितु इसलिये क्योंकि हाल ही में हम इस प्रथ को पढ़ रहे थे।

(र). ‘पुनरावृत्ति’ (Frequency)—अगर एक वस्तु या विचार के साथ दूसरे, का धारन्वार संबंध होता रहे, तो दोनों में से किसी एक के सम्मुख आने पर दूसरे का हमें ध्यान आ जाता है। पानी का नाम लेते ही ठंडक का, घास वा नाम लेते ही हरियावल का, आकाश का नाम लेते ही नीलिमा का बोध इसी अभ्यास के कारण है। ये अभ्यास तो सर्वगत हैं, कई अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने होते हैं। ‘फल’ का नाम लेते ही सबजी बेचनेवाले के मन में अनार का, पंडित के मन में ‘कर्म-फल’ का, लोहार के मन में ‘चाकू के फलके’ का विचार उत्पन्न हो जाता है; ‘कोश’ का नाम लेते हो पंडित के मन में ‘यमर-कोश’ का, महाजन के मन में ‘खजाने’ का, रेशम के कीड़े पालनेवाले के मन में ‘रेशम के कीड़े के घर’ का विचार आ जाता है। यह सब आदत के कारण है, उन शब्दों के साथ जिसका जो संबंध रहा है, वही विचार उसके मन में आ जाता है।

(ग). ‘प्रथमता’ (Primacy)—जो प्रभाव हम पर पहले पड़ जाता है, वह अक्सर अंत तक बना रहता है। किसी भले आदमी के विषय में उससे मिलते ही हमारी प्रतिकूल सम्मति

यन जाय, तो उसे दूर करना कठिन हो जाता है। वचपन के संस्कार मिटाए नहीं मिटते। पहले प्रभाव में अपने को विरस्थायी घनाने की शक्ति होती है।

(घ). 'प्रवलता' (Vividness)—विशद अनुभव वड़ी प्रवलता से हम पर प्रभाव जमा लेता है, और उसके प्रभाव में इतना बल होता है कि अन्य प्रतिस्पर्धी भाव भी उसके प्रभाव को दूर नहीं कर सकते। चाहे उस अनुभव को हुए सालों बीत गये हों, परंतु वह मूर्तिमान होकर आँखों के सम्मुख खड़ा हो जाता है, भुलाए नहीं भूलता। 'पुनरावृत्ति' का नियम तो सुनार की चोट करता है, 'प्रवलता' का नियम लोहार की चोट करता है। उस दिन दयाराम वैलगाड़ी को दौड़ा रहा था, वैल ज़ोर से दौड़े जा रहे थे, रस्ते में एक खंभे से टकरा कर गाड़ी उलट गई, दयाराम की टॉग लोहू-तुहान हो गई, हड्डी निकल आई, वह ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगा, हमने इस संपूर्ण हश्य को देखा, और इसका हम पर यह प्रभाव पड़ा कि अब हम जय भी दयाराम को देखते हैं, पुरानी सब घटना ताजी हो जाती है।

(ङ). 'रुचि' की अधिकता या न्यूनता (Interest)—'प्रत्यय-संबंध' का अंतिम कारण 'रुचि' है। जिस बात में हमें रुचि होती है, उसका संबंध मस्तिष्क में स्थापित हो ही जाता है, उसे छोहारने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

किमी विद्यार्थी के संबंध (Associations) किस प्रकार

के हैं, इस पर 'परीक्षात्मक मनोविज्ञान' में कई परीक्षण किए गए हैं। वे परीक्षण घड़े रोचक हैं, इसलिये उनका यहाँ दे देना असंगत न होगा। इन परीक्षणों में दो प्रणालियों से काम लिया जाता है : 'क्रमिक प्रणाली' तथा 'प्रतिक्रिया प्रणाली'।

(क). 'क्रमिक प्रणाली' (Serial Method) का परीक्षण—जिस व्यक्ति पर परीक्षण किया जाय उसे कोई एक शब्द देकर कहा जाता है कि इस शब्द के बाद जो शब्द तुम्हें आद आए, लिस दो, उस शब्द के बाद अगला जो शब्द ख्याल आये उसे भी लिए दो, और इसी प्रकार 'अगला-अगला शब्द जिस-जिस शब्द को याद करता जाय, उसे लिए जाओ।' इस प्रकार एक क्रमिक शृंखला तैयार हो जाती है, और उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि नवीनता, अभ्यास, प्रथमता, प्रबलता, रुचि में से कौन-सा नियम संबंध को ढूढ़ करने में काम कर रहा है। अगर हमने पहला शब्द 'ओँख' दिया, उससे अगला किसी ने 'ऐनक' लिख दिया, 'ऐनक' से उसे 'अमेरिका' का ख्याल आया, तो सोचने से इन सब शब्दों का उस व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई-न-कोई संबंध अवश्य हूँडा जा सकता है, जो 'अव्यवधानता' तथा 'समानता' के अंतर्गत होगा, और जिसके सबल या निर्वल होने में नवीनता, अभ्यास आदि नियमों से काम हो रहा होगा।

(ख). 'प्रतिक्रिया प्रणाली' (Reaction Method) का परीक्षण—इस प्रणाली में पहले एक शब्द यहाँ जाता जा-

लिखा हुआ, दिसाया जाता है, और जिस व्यक्ति पर परीक्षण किया जा रहा है वह, जो शब्द उसे सबसे पहले ध्यान में आया, उसे लिख देता है। इस प्रकार दस-चाँस शब्द उसके सामने घोले जाते हैं, और वह भी, उन शब्दों को सुनते ही जो शब्द उसे ध्यान में आते हैं, उन्हें लिख देता है। इन शब्दों पर विचार किया जाय, तो इनमें भी उक्त नियम काम करते हुए दीख जाते हैं।

हमने कहा था कि 'प्रत्यय-संबंध' स्मृति के तीन नियमों में से एक है, परंतु यह इतना आवश्यक नियम था कि इस पर, हमें विस्तार से लिखना पड़ा। अब हम फिर 'स्मृति' की तरफ आते हैं।

३. 'स्मृति'-विषयक परीक्षण

जिस प्रकार 'संबंध' (Association) के विषय में उक्त परीक्षण किए गए हैं, इसी प्रकार स्मृति के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर भी कई परीक्षण किए गए हैं। यह पता लगाया गया है कि किसी चीज़ को देखने या सुनने के ठीक बाद कितना बाद रह जाता है, जो स्मरण किया जाय उसमें कितने समय में कितना भूल जाता है, इत्यादि। 'स्मृति' के संबंध में ये परीक्षण बड़े महत्त्व के हैं, अतः हम इनका वर्णन करेंगे।

(क). 'स्मृति-विस्तार' (Span of Memory)—स्मृति के दो रूप हैं, 'तात्कालिक' तथा 'स्थिर'। 'तात्कालिक स्मृति' (Immediate Memory) यह है वह स्मृति विषय को

देखने, सुनने, याद करने के ठीक बाद हम में पाई जाती है; 'स्थिर-स्मृति' (Permanent Memory) वह है, जो याद करने के कुछ देर बाद पाई जाती है। 'स्थिर-स्मृति' का आधार 'प्रत्यय-संबंध' है, इसे 'यथार्थ-स्मृति' (True Memory) भी कहते हैं। 'तात्कालिक-स्मृति' का आधार तंतु-कोष्ठों पर संस्कारों की तात्कालिक प्रभाव डालने की शक्ति, 'संस्कार-प्रसक्ति', (Perseveration) है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, वर्गसन 'अभ्यास-स्मृति' को स्मृति में न गिनकर 'आदृत' (Habit) में गिनता हैं। 'तात्कालिक-स्मृति' प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न होती है। इसी को परखने के परीक्षण 'स्मृति-विस्तार' के परीक्षण कहाते हैं।

किसी व्यक्ति की 'तात्कालिक-स्मृति' को परखने के लिये उसके सम्मुख निरर्थक शब्द दोहराए जाते हैं, फिर उसे उन शब्दों को स्मृति द्वारा उद्भुद्ध करने को कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि हमने किसी के सम्मुख पढ़, छन, खांग की तरह के वीस शब्द बोले, और पहली ही बार उसने दस शब्द दोहरा दिए। इस व्यक्ति की 'स्मृति का विस्तार' उस व्यक्ति से अच्छा होगा जो पहली बार भी केवल पाँच शब्द दोहरा सकता है। सार्थक शब्दों का प्रयोग इसलिये नहीं किया जाता कि उनका परस्पर किसी-न-किसी प्रकार का संबंध जुड़ जाने से हम 'तात्कालिक-स्मृति' को नहीं परख सकते। न्यूमेन ने 'स्मृति-विस्तार' के संबंध में परीक्षण करके यह परिणाम निकाला है कि १३ वर्ष की आयु

तक यालरु में 'तात्कालिक-स्मृति' की धारे-धीरे वृद्धि होती है, १३ से १६ तक यह वृद्धि तेज़ हो जाती है, और १६ से २५ तक यह अपने उच्च शिखर पर पहुँच जाती है। उसके बाद इसमें कमी आने लगती है। परंतु जिस व्यक्ति में 'तात्कालिक-स्मृति' अधिक हो उसमें 'स्थिर-स्मृति' भी अधिक होगी, यह बात नहीं है। 'स्थिर-स्मृति' में विचारों का परस्पर संबंध जोड़ना पड़ता है, और इसलिये 'तात्कालिक-स्मृति' अधिक होने पर भी, वृद्धि का विकास न होने के कारण, किसी में 'स्थिर-स्मृति' की कमी हो सकती है।

(य). 'स्मृति' तथा 'विस्मृति' (Remembering and Forgetting)—'तात्कालिक-स्मृति' किसी चीज़ को देखने के ठीक उपरात उसका स्मरण करना है। परंतु कुछ देर ठहरकर अगर हम उसी बात को याद करने की कोशिश करे, तो वह 'वहृत' कम याद रह जाती है। भूलने की रफ्तार के विषय में एच्युन-हाउडस ने १८८५ में कुछ परिणाम निकाले थे, जो बड़े महत्व के हैं। परीक्षणों के आधार पर उसने पता लगाया कि याद करने के २० मिनट बाद ५८ प्रतिशत याद रह जाता है, बाकी भूल जाता है। इसी प्रकार १ घंटे बाद ४४ प्रतिशत, ६ घंटे बाद ३६ प्रतिशत, एक दिन बाद ३७ प्रतिशत, दो दिन बाद २८ प्रतिशत, छः दिन बाद २५ प्रतिशत और तीस दिन बाद ११ प्रतिशत याद रहता है, बाकी भूल जाता है। इसका यह परिणाम निकला क्षमित्वने के आध घंटे बाद लगभग आधा भूल जाता है, दो-तिहाई

आठ घंटे के बाद भूल जाता है, तीन-चौथाई छः दिन के बाद भूल जाता है, अर्थात् शुरू-गुरु से भूलने की रफ्तार ज्यादा होती है, और उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इसलिये विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने पाठ को आध घंटे के अंदर-ही-अंदर दोहरा लें, इस प्रकार परिश्रम कम पड़ता है, और मस्तिष्क में संचित अधिक हो जाता है।

(ग). 'प्रत्यभिद्वा' तथा 'प्रत्याहान' (Recognition and Recall)—हमने स्मृति की तीन तरह वर्तलाते हुए कहा था कि स्मृति की पहली सरह तो वह है, जो किसी वात को भूल जाने पर भी 'संस्कारों' के रूप में रहती है, दूसरी वह है जिसे 'प्रत्यभिद्वा' कहना चाहिए, तीसरी को 'प्रत्याहान' कहते हैं। 'प्रत्यभिद्वा' तथा 'प्रत्याहान' में भेद यह है कि 'प्रत्यभिद्वा' में वस्तु के सम्मुख होने पर हम उसे पहचानते हैं, 'प्रत्याहान' में वस्तु के सम्मुख न होने पर, मानसिक प्रतिमा (Imagery) द्वारा हम उसे पहचान लेते हैं। 'प्रत्याहान' (Recall) से ही स्मृति का असली उद्देश्य सिद्ध होता है। हमने पौँछो इंद्रियों से जो कुछ अनुभव किया है, अगर हम उसका मानसिक प्रतिमाओं के रूप में प्रत्याहान न कर सकें, तो विचार-परंपरा असंभव हो जाय। जिस बालक में 'प्रत्याहान' की जितनी शक्ति अधिक होगी उसकी स्मृति उतनी ही अधिक होगी। 'प्रत्यभिद्वा' तथा 'प्रत्याहान' का भेद अधिक स्पष्ट करने के लिये वेलन्टाइन महोदय ने अपने कुछ विद्यार्थियों पर परीक्षण किए हैं। ६४ बालकों पर

परीक्षण किया गया, जिनमें से ५४ में 'प्रत्याहान' की अपेक्षा 'प्रत्याभिज्ञा' अधिक पाई गई। इसी प्रकार ७५ वालकों पर परीक्षण किया गया, जिनमें से ६७ में 'प्रत्याहान' की अपेक्षा 'प्रत्यभिज्ञा' अधिक पाई गई। परीक्षण इस प्रकार किया जा सकता है कि २० निरर्थक शब्द लेकर उनमें से पहले, १० शब्द वालकों को तीन-चार बार सुनाए जाते हैं। कुछ देर ठहरने के बाद उन्हें इन शब्दों का 'प्रत्याहान' करने को कहा जाता है। जो वालक जिसने शब्दों का 'प्रत्याहान' कर सके, उसके नाम के साथ उसी संख्या लिख दी जाती है। इसके बाद इन दस को बचे हुए दस, शब्दों के साथ मिलाकर वीसों शब्दों को इकट्ठा पढ़ दिया जाता है, और उन्हें उन शब्दों को पहचानने के लिये कहा जाता है, जिन्हे वे पहले सुन चुके हैं। ऐसे परीक्षण किए गए और उनका परिणाम यह निकला कि वालक जिन शब्दों का 'प्रत्याहान' नहीं कर सकते थे, उनमें से इस बार बहुतों को पहचान जाते हैं।

(घ). 'मानसिक प्रतिमा' तथा 'सृति'—हमने अभी कहा कि सृति में 'प्रत्याहान' सबसे ज्यादा चर्चा है। 'प्रत्याहान' में क्या होता है? हमारे समुद्र पदार्थ नहीं होता, परंतु हम पहले के संस्कारों के आधार पर उसकी मानसिक कल्पना कर सकते हैं, उसकी प्रतिमा (Image) सामने ला सकते हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी उस 'प्रतिमा' के साथ उस समय का 'संवेदन' और 'उद्घेग' भी उत्पन्न हो जाता है। दिवगत माता को उस दृष्टि को, जो प्राण त्यागते हुए उसने हन पर ढाली थी,

कौन भुला सकता है, और उसके याद आते ही किसके आँसू नहीं निकल पड़ते। यह कल्पना-शक्ति (Power of Images) प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती है, और प्रत्येक इतिहास को अपनी-अपनी होती है। आँखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई, हाथों से लुई हुई, जीभ से चरी हुई, नासिका से सूँघी हुई चीजों की हम मानसिक कल्पना कर सकते हैं, और इन्हे क्रमशः ‘दृष्टि-प्रतिमा’, ‘अपण-प्रतिमा’, ‘स्पर्श-प्रतिमा’, ‘रस-प्रतिमा’, तथा ‘ध्वणि-प्रतिमा’ कहा जाता है। किसी वात को सृजित में दढ़ करने के लिये शिक्षक को कई प्रतिमाओं का संबंध लोड देना चाहिए। ‘दगत’ बोलते हुए अगर दगत दिखा भी दी जाय, तो ‘अपण-प्रतिमा’ तथा ‘दृष्टि-प्रतिमा’ का संबंध जुड़ जाता है, और बालक की सृजित में ‘दगत’-शब्द पुष्ट हो जाता है। ग्राम्य प्रत्येक व्यक्ति में ‘दृष्टि-प्रतिमा’ अधिक स्थिर होती है, और इसलिये शिक्षक को प्रत्येक वस्तु दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रतिमा-कल्पना की योग्यता को परस्परने के लिये निम्न परीक्षण किए जा सकते हैं—

(१). अपेक्षित बंद करके अपने सम्मुख एक रेता की कल्पना करो। अब इसे रेता को कल्पना में ही बढ़ाओ। क्या बढ़ जाती है? अब घटाओ। क्या घट जाती है?

(२). कान बंद करके कल्पना करो कि गाड़ी सीटी दे रही है। क्या सीटी मुनार्द देती है? इसी प्रकार प्रत्येक इतिहास के संबंध में परीक्षण किए जा सकते हैं। जिसमें ‘प्रतिमा-कल्पना’ अधिक होगी, उसे सृजित में अवश्य सहायता मिलेगी। कई बालक

एक प्रकार की 'प्रतिमा-कल्पना' कर सकते हैं, दूसरे प्रकार की नहीं, इसलिये जब शिवक अनेक वालुकों को इकट्ठा पढ़ा रहा हो, तो उसे वालुओं के राम्युल मिन-भिन्न इद्रियों की 'प्रतिमा-कल्पना' को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए।

(ड) 'स्मृति-वृद्धि'—क्या स्मृति-शाकि बढ़ सकती है ? स्मृति के माटे तैर पर दो भाग किए जा सकते हैं 'रटव' (Rote Memory) तथा 'प्रत्यय-सवध पर आश्रित स्मृति' (Rational Memory) । रटव का अर्थ है, सरकारों को सचित करने की मस्तिष्क में वर्तमान स्वाभाविक योग्यता । इसे 'सामान्य-स्मृति' (General Memory) भी कहा जा सकता है । 'प्रत्यय-सवध' तथा 'रचि' आदि पर आश्रित स्मृति को 'विशेष स्मृति' (Specific Memory) कहा जाता है । 'विशेष-स्मृति' के विषय में बोई विवाद नहीं है । हमारे विचार एक विशा में एक दूसरे से जितने समझ होंगे, जितनी हमारी उनमें रचि होगी, उतने ही अधिक वे याद भी किए जा सकते । 'सामान्य-स्मृति' के विषय में पिछ्लानों में मतभेद है । जेम्स का कथन है कि चाहे 'फितना ही प्रयत्न किया जाय, 'सामान्य-स्मृति' नहीं बढ़ सकती । हाँ, थकानट, वीमारी आदि के कारण न्यूनता अधिकता आ सकती है । मेघग्न तथा मिस सिमथ ने कुछ परीक्षण किए हैं जिनसे सिद्ध होता है कि 'सामान्य-स्मृति' भी बढ़ सकती है । परन्तु अविकृत यही विचार भाना जाता है कि 'सामान्य स्मृति' नहीं बढ़ती ।

इस सवध में वेलन्टाइन ने एक परीक्षण किया है । उसने

तीस बालकों की एक कहाना को दस-दस के तीन हिस्सों में बॉट दिया। एक हिस्से को १५ दिन तक रोज आधा घंटा कविता रटने को दी गई, दूसरे को उतने ही दिनों और उतने समय तक फूँच 'भाषा के शब्द रटने को दिए गए, तीसरे हिस्से को रटने का कोई काम नहीं दिया गया। इसके बाद तीनों हिस्सों को निरर्थक शब्द, कविता आदि याद करने के लिए दिए गए। जिस हिस्से ने कविता याद की थी उसने कविता याद करने में १५ फी सदी उन्नति दिखलाई, जिसने शब्द याद करने में अभ्यास किया था, उसने निरर्थक शब्द रटने में २० फी सदी उन्नति दिखलाई, और जिस हिस्से ने याद करने का कोई काम नहीं किया था, उसमें कोई उन्नति दिखाई नहीं दी। इस परीक्षण से कई लोग यह परिणाम निकाल सकते हैं कि अभ्यास से रटने की शक्ति में उन्नति हो सकती है, परंतु इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि यह उन्नति वास्तव में रटने की शक्ति के बढ़ जाने के कारण नहीं है, अपितु स्मरण करने के उन्नत तरीफे इस्तेमाल करने के कारण है। जिन बालकों ने कविता तथा शब्द रटे थे, उन्हें रटते-रटते कविता तथा शब्द याद करने के नाप-नप ढूँग सुक गए थे, और उन्हीं का उन्होंने नई चीजों को याद करने में इस्तेमाल किया था।

(च). 'स्मृति-संकरण' (Transference of Memory)— अभी जिन परीक्षण का हमने वर्णन किया, इसे कई लोग 'स्मृति-संकरण' का दृष्टांत कहेंगे। हमने कविता याद की, और कविता याद करने की शक्ति बढ़ गई। प्राचीन

मनोवैज्ञानिकों का मत था कि कविता अथवा अन्य किसी विषय के याद करने से केवल कविता स्मरण करने की ही नहीं, अपितु सब प्रकार के स्मरण की शक्ति में चूंदि होती है। भारतर्प में भी व्याकरण तथा अमर-कोश के रटने पर बहुत बल दिया जाता रहा। स्मरण शक्ति ही नहीं, अपितु अन्य शक्तियों के विषय में भी उनका यही विचार था। गणित से गणित-शक्ति को ही नहीं, अपितु 'विचार-शक्ति' को भी उत्तेजन मिलता है। एक विषय में उपर्जित की हुई शक्ति दूसरे में सहायक होती है। इस प्रकार वे लोग मन की भिन्न-भिन्न 'शक्तियाँ' (Faculties) मानकर उनका एक विषय से दूसरे में 'संकरण' (Transference) मानते थे, और सृष्टि-शक्ति को बढ़ाने के लिये व्यवपन में खूब घोटा लगता था। आजकल के मनोवैज्ञानिक मन में इम प्रकार की भिन्न भिन्न शक्तियाँ नहीं मानते, वे सृष्टि, विचार आदि को मानसिक-प्रक्रिया मानते हैं, और मन को भिन्न-भिन्न शक्तियों का समूह मानने के स्थान पर, भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का नियोक्ता मानते हैं। अनेक शक्तियाँ मिलकर मन नहीं बनता, मन स्वयं एक अखड़ सत्ता है, जो अनेक मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में काम करता है। इस दृष्टि से 'सृष्टि-संकरण' होता तो है, परंतु उतना ही जितना उस विषय का दूसरे विषय के साथ भवव होता है। अगर किसी ने कविता याद की, तो उसकी सृष्टि गणित के क्षेत्र में नहीं, भाषा, साहित्य आदि के क्षेत्र में ही सहायक होगी। अगर मनोवैज्ञानिक लोग

‘सृष्टि-शक्ति’ को कोई अलग शक्ति मानें, तब तो उसका ‘संकरण’ भी मानें, परंतु वे सृष्टि को अलग ‘शक्ति’ के रूप से नहीं मानते, इसलिये सृष्टि का संक्रांत होना भी नहीं मानते। जहाँ ‘सृष्टि-संकरण’ दियाई देता है, वहाँ सृष्टि संक्रांत नहीं होती, अपितु स्मरण करने के तरीके जो एक विषय में प्रयुक्त किए जाते हैं दूसरे में भी सहायक मिठ्ठ हो जाते हैं।

(छ) स्मरण करने की विधियाँ—सृष्टि के विषय में परीक्षणों के आधार पर स्मरण करने की विधियाँ निर्दिष्ट की गई हैं, उन्हीं का उल्लेख कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे।

(१). ‘विभक्त स्मरण’ (Distributed or Spaced Learning)—परीक्षणों से यह पता लगा है कि अगर एक विषय को याद करने के लिये हम लगातार दो घटे लगाने के बजाय रोच वीस-चीस मिनट छः दिन तक लगाएँ, तो वह अधिक अच्छी तरह याद होती है। एक ही वक्त में एक-साथ याद करने के बजाय पाठ को भिन्न-भिन्न समयों में विभक्त करके याद करना अधिक लाभकर है। इसका एक कारण तो यह है कि इसमें थकान कम होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें ‘संस्कार-प्रसक्ति’ की प्रक्रिया’ (Perseveration Process) कई बार दोहराई जाती है, जिससे पाठ दिमाग में गड़ जाता है। तीसरी बात यह है कि कई दिनों तक लगातार देखने से भूलने का जो धीर्च में व्यवधान पड़ सकता है, वह नहीं पड़ता।

(२). ‘पठन’ तथा ‘उदाहार’ (Reading and

Recitation)—अगर पाठ याद करते हुए कोई लगातार पढ़ता चला जाय, तो इतना याद नहीं होगा जितना पहले कुछ पढ़े और फिर उसी को विना कितान देखे दोहराने का यज्ञ करे। यिन पुस्तक देरों, पढ़े हुए पाठ के ऊचे-ऊचे दोहराने को ‘उदाहार’ कहते हैं। गेट महोदय ने ‘पठन’ तथा ‘उदाहार’ के संबंध में कई परीक्षण किए हैं और यह परिणाम निकाला है कि ‘उदाहार’ में जितना समय दिया जाय, उतना हो सृष्टि के लिये सहायक होता है।

(३). ‘संडश’ अथवा ‘समझ’ स्मरण (Sectional or Entire Method)—कविता को किस प्रकार याद करना चाहिए? प्रचलित तरीका यह है कि वालक कविता के रुद्ध अलग-अलग याद कर लेते हैं, इसमें उन्हे छोटी-छोटी पंक्तियाँ याद करने के कारण आसानी पड़ती हैं। परंतु पंक्तियाँ तो उन्हे याद हो जाती हैं, सारी कविता इकट्ठी याद नहीं होती। पक्कि का प्रथम शब्द बतला दिया जाय, तो वे आगे चल देते हैं, वह शब्द न बतलाया जाय, तो अटक जाते हैं। इस दृष्टि से कई लोग समझ कविता को याद करने पर बल देते हैं। इसमें विचारों के परस्पर संबंध बने रहने के कारण कविता जल्दी याद हो जाती है। ऐसी कविता बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, परीक्षण-कर्ताओं ने कहा है कि ज्यादा-सेन्ज्यादा २४० पक्कि तक की कविता को इस प्रकार याद किया जा सकता है। परंतु छोटे चर्चों के लिये समझ कविता याद कर्त्त्व द्वारा है, इसलिये

गोपाल स्वामी महोदय ने इन दोनों रीतियों को मिलाने का परामर्श दिया है। उनका कथन है कि अगर कोई कविता याद करनी हो, तो उसके पहले तीन या चार या इससे अधिक विभाग कर लेने चाहिए। पहले प्रथम विभाग को स्मरण किया जाय, फिर दूसरे को, तदनंतर प्रथम तथा द्वितीय को एक-साथ। इसके बाद तृतीय को, और फिर पहले, दूसरे तथा तीसरे को एक-साथ। इसी प्रकार संपूर्ण कविता को याद किया जाय। लंबी कविताओं के लिये यह रीति उत्तम पार्द गई है।

द्वादश अध्याय

कल्पना

(क). गर्मी के दिन हैं, लूँ पै चल रही हैं, हम मकान के दरवाजे बंद करके बैठे हैं। इतने में संध्या हो गई, हम नहर के किनारे जाकर धंटा भर ठंड में बैठते हैं, और वहाँ की ठंडी हवा का आनंद उठाते हैं।

(ख). नहर के किनारे बैठे हुए हमें आज लूँ की याद आ जाती है। कैसी गर्मी थी, हमारा शरीर पसीने से बरन्चन्तर हो रहा था, हमने दरवाजे बंद कर दिए थे, हम बाहर आने से घबराते थे, हमारे मन के सामने आज की गर्मी की, मकान की, बंद दरवाजों की 'प्रतिमा' उठ सड़ी होती है।

(ग). इतने में हम में से एक कह उठता है, गर्मी क्या थी, अंगारे बरस रहे थे, लूँ क्या थी, आग की लपटें थीं, आज का दिन क्या था, नरक की एक झाँकी थी।

१. 'प्रत्यय', 'प्रतिमा' तथा 'कल्पना' में भेद

उक्त अनुभवों में से पहला अनुभव 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' से उत्पन्न होता है, इसे 'प्रत्यय' (Percept) कहते हैं; दूसरा अनुभव 'स्मृति' से उत्पन्न होता है, इसे 'प्रतिमा' (Image) कहते हैं; तीसरा अनुभव 'कल्पना-शक्ति' से उत्पन्न होता है, इसे

‘कल्पना’ (Imagination) कहते हैं। ‘प्रत्यय’ (Percept) में विषय इद्रिय के सम्मुख होता है, ‘प्रतिमा’ (Image) में विषय सामने नहीं होता, ‘प्रत्यय’ में विषय स्पष्ट होता है, ‘प्रतिमा’ में उतना स्पष्ट नहीं होता, ‘प्रत्यय’ इद्रिय पर आश्रित होता है, और योलकर और विषय की तरफ मुँह करके ही हम देख सकते हैं, ‘प्रतिमा’ में आँखे बद करके और विषय की तरफ पीठ फेरकर भी हम पूर्वानुभव का स्मरण कर सकते हैं, ‘प्रत्यय’ विषय के सम्मुख आते ही एकदम उत्पन्न होता है, ‘प्रतिमा’ धीरे-धीरे उत्पन्न होती है। जिस प्रकार ‘प्रत्यय’ (Percept) और ‘प्रतिमा’ (Image) से भेद है, इसी प्रकार ‘प्रतिमा’ (Image) और ‘कल्पना’ (Imagination) में भी भेद है। ‘प्रत्यय’ से अगला कदम ‘प्रतिमा’ का है, और ‘प्रतिमा’ से अगला कदम ‘कल्पना’ जा है। ‘प्रतिमा’ का आधार ‘प्रत्यय’ है। पिछले ‘प्रत्यय’ वैसे हुए थे, वे वैसे ही याद आने लगते हैं। हम बाहर से आए, लूचल रही थी, हमने मकान में घुसते ही दरवाजा बद कर दिया। इस अनुभव को स्मरण करने में आज का दिन, अपना मकान तथा अपनी ग्रिया सब ‘प्रत्यय’ उसी रूप में याद आ जाते हैं। जिस देश तथा जिस काल में हमें अनुभव हुआ है, ‘प्रतिमा’ उस देश तथा काल से बँधी रहती है। ‘कल्पना’ का भी आधार ‘प्रतिमा’ है, परन्तु ‘कल्पना’ ‘प्रतिमा’ की तरह देश, काल तथा अन्य पूर्ण-स्वरूप से बँधी नहीं रहती, स्वतंत्र रहती है। जब हम कहते हैं, गर्मी क्या है, आग वरस रही है, तर दिन में से ‘गर्मी’ को हम अलग

करके उसकी जगह 'आग' की कल्पना कर लेते हैं, और वर्षा में से 'वरसने' के विचार को अलग करके 'आग' के साथ जोड़ देते हैं। 'प्रतिमा' में हम पूर्वानुभव को 'पुनरुत्पन्न' (Reproduce) करते हैं; 'कल्पना' में हम पूर्वानुभव के आधार पर एक नई चीज़ 'उत्पन्न' (Produce) करते हैं। 'प्रतिमा' में 'प्रत्यय' सामने नहीं होता, पूर्वानुभव होता है, परंतु उसमें नवीनता नहीं होती; 'कल्पना' में भी 'प्रत्यय' सामने नहीं होता, इसमें भी पूर्वानुभव होता है, परंतु पूर्वानुभव जैसे-का-जैसा नहीं होता, उसमें नवीनता होती है। 'प्रतिमा' का केवल भूत से संबंध होता है, 'कल्पना' का भूत, भविष्यत् वर्तमान तीनों से संबंध हो सकता है। 'प्रतिमा' का वर्णन स्मृति के प्रकरण में हो चुका है, हम यहाँ केवल 'कल्पना' के विषय में लिखेंगे।

२. 'कल्पना' का वर्णकरण

'कल्पना'-शब्द का विस्तृत अर्थों में भी प्रयोग हो सकता है। 'स्मृति' भी एक दृष्टि से 'कल्पना' ही है। 'स्मृति' तथा 'कल्पना' दोनों का निर्माण पूर्वानुभूत 'प्रत्ययों' से ही होता है। इस दृष्टि से 'स्मृति' तथा 'कल्पना' दोनों शुद्ध मानसिक क्रियाएँ हैं। 'स्मृति' में पूर्वानुभव जैसे-का-तैसा होता है, 'कल्पना' में कुछ नवीनता कर दी जाती है। इस दृष्टि को सम्मुख रखते हुए 'कल्पना' का मैग्हागल तथा डेवर दोनों ने वर्गकरण किया है। मैग्हागल गहोदय ने 'कल्पना' के जो मुरथ-मुख्य भेद किए हैं वे निम्न लिखित हैं:—

क पुनरुत्पादनात्मक कल्पना (सृष्टि) (Reproductive)

स उत्पादनात्मक कल्पना (Productive)

रचनात्मक कल्पना (Constructive) सर्जनात्मक कल्पना (Creative)

'पुनरुत्पादनात्मक' उस 'कल्पना' का नाम है जिसमें पूर्वानुभव मानसिक प्रतिमाओं के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। इसका दूसरा नाम 'सृष्टि' है। 'उत्पादनात्मक' कल्पना में हम पूर्वानुभव को आधार बनाकर उसमें अपनी तरफ से कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। 'उत्पादनात्मक' कल्पना दो तरह की हो सकती है। हमें एक मकान बनाना है, उसका पहले से ही मन में नक्शा बना लिया जाता है, इसी प्रकार हमें एक कहानी लिखनी है, उसका भी सॉट हम पहले से ही मन में रख लेते हैं। इन दोनों में से पहली कल्पना 'रचनात्मक' (Constructive) है। हम भौतिक पदार्थों से एक नवीन पदार्थ—मकान—की रचना करते हैं। दूसरी 'सर्जनात्मक' (Creative) है। हम भौतिक तत्त्वों से कुछ नहीं बनाते, अपने दिमाग से ही नई-नई वाते उपजाते हैं।

डॉ धर ने 'कल्पना' पर दूसरी तरह से विचार किया है। पहले तो वह मोटा विभाग बरता है, जिसमें 'सृष्टि' तथा 'कल्पना' दोनों आ जाते हैं। 'सृष्टि' पर 'कल्पना' के प्रकरण में विचार करना अप्रासंगिक है, इसलिये इसे वह अलग छोड़ देता है। शेष रह जाती है, शुद्ध 'कल्पना'। इस 'कल्पना' के बह दो

प्रिभाग करता है : 'आदानात्मक' (Receptive) तथा 'सर्जनात्मक' (Creative) । आगे बढ़ने से पहले 'आदानात्मक' तथा 'सर्जनात्मक' का अभिप्राय स्पष्ट कर देना आवश्यक है ।

'आदानात्मक कल्पना' (Receptive Imagination) हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में काम आती है । अध्यापक धार-वार ऐसी वातों का वर्णन करता है जो बालकों ने कभी नहीं देखा है । वह ताजमहल का वर्णन करना चाहता है, बालकों ने उसे कभी नहीं देखा, वह कैसे समझाए । पहले वह शहर के बड़ी-से-बड़ी इमारत का वर्णन करता है । फिर संगमरमर के पत्थर को दिखाकर उसका वर्णन करता है । इसके बाद वह कहता है, अगर हमारे शहर की यह बड़ी इमारत सारी-की-सारी संगमरमर की हो, तो कैसी लीजे ? और अगर यह संगमरमर की इमारत बहुत बड़ी हो जाय, तब तो वह ताजमहल ही हो जाय ! इस प्रकार 'आदानात्मक' कल्पना में अध्यापक अपनी वातों का आधार उन्हीं चीजों को बनाता है जो बालक ने देख रखती हैं, जिन्हे बालक जानता है, और धीरे-धीरे उन्हीं वातों से वह बालक के मन में एक ऐसे विषय की कल्पना उत्पन्न कर देता है जिसे उसने कभी नहीं देखा । 'आदानात्मक कल्पना' के सहारे हम नई-नई वातों, नई-नई चीजों को देखे बिना भी उनकी कल्पना करने लगते हैं । इस कल्पना में शिक्षक वो इस वात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसी वातों की तरफ न चला जाय, जिन्हे बालक जानते ही न हों । उन्‌शिक्षक किसी वात

को समझता हुआ ऐसी चातें कहने लगता है जो वालक की 'आदानात्मक कल्पना' को कुछ भी सहायता नहीं दे सकती तब वालकों का ध्यान उचट जाता है, ये इधर-उधर देखने लगते हैं। हमारे जीवन में वहूत-सा हिस्सा 'आदानात्मक कल्पना' का ही होता है। दूसरे लोग कहते हैं, और हम उनके कथन का 'आदान' करते हैं, प्रहण करते हैं। सारी दुनिया को किसने देख रखा है, दूसरों के कथनों के आधार पर ही तो हमारा वहूत-सा ज्ञान निर्भर है।

'आदानात्मक' के अतिरिक्त ड्रैवर ने कल्पना का जो दूसरा विभाग किया है, वह 'सर्जनात्मक' (Creative) है। 'सर्जना-त्मक कल्पना' (Creative) 'आदानात्मक' (Receptive) से ऊचे दर्जे की है। इसमें हम दूसरे की कही चातों का आदान नहीं करते, परंतु खुड़ कुछ सर्जन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। 'सर्जनात्मक कल्पना' (Creative Imagination) के ड्रैवर ने मुख्य तौर से दो विभाग किए हैं: 'कार्य-साधक कल्पना' (Pragmatic Imagination) तथा 'सरस कल्पना' (Aesthetic Imagination)। 'कार्य-साधक कल्पना' यह है जिससे कोई उपयोगी कार्य सिद्ध होता हो। एक वैज्ञानिक किसी सिद्धांत की कल्पना करता है, एक इंजीनियर किसी पुल को बनाने के लिये उसका नक्शा बनाता है, ये दोनों 'कार्य-साधक कल्पनाएँ' हैं। 'सरस कल्पना' उसे कहते हैं, जो सौंदर्य प्रधान हो। कवि कविता का पथ रचता है, उपन्यासकार उपन्यास लिखता है, चित्रकार चित्र खोचता है, एक और आदमी वैठ-

वैठा शेखचिन्ही के हवाई फ़िले बनाता है, ये सब 'सरस कल्पना' हैं। 'कार्य-साधक' तथा 'सरस'-कल्पना में कभी भेद है। 'कार्य-साधक' कल्पना का आधार भौतिक पदार्थ हैं। एक इंजीनियर पुल बनाने की कल्पना करता हुआ यह कल्पना नहीं कर सकता कि वह नदी में मट्टी के रम्बे रड़े करके उनके ऊपर पुल बना दे। उसे जगत् की यथार्थता को आधार बनाकर अपनी कल्पना का निर्माण करना होता है। 'सरस'-कल्पना में मन को अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है, उसे जगत् की यथार्थता का दास नहीं रहना पड़ता। कवि आसमान से अगारे वरसा सकता है, कल्पना द्वारा चॉइ को अपने पास बुला सकता है, नमोमडल की थाट मापने के लिये अतरिक्ष लोक में डड सकता है। 'कार्य-साधक'-कल्पना में कार्य के पूरा होने पर आनंद आता है, 'सरस'-प्रयोग तो ज्याज्ज्यों चलती है, त्योन्त्यों आनंद भी आता जाता है।


'कार्य साधक कल्पना' (Pragmatic) के फिर दो विभाग किए गए हैं 'विचारात्मक' (Theoretical) तथा 'क्रियात्मक' (Practical)। न्यूटन का गुरुत्वाकर्पण शक्ति के सिद्धात का निकालना वडी ऊँची 'विचारात्मक' कार्य-साधक कल्पना है। इंजीनियर का पुल की कल्पना करना 'विचारात्मक' नहीं, 'विचारात्मक' कार्य-साधक कल्पना है। 'विचारात्मक' कल्पना में ऊँचे ऊँचे सिद्धात, ऊँचे-ऊँचे बाद आ जाते हैं, 'क्रियात्मक' कल्पना में पुल का, नहर का नरशा आदि क्रियात्मक बातों से सम्बन्ध रखनेवाली कल्पनाएँ आ जाती हैं। 'सरस-कल्पना' के

भी दो विभाग किए गए हैं। 'कला-संवंधी' (Artistic) तथा 'भन-तरंग-संवंधी' (Phantastic)। 'कला-संवंधी' सरस-कल्पना में हम व्यक्ति तथा समाज के लिये उपयोगी वस्तुओं का कल्पना द्वारा सर्जन करते हैं। कविता, नाटक, उपन्यास, चित्र इसी कल्पना के अंतर्गत हैं। 'भन-तरंग-संवंधी' सरस-कल्पना में हम व्यक्ति तथा समाज के लिये उपयोगी कल्पना का सर्जन नहीं करते। इसमें मन अपने हवाई किले बनाता है।

'कल्पना' के वार्णिकरण को चित्र में यों प्रकट कर सकते हैं:—

मानसिक प्रत्यक्ष

(Ideal Representation)



३. 'कल्पना' तथा 'शिक्षा'

'कार्यसाधक कल्पना' (Pragmatic Imagination) तथा 'सरस कल्पना' (Aesthetic Imagination) में से किसे अधिक उत्तेजन देना चाहिए, वह प्रश्न शिक्षक के लिये बड़ा आवश्यक है। आजकल का युग विज्ञान का युग है। जीवन-संश्लिष्ट भी दिनोदिन विकट होता चला जा रहा है। अगर वालक सांभारिक व्यवहार को समझनेवाला न हो, तो उसे जीवन में सफलता मिलना कठिन हो जाता है। इस दृष्टि से शिक्षक को धातक में 'कार्यसाधक कल्पना' (Pragmatic Imagination) उत्पन्न करने की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। 'कार्यसाधक कल्पना' का विकास करते हुए उसके 'विचारात्मक' तथा 'क्रियात्मक' दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। वालक को जीवन में 'सामान्यात्मक ज्ञान' (Generalisations) का उपार्जन करना है, उसे भिन्न-भिन्न वादों तथा सिद्धांतों को सीखना है। 'विचारात्मक' कल्पना के बिना वह इस प्रकार का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? 'विचारात्मक' के साथ-साथ 'क्रियात्मक' कल्पना का वालक में उत्पन्न करना भी उतना ही ज़रूरी है। संसार क्रियात्मक लोगों के ही रहने का निवास है।

प्रश्न हो सकता है कि 'कार्यसाधक कल्पना' को उत्पन्न करने का शिक्षक के पास क्या साधन है? हम पहले ही देख चुके हैं कि 'कल्पना' (Imagination) का आधार 'प्रतिमा' (Image) तथा 'प्रतिलिपि' का आधार 'प्रत्यय' (Percept)

है। 'प्रत्यय' जितना ही स्पष्ट तथा विशद होगा, 'प्रतिमा' उतनी विशद होगी, और जितनी 'प्रतिमा' विशद होगी, उतनी ही 'कल्पना' को सहायता मिलेगी। 'कल्पना' को सबल बनाने के लिये 'प्रतिमा' को सबल बनाना चाहिए, और 'प्रतिमा' को सबल बनाने के लिये 'प्रत्यय' को सबल बनाना चाहिए। 'प्रतिमा' तथा 'कल्पना' का अस्ती आधार 'प्रत्यय' है। इस दृष्टि से शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों के 'प्रत्ययों' के निर्माण में जितना यन्त्र हो सके उतना करे। मॉन्टीसरी-पद्धति में बालक को नाना प्रकार के उपकरणों से घेर दिया जाता है, उसकी सब इन्द्रियों 'प्रत्यय' प्राप्त होने में जुट जाती हैं। इतना ही नहीं, वह जितने 'प्रत्ययों' का संग्रह करता है, ये शुद्ध होते हैं, स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी मानसिक प्रतिमाएँ भी शुद्ध, स्पष्ट तथा निश्चित होती हैं, और इन सबल प्रतिमाओं के आधार पर जो 'कल्पना' बनती है, वह भी सबल होती है। छोटे बालक योही इधर-उधर से अपना ज्ञान, अपने 'प्रत्यय' बढ़ावते हैं और उनमें अस्पष्टता तथा अशुद्धि रहने के कारण उनको 'कल्पना' भी अस्पष्ट तथा अशुद्ध बनी रहती है। छोटे बालकों के 'प्रत्ययों' तथा 'प्रतिमाओं' को मॉन्टीसरी के उपकरणों से शुद्ध तथा धनी बनाया जा सकता है, बड़े बालकों के 'प्रत्ययों' तथा 'प्रतिमाओं' को विज्ञान, वस्तुपाठ आदि के के द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है, और इस दृष्टि से इन विषयों का बड़ा महत्त्व है।

वालकों का प्रारंभिक ज्ञान स्थूल पदार्थों (Concrete Objects) का होता है, इसलिये उनके प्रारंभिक 'प्रत्यय', 'प्रतिमा' तथा 'कल्पना' स्थूल ही होते हैं। 'स्थूल' से अभिप्राय वे अपने स्थूल से समझेंगे, 'माता' से मतलब अपनी माता से। शिक्षा द्वारा हम क्या करते हैं? शिक्षा द्वारा हम वालक के 'प्रत्ययों' में से 'स्थूलता' का अंश छुटाते जाते हैं, और उसकी जगह 'सूक्ष्मता' का अंश लाते जाते हैं। पहले यह 'स्थूल' सुन-कर अपने ही स्थूल की कल्पना कर सकता था। ज्यों-ज्यों वह शिक्षित होता जाता है, त्यों-त्यों 'स्थूल' सुनकर उसके मन में स्थूल का सामान्यात्मक ज्ञान उत्पन्न होता जाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वालक में ऐसी कल्पना-शक्ति उत्पन्न कर दे जिस से वह 'स्थूल' अथवा 'विशेष' (Concrete) के स्थान में 'सूक्ष्म' अथवा 'सामान्य' (Abstract) प्रतिमा को अपने मन में उत्पन्न कर सके। 'सामान्य प्रतिमा' हमारे मन में शब्दों द्वारा उत्पन्न होती है। हम 'पुस्तक' कहते हैं, और पुस्तक-मात्र का सामान्यात्मक ज्ञान हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है; हम 'मनुष्य' कहते हैं, और मनुष्य-मात्र का ज्ञान हमारे मन में आ जाता है। शिक्षक के लिये यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि शुरू-शुरू में वालक के मन में 'सामान्य'-कल्पना नहीं उत्पन्न होती, उसके मन में 'विशेष'-कल्पना उत्पन्न होती है; वालक को उस 'विशेष' (Particular) से 'सामान्य' (General) की तरफ ले जाना शिक्षक का काम है।

‘कार्यसाधक कल्पना’ के महत्त्व को दर्शाने से हमारा यह अभिप्राय नहीं कि ‘सरस कल्पना’ का कोई महत्त्व नहीं है। ‘सरस कल्पना’ का जीवन में बड़ा स्थान है। जीवन में ‘सरस-कल्पना’ का विकास न हो, तो भवभूति तथा कालिदास-जैसे कवि भी उत्पन्न न हों। ‘सरस कल्पना’ के हमने जो दो भेद किए थे उनमें से ‘कला-संबंधी कल्पना’ तो जीवन के लिये बड़ी उपयोगी है। हाँ, ‘मन-तरण’ वाली कल्पना का मनुष्य-जीवन में क्या स्थान है, इस विषय में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। मॉन्टीसरी का कथन है कि बालकों में मन-तरंगवाली, मनमोदक बनाने वाली कल्पना बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिये लिस्से-कहानी सुनाकर इसे और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। इसे नियंत्रित करने के लिये उसे कहानियाँ न पढ़ाकर व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा अधिक देनी चाहिए। द्वे वर गदोदय का कथन है कि मन की इस उड़ान से ही तो बड़े-बड़े कवि तथा चित्रकार बनते हैं, इसलिये इसे दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

४. बालक में ‘कल्पना’ का विकास

बालक में शक्ति बहुत होती है, परंतु वह संसार में नया ही आया होता है, इससे परिचित नहीं होता। वह अपनी शक्ति का क्या करे? परिणाम वह होता है कि वह अपना एक काल्पनिक जगत् बना लेता है, और उसमें वैमे ही विचरता है जैसे हम इम वास्तविक जगत् में विचरते हैं। कल्पना के जादू से वह पत्थरीं

में जान डाल देता है, और उनमें अपनी ही बोली में बोला करता है। वज्ञा जब गुहिया से खेल रहा होता है, तो वह उसे रिलौना नहीं समझता, अस्त्री चीज़ समझता है; जब काठ के धोड़े पर चढ़ता है, तब वह अपने रायाल से सचमुच के धोड़े पर चढ़ता है। हमारी दृष्टि से काल्पनिक जगन् बालक की दृष्टि से वास्तविक जगत् होता है। तभी तो वह एक ऐसा बात पर जो हमारी दृष्टि से मानूली होती है, तूल रड़ा कर देता है। छः वर्ष तक उसकी यही हालत रहती है। छः से आठ वर्ष की आयु में वह कल्पना के हवाई किंव बनानेवाले चेत्र में से निकलने लगता है, और समझने लगता है कि राजसों तथा परियों की कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधित नहीं हैं। अब तक उसे जो कहा जाता था वह मान लेता था, अब वह अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातों को मानता है, कुछ को नहीं। नौ-इस वर्ष की आयु तक वह पढ़ना सीख जाता है, अनेक वस्तुओं का उसे सामान्यात्मक ज्ञान होने लगता है। इस समय वीर योद्धाओं की कहानियाँ, धड़े-धड़े मारें के काम, उसकी कल्पना को अधिक आकर्षित करने लगते हैं। उसकी इस कल्पना को इतिहास तथा भूगोल से बहुत सहायता मिल सकती है, इसलिये इन विषयों का इस आयु में पढ़ाया जाना अच्छा है। साहित्य भी कल्पना को अच्छा भोजन देता है। इसी का नतीजा है कि बालकों को पहले किस्से-कहानी पढ़ने का शौक होता है, फिर उपन्यास पढ़ने का शौक हो जाता है। उपन्यास अगर कला पर आधित है, तब तो बुरा नहीं, पूर्ण अगर बालक

ऐसा साहित्य पढ़ने लग गया है, जो 'कला-संवंधी कल्पना' पर आश्रित न होकर, 'मन तरंग-संवंधी' कल्पना पर आश्रित है, तो वालक के लिये ठीक नहीं होता। उसे ठाली बैठकर शेखचिली के हवाई किले बनाते रहने की आदत पड़ जाती है, और इस प्रकार वह अपना समय नष्ट किया करता है। शिद्धांकों का कर्तव्य है कि वे वालक को शेखचिली बनानेवाली इस प्रकार की पुस्तकों को हाथ न लगाने दे। वालक के लिये वे ही पुस्तके उपयोगी हैं, जो उसस्ती दोनों प्रकार की 'कार्य-साधक कल्पना' को उत्तेजित करें, और उनके साथ-साथ 'कला-संवंधी कल्पना' की भी विकसित करें।

५. 'कल्पना' पर परीक्षण

कल्पना पर अधिक परीक्षण नहीं किए गए। फिर भी दो-एक परीक्षणों का जिक्र कर देना अप्रासंगिक न होगा। किसी व्यक्ति को दर्शन लियाकर उसे कहा जाय कि इन शब्दों से उसके मन में जो-जो भी कल्पना उत्पन्न होती है कहता जाय, तो पता चल जायगा कि उसकी कल्पना-शक्ति किस प्रकार की है। इसी प्रकार कुछ आधे, अपूर्ण वाक्य देकर उन्हें पूरा करने को कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, "मैं उस समय....." इतना वाक्य देकर इसे पूरा करने को कहा जाय, तो प्रत्येक व्यक्ति भिन्न-भिन्न तौर से इसे पूरा करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार इस वाक्य को पूरा करेगा उसके आधार पर उसकी कल्पना-शक्ति का वर्णकरण हो सकता है।

त्रयोदश अध्याय

सामान्य प्रत्यय, निर्णय, तर्क तथा भाषा

नमम अध्याय में हम 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष' (Sensation) तथा 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' (Perception) का वर्णन कर आए हैं। 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष' उस अनुभव को कहते हैं जिसमें हम 'निर्गुण' ज्ञान होता है; वही ज्ञान जब 'सगुण' हो जाता है, तब उसे 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' कह देते हैं। 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' (Perception) अनुभव की एक प्रक्रिया का नाम है; इस प्रक्रिया का परिणाम 'प्रत्यय' (Percept) होता है। हम पुस्तक का देख रहे हैं, तो पुस्तक का 'प्रत्यय' है; गीत को सुन रहे हैं, तो गीत का 'प्रत्यय' है; फूल को सूँघ रहे हैं, तो फूल की गंध का 'प्रत्यय' है। पशु का अनुभव 'प्रत्यय-ज्ञान' तक ही सीमित रहता है। कोई वस्तु उसके सम्मुख है, तो उसे उस वस्तु का प्रत्ययानुभव (Perceptual Experience) हो रहा है। वह वस्तु सामने से हटा ली गई, तो उसका अनुभव भी जाता रहता है। कुछ-एक पशुओं को दो-चार बातों का 'सामान्य प्रत्यय' हो जाता है, परंतु इन सामान्य प्रत्ययों की संख्या बहुत थोड़ी रहती है। मनुष्य में पशुओं की तरह नहीं होता। मनुष्य के सम्मुख पुस्तक है, तो उसे पुस्तक का 'प्रत्ययानुभव' हो रहा है, पुस्तक

सामने से हटा ली गई, तो वह पुस्तक की 'प्रतिमा' को मन में ला सकता है। प्रत्येक विषय में उसका अनुभव इसी प्रकार का होता है, और उसमें ऐसे प्रत्ययों की संख्या बहुत अधिक होती है।

१. सामान्य-प्रत्यय-ज्ञान

फिसी चस्तु के सामने होने पर जो ज्ञान होता है, उसे 'प्रत्यय' (Percept) कहते हैं; उसके सामने न होने पर उसकी जी शक्ति याद आ जाती है, उसे 'प्रतिमा' (Image) कहते हैं; उसके विषय में हममें जो सामान्य-ज्ञान रहता है, उसे 'सामान्य प्रत्यय' (Concept) कहते हैं। बालक एक विलली को देख रहा है। उसकी एक पूँछ है, चार टाँगे हैं, काला रंग है। यह उसका 'प्रत्यय' है। दूसरी बार जब वह उसी विल्ली को देखता है, तो पुराना प्रत्यय याद हो जाता है, और वह विल्ली को देखकर समझ जाता है कि यह वही जानवर है जो उसने पहले देखा था। इस बार के प्रत्यय में पुराने प्रत्यय की 'प्रतिमा' भी काम आ रही है। विल्ली को बिना देखे भी उसे विल्ली की 'प्रतिमा' स्मरण या सकती है। विल्ली को अनेक बार देखने पर, और कई

‘सामान्य प्रत्ययों’ (Concepts) का ज्ञान वालक को किस प्रकार होता है ? शुरू-शुरू में तो वालक को ‘प्रत्ययों’ का ज्ञान होता है । यह मेरा को देख रहा है, तो मेरा के ‘प्रत्यय’ का उसे ज्ञान है ; कुर्मा को देख रहा है, तो कुर्मा के ‘प्रत्यय’ का ज्ञान है ; विहीन को देख रहा है, तो विहीन के ‘प्रत्यय’ का ज्ञान है । जिस विहीन को वह देख रहा है उसके एक पूँछ, चार टाँगें और काला रंग है । अगली बार वह फिर एक विहीन को देखता है । इस बार विहीन की एक पूँछ, चार टाँगें तो हैं ; परंतु रंग सफेद है । वह देखता है कि इसे भी उसके माता-पिता विहीन ही कहते हैं । वह समझ लेता है कि विहीन का रंग काला तथा सफेद दोनों ही सकता है । तीसरी बार वह भूरी विहीन को देखता है, और उसे भी मध्यको विहीन कहते ही सुनता है । अब वह जो भी विहीन सामने आती है, उसे पहचान जाता है, उसे विहीन के भिन्न-भिन्न प्रत्ययों को देखकर उसका ‘सामान्य प्रत्यय’ हो गया है । ‘सामान्य प्रत्यय’ तक पहुँचने में वालक को पाँच क्रमों में से गुजारना पड़ा है :—

(क), ‘निरीक्षण’ (Observation)—वालक प्रत्यक्ष द्वारा भिन्न-भिन्न ‘प्रत्ययों’ को देखता है, या स्मृति द्वारा भिन्न-भिन्न ‘प्रतिमाओं’ को देखता है । पहले उसने काले रंग की विलीनी देखी । यह पहली बार का ‘प्रत्यय-निरीक्षण’ था । दूसरी बार जब वह सफेद रंग की विलीनी को देखता है, तो काले रंग की विलीनी की ‘प्रतिमा’ तथा सफेद रंग की विलीनी का ‘प्रत्यय’, इन दोनों को एक एक ही समय मन में लाता है ।

सामने से हटा लो गई, तो वह पुस्तक की 'प्रतिमा' को मन में ला सकता है। प्रत्येक विषय में उसका अनुभव इसी प्रकार का होता है, और उसमें ऐसे प्रत्ययों की संरचना बहुत अधिक होती है।

१. सामान्य-प्रत्यय-ज्ञान

किसी वस्तु के सामने होने पर जो ज्ञान होता है, उसे 'प्रत्यय' (Percept) कहते हैं, उसके सामने न होने पर उसकी जो शाफ़ल याद आ जाती है, उसे 'प्रतिमा' (Image) कहते हैं, उसके विषय में हममें जो सामान्य-ज्ञान रहता है, उसे 'सामान्य प्रत्यय' (Concept) कहते हैं। बालक एक घिल्ली को देख रहा है। उसकी एक पूँछ है, चार टाँगे हैं, काला रंग है। यह उसका 'प्रत्यय' है। दूसरी बार जब वह उसी घिल्ली को देखता है, तो पुराना प्रत्यय याद हो जाता है, और वह घिल्ली को देखकर समझ जाता है कि यह वही जानवर है जो उसने पहले देखा था। इस बार के प्रत्यय में पुराने प्रत्यय की 'प्रतिमा' भी काम आ रही है। घिल्ली को बिना देखे भी उसे घिल्ली की 'प्रतिमा' स्मरण आ सकती है। घिल्ली को अनेक बार देखने पर, और कई निलियों को कई बार देखते पर, उसके मन में घिल्ली का एक 'सामान्य प्रत्यय' (Concept) उत्पन्न हो जाता है। वह घिल्ली बोलने से अपने घर की ही घिल्ली का नहीं, घिल्ली-भान का प्रह्लण करने लगता है। धीरे-धीरे बालक घिल्ली, कुत्ता, चूहा, चिड़िया, मेज़, कुर्सी इत्यादि सैकड़ों 'सामान्य प्रत्ययों' को सीख जाता है।

‘सामान्य प्रत्ययों’ (Concepts) का ज्ञान वालक को किस प्रकार होता है ? शुरू-शुरू में तो वालक को ‘प्रत्ययों’ का ज्ञान होता है । वह मेज को देख रहा है, तो मेज के ‘प्रत्यय’ का उसे ज्ञान है ; कुर्सी को देख रहा है, तो कुर्सी के ‘प्रत्यय’ का ज्ञान है ; विडी को देख रहा है, तो विडी के ‘प्रत्यय’ का ज्ञान है । जिस विडी को वह देख रहा है उसके एक पूँछ, चार टाँगे और काला रंग है । अगली बार वह फिर एक विल्ली को देखता है । इस बार विल्ली की एक पूँछ, चार टाँगे तो हैं ; परंतु रंग सफेद है । वह देखता है कि इसे भी उसके माता-पिता विल्ली ही कहते हैं । वह समझ लेता है कि विल्ली का रंग काला तथा सफेद दोनों हो सकता है । तीसरी बार वह भूरी विल्ली को देखता है, और उसे भी सबको विल्ली कहते ही सुनता है । अब वह जो भी विल्ली सामने आती है, उसे पहचान जाता है, उसे विल्ली के भिन्न-भिन्न प्रत्ययों का देखकर उसका ‘सामान्य प्रत्यय’ हो गया है । ‘सामान्य प्रत्यय’ तक पहुँचने में वालक को पाँच क्रमों में से गुजरना पड़ा है :—

(क). ‘निरीक्षण’ (Observation)—वालक प्रत्यक्ष द्वारा भिन्न-भिन्न ‘प्रत्ययों’ को देखता है, या स्मृति द्वारा भिन्न-भिन्न ‘प्रतिमाओं’ को देखता है । पहले उसने काले रंग की विल्ली देखी । यह पहली बार का ‘प्रत्यय-निरीक्षण’ था । दूसरी बार जब वह सफेद रंग की विल्ली को देखता है, तो काले रंग की विल्ली की ‘प्रतिमा’ तथा सफेद रंग की विल्ली का ‘प्रत्यय’, इन दोनों को एक एक ही समय मन में लाता है ।

(स). 'तुलना' (Comparison)—इस निरीक्षण के बाद वह पहले प्रत्यय की 'प्रतिमा' को वर्तमान 'प्रत्यय' के साथ तुलना करता है। पहले उसने काले रंग की विज्ञी को देखा था, अब सफेद रंग को विज्ञी को देख रहा है। इन दोनों अनुभवों में भिन्नता है, परंतु भिन्नता होते हुए समता भी बड़ी है।

(ग). 'पृथकरण' (Abstraction)—अब वालक भिन्नता को पृथक् कर देता है, और समानता को पृथक् करके अलग निकाल लेता है। इसमें सदैह नहीं कि पहलो विज्ञी में और इस सफेद रंग की विज्ञी में रंग का भेद है, परंतु इन दोनों में समानता इतनी अधिक है कि वालक इस समानता को अलग निकाल लेता है, और इन समान गुणों को जोड़ लेता है। किसी वस्तु के विषय में इन्हीं समान गुणों के संग्रह को 'सामान्य प्रत्यय' (Concept) कहते हैं।

(घ). 'जातिनिर्देश' (Generalisation)—'सामान्य-प्रत्यय' के मन में उत्पन्न हो जाने पर वह अधिकाधिक स्पष्ट होने लगता है। वालक के मन में काली, सफेद, भूरी अनेक विज्ञियों को देखकर 'विज्ञी' का 'सामान्य प्रत्यय' उत्पन्न हो गया। अब वह विज्ञी को ही देखकर विज्ञी कहेगा, और विज्ञी में अनेक प्रकार की भिन्नताओं के होते हुए भी उसे पहचान जायगा। इस अवस्था में हम कहते हैं कि उसे विज्ञी-'जाति' का ज्ञान हो गया।

(ङ). 'परिभाषा' (Definition)—'जातिनिर्देश' के बाद 'परिभाषा' का स्थान है। 'परिभाषा' द्वारा हम वालक के मन में

उस विचार को वड़ी आसानी से उत्पन्न कर देते हैं जिसे उसने वड़ी लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया में से गुजारकर प्राप्त किया है। जब हम 'कुत्ता' कहते हैं, तभी वह समझ जाता है कि इसका मतलब विल्ही-चूहे आदि से नहीं है, चार पांचोंवाले, काटने और भोंकने वाले जानपर से है।

वालक के मन में 'परिभाषा' का ज्ञान धीरे-धीरे उत्पन्न होता है, और धीरे-धीरे ही उसमें स्पष्टता आती है। शुल्क-शुल्क में जन वालक को कुत्ते या विल्ही का ज्ञान होता है, तो वह इनकी 'परिभाषा' तो ठीक-ठीक नहीं कर सकता, परंतु उसे कुत्ते या विल्ही का साधारण ज्ञान अवश्य हो जाता है। उसे कुत्ते का जो 'सामान्य प्रत्यय' (Concept) होता है, उसमें अपने घर में देखे हुए कुत्ते की 'प्रतिमा' उसके मन में आ जाती है। उसके अन्य 'सामान्य प्रत्ययों' का भी यही हाल रहता है। धीरे-धीरे उसके 'सामान्य प्रत्यय' परिपूर्त होते जाते हैं, और कुछ देर बाद जब 'कुत्ता'-शब्द क्षमा जाता है, तो उसे अपने घर के कुत्ते का ख्याल नहीं आता, उसकी प्रतिमा नहीं उत्पन्न होती, अपितु उसके मन में कुत्ता-सामान्य का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। असली 'सामान्य प्रत्यय' (Concept) इसी को कहा जाता है।

इस दृष्टि से 'सामान्य प्रत्यय' एक सापेक्षिक शब्द है। पहले वालक को अनेक गौँथें देखकर गो-सामान्य का प्रत्यय होता है। इसी प्रकार घोड़ा, बकरी, गधा आदि का अलग-अलग 'सामान्य-प्रत्यय' होता है। परंतु चौपांचों की दृष्टि से गौँ, घोड़े, बकरी,

गये आदि का प्रत्यय भी 'विशेष प्रत्यय' है, क्योंकि 'चौपाया' शब्द गौ, घोड़े आदि से भी अधिक 'सामान्य' है। वालक का ज्ञान 'प्रत्ययों' से 'विशेष-प्रत्ययों' (Generic Ideas) और 'विशेष प्रत्ययों' से 'सामान्य प्रत्ययों' (Abstract Ideas या Concepts) की तरफ बढ़ता है। पहले वह अनेक गौओं को देखता है, ये भिन्न-भिन्न प्रत्यय हैं। इसके बाद 'गौ' कहने से उसे गो-सामान्य का ज्ञान तो होता है, परंतु उसके घर की गौ की उसके मन के सम्मुख 'प्रतिमा' आ जाती है, यह 'विशेष प्रत्यय' (Generic Idea) कहाता है। 'विशेष प्रत्यय' के बाद वालक के मन का ज्यो-ज्यो विकास होता जाता है, त्यो-त्यो 'सामान्य-प्रत्यय' (Abstract Idea) का विचार उसमें उत्पन्न होता जाता है। 'सामान्य प्रत्यय' के उत्पन्न हो जाने पर जब 'गौ' कहा जायगा, तो वालक के मन में उसके घर की गौ की प्रतिमा नहीं उत्पन्न होगी, परंतु वह गो-सामान्य को समझ जायगा। इस प्रकार वालक के ज्ञान में 'विशेष' (Particular) से 'सामान्य' (General) की तरफ विकास होता है, और वह धीरे-धीरे 'सामान्य-प्रत्ययों' (Concepts) का संग्रह करता है। 'सामान्य-प्रत्ययों' के निर्माण की प्रक्रिया 'विशेष' से 'सामान्य' की तरफ होती है, इसलिये शिक्षक को सदा 'विशेष से सामान्य' (From Particular to General) की तरफ जाने का प्रयत्न करना चाहिए, इसी से वालक किसी बात को ठीक तौर से समझ सकता है।

क्या 'सामान्य प्रत्यय' काल्पनिक वस्तु हैं, या इनकी यथार्थ में सत्ता है ? जब हम 'पंसा'-शब्द का प्रयोग करते हैं, तब अगर हमारे मन में अपने पंसे का विचार है, तब तो ठीक, क्योंकि हमारा पर्याहमारे सामने मौजूद है, परंतु जब हमारे मन में 'पंसा-सामान्य' का विचार होता है तब कोई पृष्ठ सकता है कि 'पर्यासामान्य' क्या वस्तु है ? क्या हमारे पंसे की तरह 'पंसा-सामान्य' की भी सत्ता है ? इसका उत्तर भिन्न-भिन्न दिया गया है। सेटो का कथन या कि पंसा-सामान्य काल्पनिक नहीं, सदृवस्तु है, और उसी सदृहृष्ट पंसे की नकल में, जिसमें सब पंसों के गुण विद्यमान हैं, भिन्न-भिन्न पंसों का निर्माण हुआ है। सेटो के विचार के अनुसार 'गोत्व', 'अश्वत्व', 'घटत्व', 'पटत्व' काल्पनिक नहीं, सत्तावान् विचार हैं, और इन्हाँ को आदर्श में रखकर भिन्न-भिन्न गौओं, घोड़ों आदि की रचना हुई है। सेटो के इस विचार को 'जाति-सत्तावाद' (Theory of Ideas) कहा जाता है। इस विचार को 'यथार्थ सत्तावाद' (Realism) भी कहा जाता है, क्योंकि सेटो के अनुयायी गोत्व, अश्वत्व आदि 'सामान्य-प्रत्ययों' की यथार्थ सत्ता मानते थे। इस विचार के विरोध में 'नाम-हृषात्मवाद' (Nominalism) की उपत्ति हुई। इस विचार को माननेवालों का कथन है कि यथार्थ-सत्तावाली वस्तु तो 'विशेष' है, 'सामान्य' नहीं ; 'गो-विशेष' है, 'गो-सामान्य' नहीं। और, 'सामान्य-प्रत्यय' को हमने अपनी सुविधा के लिये बना रखा है, यह मनुष्य की पैदा की हुई वस्तु है, इसकी

अपनी कोई सत्ता नहीं है। इन दोनों विचारों के कुछ-कुछ अंश को लेकर 'सामान्य-प्रत्ययवाद' (Conceptualism) की उत्पत्ति हुई। 'सामान्य-प्रत्ययवाद' का यह मतलब है कि 'सामान्य-प्रत्ययों' की सत्ता तो है, परंतु ऐटो के अनुसार स्वर्गलोक में नहीं, अपितु इनकी सत्ता हमारे ही मस्तिष्क में है।

'सामान्य प्रत्यय' कहीं से क्यों न आते हों, चाहे ये यथार्थ हों, चाहे नाम-स्वरूपात्मक हों, चाहे हमारे मस्तिष्क में इनकी सत्ता हो, शिक्षा को दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का काम ही वालक के मन में 'सामान्य प्रत्ययों' (Concepts) का बढ़ाना है। जिसके मन में जितने अधिक 'सामान्य प्रत्यय' होंगे, वह उतना ही अधिक शिक्षित कहा जायगा। जैसा अभी कहा गया या, 'सामान्य प्रत्ययों' को प्रकट करने के लिये 'परिभाषाओं' (Definitions) का प्रयोग होता है। 'नदी' एक परिभाषा है। अगर यह परिभाषा, यह 'सामान्य प्रत्यय' न हो, तो वालक को नदी का ज्ञान देने के लिये वार-चार नदी के सम्मुख ले जाना पड़े। 'परिभाषा' हमारी विचार-प्रक्रिया को छोटा कर देती है। नदी का बोध उत्पन्न करने के लिये पहले वालक को नदी तक ले जाना पड़ता है, पीछे 'नदी'-शब्द कह देने-मात्र से वह सारी प्रक्रिया वालक के मन में हो जाती है। अगर जीवन में 'सामान्य-प्रत्यय' या 'परिभाषा' न होती, तो हमारा व्यवहार ही न चल सकता। एक मनुष्य को सीलन अनुकूल नहीं पड़ती, खुल द्वा अनुकूल पड़ती है। उसे हम चूँगे हैं, यह तुम

वंवर्दि जाओगे, या सोलन ? अगर 'परिभाषा' या 'सामान्य-प्रत्यय' न हों, तो हमें पहले तो उसे वंवर्दि ले जाना पड़े, किर सोलन ले जाना पड़े, और तब जाकर हम उससे पूछ सकें कि इन दोनों स्थानों में से तुम कहाँ रहोगे । तब भी हम उससे पूछ सकें या न पूछ सकें, इसमें संदेह है, क्योंकि जब यह सोलन में होगा, तब वंवर्दि में न होगा, और जब वंवर्दि में होगा, तब सोलन में न होगा । 'सामान्य प्रत्यय' हमारी विचार-प्रतिया के दीर्घ-चक्र को बहुत द्योटा कर देता है, और हम घर बैठे-बैठे 'सामान्य प्रत्ययों' से ऐसे रोलते हैं, जैसे जिलौने से रोला जाता है । 'शब्द' या 'परिभाषा' 'सामान्य प्रत्यय' की प्रकट करनेवाला ही एक चिह्न है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । पशुओं में 'सामान्य प्रत्यय' नहीं होते, मनुष्य में होते हैं, और अगर कोई ऐसा मनुष्य हो जिसमें 'सामान्य प्रत्यय' न हो, तो उसे पशु-समान ही समझना चाहिए । जंगली जातियों में 'सामान्य प्रत्यय' बहुत थोड़े होते हैं ।

इस हृषि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अस्ली चीज़ 'सामान्य प्रत्यय' है, 'परिभाषा' नहीं । 'परिभाषा' तो 'सामान्य प्रत्यय' को जापत् करने का एक साधन है । कई शिक्षक 'परिभाषा' पर इतना ध्ल देते हैं कि उन्हे इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि बालक के मन में उस 'परिभाषा' को सुनकर कोई ज्ञान भी उत्पन्न होता है या नहीं । बालक परिभाषाओं को रट लेते हैं, और शिक्षक समझ लेता है कि

उन्हे ज्ञान हो गया। हमें अभी कानपुर मे एक वालिसा से मिजन का अनसर हुआ। हमने उससे पृछा—‘नदी’ किसे कहते हैं? उसने मट्ट से कहा—‘नदी मीठे पानी की वह धार है जो पहाड़ से तिकलकर समुद्र मे गिरती है।’ फिर हमने पृछा—‘क्या तुमने कभी नदी देखी है?’ उसने कहा—‘नहीं।’ वह वालिका उसी समय गगा से स्नान करके आ रही थी, उसे नदी की परिभाषा भी याद थी, परतु वह समझनी थी कि उसने नदी कभी नहीं देखी। वालकों की अनेक परिभाषाएँ इसी तरह थीं होती हैं। शिक्षक जो चाहिए कि पहले विना ‘परिभाषाओं’ का प्रयोग किए वालक के मन मे ‘सामान्य प्रत्ययों’ का ज्ञान उत्पन्न करे, जब ‘सामान्य प्रत्ययों’ का ज्ञान उत्पन्न हो जाय, तब ‘परिभाषाओं’ का प्रयोग करे। ‘सामान्य प्रत्ययों’ को उत्पन्न करने का साधन ‘प्रत्ययों’ को उत्पन्न करना है। वालक को जितना पदार्थ ज्ञान होगा, उतने ही उसके ‘सामान्य प्रत्यय’ बढ़ेंगे। ‘सामान्य प्रत्यय’ पदार्थ की अधिकाधिक समझने के लिये ही तो है, परतु जब तक पदार्थों का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक ‘सामान्य प्रत्ययों’ का ज्ञान कहाँ से हो जायगा। इसीलिये शिक्षक को ‘स्थूल’ से ‘सूक्ष्म’ की तरफ (From Concrete to Abstract) जाना चाहिए, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ नहीं। वालक को मिन्न-मिन्न स्थूल पदार्थों का अनेक बार अनुभव कराना चाहिए। उसका ‘प्रत्ययानुभव’ (Perceptual Experience)

जितना विशद तथा स्पष्ट होगा, उसके 'सामान्य प्रत्यय' (Concepts) भी उतने ही विशद तथा स्पष्ट होंगे। वालकों के 'सामान्य प्रत्यय' अस्पष्ट तथा अशुद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हे पदार्थों का ज्ञान बहुत-चोड़ा दिया गया होता है। हो सकता है, उन्होंने पदार्थों के निरीक्षण में समता को देखा हो, विपरीता को न देखा हो। इसलिये 'सामान्य प्रत्ययों' के निर्माण के लिये यह बहुत अधिक आवश्यक है कि वालक को पदार्थों का ज्ञान खूब अच्छी तरह से करा दिया जाय। 'प्रत्यय'-ज्ञान में जो कभी रह जायगी, वह उसके 'सामान्य प्रत्यय'-ज्ञान में भी आ जायगी।

शिक्षक के लिये यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि वालक के मन में पहले कौन-से 'सामान्य प्रत्ययों' का ज्ञान होता है, और फिर कौन-से, ताकि जिस आयु में जिस तरह के 'सामान्य प्रत्ययों' का ज्ञान वालक प्राप्त कर सकता है, उस आयु में उन्हीं 'सामान्य प्रत्ययों' को उत्पन्न करने का वह प्रयत्न करे, दूसरों को नहीं। यह क्रम इस प्रकार है:—

(क). यवपन में राने-पीने के पदार्थों की तरफ वालक का शौक होता है, इसलिये अनाज, सब्जी, फल आदि का ज्ञान सबसे प्रथम कराना चाहिए।

(र). जो चीजें आम पाई जाती हैं, उनका ज्ञान इनके घाद आना चाहिए। जैसे, वृक्ष, कुचा, बिल्ली, सूर्य, चॉद, तारा आदि।

(ग). इसके घाद उन चीजों का ज्ञान कराना चाहिए जो कम पाई जाती हैं। जैसे, शेर, हाथी, राजा झांडा।

(घ). अंत में, भाववाचक पदार्थों का ज्ञान कराना चाहिए । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, न्याय, परीक्षा, हरियावल, सफेदी आदि । इस आयु में परिभाषा ही सब-कुछ हो जाती है, और विज्ञान आदि उच्च कोटि के प्रन्थों का मनुष्य अच्छी तरह अध्ययन कर सकता है ।

२. निर्णय (Judgment)

‘सामान्य प्रत्यय’ के उत्पन्न होने के समय हमारे मन में एक खास प्रक्रिया होती है, जिसका वर्णन हमने नहीं किया । जब हम कहते हैं, ‘कृष्णपट वड़ी उपयोगी चीज़ है’, तब हमारे मन में क्या प्रक्रिया होती है ? हमने सभ चीज़ों के मन से दो विभाग फर लिए : उपयोगी तथा अनुपयोगी । हमने कृष्णपट की उपयोगी तथा अनुपयोगी दोनों चीज़ों से ‘तुलना’ की, और तुलना करने के बाद यह ‘निश्चय’ किया कि कृष्णपट में अधिक गुण ऐसे पाए जाते हैं, जो उपयोगी चीज़ों में होते हैं, ऐसे नहीं जो अनुपयोगी में होते हैं । इसलिये प्रत्येक ‘सामान्य प्रत्यय’ में निम्न दो प्रक्रियाएँ अवश्य होती हैं ।—

क. तुलना (Comparison)

ख. निश्चय (Decision)

‘तुलना’ तथा ‘निश्चय’ ‘सामान्य प्रत्यय’ (Concept) में ही नहीं, ‘प्रत्यय’ (Percept) में भी रहते हैं, और हम हरएक ‘सामान्य प्रत्यय’ तथा ‘प्रत्यय’-ज्ञान के साथ-साथ ‘निर्णय’ भी कर रहे होते हैं । ऐसा नहीं होता कि ‘सामान्य प्रत्यय-ज्ञान’ पहले हो,

और 'निर्णय' वाद मे हो । जब हम कहते हैं, यह वृक्ष ऊँचा है, तब हम एक 'निर्णयात्मक' वाक्य कह रहे होते हैं । परंतु इस 'निर्णयात्मक' वाक्य के कहने से पहले हमें 'वृक्ष' तथा 'ऊँचाई' का 'सामान्य-प्रत्यय' होना चाहिए, तभी हम उक्त निर्णयात्मक वाक्य कह सकते हैं । परंतु जब हमें 'वृक्ष' का 'सामान्य प्रत्यय' हुआ था, तब अनेक वृक्षों को देखकर हमने उनकी तुलना की थी, और इन गुणोंगाली चीज़ को 'वृक्ष' कहते हैं, यह निश्चय किया था । 'तुलना' तथा 'निश्चय' को ही 'निर्णय' कहते हैं । 'निर्णय' तथा 'सामान्य प्रत्यय' साथ-साथ चलते हैं, प्रत्येक 'सामान्य प्रत्यय' तथा 'प्रत्यय' में 'निर्णय' अंतर्निहित रहता है ।

निर्णय दो प्रकार का होता है 'स्वाभाविक' (Intuitive) तथा 'सप्रयास' (Deliberate) । 'स्वाभाविक' निर्णय वे हैं, जिनमें हम किसी बात को खुदन-खुद जान जाते हैं । 'आग जलाती है, यह 'स्वाभाविक निर्णय' है । 'सप्रयास' निर्णय उसे कहते हैं जिसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है । कुत्ता पशु है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये निर्णय हैं, परंतु 'सप्रयास निर्णय' हैं । 'स्वाभाविक निर्णय' बालक पहले-पहल स्वयं करने लगता है ; 'सप्रयास निर्णयों' में अधिक अनुभव की जुखरत पड़ती है ।

बालक तथा वडे आदमी के भी अनेक 'निर्णय' (Judgments) अशुद्ध होते हैं । इन अशुद्ध निर्णयों के चार कारण कहे जाते हैं—

(क). प्रत्ययों का स्पष्ट न होना—‘निर्णय’ में ‘तुलना’ मुद्दे वात है। ‘तुलना’ किसकी? प्रत्ययों, प्रतिमाओं तथा सामान् प्रत्ययों की। अगर हमारा ‘प्रत्यय-ज्ञान’ अस्पष्ट है, तो ‘निर्णय’ कैसे स्पष्ट हो सकता है? इसलिये स्पष्ट ‘निर्णय’ के लिये सभी ‘प्रत्ययों’ का हीना सबसे बड़ी वात है।

(ख). निर्णय में पर्याप्त समय न मिलना—हमारे मन दो विचार हैं, और हम एकदम किसी निर्णय पर पहुँच जाते हैं ऐसे निर्णय अवश्यक रहते हैं। वालक किसी वात पर देर तक नहीं सोचते, इसलिये उनके निर्णयों पर भरांसा नहीं किया सकता। शिक्षकों को चाहिए कि वालकों में देर तक सोचने आदत ढालें। इसका यह मतलब भी नहीं कि वे किसी वात सोचते ही रहें। सोचने का मतलब है, किसी निर्णय तक पहुँच के लिये सोचना।

(ग). दूसरे के विमान से सोचना—कई लोग अपने दिम से नहीं सोचते, उन्हें दूसरा जो कुछ कह दे, वही उनके लिये पत्थर की लकीर हो जाता है। कई लोग किताबी वातों के गुल हो जाते हैं। शिक्षक को वालक के अंदर स्वतंत्र निर्णय करने शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए।

(घ). पक्षपात—हमारा जिम विषय में पक्षपात हो जाता उसमें हम स्वतंत्र विचार करना छोड़ देते हैं। राजनैतिक तथा धार्मिक मामलों में पक्षपात के कारण ही हमारे निर्णय एक होते हैं। शिक्षकों को पृच्छापत्र-रहित निर्णय करना सिसाना चाहिए।

निर्णय-शक्ति को परिष्कृत करने के लिये निम्न वातों पर ध्यान देना उपयोगी रहता है:—

(क). अक्सर शिक्षक लोग किसी वात को रटवा देते हैं, वह उनके लिये आमान रहता है, परंतु ऐसा न करके वालकों की निर्णय-शक्ति के द्वारा किसी वात को समझना चाहिए।

(स). अक्सर शिक्षक लोग किसी वात के विषय में ‘निर्णय’ पहले ही बनला देते हैं, परंतु ऐसा न करके वालक को ‘प्रत्ययों’ द्वारा ‘सामान्य प्रत्यय’ का ज्ञान कराना चाहिए, और ‘सामान्य प्रत्ययों’ की ‘तुलना’ तथा ‘निश्चय’ से ‘निर्णय’-ज्ञान कराना चाहिए। शिक्षा का अभिप्राय यह है कि वालक को सोचने की, प्रत्ययों की तुलना करके निर्णय करने की आदत छाली जाय। जो शिक्षक बने-बनाए निर्णय वालकों को रटवा देता है, वह वालकों से सोचने की प्रक्रिया न करकर उसे स्वर्य करने लगता है। जब वालक अपना भोजन स्वर्य पचाता है, तो वह अपनी विचार-प्रक्रिया क्यों न स्वर्य करे ?

(ग). वालक पुस्तकों को वातों दो पढ़कर उनके निर्णयों को मान लेते हैं, उनकी परीक्षा नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुस्तकों के निर्णयों को अनुभव द्वारा परखना चाहिए।

३. विचार तथा तर्क (Thinking and Reasoning)

हमने देखा कि ‘प्रत्ययों’ (Percepts), ‘प्रतिमाओं’ (Images) तथा ‘सामान्य प्रत्ययों’ (Concepts) का निर्माण किस प्रकार होता है। अगली देखने, की वात यह है कि

इन 'सामान्य प्रत्ययों' का मन से संप्रह किस ग्रन्थ से होता है। इस प्रश्न पर विचार करनेवालों ने दो क्रम घटलाए हैं:—

क. मनोवैज्ञानिक (Psychological) तथा

ख. तार्किक (Logical)

मनोवैज्ञानिक क्रम उसे कहते हैं जिसमें 'सामान्य प्रत्यय'-ज्ञान वालक के मानसिक विकास के अनुसार होता है, यह जारूरी नहीं कि वह क्रम तर्क पर आधित भी हो। वालक को पहले-पहल अपने घर, अपने गाँव, अपने शहर का ज्ञान होता है, संसार का पीछे होता है। यह 'मनोवैज्ञानिक' क्रम है। 'तार्किक क्रम' में तो संसार पहले आता है, उसके बाद देश, फिर प्रांत, फिर शहर और फिर गाँव। पढ़ने में 'मनोवैज्ञानिक क्रम' को ही सामने रखना चाहिए, 'तार्किक क्रम' को नहीं। वालक को भूगोल पढ़ाना है, तो संसार से चलने के बजाय वालक के गाँव से चलना चाहिए, क्योंकि वालक को पहले-पहल अपने गाँव का ही ज्ञान होता है। 'संसार' के वर्णन से जो लोग भूगोल को पढ़ाना शुरू करते हैं, वे 'तार्किक क्रम' का अनुसरण करते हैं, क्योंकि तर्क की दृष्टि से 'संसार' का 'गाँव' से पहले स्थान है, परंतु वे वालक को उच्च पढ़ा नहीं सकते। हमें यह देखना चाहिए कि वालक का मानसिक विकास किस क्रम से होता है। इस विकास को सम्पूर्ण रखकर पढ़ाना 'मनोवैज्ञानिक क्रम' कहाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि इस क्रम से चलकर वालक के विचारों में तार्किक शृंखला उत्पन्न करता जाय।

‘सामान्य प्रत्ययों’ का सम्राह ‘मनोवैज्ञानिक’ तथा ‘तार्किक’ इन दो शब्दों से होता है। ‘सामान्य प्रत्यय’ मन में जाकर असबद्ध रूप से नहीं पड़े रहते, उनका आपस में सबध जुड़ता जाता है। परन्तु प्रश्न यह है कि इन प्रत्ययों का आपस में सबध किस प्रकार का होता है? स्वीचरभैन ने इस सबध पर विचार करके दो मुख्य समर्थों का निर्धारण किया है —

क सजाति सबध (Principle of Relation)

ख इतरेतरसबध (Principle of Correlation)

‘सजाति सबध’ उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक ‘सामान्य प्रत्यय’ आपस में निकटता-दूरी, आगे पीछे, कार्य-कारण, न्यून-अधिक आदि सबवों से जुड़ जायें। ‘इतरेतर सबध’ उसे कहते हैं जब मन में एक सबध हो, तो दूसरा खुद-बन्धुद उत्पन्न हो जाय। परि कहने से पन्नी का विचार आ जाता है, पिता कहने से पुत्र या माता का विचार समझ आ जाता है। ये सब ‘इतरेतरसबध’ हैं।

जब हमारे मन में ‘सामान्य प्रत्ययों’ के सबध उत्पन्न होने लगते हैं, तब हम एक विचार से दूसरे विचार, और दूसरे से तीसरे विचार को अपने दिमाग से सोचने लगते हैं। यह प्रक्रिया ‘अनुमान’ कहलाती है। तार्किक लोगों ने ‘अनुमान’ के दो निभाग किए हैं —

(क) व्याप्तिपूर्वक अनुमान (निगमन) (Deductive)

(ख) व्याप्तिपूर्वक अनुमान (आगमन) (Inductive)

‘व्यासिपूर्वक अनुमान’ मनुष्य अपने लिये करता है। वह पर्वत में धुआँ देखकर कहता है, जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ आग होती है, इस पहाड़ पर धुआँ दिलाई दे रहा है, इस-लिये वहाँ आग अवश्य है। ‘दृष्टातपूर्वक अनुमान’ में पहले दूसरे को यह समझाना होता है कि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ आग अवश्य होती है, तब जाकर वह पर्वत पर धुआँ देखकर वहाँ आग होने का अनुमान कर सकता है। परंतु उसे यह विश्वास कैसे कराया जाय कि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ आग अवश्य होती है ? इसका तरीका यह है कि उसे दस, बीस, पचास, सौ जगह आग और धुएँ का संबंध दिया दिया जाय। वस, फिर यह पहाड़ पर धुआँ देखकर अपने-आप समझ जाता है कि वहाँ आग है। इन दोनों अनुमानों को निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है।—

व्यासिपूर्वक अनुमान

क. जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-

वहाँ आग होती है।

ख. इस पहाड़ पर धुआँ है।

ग. इसलिये पहाड़ पर आग है।

दृष्टातपूर्वक अनुमान

क. रसोई में धुआँ है, आग भी है।

ख. एंजिन में धुआँ है, आग भी है।

ग. सिगरेट में धुआँ है, आग भी है।

घ. जहाँ-जहाँ धुआँ है, वहाँ-वहाँ आग है।

द. पहाड़ पर धुआँ है, इसलिये आग भी है।

‘व्यासिपूर्वक अनुमान’ तथा ‘दृष्टातपूर्वक अनुमान’ की आपस में निम्न तुलना की जा सकती है :—

व्याप्तिपूर्वक अनुमान

क. इसमें हम दूसरे के बताए हुए परिणाम से लाभ उठाते हैं।

ख. इसमें अपने ज्ञान को हम एक नई जगह पर बढ़ाते हैं।

ग. इसमें निर्णय पहले ही दोता है।

घ. इसमें हम दूसरे पर आधित हैं।

ट. यह बड़ों का तरीका है।

हृष्टांतपूर्वक अनुमान

क. इसमें कई घटांतों को देखकर हम स्वयं परिणाम निकालते हैं।

ख. इसमें हमें नया ज्ञान मिलता है।

ग. इसमें निर्णय बाद को होता है।

घ. इसमें हम स्वयं अनुसंधान करते हैं।

ट. यह छोटे बालकों का तरीका है।

शिक्षा 'व्याप्तिनिर्देश-पूर्वक' तथा 'हृष्टांत-निर्देश-पूर्वक' दोनों तरह से हो सकती है, परंतु दूसरे को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले खूब हृष्टांत दिये जायें, फिर उनसे किसी नियम का, व्याप्ति का प्रतिपादन कर दिया जाय, और फिर उस व्याप्ति को कई जगह घटाकर दिखा दिया जाय। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकारों के सम्मिश्रण से जो तरीका निकलता है, बालकों को समझाने के लिये वह बहुत अच्छा समझा गया है। इस तरीके में पाँच क्रम होते हैं। इन क्रमों का प्रतिपादन हर्बार्ट ने किया था, अतः इन्हें 'हर्बार्ट के पाँच क्रम' (Five Steps of Herbart) कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि हमने बालकों को भूत, वर्तमान, भविष्यत् कालों के भेद समझाना है। हमें निम्न पाँच क्रमों द्वारा यह बात बालकों को समझानी होगी:—

(क). तैयारी (Preparation)—पहले हमें बालकों के 'पूर्यवर्ती ज्ञान' को उद्दुख करना होगा, क्योंकि उसी के प्रकाश में वे नई वात सीख सकते हैं। इसके लिये अनेक ऐसे दृष्टांत देने होंगे जिनसे बालक पहले से परिचित हैं। हम कृपणपट पर निम्न दृष्टांत लिख देते हैं :—

१. वह हरद्वार गया ।

२. कमला गाना गाती है ।

३. शशि कल घर जायगी ।

४. बच्चा रोता है ।

५. ललित ने दूध पिया ।

६. मेरा भाई बनारस जायगा ।

ये दृष्टांत लिखकर बालकों को कहा जायगा कि उक्त वाक्यों में जो-न्जो क्रियाएँ हैं, उन्हे अपनी कापियों में अलग लिख लें ।

(ख). निरीक्षण (Presentation)—इसके बाद इन क्रियाओं में आपस में जो नवीनता होगी, उसे देखने को उन्हे कहा जायगा। 'जायगी', 'गया' आदि से वे पहले ही परिचित हैं। उन्हे 'जायगी' से मिलती-जुलती क्रियाओं का अलग संग्रह करने को कहा जायगा। इसी प्रकार 'गया' और 'जाता है' से मिलती हुई क्रियाओं का वे अलग संग्रह करेंगे।

(ग). तुलना (Comparison)—अब वे इनकी आपस में तुलना करेंगे। 'जायगी', 'पीयेगा' एक तरह की क्रियाएँ हैं;

‘गया’, ‘पीया’ आदि दूसरी तरह की क्रियाएँ हैं, ‘जाता है’, ‘पीता है’ आदि तीसरी तरह की क्रियाएँ हैं।

(घ). नियम निर्धारण (Generalisation)—उक्त दृष्टातों को देखने पर हम यह नियम निकालते हैं कि कई क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिन्हे हम पहले कर चुके होते हैं, इन्हे ‘भूत-कालिक क्रिया’ कहते हैं, कई ऐसी होती हैं जिन्हे हम “कर रहे होते हैं”, इन्हे ‘वर्तमान-कालिक क्रिया’ कहते हैं, कई ऐसी होती हैं जिन्हे हमें अभी करना होता है, वे ‘भविष्यत्कालिक क्रियाएँ’ होती हैं। प्रत्येक क्रिया के इसी प्रकार तीन काल होते हैं। इस अवस्था में ‘परिभाषा’ का प्रयोग होता है।

(ङ). प्रयोग (Application)—इसके बाद हम कई ऐसी क्रियाएँ लेते हैं जो इन दृष्टांतों में नहीं आई, और भिन्न-भिन्न दृष्टांतों से जिस नियम का हमने प्रतिपादन किया है, उसका हम नवीन दृष्टांतों पर प्रयोग करके दिखलाते हैं।

इस प्रकार इन पाँच क्रमों में तैयारी, निरीक्षण, तुलना तथा नियम-निर्धारण तक हमने ‘दृष्टात-पूर्वक अनुमान’ (Induction) के द्वारा काम लिया है, प्रयोग में ‘व्याप्ति-पूर्वक अनुमान’ (Deduction) से, और बालक भूत, वर्तमान तथा भविष्य कालों के भेद को अच्छी तरह समझ गया है। अगर हम बालक को पहले नियम ही बतला देते, तो वह इस भेद को उतना नहीं समझता जितना उसने अप समझा है। लोटे बालकों के लिये यही तरीका सर्वोत्तम समझा जाता है। यड़े विद्यार्थियों

के लिये पहले नियम वराकर उसका भिन्न-भिन्न दृष्टातों में प्रयोग अधिक अच्छा रहता है।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उन सब वातों को सामने रखते हुए शिक्षाविज्ञानियों ने कुछ ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया है जिनके अनुसार चलने से शिक्षक वालक को अच्छी तरह से अपनी वात समझा सकता है। संक्षेप से वे नियम निम्न हैं—

(क) 'दृष्टातों' से 'व्याप्ति' की तरफ जाना चाहिए।

(ख). 'स्थूल' से 'सूक्ष्म' की तरफ जाना चाहिए।

(ग). 'मानसिक क्रम' (Psychological) को सामने रखते हुए 'तार्किक' (Logical) क्रम की तरफ जाना चाहिए।

(घ) 'विशेष' से 'सामान्य' की तरफ जाना चाहिए।

(ङ). 'ज्ञात' से 'अज्ञात' की तरफ जाना चाहिए।

(च). 'अवयव' से 'अवयवी' की तरफ जाना चाहिए।

(छ). 'साधारण' से 'प्रिपम' की तरफ जाना चाहिए।

४. भाषा

हमारे मन में 'सामान्य प्रत्यय' (Concepts) रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा हमारी संपूर्ण विचार-परंपरा चलती है। एक-एक 'सामान्य प्रत्यय' का हम नाम रख लेते हैं, और इन्हीं नामों को 'शब्द' कहते हैं। 'शब्द' हमारे मन में मौजूद 'सामान्य प्रत्ययों' के ही चिह्न हैं। इन्हीं शब्दों के सार्थक-सर्वांग का नाम 'भाषा' है। वालक के विकास में धीरे-धीरे वह अवस्था आ जाती है, जब

‘सामान्य प्रत्यय’ को उत्पन्न करने के लिये पदार्थ को सामने लाने की जरूरत नहीं होती, ‘शब्द’ बोल देना ही काफ़ी होता है। इसलिये ‘विचार’ के लिये ‘भाषा’ एक आवश्यक माध्यम है। ‘भाषा’ द्वारा हम क्या करते हैं? भाषा द्वारा हम ‘सामान्य प्रत्ययों’ (Concepts) का ‘विश्लेषण’ तथा ‘संश्लेषण’ (Analysis and Synthesis) करते हैं। हमने अपने किसी मित्र से कहा कि ‘थाली में आम रखता है’। यह वाक्य बोलते हुए हमने क्या किया? ‘थाली’ का ‘सामान्य प्रत्यय’, ‘आम’ का ‘सामान्य प्रत्यय’, थाली और आम का आधाराधेय भाव, इन सब प्रत्ययों को शब्द-रूप सकेतों द्वारा हमने अपने मित्र तक पहुँचा दिया, और उसे थाली तथा आम के बिना देसे हुए भी थाली में आम रखने का ज्ञान हो गया। हमने विचार की उक्त प्रक्रिया में ‘सामान्य प्रत्ययों’ का पहले ‘विश्लेषण’ किया, फिर एक नए ढंग से ‘संश्लेषण’ कर दिया। जब बालक ‘सामान्य प्रत्ययों’ के संरेतों, अर्थात् शब्दों द्वारा, उनका ‘विश्लेषण’ तथा ‘संश्लेषण’ करने लगता है, तब हम कहते हैं कि वह भाषा का व्यवहार करने लगा है। ‘भाषा’ के द्वारा ‘सामान्य प्रत्ययों’ पा ‘विश्लेषण’ तथा ‘संश्लेषण’ आमतौर से हो जाता है।

भाषा का विकास बालक में धरि-धरि होता है। पहले वह अ-ई-ऊ आदि ‘स्वर’ बोलने लगता है। वह रोता है, चिङ्गाता है, इससे उसके भाषा में काम आनेवाले अंग पुष्ट होते हैं। बाद को स्वरों के साथ ‘व्यजन’ भी जुड़ने लगते हैं। वह का, ता,

का बोलने लगता है। आवाज निकालने से वालक को आनंद मिलता है, इसलिये वह योही कुछ-न-कुछ बोलता रहता है, इससे उसके बोलनेवाले अंगों का और अधिक विकास होता है। जब कोई बोलता है, तो वह उसका अनुकरण करने लगता है, और दो-तीन अज्ञरोंवाले शब्द भी बोलने लग जाता है। अभी तक उसमें अनुकरण-शक्ति अविकसित होती है, इसलिये शुरू-शुरू में उसका अनुकरण भी अशुद्ध ही होता है। वह 'माँगा' को, अपना घोटा-सा हाथ उठाकर, 'माड़ंगा' बोलता है। इन शब्दों और वाक्यों को बोलने में भी वह मन-ही-मन अपने 'सामान्य प्रत्ययों' का 'विन्देपण' तथा 'संशेपण' कर रहा होता है। जिन वालकों के कंठ आदि में कोई दोष होता है, वे शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। जिन वालकों को 'सामान्य प्रत्ययों' का ज्ञान ठीक नहीं होता, उनमें भी भाषा का विकास नहीं हो पाता। वालकों में भाषा के विकास के लिये भी आवश्यक है कि उन्हें शुद्ध 'प्रत्ययों' के आधार पर 'सामान्य प्रत्ययों' का विशद तथा स्पष्ट ज्ञान कराया जाय।

चतुर्दश अध्याय

‘सीखना’ तथा ‘आदत’

पिछले अध्यायों में जा कुछ लिखा जा चुका है, उससे ‘सीखने’ पर पर्याप्त प्रकारा पड़ता है। फिर भी, शिक्षा-मनोविज्ञान की पुस्तक में ‘सीखने’ पर पृथक् प्रयेचन करना ही उचित है। शिक्षा इन प्रकार की होनी चाहिए जिससे वह मनुष्य की आदत का हिस्सा बन जाय, इसलिये इस अध्याय में हम ‘सीखने’ (Learning) तथा ‘आदत’ (Habit) दोनों पर विचार करेंगे।

१. सीखना

प्राणी अपने को किसी ‘स्थिति’ (Situation) में पाकर कोई-न-कोई ‘प्रतिनिया’ (Response) करता है। कुत्ता भूना है, हमारे हाथ में रोटी है, वह रोटी पर लपक पड़ता है। भूखे होने की ‘स्थिति’ में कुत्ते की यह ‘प्रतिनिया’ है। परतु यह प्रतिक्रिया ‘प्राकृतिक’ (Instinctive) है, सीखी हुई नहीं। चालक के सम्मुख कोई बैठा मिठाई खा रहा है, वह उसके आगे हाथ बढ़ा देता है। यह भी प्राकृतिक व्यवहार (Instinctive Behaviour) है, इसे भी सीखना नहीं पड़ता। तो फिर, सीखना क्या है? करपना कीजिए कि हमारे हाथ में मिठाई है,

बालक उसे छीनने का प्रयत्न करता है, हम उसे कहते हैं, मॉगोगे तो मिलेगी, छीनने से नहीं मिलेगी। अब बालक मिठाई छीनने के यज्ञाय मॉगता है। इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि वह एक बात सीख गया है।

एक स्थिति में बालक स्वभाव से जो प्रतिक्रिया करता है, वह 'प्राकृतिक प्रतिक्रिया' (Instinctive Response) है। परंतु ही सकता है कि 'प्राकृतिक प्रतिक्रिया' सामाजिक दृष्टि से अनुचित हो। इसलिये 'प्राकृतिक' की जगह, उसी को आधार बनाकर, हम 'उचित प्रतिक्रिया' (Appropriate Response) बालक को सिखा देते हैं। 'प्राकृतिक शक्तियों' (Instincts) को आधार बनाकर नई-नई घाते बालकों को कैसे सिखाई जा सकती हैं, इसका विस्तृत विवेचन हम 'प्राकृतिक शक्तियों' के प्रकरण में कर चुके हैं।

'उचित प्रतिक्रिया' अनेक संभावित प्रतिक्रियाओं में से एक होती है। बालक मिठाई को सामने देखकर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएँ कर सकता है। छोन सकता है, मॉग सकता है, चुरा सकता है, इंतजार कर सकता है। इनमें से मॉगकर लेने या इंतजार करने को ही हम उचित कहते हैं, दूसरों को अनुचित। अनेक संभावित प्रतिक्रियाओं में से एक का चुन लेना ही 'सीखना' कहाता है। हम किसी एक प्रतिक्रिया को चुनते हैं, दूसरों को नहीं, इसमें क्या नियम काम करता है? मिठाई को मॉगकर लेने से सफलता प्राप्त होती है, छोनने से नहीं होती, इस

लिये वालक किसी वस्तु को माँगकर लेना सीख जाता है। इस दृष्टि से 'उचित प्रतिक्रिया' को सीखने का सबसे अच्छा नियम वही समझा जायगा जिससे सफलता प्राप्त हो। किसी बात को सीखने में मुख्य तीर से चार नियम कहे जाते हैं—

- क. किसी काम को करके सीखना
- ख. दूसरे को करते देखकर सीखना
- ग. सूझ से सीखना
- घ. संबद्ध-सहज-क्रिया से सीखना

अब हम इन चारों पर कुछ विचार करेंगे :—

(क). किसी काम को करके सीखना (Learning by Doing) सीखने का बहुत सहल तथा व्यापक तरीका है। थोर्नैटाइक ने इसे 'करना, असफल होना, और फिर करने के तरीके' (Learning by Trial and Error Method) का नाम दिया है। हम वाईसिकल चलाना सीखते हैं। कैसे? हम बार-बार कोशिश करते हैं, बार-बार असफल होते हैं, और अंत में हम वाईसिकल चलाना सीख जाते हैं।

इस तरीके को थोर्नैटाइक ने तीन भागों में बँटा है। वे तीन भाग ये हैं—

(१). परिणाम का नियम (Law of Effect)— आगर किसी 'स्थिति' (Situation) में हम ऐसी 'प्रतिक्रिया' (Response) करते हैं जिससे हमें संतोष (Satisfaction) हुआ है, तो फिर वैसी ही 'स्थिति' उत्पन्न होने पर हम वैसी ही

'प्रतिक्रिया' पहले की अपेक्षा अधिक आसानी से करेंगे। इसके विपरीत, अगर किसी 'स्थिति' में हम ऐसो 'प्रतिक्रिया' करते हैं जिससे हमों 'असंतोष' (Annovance) हुआ है, तो फिर वैसी ही 'स्थिति' उत्पन्न होने पर हम वेसी 'प्रतिक्रिया' नहीं करेंगे।

'भीखना' किसी बात से 'संतोष' अथवा 'असंतोष' पर ही बहुतकुछ निर्भर है। पशुओं में प्राकृतिक इच्छा के पूरा ही जाने से संतोष होता है, उसके पूरा न होने से असंतोष होता है। मनुष्य में इनाम, दंड, प्रशंसा, निंदा आदि अनेक बातों से संतोष या असंतोष होता है।

'परिणाम के नियम' पर कई परीक्षण किए गए हैं। एक भूल-भुलैयों बनाकर उसमें कहों भोजन रखकर चूहे को छोड़ दिया जाता है। पहले तो चूहा भूलभुलैयों में इधर-उधर भटकता है, भोजन के लिये जिन रास्तों पर जाने की जरूरत नहीं, उन पर भी जाता है। जब एक बार वह भोजन को ढूँढ़ लेता है, तब फिर उसे उसके बाहर लाकर छोड़ दिया जाता है। इस बार भी यह भोजन तक पहुँचने के लिये कई जालतियों करता है, परंतु पहले से कम। धीरे-धीरे ऐसी अवस्था आ पहुँचती है, जब हम उसे भूलभुलैयों के दरखाजे पर छोड़ते हैं, और वह सीधा, बिना किसी गलत रास्ते पर गए, जहाँ भोजन रखना होता है वहाँ पहुँच जाता है। इसी प्रकार के परीक्षण बालकों तथा युवाओं पर किए गए हैं, और यह परिणाम निकाला गया है कि मस्तिष्क को रचना ही इस प्रकार की है कि किसी काम को करने में जिस बात से हमें

सतोप होता है वह सुदूर खुद सीखो जाती है, जिससे असतोप होता है, वह नूल जाती है। चूहों, बड़ों तथा युवका पर भूल-भुलेटरों के परीक्षण किए गए, और उनसे जो परिणाम निकला, वह निम्न लिखित था—

वार	चूहों की गतियाँ	बड़ों की	युवकों की
१ ली वार	२५	३५	१०
२ री „	४५	६	१२
३ रो „	३०	१२	८
४ यी „	२२	११	२
५ वी „	११	६	५
६ डा „	८	१३	५
७ वी „	६	६	२
८ वी „	५	६	२
९ वी „	६	८	१
१० वी „	३	८	१
११ वी „	४	१	०

(२) अभ्यास का नियम (Law of Exercise)—
अन्य वातों के समान रहने पर, 'स्थिति' के साथ जो 'प्रतिक्रिया' हमने जोड़ी है उसका अभ्यास किया जायगा, तो वह ढढ होती जायगी, अभ्यास न किया जायगा, तो वह शिथिल हो जायगी। सीखने के विषय में थोर्नेंडाइक का यह दूसरा नियम है।

(३) तत्परता का नियम (Law of Readiness)—

हम किसी काम को करने के लिये किसी समय तत्पर होते हैं, किसी समय नहीं। लब्ध हम किसी काम को करने के लिये तैयार होते हैं, तब उसे करने से संतोष मिलता है, जब तैयार नहीं होते, तब असंतोष होता है। भूख लगी हो, भोजन मिल जाय, तो सतोष होता है; भूख न लगी हो, और कोई खाने को कहता जाय, तो झुँझनाढट होती है। शिक्षक को नाहिए कि शिक्षा देते हुए बालक की तत्परता का ख्याल रखरें। अगर बालक तत्पर नहीं है, तो उसे तत्पर कर ले। विना तैयार किए बालक को शिक्षा दी जायगी, तो वह उसे विना भूख लगे दूध देने की तरह उगल देगा, अहण नहीं करेगा। थॉर्नडाइक का सीखने के विषय में यह तीसरा नियम है।

(स). सीखना किसी काम को करके ही होता हो, दूसरी तरह से न होता हो, यह बात नहा है। दूसरे को करते हुए देखकर भी बहुतन्से काम सीखे जाते हैं। इसे 'अनुकरण से सीखना' (Learning by Imitation) कहते हैं। पशु अनुकरण से बहुत कम सीखते हैं। दो विज्ञियों को लेकर परीक्षण किया गया। भूलभुलैय्यों के सब रास्ते एक विज्ञी ने सीख लिए थे, दूसरी ने नहीं। जिसने सब सीख रखा था, उसे कई बार दूसरी के सामने उसमें से गुजारा गया, परंतु दूसरी विज्ञी ने रक्ती-भर नहीं सीखा। घंटर पर जो परीक्षण किए गए उनका भी यही परिणाम निकला। बनमानुस पर किए गए, परीक्षणों से पता लगा कि वह अनुकरण से कई बातें सीख जाता है।

मनुष्य में पशुओं से यह अङ्गी भारी प्रिशेषता है कि वह अनुकरण से भीतरता है। हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्ता अनुकरण पर आधित है।

(न). कई बातें करके नहाँ सीखो जातीं, दूसरे को देखकर भी नहाँ सीखी जातीं, अपने प्राप्त, विना बताए आ जाती हैं, इसे 'नूफ़ से सीखना' (Learning by Insight) कहते हैं। एक चपांझी के सामने संदूक में केला रखकर संदूक को बाहर से बढ़ कर दिया गया। संदूक के बाहर एक बटन लगा था जिसे दमान से वह खुल जाता था। चपांझी ने विना सिखाए एकदम बटन को देखा, और संदूक का दरवाजा खुल गया। अब एक और बटन भी लगा दिया, और पहले को हटाया नहीं गया। चपांझी ने पहले बटन को देखा, दरवाजा नहीं खुला, परंतु दूसरे बटन को भी देखने के बजाय वह पहले दो ही देखा रहा। कुछ देर बाद उसका ध्यान दूसरे बटन की ओर रुक गया, और उसने उस बटन को देखा। परंतु इस बार पहला बटन बंद था, इमलिये अब की बार फिर दरवाजा नहीं खुला। दोनों बटनों को एकसाथ देखने का संयाल उसे नहीं सूझा। कई चपांझी ऐसे पाए गए हैं जिन्हें बहुत अधिक सूफ़ जाता है। एक चपांझी को पिंजड़े में बंद करके बाहर कुछ दूरी पर एक केला रख दिया गया। उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता था। पास दो बॉस की छड़ियाँ रख दी गईं, परंतु दोनों इतनी छोटी थीं कि जब तक एक दूसरी में फ़ैसर्ड न जाती, वे बैठे तक नहीं

पहुँच सकती थीं। वह देर तक एक-एक छड़ी को उठाकर केला रखने की कोशिश करता रहा, परंतु अंत में उसने एकदम एक को दूसरी के साथ जोड़ दिया, और उससे केला खींच लिया। पहले वह 'करके, असफल होकर, फिर सीखने' के उपाय (Trial and Error Method) का आधार ले रहा था, अब उसे एकदम नई बात सूझ गई थी। बालकों में भी सूझ से कई बातें सीखते जाती हैं। उनके सामने एकनाक बात नहीं, सारी-की-सारी परिस्थिति आ जाती है, और वे ठीक नतीजे पर स्वयं पहुँच जाते हैं।

(८). बहुत-न्सी बातें 'संबद्ध-सहज-क्रिया' (Conditioned Reflex) से सीखते जाती हैं। पबलव के परीक्षणों का हम तृतीय अध्याय में वर्णन कर आए हैं। भोजन देखकर कुत्ते के मुख में पानी आ जाना स्वाभाविक है, परंतु घंटी सुनकर उसके मुख में पानी आ जाना 'संबद्ध-सहज-क्रिया' (Conditioned Reflex) का परिणाम है। हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा 'संबद्ध-सहज-क्रिया' के सिद्धांत द्वारा सगमा जा सकता है। हम किन्हीं चीजों से ढरते हैं, किन्हीं के प्रति हमें धृणा है, किन्हीं के प्रति हमारा खास प्रकार का लिंगायत है। इन सबका कोई विशेष कारण नहीं होता। किसी दूसरी चीज के प्रति डर, धृणा आदि इस चीज से संबद्ध हो जाती हैं। खरगोश से कौन ढरता है? परंतु चाटसनं तथा रेनर ने वजे के साथ खरगोश का परीक्षण किया। पहले खरगोश वजे के सामने लाया जाता था, वह उससे नहीं

हरता था, परंतु पीछे ज़ब-ज़ब खरगोश उसके सामने लाते थे, तब नव चोर की आवाज़ की जाती थी, क्षण चौंक जाता था। दोनों बार के परीक्षणों के बाद वज्र द्वरगोश से हरने लगा आवाज़ से चौंकने का दरगोश में संबंध जुड़ गया।

विचारकों में परस्पर इम बात पर विवाद है कि अस्ल में 'सीखना' किस प्रकार होता है? 'थोर्नडाइक' कहता है कि खुद करके, असफल होकर, फिर करने से ही बोई बात मीरी जाती है; कई अनुकरण पर थल देते हैं; कई निरीक्षण पर; पर्वलय, बाटमन आदि 'मंवद्ध-महजनकिया' को ही सीखने में एकमात्र प्रक्रिया मानते हैं। परंतु, अस्ल में, मीरने में ये सब प्रक्रियाएँ होती हैं; किसी एक को ही अंतिम नहीं कहा जा सकता।

सीखने में एक बात ध्यान देने की है। ज़ब हम किसी बात को मीरते हैं तब अवयवों से मीरते हैं। कल्पना कीजिए, आप बार देना मीरने लगे। शुभ-शुरू में आप एक-एक अक्षर, एक-एक अवयव को पढ़ते हैं। परंतु परीक्षणों से पता लगा है कि आगे चलकर तार भेजने में एक-एक अक्षर हमारे सम्मुख नहीं होता, पूरे-पूरे शब्द होते हैं, और इससे भी आगे चलकर हमारे सम्मुख शब्द-ममूह होते हैं। पहले अक्षरों के अलग-अलग छिपों की आदत पड़ती है, फिर शब्दों की आदत पड़ती है, और बाद को कई इकट्ठे शब्दों की आदत पड़ जाती है। पहले अवयव से हम शुरू करते हैं, परंतु आगे चलकर अवयव-ममूह (Patterns) से हम काम करते हैं। टाइप करना सीखने में भी यही प्रक्रिया होती है।

टाइप करनेवाला डॅगली चुलाता हुआ, पहले अलग-अलग अक्षर को अपने सामने रखता है, बाद को वह शब्द पढ़ता जाता है, और टाइप करता जाता है। इससे भी आगे चलकर उसका मन दोन्हीन शब्द आगे होता है, और डॅगलियॉ दोन्हीन शब्द पीछे होती हैं। हमारे मन में पहले अवयव विशिष्ट रूप में थे, अब कई अवयवों के मिलकर वड़े-वड़े अवयव बन जाते हैं। सीखने की प्रत्येक प्रक्रिया में यह बात अवृद्धि होती है।

२. आदत (Habit)

'आदत' सीखने का ही एक रूप है, परंतु दोनों को एक ही नहीं कहा जा सकता। जब हम किसी बात को सीखना शुरू करते हैं तब हमें सारा ध्यान उधर लगाना पड़ता है; जब हमें उसकी आदत पड़ जाती है तब बिना ध्यान दिए हम उस काम को करने लगते हैं। आदत एक प्रकार की 'सहज-क्रिया' हो जाती है। 'आदत' (Habit) और 'प्राकृतिक व्यवहार' (Instinctive Behaviour) दोनों में हम सहज-क्रिया की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु आदत 'अर्जित सहज-क्रिया' (Acquired Reflex Action) और प्राकृतिक व्यवहार 'स्वाभाविक सहज-क्रिया' (Innate Reflex Action) है। 'आदत' तथा 'बुद्धि' में संबंध यह है कि जिस काम की हमें आदत पड़ जाती है, उसे हम सोचते नहीं हैं, करते जाते हैं; बुद्धिपूर्वक कार्य में सोचने की ज़रूरत पड़ती है। 'आदत' एक यांत्रिक प्रक्रिया है, और जीवन में हमारे समय की बहुत बचत कर देती है। अगर

कपड़े पहनने, चलने, वाईसिकल चलाने आदि में हमें सोचना पड़ता, तो जीवन दूभर हो जाता । हम वाईसिकल भी चलाते जाने हैं, और वात-चीत भी करते जाते हैं, यह 'आदत' के ही कारण है ।

जब भी हम कोई नई वात सोचते हैं, तभी मस्तिष्क में उच्छ-
न-उच्छ परिवर्तन होता है, यह हम पहले कह चुके हैं । अगर वार-वार उस वात को दृष्टिराया जाय, तो मस्तिष्क पर गढ़े संस्कार पड़ जाते हैं । कभी-कभी संस्कार भी ऐसा प्रबल होता है कि मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है । मस्तिष्क की रचना लुचलुची है, और इसलिये इसमें संस्कार संचित रहते हैं । जब किसी एक मार्ग से लगातार संस्कार पड़ते हैं, तब वे ही 'आदत' का न्यूप धारण कर लेते हैं, और हमें इन संस्कारों द्वारा किए जानेवाले कामों में ध्यान नहीं देना पड़ता । पॉव को जूते की आदत पड़ जाती है, जूता बदल गया हो, तो शरीर ही कह देता है कि यह मेरा नहीं है । भौतिक पदार्थों में भी आदत का यह नियम काम करता दिखाई देता है । अगर किसी पुस्तक का एक ही पृष्ठ वार-वार खोला जाय, तो फिर वही आप-से-आप खुलने लगता है । आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी । अच्छी आदतों के ढालने तथा बुरी को छोड़ने के विषय में जेन्स ने कुछ महत्त्व-पूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया है । वे निम्न हैं :—

(क). जब किसी नई आदत को ढालना हो, या पुरानी को छोड़ना हो, तो उसका प्रारंभ वड़ी प्रबलता द्वा द्वितीय से

करो, उसमें भन की संपूर्ण संकल्प-शक्ति लगा दो। फिर उस संकल्प को सफल बनाने में जितने उपायों का अवलंबन कर सको, करो। अगर कोई बुराई न प्रतीत हो, तो वेराक सबके सामने प्रतिज्ञा कर लो ताकि फिर उसे तोड़ते हुए तुम्हें लज्जा प्रतीत हो।

(ख). जब तक कोई नई आदत पूरी तरह से न पड़ जाय, और पुरानी छूट न जाय, तब तक उसमें अपवाद मत होने दो। शुद्ध में छोटी-सी भी विजय आगे आनेवाली बड़ी विजयों में सहायक होती है; छोटी-सी भी पराजय पराजयों की तरफ ले जाती है। शुरू-शुरू में ढील नहीं डालनी चाहिए। 'एक बार और कर ले, फिर न करेगे', यही विचार संकल्प-शक्ति का शत्रु है।

(ग). जो इरादा करो, उसे पहला मौका मिलते ही पूरा करो। जो लोग केवल इरादे करते रहते हैं, वे संकल्प-शक्ति को और अधिक कमज़ोर बना लेते हैं। अवसर मिलने पर जो उसका लाभ नहीं उठाता, वह आगे चलकर उस अवसर के लिये तरसता है, और अवसर हाथ नहीं आता।

(घ). वचों को कोरा उपदेश देते रहने से काम नहीं चलता, उन्हें जिस बात का हम उपदेश देते हैं, उसकी जगह काम कराना सबसे अच्छा है। शिक्षक वचों से जो कुछ कराना चाहता है, उसे वह काम स्वयं करके भी दिखाना चाहिए ताकि धारक अनुकरण द्वारा उसे सीखकर अपनी आदत बना ले। 'सुलेख लिखो'—यह उपदेश इतना कारगर नहीं हो सकता जितना सुलेख

लिंगवाना, और इसके साथ खुद अच्छा लेप लिएकर दिखलाना।

(ड). जो आदत ढालनी हो, उसका कुछ-न-कुछ अभ्यास आपरयक्ता न पड़ने पर भी करते रहो । इस प्रकार का अभ्यास धीमा कराने के समान है । जो व्यक्ति अपने घर का धीमा करा लेता है, उसे कुछ-न-कुछ देना पड़ता है । हो सकता है, उसे आनु-भर देते ही रहना पड़े । परंतु अगर दुर्भाग्य-बश कभी उसके मान को आग लग जाय, तो उसे पद्धताना नहीं पड़ता, उसका सारा रूपया बसूल हो जाता है । इसी प्रकार प्रतिदिन के व्यवहार में धीरता, धीरता, त्याग आदि गुणों के इत्तेमाल से इनकी आदत पड़ जाती है, और मौके पर ये काम देते हैं । जो आदमी तैरना सीख गया, उसे कभी तेरना काम दे सकता है, जो लाठी चलाना सीख गया, वह कभी दुर्मनों से घिरने पर अपनी जान बचा सकता है ।

बुरी आदतों को छोड़ने के विषय में डनलप महोदय ने कुछ ऐसे पराक्रमण किए हैं जिनसे विचित्र परिणाम निकलता है । समझा तो यह जाता है कि बुरी आदत को जिवना दोहराया लायगा, उतनी ही यह हड्ड छेती जायगी । डनलप महोदय का कथन है कि बुरी आदत तभी तक रहती है जबतक हमें इस वात का ध्याल नहीं होता कि यह बुरी है, जबतक हम उसे अच्छी ही समझते रहते हैं । जिस तरण हमें उसके बुरे होने का ज्ञान हो जावा है, तभी से हमें उससे 'असंतोष' (Annoyance)

होने लगता है, और वह अपने-आप छूट जाती है। डनलप महोदय को टाइप करते हुए 'Title' के स्थान पर 'hte' टाइप करने की आदत पड़ गई थी ! इसे दूर करने के लिये उन्होंने ध्यान-पूर्वक सैकड़ों बार 'hte' टाइप किया, और इस ध्यान से किया कि यह अशुद्ध है। आगे से जब भी यह 't!le' टाइप करते थे, तो ठीक टाइप होता था, नलत नहीं। एक आदमी तुतलाकर बोलता था। उससे कहा गया कि यह जान-बूझकर तुतलाने का अनुकरण करे। जब वह जान बूझकर तुतलाता था, तब उसे तुतलाने में प्रयास करना पड़ता था, और उसके ध्यान में यह होता था कि यह ठीक हौर से बोलना नहीं है। इस परीक्षण से उसका बोलना ठीक हो गया। इस विषय में अधिक परीक्षण नहीं किए गए, परंतु इस प्रकार के परीक्षणों से कई मनोरंजक परिणाम निकल सकते हैं, ऐसा अवश्य प्रतीत होता है।

यह जानने के लिये कि नई बात 'सीखने' आवा 'आदत' पड़ने की क्या रफ्तार होती है, टाइप आदि सीखने पर कई परीक्षण किए गए हैं, जिनसे निम्न परिणाम निकले हैं—

(क). नई बात एक ही रफ्तार से नहीं सीखी जाती। शुरू-शुरू में नई बात सीखने की रफ्तार काफी तेज होती है, उसके बाद थोगी पड़ जाती है। प्रारंभ में अभ्यास से, बार-बार करने से, आदत बढ़ती है, अतः शिक्षक दो बार-बार के अभ्यास द्वारा नई आदत के ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। टाइप आदि सीखने में शुरू-शुरू में काफी तेज़ी होती है, बाट को गति रुक जाती है।

(ख). एक हद तक उन्नति करने के बाद मनुष्य रुक जाता है। इस हद को 'शिक्षण की समस्थली' (Plateau of Learning) कहते हैं। जिस प्रकार पहाड़ पर चढ़ते हुए कहाँ-कहाँ समस्थली आ जाती है, इसी प्रकार सीखने की तरफ उन्नति करते-करते समस्थली आ जाती है, जिससे आगे बढ़ना वालकों के लिये कठिन हो जाता है। कई वालक इस हद से आगे नहीं चढ़ सकते, कई चढ़ सकते हैं, परंतु इसके लिये शिक्षक को उच्चेजन्ना देने के अन्य उपायों को सोचना पड़ता है।

पंचदश अध्याय

बुद्धि-परीक्षा

१. 'बुद्धि' तथा 'विद्या' में भेद

प्राचीन काल में 'बुद्धि' (Wisdom) तथा 'विद्या' (Knowledge) को एक समझा जाता था। जिसमें जितनी अधिक विद्या होती थी, जो जितना अधिक पढ़ा होता था, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान् समझा जाता था। परंतु आजकल ऐसा नहीं माना जाता। 'विद्या' पढ़ाने-लियाने से आती है, 'बुद्धि' वालक में पहले से मौजूद होती है; 'विद्या' परिस्थिति का परिणाम है, 'बुद्धि' वंशानुसंकरण के द्वारा प्राप्त होती है; हो सकता है कि एक व्यक्ति 'विद्यान्' हो, परंतु 'बुद्धिमान्' न हो; इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति 'बुद्धिमान्' हो, परंतु 'विद्यान्' न हो; 'विद्या' वाहर से प्राप्त होती है, 'बुद्धि' मनुष्य का आभ्यंतर गुण है; वहुत-सी घाते जान लेना 'विद्या' है, परंतु उनका इस्तेमाल कर सकना, उन्हे जीवन में उपयोगी बना सकना 'बुद्धि' है।

जीवन में 'विद्या' तथा 'बुद्धि' दोनों की उपयोगिता है, परंतु 'बुद्धि' विद्या की अपेक्षा भी अधिक उपयोगी है। 'बुद्धि' क्या है? 'बुद्धि' मनुष्य की एक स्वाभाविक शक्ति का नाम है जिसे

वह जन्म से ही अपने साथ लाता है। बुद्धिमान् व्यक्ति नवीन परिस्थिति में ध्वनिता नहीं, भट्टने से अपने को उसके अनुदूल यना लेता है; वह मानसिक कार्यों को मूर्द्द व्यक्ति की अपेक्षा अधिक आमानी से कर सकता है; किन्हीं पदार्थों ची तुलना, उनके वर्गीकरण, उनके विषय में विचार करने में उसे कठिनाई नहीं होती; वह किसी घात को लल्दी सीख जाता है, और उसे देर तक अपने दिमाग में रख सकता है। 'बुद्धि' के इस लक्षण से स्पष्ट है कि शिक्षा की दृष्टि से इस शक्ति की कितनी उपयोगिता है। इसांलिये, देर से 'बुद्धि' को परखने के अनेक उद्योग होते रहे हैं। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि वे उद्योग क्या रहे हैं।

२. 'बुद्धि-परीक्षा' का इतिहास

जैसा अभी कहा गया, शुरू-शुरू में, 'बुद्धि' तथा 'विद्या' में भेद नहीं समझा जाता था। प्रचलित परीक्षा-प्रणाली से ही उस समय 'विद्या' को मापा जाता था, और 'विद्या' के मापने को ही 'बुद्धि' का मापना समझा जाता था। धीरे-धीरे यह भाव उत्पन्न हुआ कि प्रचलित परीक्षा-प्रणाली से तो 'विद्या' मापी जा सकती है, पुस्तक को कितना घोट लिया है, यह मापा जा सकता है, इससे 'बुद्धि' को नहीं मापा जा सकता। इस विचार के उत्पन्न होने के साथ-साथ 'विद्या' को मापकर 'बुद्धि' के पता लगाने के प्रयत्न को छोड़ दिया गया, और 'बुद्धि' को मापने के अन्य उपायों का अवलंबन किया जाने लगा।

(क). १७७५-७८ में लेवेटर ने मुख्याकृति-विज्ञान (Phrenology) पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें वतलाया गया था कि चेहरे को देखकर किसी व्यक्ति की बुद्धि का पता, लगाया जा सकता है। नाक लंबी हो, तो एक बात सूचित होती है, चपटी हो, तो दूसरी। बड़े-बड़े कानों से एक बात सूचित होती है, छोटे कानों से दूसरी। इस प्रकार लेवेटर तथा उसके अनुयायियों ने मुख की भिन्न-भिन्न आकृतियों से बुद्धि की परीक्षा करने का प्रयत्न किया जिसे अब प्रामाणिक नहीं माना जाता।

(ज). अठारहवीं शताब्दी के अंत में गाल (१७५८-१८२८) तथा सुरजहीम ने मस्तिष्क के उभार तथा द्रवाद के आधार पर बुद्धि-परीक्षा करने का प्रयत्न किया। सुरजहीम का कथन था कि कोई खास शक्ति वढ़ी हुई हो, तो मस्तिष्क का एक खास हिस्सा उभार जाता है; वह हिस्सा द्रवा हो, तो मनुष्य में उस शक्ति की कमी होती है। इन सिद्धांतों को आधार बनाकर 'कपाल-रचना-विज्ञान' (Phrenology) की नींव रखती गई, परंतु इसे भी अब प्रामाणिक नहीं माना जाता।

(ग). उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में लोन्ग्रोसो ने अनेक अपराधियों के सिर, नाक, कान आदि का अध्ययन करके इस बात पर जोर दिया कि अपराधियों के सिर आदि को बनावट दूसरों से भिन्न होती है, अतः इसके आधार पर बुद्धि की परीक्षा भली प्रकार की जा सकती है। वर्ट तथा पीयरसन ने इस सिद्धांत का संडर्न किया, और अब इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता।

३. विनेट-साइमन परीक्षा-प्रणाली

'बुद्धि' को मापने के उक्त उद्योगों के बाद आजकल धीसर्वीं सदी में, जो उद्योग किए गए उनमें से मुख्य विनेट-साइमन परीक्षा-प्रणाली है। विनेट फ्रांस का रहनेवाला मनोविज्ञान का पढ़ित था। फ्रांस की पाठशालाओं के प्रबन्धकर्ताओं ने उससे ऐसे घालकों का पता लगाने में सहायता चाही जो बुद्धि की दृष्टि से हीन कहे जा सकते थे, और दूसरे घालकों के साथ किसी प्रकार भी नहीं चल सकते थे, ताकि उन्हें तेज लड़कों से अलग करके पृथक् सूख्लों में भर्ती किया जाय। साइमन भी फ्रांस का मनोवैज्ञानिक पंटित था, और उसने इन परीक्षणों में सहायता दी थी। विनेट तथा साइमन ने अनेक परीक्षणों के बाद एक परीक्षा-प्रणाली निर्धारित की जो 'विनेट-साइमन परीक्षा-प्रणाली' के नाम से प्रसिद्ध है। इन लोगों ने १९११ में ५४ प्रश्न तैयार किए, जिनके आधार पर घालकों की बुद्धि की परीक्षा की जाती थी। इन प्रश्नों से तीन वर्ष से लेकर युवावस्था तक घालक की बुद्धि की परीक्षा होती थी। तीन वर्ष के घालक के लिये जो प्रश्न निश्चित किए गए थे, अगर वह उन सबका उत्तर दे सकता था, तब तो उसकी 'मानसिक आयु' (Mental Age) भी तीन वर्ष की समझी जाती थी, नहीं तो शारीरिक दृष्टि से तीन वर्ष का होने पर भी उसकी 'मानसिक आयु' तीन से कम समझी जाती थी। प्रत्येक वर्ष के लिये पॉच-पॉच प्रश्न निश्चित किए गए थे, चार वर्ष की आयुवाले घालक के लिये केवल चार प्रश्न। ११-१३-१४ वर्ष

के लिये वे लोग किन्हाँ निश्चित प्रश्नों का निर्धारण न कर सके। एक-एक प्रश्न उस वर्ष की आयु के उतने ही हिस्से को सूचित करता था। अगर १० वर्ष का बालक ६ वर्ष के सब प्रश्नों का उत्तर दे दे, परंतु १० वर्ष के पाँच प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न का उत्तर दे सके, तो उसकी 'मानसिक आयु' १० वर्ष न होकर ६ वर्ष और $\frac{1}{2} = 2\frac{1}{2}$ महीने होगी। १२ यहाँ पर वर्ष के १२ महीनों को सूचित करता है, और ५ उन ५ प्रश्नों को जो 'इस आयु में उसे कर लेने चाहिए। अगर प्रश्न पाँच की जगह छः बना दिए जायें, तो एक-एक प्रश्न दो-दो महीने को सूचित करेगा, और जो बालक १० वर्ष की आयु में १० वर्ष के केवल तीन प्रश्न हल कर सकेगा, उसकी 'मानसिक आयु' ६ वर्ष ६ महीने गिनी जायगी। किसी बालक की 'मानसिक आयु' निकालने का तरीका यह है कि पहले उसकी 'आयु लिख ली जाती है, फिर उस आयु के प्रश्न उसे हल करने को दिए जाते हैं। अगर वह उन प्रश्नों को हल कर ले, तब तो उसकी वही 'मानसिक आयु' समझी जाती है, नहीं तो उस आयु से नीचे के प्रश्न हल करने को उसे दिए जाते हैं। जितने प्रश्नों को वह हल कर सकता है, उनसे उसकी जितनी आयु बनती है, उतनी उसकी 'मानसिक आयु' समझी जाती है। कई बालक अपनी आयु से उपर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उनकी संख्या के अनुसार उन्हें उसी 'मानसिक आयु' का कहा जाता है। विनेट के प्रश्नों का नमूना निम्न प्रकार है :—

तीन वर्ष

१. आंख, नांक, मुँह को उंगली से चता सके।
२. दो थंक, जैसे २—३...४—५,...को एक बार सुनकर दोहरा दे।
३. किसी चित्र को देखकर उसमें की घनुओं को चता दे।
४. अपना नाम यतका सके।
५. छः शब्दों के सरल धार्य को दोहरा सके।

चार वर्ष

१. अपने बालक या बालिका होने को चता सके।
२. चाढ़ी, चाङू, पैये को देखकर इनका नाम के सके।
३. तीन थंक, जैसे १, २, ३ को एक बार सुनकर दोहरा दे।
४. दो रेयाओं में से छोटी और बड़ी को पहचान सके।

पाँच वर्ष

१. दो वज्रों की तुलना कर सके।
२. एक सम-चतुर्भुज को देखकर उसकी नक़्त कर सके।
३. दस शब्दों के सरल धार्य को दोहरा सके।
४. चार पैरों को गिन सके।
५. एक आयत के दो टुकड़ों को जोड़ सके।

६. टरमेन की परीक्षा-प्रणाली

१० चिनेट की १६११ में मृत्यु हो गई, नहीं तो वह स्वयं अपनी प्रश्नावली का परिशोधन सथा परिवर्धन करता। चिनेट के बाद न प्रश्नों को और अधिक परिष्कृत करने का प्रयत्न किया

गया। ये उद्योग इंगलैंड तथा अमेरिका में हुए। इंगलैंड में वर्ट ने विनेट के साथी साइमन की सहायता से, लंडन के स्कूलों में उक्त प्रश्नों के द्वारा बालकों की बुद्धि-परीक्षा की। वर्ट ने विनेट के प्रश्नों में संशोधन भी किया, और उनकी संख्या ५४ से ६५ तक बढ़ा दी। ये प्रश्न ३ वर्ष से १६ वर्ष की आयु तक हैं, और प्रत्येक वर्ष के प्रश्नों की संख्या वरावर नहीं है। इन प्रश्नों का दूसरा संशोधन अमेरिका में टरमैन ने किया, इन्हें 'स्टैनफोर्ड-संशोधन तथा प्रतिरूपन' (Stanford Revision and Extension) कहते हैं। टरमैन के प्रश्नों की संख्या ६० है। प्रत्येक वर्ष के लिये पाँच की जगह छः प्रश्न हैं, १२ वर्ष की आयु के लिये ८ प्रश्न हैं। विनेट की प्रश्नावली में से केवल १६ को टरमैन ने बैसे-का-बैसा रखा है, नहीं तो भवमें अदला-बदली कर दी है। नमूने के तौर पर हम टरमैन के कुछ प्रश्नों को नीचे देते हैं:—

तीन वर्ष

[प्रत्येक प्रश्न दो-दो मास का यज्ञक ह]

१. चाँप, गाँक, मुँह आदि अंगों को उँगली में पता सके।
२. चापों, चाहुं पैंगे आदि को देखकर इनका नाम से सके।
३. किपी भरक चित्र को देखकर उसकी कुछ वस्तुएँ पता सके।
४. अपने बालक या पाजिका होने को यता सके।
५. अपने घराने का नाम यता सके।
६. दूः-पात अवृत्तों तक के नाम्य को दोहरा सके।

चार वर्ष

[प्रत्येक प्रश्न दोन्ही मास का संजक है]

१. दो रेखाओं में से छोटी-बड़ी को पहचान सके ।
२. बूँद, बर्ग, आयत आदि को पहचान सके ।
३. चार पैसों को गिन सके ।
४. एक मम-चतुर्भुज को बेल्कर उसकी नड़त कर सके ।
५. मरल ममल को परखना, जैसे भूप लगे तो क्षण करोगे ?
६. चार थंक, जैसे ४, ३, ७, ८ को सुनकर इकट्ठा बोहरा सके ।

पाँच वर्ष

[प्रत्येक प्रश्न दोन्ही मास का संजक है]

१. दो वज्रों की तुलना कर सके ।
२. छाल, पीते, नीते, हरे रंग को पहचान सके ।
३. दो चतुर्भुजों की तुलना करके अविक सुंदर को बता सके ।
४. कुमीं, घोड़ा, गुड़िया आदि का वर्णण कर सके ।
५. कुप्रेस परीक्षण जिनमें धैर्य की परीक्षा हो ।
६. सीन चाटें छल लें करने को कहना, दम हम से बहता है या नहीं ?

प्रैट ने 'मानसिक आयु' (Mental Age) निकालने के लिये अपने प्रश्न बनाए थे ; टरमैन ने उन नियमों का संशोधन करने के अतिरिक्त 'इंटलिजेन्स क्वोटेंट' (Intelligence Quotient) के निकालने के नियम का भी प्रतिपादन किया । केवल 'मानसिक आयु' के पता लगने से यहै ज्ञात नहीं होता

कि बालक कितना तेज़ या सुस्त है। इस बात को जानने के लिये 'मानसिक आयु' तथा 'वास्तविक आयु' को एकसाथ जानना आवश्यक है। 'मानसिक आयु' तथा 'वास्तविक आयु' को एक-साथ जानने का सहल तरीका यह है कि 'मानसिक आयु' को 'वास्तविक आयु' से भाग दे दिया जाय। इसी को 'बुद्धि-लक्षित्व' (Intelligence Quotient या IQ) कहते हैं। अगर किसी की 'मानसिक आयु' ८ वर्ष हो, 'वास्तविक आयु' १२ वर्ष हो, तो उसकी 'बुद्धि-लक्षित्व' $\frac{8}{12} = 0.67$ होगी। इसी प्रकार अगर किसी को 'मानसिक आयु' ८ वर्ष और 'वास्तविक आयु' ५ वर्ष हो, तो उसकी 'बुद्धि-लक्षित्व' $\frac{8}{5} = 1.6$ होगी। जिस बालक की 'मानसिक आयु' तथा 'वास्तविक आयु' एक ही हों, उसकी 'बुद्धि-लक्षित्व' १ होगी। 'बुद्धि-लक्षित्व' (IQ) को प्रायः प्रतिशत में प्रकट किया जाता है, और इसलिये किसी बालक की 'बुद्धि-लक्षित्व' निकालने के लिये 'मानसिक आयु' को 'वास्तविक आयु' से भाग देकर उसे १०० से गुणा कर दिया जाता है। इस दृष्टि से साधारण बुद्धिवाले बालक की 'बुद्धि-लक्षित्व' १०० मानी गई है। हजारों बालकों पर परीक्षा करके मनोवैज्ञानिकों ने 'बुद्धि-लक्षित्व' का निम्न-प्रकार से वर्गीकरण किया है:—

बुद्धि-संविध • बुद्धि

१८० से अधिक प्रतिभा-संपद (Genius)

१४० से १५० ग्राम; प्रतिभा-संपद (Near Genius)

१३० से १४० अत्युत्तम (Very Superior Intelligence)

- ११० से १२० उत्कृष्ट (Superior Intelligence)
- ६० से ११० साधारण ('Normal), Average)
- ८० से ६० मंद (Dullness)
- ७० से ८० प्रायः हीन (Feeble-mindedness)
- ६० से कम हीन (Moron)

५. समूह-बुद्धि-परीक्षा

प्रिमेट, तथा टरमैन की जिन परीक्षा-प्रणालियों का इपर उल्लेख किया गया है, इनका सबसे बड़ा दोष यह था कि इनमें समय बहुत लगता था। एक-दो वालकों की बुद्धि की परीक्षा करनी हो, तब तो ठीक था, परंतु अगर अनेक वालकों की परीक्षा करनी हो, तब इस प्रकार परीक्षा करने से बहुत समय नष्ट होता था। इसलिए यह 'अनुभव' होने लगा, कि समूह के समूह की इष्टटी परीक्षा लेने का उपाय निकालना चाहिए। यह उपाय गत महायुद्ध के समय अमेरिका में निकला, और इसे 'समूह-बुद्धि-परीक्षा' (Group Test) कहा जाता है। युद्ध के समय यह देखने की आवश्यकता होती थी कि कौन-से व्यक्ति सेना में भर्ती होकर बुद्धि-पूर्वक कार्य करने की योग्यता रखते हैं। तब एक-एक की परीक्षा की जाती, तो बहुत समय लगता। उस समय मनो-वैज्ञानिकों ने सोच-विचारकर 'समूह-बुद्धि-परीक्षा' को निकाला। इसमें कई प्रश्न बनाए गए थे, जो छापकर जिनकी परीक्षा लेनी होती थी उन्हे बाँट दिए जाते थे, और उनके उत्तरों से उनकी बुद्धि की परीक्षा एकसाथ हो जाती थी। इन प्रश्नों का चुनाव भी

बड़े सोच-विचार के बाद किया गया था, और इन प्रश्नों को प्रामाणिक बना लिया गया था। अमेरिका में टरमैन ने 'टरमैन समूह-बुद्धि-परीक्षा' प्रश्न तैयार किए हैं। इसी प्रकार इंगलैण्ड में वैलार्ड ने 'चेलसी समूह-बुद्धि-परीक्षा', वर्ट और टामसन ने 'नार्थम्बरलैंड समूह-बुद्धि-परीक्षा' प्रश्न तैयार किए हैं। इन प्रश्नों द्वारा कहीं-कहीं स्कूलों के बालकों की बुद्धि-परीक्षा की जाने लगी है। स्कूल के बालकों के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, उनका कुछ नमूना 'नार्थम्बरलैंड समूह-बुद्धि-परीक्षा' से नीचे दिया जाता है:—

(क). नीचे लिखी शब्दावली की श्रेणी में से उस शब्द को काट दो, जो श्रेणी में उचित न प्रतीत होता हो :

यात्रा पर उन घास लट्

दान दया ज्ञान बदला प्रेम :

(ख). नीचे लिखी शंकमाला में जो शंक अपनी श्रेणी में उचित न प्रतीत होता हो, उसे काट दो : -

२६ ३ ७ ३६ १३ ८२ ,

१८ २२ ३० २४ ६ १२ ,

(ग). नीचे लिखी प्रथेक पंक्ति के पहले दो शब्दों में कुछ संवंध है। उस संवंध को भालूम बरो, और दिए हुए शब्दों में जिस-चिन शब्द का तीसरे शब्द के साथ वही संघंघ हो, उसके नीचे नकोर खोंच दो :

यंत्रक : निशाना लगाना :: : चाहूः दौड़ना, काटना, चिड़िया, घोणी ।

जला : पैर : : घोणी : कोट, नाक, सिर, कालर ।

इन प्रश्नों तथा इन्हीं की तरह के अन्य पचासों प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर वालकों की 'मानसिक आयु' का पता लगाया जा सकता है।

उपर हमने 'व्यक्तिगत' तथा 'समूह-बुद्धि-परीक्षा' का वर्णन किया है, परंतु इन सबमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ हम दूसरे की बात समझन सकते हैं, वहाँ उक्त परीक्षाएँ काम में नहीं आ सकती। वहरों तथा गूँगों के लिये 'क्रिया-परीक्षाएँ' (Performance Tests) निश्चित की गई हैं, जिनका यहाँ पिस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है।

'बुद्धि-परीक्षा' (Intelligence Test) की तरह 'विद्या-परीक्षा' (Achievement Test) के भी उद्योग किए गए हैं। 'बुद्धि-परीक्षा' से वालक की सामाजिक बुद्धि की परीक्षा होती है, 'विद्या-परीक्षा' से अजित बुद्धि की। परंतु इस दिशा में अभी विशेष प्रयत्न नहीं हुआ।

६. दो परिणाम

'बुद्धि-परीक्षा' पर जो परीक्षण हुए हैं, उनसे दो ऐसे परिणाम निकलते हैं जिनपर ध्यान देना आवश्यक है। वे परिणाम निम्न हैं।—

(क). 'बुद्धि-लटिघि' प्रत्येक वालक की भिन्न-भिन्न होती है, और इसपर शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी वालक की छः वर्ष में 'बुद्धि-लटिघि' १०० है, तो १० वर्ष में भी लगभग इतनी ही होगी। एक लड़की पर इस संबंध में परीक्षण किए गए, जो इस प्रकार थे।

	वास्तविक आयु	मानसिक आयु	बुद्धि लिंग	
प्रथम परीक्षा	६ वर्ष	८ महीने	४ वर्ष ६ म०	८८
द्वितीय परीक्षा	७ वर्ष १ म०	८	५	७८
तृतीय परीक्षा	८ वर्ष २ म०	६	१०	८४
चतुर्थ परीक्षा	९ वर्ष ५ म०	७	०	८१
पचम परीक्षा	१२ वर्ष १० म०	६	१०	७७

इसी प्रकार अनेक लड़कियों पर भिन्न भिन्न आयुओं में परीक्षण किए गए, और यही परिणाम निकला कि 'बुद्धि-लिंग' में उहुत अधिक भेद नहीं पड़ता।

(स) दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, यह है कि 'मानसिक आयु' (Mental Age) १६ वर्ष के वरीब-करीब पहुँचकर आगे नहीं बढ़ती। मद-बुद्धि वालक १४ वर्ष से ही अपनी अधिक-से-अधिक 'मानसिक आयु' पर पहुँच जाते हैं, तीव्र बुद्धिवाले १८ वर्ष तक उन्नति करते रहते हैं, परन्तु उसके बाद 'विद्या' में तो उन्नति ही सकती है, 'बुद्धि' में नहीं।

७. 'बुद्धि-परीक्षा' का उपयोग

'बुद्धि-परीक्षा' का शिक्षा की हास्त्री से बड़ा महत्व है। इस समय यद्यों की शिक्षा अधाधुघ चलती है। तेज और कमज़ोर वालकों को इकट्ठा पड़ाया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि शिक्षक न तेज वालकों को ही अपने साथ रख सकता

	वास्तविक आयु	मानसिक आयु	बुद्धिस्तरिय
प्रथम परीक्षा	६ वर्ष ८ महीने	४ वर्ष ५ म०	८३
द्वितीय परीक्षा	७ वर्ष ३ म०	८ ४	९५
तृतीय परीक्षा	८ वर्ष २ म०	९ १०	८४
चतुर्थ परीक्षा	८ वर्ष ७ म०	७ ०	८१
पंचम परीक्षा	१२ वर्ष १० म०	६ १०	७७

इसी प्रकार अनेक लड़कियों पर भिन्न-भिन्न आयुओं में परीक्षण किए गए, और यही परिणाम निकला कि 'बुद्धिस्तरिय' में बहुत अधिक भेद नहीं पड़ता।

(स). दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, यह है कि 'मानसिक आयु' (Mental Age) १६ वर्ष के क्लासिकलीय पहुँचकर आगे नहीं बढ़ती। मंद-बुद्धि बालक १४ वर्ष में ही अपनी अधिक-से-अधिक 'मानसिक आयु' पर पहुँच जाते हैं, तीव्र बुद्धिवाले १८ वर्ष तक उन्नति करते रहते हैं, परंतु उसके बाद 'विद्या' में तो उन्नति हो सकती है, 'बुद्धि' में नहीं।

७. 'बुद्धि-परीक्षा' का उपयोग

'बुद्धि-परीक्षा' का शिक्षा की हड्डि से बड़ा महत्त्व है। इस समय बच्चों की शिक्षा अंधाधुध चलती है। तेज़ और कमज़ोर बालकों को इकट्ठा पड़ाया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि शिक्षक न तेज़ बालकों को ही अपने साथ रख सकता है; न कमज़ोर बालकों को ही। हमारे शिक्षा-क्रम में कई ऐसे बालकों को ज़बर्दस्ती पड़ाया जाता है जिन्हे कभी का दस्तकारी

या इसी प्रकार के अन्य किसी धंधे में लग जाना चाहिए था। बहुत से तेज़ वालक जो डाकगाड़ी की भाँति कई स्टेशन एकदम पार कर सकते थे, मालगाड़ी की चाल से चलते हैं, क्योंकि उसी कक्षा में सब तरह का माल भरा होता है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का यह धड़ा भारी दोष है। सबसे अच्छा तो यह हो, अगर प्रत्येक वालक पर वैयक्तिक ध्यान दिया जा सके, परंतु अगर इतना नहीं हो सकता, तो यह तो जरूर होना चाहिए कि प्रत्येक कक्षा में एक ही 'बुद्धि-लक्ष्य' के वालक हों, ताकि वे सब एकसाथ चल सकें। अनेक तेज़ वालकों की जब मालगाड़ी की रफ़तार से चलने को वाधित किया जाता है, तो वे अपनी अतिरिक्त-शक्ति का शरारतों में प्रयोग करते हैं, और तेज़ कहे जाने के बजाय शरारती कहे जाते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि ऐसे वालकों को या तो 'डबल प्रोमोशन' दे दे, या उन्हें छोटकर उनकी अलग कक्षा बनाए। तेज़ वालकों को छात्र-नृति देने में भी बुद्धि-परीक्षा का अच्छा उपयोग हो सकता है। जिनकी 'बुद्धि-लक्ष्य' जँची हो, उनके रारीन होने पर भी उन्हें छात्र-नृति दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे वालक देश की संपत्ति होते हैं। प्रचलित परीक्षा-पद्धति से तो सोता-नटन की जाँच होती है, अस्ली बुद्धि की नहीं, इसलिये 'बुद्धि-परीक्षा' की प्रणाली का जितना हो सके, प्रयोग करना चाहिए। स्कूलों में नवीन छात्र भर्ती करने साथा अन्य व्यवसायों में नवीन व्यक्ति लेने में भी 'बुद्धि-परीक्षा' करना बहुत उपयोगी रहता है।

८. भारत तथा 'बुद्धि-परीक्षा'

'बुद्धि-परीक्षा' का प्रारम्भ फ्रांस में हुआ था। विनेट ने फ्रांस के आरब-वालकों पर अपने परीक्षण किए थे। अमेरिका तथा इंगलैंड में विनेट की प्रश्नाबली से परिवर्तन करना पड़ा। सैकड़ों वालकों पर परीक्षण करने के बाद उक्त प्रश्नावलियों निर्धारित की गई। इसलिये भारत में उन प्रश्नों का सिफ़ अनुवाद कर लेने से काम न चलेगा। प्रत्येक देश की अवस्था भिन्न-भिन्न है। आवश्यकता इस बात की है कि कुछ मनोवैज्ञानिक देश में हजारों वालकों पर परीक्षण करके निश्चित प्रभावलियों का निर्धारण करें। कई स्थानों पर इस विषय से बड़े उपयोगी परीक्षण हो रहे हैं। घनारस में ट्रैनिंग कॉलेज के प्रिसिपल राठ घठ लजाशकर भा इस विषय में बहुत दिलचस्पी से काम ले रहे हैं। उन्होंने सी० ए० रिचर्ड्सन द्वारा रचित 'समूह-बुद्धि-भाष्य' को भारतीय परिस्थिति के अनुसार संशोधित करके एक प्रश्न-पुस्तिका तैयार की है, जो बड़ी उपयोगी है। कुछ बाम क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर, की तरफ से भी हुआ है। मद्रास युनिवर्सिटी के बीचर्स-कॉलेज ने भी इस विषय पर एक बुलेटिन प्रकाशित की है। इटावा में भी इस संबंध में कुछ परीक्षण हो रहे हैं। परतु इन विसरे हुए परीक्षणों की अपेक्षा भारत के मनोवैज्ञानिकों के सगठित तथा सुनियनित परीक्षणों की आवश्यकता है, तभी हम भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल किसी निश्चित प्रश्नाबली पर पहुँच सकेंगे।

Index and Glossary.

- Abstraction**-पृथक्करण, २७८
Acquisition-संचय, १२६, १६६-८
Acuity-तीव्रता, २०२
Annoyance-असुखोप, ३०२, ३११
Apperception-पूर्वानुवर्ती प्रभाव, २०६-१२
Apperceptive mass-पूर्वानुवर्ती ज्ञान, २१०-१, २२१
Application-प्रयोग, २६८
Association-संबंध, २६, ३०, ४८, ५८, २०३, २३६, २४३-७
 —of ideas—प्रयय-संबंध, २८ ३०, ४६, ४०, ८३, ११०, २४२-९
 free—, स्वतंत्र कथन, ८८, १४
Associationism-प्रयय-सदघयाद, ४२-५, ६८, ८३, २००
Atavism-अधिसंचार, १०२
Attention-चरमान, २१४, ६, २२२-२३
 concentration of—,—काँड़ी करण, २३।
 distraction of—,—में धारा, २३०
 division of—,—का विभाग, २२१
 fluctuation of—,—का विचलन, २२८
 involuntary—, अनैट्रिक—, २२२ ३
 span of —,—का विस्तार, २२८
 voluntary—, प्रैचिक—, २२२ ३
Behaviourism-प्रवहारवाद, ४० ४४-५२
Carrier-वाहक, १८
Cell-कोष, ६७, १६६
 —body-कोष शरीर, १६६-८
 generative—, उत्पादक—, १५-८
 germ—, उत्पादक—, ६८
 nerve—, नंगा—, १६६७, २३८, २४३
 somatic—, शारीरिक—, ६८
Censor-प्रतिरोधक, ६१, ६३
Cerebellum-छोड़ दिमाग, १६३
Cerebrum-पड़ा दिमाग १६३-४
Character-भाषार, गुण, १८४-६
 acquired—, अर्जित गुण १८५
 innate—, जन्मसिद्ध गुण, १८५
Chromosomes-बर्ण-कण, ६८
Cognition ज्ञान, ३१
Cohesion-संलग्नता, ११०, २४३

- Combat—युद्धस्ता, १२४, १५६
 Comparison—सुधारना, २७८,
 २८६, २९४
 Complex—विषय जाल, ६४-६,
 १०६-११०
 engram—, संस्कारों का—,
 २४८
 inferiority—, हीनता का—,
 ७८
 superiority—, विश्वसनका—,
 ७४
 Concept—मान्यता • प्रथय,
 २७६-८६
 Conceptualism—ग्राह, २८२
 Concrete—स्थूल, २७१, २८४
 Conditioned fear—संबंध भय,
 १५१
 Conscious—उद्दभूत, मन्त्र, २३६
 central—ness—केंद्रियता चेतना,
 २१३-६
 —ness—चेतना, ३६, ४३, ४५
 —self—शात चेतना, ४५, ६२
 function of—ness—चेतना का
 कार्य, ४७
 marginal—ness—प्रांतवर्ती
 चेतना, २१३-६
 un—self—अशात चेतना, ४५,
 ६२, ६८
 sub—self—अनुद्भूत चेतना,
 २१६
- structure of—ness—चेतनाकी
 संरचना, ७३
 Conservation—संचय-शक्ति,
 २३७-८
 Constructiveness — विधायक
 शक्ति, १३४-८
 Contiguity—सापेक्षविद्यमता, २४४
 Cortex—मस्तिष्क-तंत्र, २३७-८
 Curiosity—कौशुल, जिज्ञासा,
 १३२-३
 Differential threshold—अनुभव
 भेद मात्रा, २०४
 Discontinuous mutation—चाल
 कटिनक परिवर्तन, ६४
 Disposition—संस्कार, २४८
 Dominant—प्रभावशाली, १०१
 Ductless gland—प्रणालिका-नहिं
 ग्रंथि, १६४
 Emotion—भाव, उद्गो, १२१-४,
 १६१-७
 crude—, अपरिपक्ष—, १८६
 —of fear—भयोद्गो, १२२
 feeling as—, भाव-संवेदन,
 १५६, १६१
 repressed—, प्रतिरुद्ध उद्गो,
 ६०
 tender—, स्नेह-भाव, १२४
 Emotional shock—उद्गोगात्मक
 आघात, ६६, ६८, ६६, ६८
 Emulation—स्पर्धा, १४८

Engram—संस्कार-स्मृति, १०६-११	Gestalt school—आग्रहीवाद, प्रृष्ठ ८
Environment—परिस्थिति, २४, १००-१०६	Habits—भावना, ३०८ १३
Envy—हँस्या, १४८	Heredity—वैशालुसम्भव्या १००- १०६
Escape—प्रज्ञायन, १२४, १३०-२	biological—, शीत-परंपरा, १०६
Exciting cause—निकटतरी कारण, ७६	social—, सामाजिक परंपरा, १०६
Existentialism—प्रत्यावाद, ४०-४	Horme—प्रेरणा शक्ति, ११०, ११२, २४६
Extensivity—विस्तार, २०५	Hormone—प्रायंतर स्वास्थ्य-रस, १६४
Factor—पाइक, ६८	Idea—प्रत्यय, २८, ४१, ११० abstract—, सामान्य—, २८० generic—, जनक—, ३८०
Faculty—शक्ति, १६-२१	Ideal representation—मानस प्रत्यक्ष, २४८
Fatigue—परान, २३१-१	Image—प्रतिमा, २६१-२, २७६-७
Feeling—संखेदन, १५०-१६० sensual—, हँसिय—, १५६, १६१	Imagination—कल्पना, २३८-६, २६१-७४
Frequency—उच्चराहृति, * , २१, २४६	Classification of—, —का धर्मीकरण, २६८
Function—क्रिया, कार्य, ४६ nutritive—, भरण-क्रिया, १६ rational—, बुद्धिपूर्वक—, १६ sensitive—, अनुभूति—, १६	Imitation—अनुकरण, १४४-६ classification of—, अनुस्मरण का धर्मीकरण, १४६-८
Ganglion—तेतु-कोष-समूह १६७-८	Impression—संखार, २३४
General tendency—सामान्य— प्रवृत्ति, १३८-४०	Impulse—आवेग, ७२ self-assertive—, शक्ति प्राप्त करने, की, अभिवादन, ७३-७
Generalization—नियम विवरण, २६४	
Germ कोष-तत्त्व, ८६, ८८ continuity of—, —की निरं तरता, ८६, ८८	

- sex—, काम-भावना का धारेग, ७२
 sexual—, लिंग-संबंधी प्रत्यक्षि,
 ७७
- Inference—अनुमान, २६१
 deductive—, निगमन, २६१
 inductive—, आगमन, २६१
- Instinct—प्राकृतिक शक्ति, १०७-
 १५६
 classification of—,—का वर्गी-
 करण, १२४-२४
 transitoriness of—,—की अवधि-
 स्थायिता, १२०-१
- Intelligence quotient—बुद्धि-
 चय्यि, ३२१-२
- Interest—रुचि, २१६-२२
 acquired—अजित—, २१६, २२०
 instinctive—प्राकृतिक,—२१६, -१
 native—स्वाभाविक—, २२०
- Intensity—मात्रा, २०५
- Introspection—अंतःप्रेक्षण, ४४-७
- Intuitive—स्वाभाविक, २८७
- Judgment—निर्णय, २८८-९
 Knowing—ज्ञान, १६७
- Law of, Effect—परिणाम, का
 नियम, २००.
- , Exercise—अभ्यास,— ३०३
 —, Readiness—तत्परता,—, ३०३
- Learning—सीखना, २६६-१०८
 distributed—, विभक्त समरण,
 २८८
- by insight—सूझसे सीखना,
 ३०८
- plateau of—, गिरचण की सम-
 स्थली, ३१३
- spaced—, विभक्त समरण, २८८
- Libido—काम-भावना, ७१-२, ७६-७
- Logical—तार्किक, २६०, -६
- Maximum limit—परांत सीमा,
 २०३
- Medulla oblongata—मन्त्रा दंड
 नूल, १३४
- Memory—स्मृति २३६-२४२
 general—, सामान्य—, २८८
 habit—, आदत—, २४२
 immediate—, ताल्कालिक—,
 २४४*
- permanent—, स्थिर—, २४०
- rational—, प्रत्यय-संबंधी-
 शित—, २४८
- reproductive—, पुनरुत्पाद-
 नात्मक—, २६४
- rate—, रटन, २४१-२४८
- span of—,—विस्तार, २४६
- specific—; विशेष—, २२५
- transference of—,—संक-
 मण, २५६
- true—, यथार्थ—, २४०
- Mental age—मानसिक आयु,
 २१७-८, ३२६
- Method—विधि, प्रणाली, ७

- entire—, संपूर्ण स्मरण—, २६६
 heuristic—, स्वयंज्ञान—, १०८
 —of teaching— अध्यापन—, २६६
 reaction—, प्रतिक्रिया—, २४८
 sectional—, खण्डशः स्मरण—, २५६-२६०
 serial—, संस्क्रित शान्ति—, २४८
 Mneme-संचयन्यक्ति, १०८-९
 Modification-परिवर्तन, ६४
 Motivation-क्रिया-शीलता, ६२
 Motive-प्रेरक कारण, ७८-८१
 Motivism-प्रयोजनवाद, ८२
 Motor centre-चेष्टा-केंद्र, १६४
 Natural selection-प्राकृतिक चुनाव, ६४
 Nerve-वाहक तंतु, १७-८, १६१
 motor—, क्रिया-वाहक तंतु, २१, १६६
 —cell-तंतु-कोष, १६६-७
 sensory—, ज्ञान-वाहक तंतु, १६६
 Nervous path-तंतु-मार्ग, २३८
 Nervous system-तंतु-संस्थान, २१, १६१-८
 central—, केंद्रीय—, १६२
 cerebro-spinal—, केंद्रीय—, १६२-६
 peripheral—, घटक—, १६६-८
 sympathetic—, जीवनयोगि—, १६६
 Neural fibre-ज्ञान-तंतु, ३१
 Nominalism-नाम-रूपात्मवाद, २८१
 Pangenesis-कण्ठजनि, १८
 Part-अवयव, ८४, ८६
 Particular-विशेष, २७१, २८०
 Pattern-अवयवी, ८४-६
 Percept-प्रत्यय, २७८-२८६
 Perception-संविकल्पक प्रत्यय, २०६-८
 Perceptual experience-प्रत्यय-तुभव, २७५
 Perseveration-संस्कार-प्रसक्ति, २४०
 Phrenology-कपाल-रचना-विज्ञान, ३२
 Physiognomy-सुखाङ्गति-विज्ञान, ३१६
 Play-खेळ, १४६-१५६
 classification of—, कीड़ा का धर्गीकरण, १४६-१५०
 Pons-सेतु, १६६
 Predisposing cause-दूरवर्ती कारण, १६८
 Presentation-निरीक्षण, २४४
 Presentative aspect-दर्शकरूप, २०७
 Primacy-प्रथमता, २४६

- Protensity-स्थिति-काल, २०५
 Psycho-analysis—मनोविज्ञान-शास्त्र, ८४-९८
 Psychology—मनोविज्ञान, १४-२८
 child—, बाल—, ३६
 classification of—,—काषा, ३-११
 experimental—, परीक्षणा-लक्षक—, ३०
 faculty—, विभिन्न शक्ति—, १६, २०, ३४
 fibre—, ज्ञान-तंत्र—, ३१
 functional—, चेतना-कार्यवाद, ४७
 horonic—, प्रयोजनवाद, ८२
 old—, उत्तरात्मा—, २०
 physiological—, वैदिक—, ३७
 structural—, चेतना-रचना-वाद, ४६-७
 Purpose—प्रयोजन, ८०
 immediate—, निकटवर्ती—, ११५
 —less—निःप्रयोजन, ११६
 Purposivism—प्रयोजनवाद, ७८-८२
 Realism—पथार्थ सत्तावाद, २, ४
 sense—, हृदिय पथार्थवाद, ४-६
 social—, सामाजिक पथार्थवाद, ३
 Reasoning—नक्के, २८८-२९६
 Recency—नवीनता, २०, २१
 Recessive—प्रभावित, १०१
 Reconditioning—पूर्ववक्षरण, १३१
 Reflex—सहज किया, ११३-६
 conditioned—, संयुक्त सहज किया, ५२
 —atic—सहज किया गोलादें, १०७
 Relation aspect—संबंध स्पष्ट, २०८
 Representative aspect—कल्पना स्पष्ट, २०८
 Repressed—प्रतिरुद्ध, ६०
 Response—प्रतिक्रिया, ४४
 Self-activity—आत्म-क्रियाशीलता, १४६
 Sensation—निर्दिकल्पक प्रत्यक्ष, १६६-२०६
 kinaesthetic—, देशानुभव, २०२
 threshold of—, अनुभव की अवरोत सीमा, २०३
 Sentiment—स्थायी भाव, १६७-१७३
 self-regarding—, आत्म-सम्मान का—, १०३-८
 Spinal cord—मेरदंड, ११४-८
 Spirit—आत्मा, १५, १७, २४
 Stimulus—विषय, ४४
 Style of life—जीवन-शैली, ७२-८

Sublime—सूर्योत्तरित करना, ७१
 Suggestion—संझन, १४०
 auto—, आत्म—, १४२
 contr—, विरुद्ध—, १४२
 mass—, यहुसख्याक—, १४२
 prestige—, घृद—, १४२
 Suggestibility—संकेत योग्यता,
 १४०-४
 co-efficient of—,—कागुण्य, १४१
 Sympathy—सहानुभूति, १३८-४०
 Test—परीक्षा,
 achievement—, विघ्न—,
 ३२५

group—, समूह जुदि—, ३२३
 intelligence—, उद्दि—,
 ३१४-२८
 performance—, क्रिया,—
 ३२४
 Urge—प्रेरणा, ११०
 Variation—परिवर्तन २३
 continuous—, समिक—, ६४
 discontinuous—, अक्रमिक
 —, ६४
 favourable—, घनुकूर—, ६४
 Vividness—प्रवलसा, स्पष्टता, २४७
 Volition—हृति, ३०
 Will—ज्यवसाय, १७६-८७

Name Index.

- Adler, 72, 75, 77, 189
Aristotle, 16, 20, 22, 29, 153
Armstrong, 105
Bacon, 6
Ballard P B, 324
Bateson, 95
Bell, Charles, 33
Bergeron, H, 242, 250
Binet, 41, 317, 319 21
Bonnet, 31
Burt, 317, 320,-24
Breuer, 57 -
Bhigwandas, 162
Cannon, 163
Combe, George, 32
Comenius, 6
Darwin, 35-6, 93 5
Descartes, 23, 114, 144
De Vries, 95
Drever, J., 122-3, 147 8,
163, 186, 188, 263,-6, 272
Dumville, 143, 245
Dunlop, 311
Ebbinghaus, 251
Erasmus, 2
Fechner, 202,-4
Freud, 55 72, 189
Froebel, 7-8, 147
Galen, 21
Gall, 32 3, 316
Galton, 95-8
Gates, 259
Gopalswami, 260
Hall, Stanley, 152
Harrison, 102 3
Herbart, 7 8, 34-35, 102
134, 212
Hobbes, 22 3, 30, 34, 114
Hume, David, 28-9, 34
James, William, 36, 44, 47
120 1, 127, 164-5, 182, 25
Janet, 56
Jung, 76, 189
John, Locke, 7, 28
Karl Groos, 149, 153
Kirkpatrick, 123, 146
Koffka, Kurt, 84, 87-8
Kohler, Wolfgang, 84, 87
Kulpe, 41-2
Lamarck, 91-3, 95, 102 3
Lange, 165
Lavater, 316
Lazarus, 153
Lloyd Morgan, 213
Lombroso, 316
Luwin, Kurt, 88
Malebranche, 153
Mc Dougall, 36, 78 9, 81-
102-7, 121-5, 130, 146,
162, 175, 186 8, 255, 26
Mendal, 99 102
Milton, John, 3

- Montaigne, 4
 - Montessori, 270-272
 - Müller, 36
 - Nunn, T. Percy, 108 11, 153
 - Pavlov, 51, 53, 79, 306-7
 - Pestalozzi, 7-8
 - Pearson, Karl, 316-7
 - Plato, 16-7, 132
 - Preyer, 36
 - Rabelais, 3
 - Rivers, 122
 - Rousseau, 7
 - Schiller, 152
 - Shand, A. F., 167
 - Simon, 317, 320
 - Smith, Miss, 255
 - Spearman, 291
 - Spencer, Herbert, 35, 152
 - Spurzheim, 32, 316
 - Socrates, 15, 20
 - Tetens, J. N., 31
 - Terman, 319-21, 324
 - Thomson, Godfrey, H., 324
 - Thorndike, 10, 86, 48 51, 53,
85, 120-1, 123, 124, 144,
300, 3-7
 - Tichener, 42
 - Valentine, 252, 5
 - Watson, J. B., 10, 47-8, 50-1,
54, 107, 306-7
 - Weber, 37, 202, 4
 - Weismann, 95-9, 102
 - Woodworth, R. S., 36
 - Wundt, 37, 42
 - Zoller, 105
-